सप्तम माला, 25 November 1980

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Fourth-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

अंक 6, मंगलवार, 25 नवम्बर, 1980/4 अग्रहायण, 1902 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 101, 103, 105 और 106	...	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 104, 107 से 114 और 116 से 120	...	19—30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1001, 1004, 1006 से 1008, 1010 से 1019. 1022 से 1027, 1029, 1031, 1033 से 1046, 1048 से 1059, 1062 से 1077, 1079, 1081 से 1086, 1089,1091, 1092, 1094 से 1096,1098 से 1102,1104 से 1107,1109 से 1114, 1116 से 1121, 1125 से 1131, 1133 से 1136,1138 से 1141,1143 से 1163, 1168, 1169, 1171 और 1178 से 1200	...	31—174
स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में	...	175—184
सभापटल पर रखे गये पत्र	...	185
लोक लेखा समिति के विवरण	...	186
राज्य सभा के सन्देश	...	186
प्रविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	...	187—194
पटना में गंगा नदी पर पुल के निर्माण में कथित विलंब		
श्री राम विलास पासवान	...	187—193
श्री वीरेन्द्र पाटिल	...	187—194
श्रीमती कृष्णा साही	...	193—194

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

दिल्ली नगरपालिका विधि (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1980 के बारे में याचिका ... 195

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव ... 195—196

आरोबिले (आपात उपबंध) विधेयक-पुर:स्थापित ... 197—199

आरोबिले (आपात उपबंध) अध्यादेश, 1980 के बारे में विवरण ... 200

बर्ड एन्ड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों तथा अन्य सम्पत्तियों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक —पुर:स्थापित ... 201

बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों तथा अन्य सम्पत्तियों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1980 के बारे में विवरण ... 202

नियम 377 के अधीन मामले ... 202

(एक) कोचीन में सुगन्ध पदार्थ परियोजना ... 202

श्री जेवियर अराक्कल

(दो) उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन ... 202

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत

(तीन) कोरवा उर्वरक संयंत्र ... 203

डा० वसन्त कुमार पण्डित

(चार) मद्रास के बकिंघम और कर्नाटक जिलों का राष्ट्रीयकरण ... 203—205

डा० ए० कला निधि

(पांच) बेरोजगार युवकों की समस्याओं और दिल्ली में उनके प्रदर्शन के बारे में ... 206

श्री रामावतार शास्त्री

(छः) आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलगांना क्षेत्रों में सूखे की स्थिति ... 206—207

श्री दारूर पुलय्या

सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में ... 205

(श्री जार्ज फर्नाण्डीज)

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में प्रस्ताव ... 208—295

प्रो० मधु दण्डवते ... 208...217

श्री एच० के० एल० भगत ... 217—222

श्री चन्द्रजीत यादव	...	222—229
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	...	229—231
श्री मोहन लाल सुखाड़िया	...	231—236
श्री समर मुखर्जी	...	237—242
श्री वी० वी० देसाई	....	242—245
श्री कमल नाथ	....	245—250
श्री सी० टी० दण्डुपाणि	...	250—254
श्री शिव प्रसाद साहू	....	254—256
श्री सतीश अग्रवाल	....	256—260
श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत	...	260—263
श्री यशवन्तराव चव्हाण	...	263—267
श्री मूलचन्द डागा	....	267—270
श्री योगेन्द्र झा	...	271—274
श्री आरिफ मोहम्मद खां	...	274—277
श्री हरिकेश द्वहादुर	...	277—279
श्री जी० एम० बनातवाला	...	279—281
श्री चित्त बसु	...	281—282
श्री जयपालसिंह कश्यप	...	282—283
श्री आर० वेंकटरामन	...	183—295

रात्मा गांधी पर फिल्म के बारे में आधे घण्टे की च ा को स्थगित करने बारे में घोषणा 296

लोक सभा

मंगलवार 25 नवम्बर 1980/4 अग्रहायण 1902 (शक)

लोकसभा 11 बजे समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोयले के उत्पादन में 10 प्रतिशत वृद्धि

*101. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ योजनाओं का प्रस्ताव किया था और उन्हें आरम्भ किया था जिनके आधीन कोयले के उत्पादन में 10 प्रतिशत वृद्धि की जानी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अब महसूस करती है कि कोयले की 10 प्रतिशत वृद्धि संदेहास्पद है ;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(घ) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई ठोस उपाय किए गए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस समस्या पर काबू पा लेने के बारे में कहां तक विश्वस्त है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सरकार ने कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए जनवरी, 1980 से अब तक 20 नई परियोजनाएं मंजूर की हैं। छटी योजना की अवधि में कोयले के उत्पादन में औसत वृद्धि दर 10 प्रतिशत होने की आशा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) अनेक नई परियोजनाओं की मंजूरी के लिए कार्रवाई की जा रही है ताकि उत्पादन में लक्ष्य वृद्धि दर को प्राप्त किया जा सके । अन्य बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से कोयला कम्पनियां बिजली उत्पादन के लिए ग्रहीत बिजली घर स्थापित करने, नई प्रौद्योगिकी प्रारम्भ करके भूमिगत खानों से कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए और बड़ी ओपेनकास्ट खानों से कोयले का उत्पादन के लिए कार्रवाई कर रही है । उत्पादन के अन्य अनिवार्य अंशों यथा सीमेंट, इस्पात, आदि की सप्लाई को भी अग्रता दी जा रही है ।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कोयला हमारे देश में ऊर्जा का एक निर्भरयोग्य स्रोत है । दुर्भाग्य से, जब से कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण

हुआ है, इसके उत्पादन में कभी वृद्धि नहीं हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कोल इन्डिया लिमिटेड में, खान अभियन्ताओं की कुछ पदोन्नतियों को लेकर वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों में 1979-80 में के दौरान भारी असन्तोष व्याप्त रहा है ? यदि यह ठीक है तो क्या सरकार प्रशासन को बढ़ाने और सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार है ?

श्री विक्रम महाजन : महोदय, जहां तक कोयले के उत्पादन का सम्बन्ध है, राष्ट्रीयकरण के बाद इसमें वृद्धि हुई है और वृद्धि अभी भी जारी है। जैसाकि विवरण में बताया गया है हम इस प्रतिशत की वृद्धि दर को प्राप्त करने वाले हैं और विकास शील देशों में यह एक अच्छा वृद्धिदर है। जहां तक अधिकारियों में व्याप्त असंन्तोष का सम्बन्ध है, हम उस पर गौर कर रहे हैं। एक समिति नियुक्त कर दी गई है जिसने एक रिपोर्ट दी है और हम उस पर विचार कर रहे है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, ऊर्जा संकट एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। इसी प्रकार तेल भी है। हम तेल के लिए विदेशों पर निर्भर करते हैं। देश के उच्चकोटि के ऊर्जा विशेषज्ञों की 1977 में गठित समिति ने यह सलाह देते हुए एक रिपोर्ट दी थी कि कोयले को तेल में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास एक संयंत्र होना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं ;

1. क्या सरकार चक्रवर्ती समिति की शिफारिशों को स्वीकर करने और संयन्त्र लगाने के लिए तैयार है और यदि है तो उसका विवरण ;

2. कोयले के कमी के कारण 1979-80 के दौरान इस्पात संयन्त्रों और इस्पात उत्पादन पर अपेक्षाकृत कितना प्रभाव पड़ा ; और

3. कोयले की कम सप्लाई के कारण 1979-80 में बिजली उत्पादन में कुल कितनी कमी आई।

श्री विक्रम महाजन : जहां तक कोयले से तेल बनाने की बात है, हमारे कोयला विभाग ने एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है और उनका कहना है कि अगले 5 या 6 वर्षों में इस देश के लिए कोयले से 50 लाख टन तेल तैयार करना सम्भव होगा। परन्तु यह निर्णय लेना सरकार का काम है कि क्या वह कोयले से तेल निकालने की इच्छुक है। यह निर्णय तो सरकार को ही लेना है। परन्तु जहां तक क्षमता का सम्बन्ध है प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध है, हमें रिपोर्ट मिल गई है। 10 लाख टन तेल निकालने के लिए लगभग 60 लाख टन बी-ग्रेड कोयला चाहिए और परियोजना पर 1000 से 1200 करोड़ तक रुपए खर्च होंगे। यह मामला विचाराधीन है। जहां तक इस्पात का सम्बन्ध है, कुछ सीमा तक इस्पात उत्पादन में जो कमी आयी है उसका एक कारण थोड़ी कोयला समस्या भी थी। परन्तु हमारे पास पर्याप्त कोयला है और आंशिक आवश्यकता की पूर्ति कोकिंग कोककारी कोयले का आयात करके कर ली गई है। अतः केवल कोयले

के ही कारण उत्पादन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। उत्पादन में कमी तो बिजली के कारण आई है। जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, उससे बहुत ही आंशिक रूप से कमी आई है। कोयले की कमी के कारण कोई विशेष हानि नहीं दर्शायी जा सकती है। सच्चाई तो यह है कि हमारे पास कोयले का आधिक्य है। हमारे पास इतना कोयला है कि हमने कोयले की खुले बाजार में बिक्री शुरू कर दी है। एक नई योजना शुरू कर दी गई है कि आप खान पर जा कर कोयला खरीद सकते हैं और कोयले की कोई कमी नहीं है। जो कुछ कमी थी वह परिवहन की अड़चनों के कारण थी और परिवहन की अड़चन इसलिए आई कि गत तीन वर्षों में हमने मालगाड़ी के डिब्बों में कोई वृद्धि नहीं की इसलिए हमारे पास उनकी कमी पड़ गई।

श्री के० राममूर्ति : महोदय, कोयले के उत्पादन में 10% वृद्धि करने के लिए सरकार ने कुछ योजनाओं का प्रस्ताव रखा है। मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि क्या यह सच है कि श्रमिक संघवाद या असामाजिक तत्वों के रूप में हिन्सा के कारण, विशेषकर पूर्वी कोयला क्षेत्रों में, वर्तमान उत्पादन स्वयं घट गया है। इसका दूसरा कारण यह है कि कोल इन्डिया लिमिटेड का भी अन्य कोयला क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं। है यदि ऐसी ही स्थिति है तो पूर्वी कोयला क्षेत्रों को जिस हिन्सा ने ठप्प कर दिया है उसके बारे में सरकार क्या उपाय कर रही है ? अन्य कोयला क्षेत्रों पर कोल इन्डिया लिमिटेड की पकड़ बनाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री विक्रम महाजन : जहां तक अन्य कोल क्षेत्रों का सम्बन्ध है, स्थिति पर हमारी सही पकड़ है और वास्तव में हमारी सभी कम्पनियों में प्रायः उत्पादन बढ़ रहा है। अतः पकड़ न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह सच है कि जहां तक ईस्टर्न कोल लिमिटेड का सम्बन्ध है वहां श्रम समस्याएं हैं और हम पश्चिम बंगाल सरकार के मन्त्रियों से इस मामले को सुलझाने के लिए कहते आ रहे हैं और उन्होंने हमें आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। परन्तु वास्तव में परिणाम कोई बहुत उत्साहवर्धक नहीं है (**व्यवधान**)।

श्री के० राममूर्ति : मैंने मन्त्री महोदय, से हिंसा के बारे में पूछा है। उसका उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको पता होना चाहिए कि श्री राममूर्ति मजदूर संघ नेता हैं।

श्री विक्रम महाजन : इस क्षेत्र में अनुशासनहीनता के कारण वहां हिंसात्मक घटनाएं घट रही हैं और हम उस समस्या का सामना कर रहे हैं।

श्री नीरेन घोष : महोदय, मन्त्री महोदय ने बड़ा ही गुमराह करने वाला उत्तर दिया है। बिजली घरों और इस्पात संयन्त्रों को कोयले की सप्लाई में कमी के समाचार आए दिन समाचार-पत्रों में आते रहते हैं। उनका कहना है कि हमारे पास कोयला का उत्पादन आधिक्य में हो रहा है जबकि देश में हर आदमी कह रहा है कि कोयले का उत्पादन रुका पड़ा है और

देश की अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा करने के लिए इसका उत्पादन बढ़ना चाहिए। अतः उन्हें अपने स्तर का स्पष्टीकरण देना चाहिए और विशेषकर इस बात को ध्यान में रखकर कि कोयला खानें (एकक) और प्रबन्धक हमें सदैव बिजली की सप्लाई में कमी की शिकायत करते रहे है जिसके परिणामस्वरूप कोयले का उत्पादन घट रहा है या बन्द पड़ा है। दूसरे बिदेशी सामग्री के साथ घटिया किस्म का कोयला सप्लाई किया जाता है जिससे टयूबें लीक कर जाती हैं और विद्युत-संयन्त्रों को प्रभावित करती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आप कोयला खानों में सुरक्षित विद्युत संयन्त्रों की स्थापना पर विचार करेंगे, जिससे कि हम इस मांग को पूरा कर सकें और ऊर्जा संकट को समाप्त करने के लिए बहुत से कोयला गैसीकरण संयन्त्रों की स्थापना भी कर सकें ?

श्री विक्रम महाजन : जहां तक सुरक्षित विद्युत संयन्त्रों के प्रश्न का सम्बन्ध है, हमारे कोयला क्षेत्रों में सुरक्षित विद्युत संयन्त्रों को लगाने का निर्णय तो मन्त्रालय पहले ही ले चुका है। इस पर सक्रियरूप से विचार हो रहा है और हमें आशा है कि आवश्यक उपकरणों का शीघ्र ही आयात किया जायेगा।

जहां तक कोयले की किस्म का सम्बन्ध है मन्त्री महोदय को यह बात माननी होगी कि एक खान में कोयले की किस्म में कभी-कभी परिवर्तन होता रहता है और चूंकि प्रत्येक बिजली-घर किसी खान-विशेष से जुड़ा होता है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कोयले की किस्म अच्छी न हो।

जहां तक कोयले की मात्रा का सम्बन्ध है इस बात को मैं फिर दोहराता हूं कि बिजली-घरों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला है और सच्चाई तो यह है कि हमारे पास इसका आधिक्य है। केवल खाने पकाने के काम आने वाले कोयले की कमी है। उसकी कुछ कमी है और उस कमी को आयात द्वारा पूरा कर लिया गया है।

डा० कृपासिन्धु भोई : हम सभी चाहते हैं कि सभी कोयला खानों का उत्पादन बढ़ना चाहिए परन्तु मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अनुसन्धान और विकास स्कन्ध से कहा है या उनका कोई विशिष्ट सुझाव है जिससे कि देस में उपलब्ध कोयला निकालने योग्य सुरक्षित भंडारों से 60 से 70% तक कोयला निकाला जा सके जो कि अन्तर्राष्ट्रीय मानक है। आजकल भारत में कोयला निकालने की औसत केवल 30 से 40% तक है।

दूसरे मंत्री महोदय ने बताया है कि इस्पात संयन्त्र के लिए कोकिंग (कोककार) कोयले की कठिनाई नहीं है। परन्तु जहां तक मुझे पता है झारिया और अन्य खानों जैसी कोकिंग कोयले की विशिष्ट खानों में कोयले के द्रवीकरण की प्रक्रिया को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या मन्त्री महोदय को कोयला खानों में बिना अधिक विस्तार किए उत्पादन को बढ़ाने के लिए उनके अनुसन्धान और विकास स्कन्ध ने कोई विशिष्ट योजना भेजी है ?

श्री विक्रम महाजन : जहां तक झारिया और धनबाद की कोयला खानों का सम्बन्ध है। मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि वास्तव में नवम्बर मास में हमें सफलता

मिली है और कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है। गत वर्ष नवम्बर में जो उत्पादन हुआ था इस बार उससे कहीं अधिक हुआ है। अतः इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है और गत वर्ष की तुलना में अच्छा है। यह सही है कि इस क्षेत्र में खानें बड़ी पुरानी होने के कारण गैसीकरण इन खानों में होता है, परन्तु हमने कदम उठाए हैं और परिणाम स्पष्ट है कि इस वर्ष बहुत कम दुर्घटना हुई हैं। इससे पता चलता है कि पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

श्री कृपासिन्धु भोई : मेरा प्रश्न अनुत्तरित रह गया है। मेरा प्रश्न तो अनुसन्धान और विकास के बारे में है जिससे कि हम कोयला निकालने के योग्य सुरक्षित भण्डार से 60 से 70% तक कोयला निकाल सकें।

श्री विक्रम महाजन : एक अनुसन्धान स्कन्ध की स्थापना की गई हैं और जहां कहीं भी हमें कोई कठिनाई हुई हमने इस सम्बन्ध में रूस, पोलैण्ड और चैकोस्लोवाकिया के तकनीसियनों की सहायता ली।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मन्त्री महोदय ने बताया है कि कोयले के बारे में कोई कठिनाई नहीं है। बल्कि सारी कठिनाई की जड़ तो सप्लाई है।

क्या मन्त्री महोदय को पता है कि इस्पात के सभी सहयोगी उद्योग अर्थात भारतीय इस्पात प्राधिकरण उन्हें मिलने वाले कोयले के बारे में शिकायत कर रहे हैं और उनका कहना है कि आजकल हर काली वस्तु को कोयला कहा जा रहा है और उन्हें हर काली वस्तु को कोयला मानकर स्वीकार करना पड़ रहा है। क्या मन्त्री महोदय को यह सब पता है ?

श्री विक्रम महाजन : जहां तक इस्पात का सम्बन्ध है यह सच है कि पहले तो उनकी शिकायतें थीं परन्तु अब स्थिति में सुधार हो गया है और वास्तव में बोकारो में इस्पात उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है और इसी प्रकार अन्य इस्पात कारखानों में भी उत्पादन बढ़ा है। अक्टूबर से स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया है।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार को धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में होने वाले कोयले के सुरक्षित भण्डारों के बड़े पैमाने के अवैद्य शोषण का पता है, जहां पर बेईमान लोग दैनिक वेतन-भोगी मजदूरों और गुण्डों की सहायता से इस गतिविधि में सक्रिय हैं और बड़े विशाल पैमाने पर काला धन पैदा कर रहे हैं ? यदि यह सच है तो सरकार को इसका पता है ? इसको समाप्त करने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठाना चाहती है ?

श्री विक्रम महाजन : हमने पूछताछ की है। हमें पता चला है कि मुश्किल से ही कोई गैर कानूनी खनन हुआ है लेकिन जब काफी खानों का काम बन्द होता है जिन्हें दुरुपयुक्त खाने कहा जाता है। कभी-कभी वे इनका खनन करने का प्रयत्न करते हैं लेकिन यह मामूली होता है और कोई चिंताजनक बात नहीं होती (व्यवधान)।

श्री विक्रम महाजन : मामूली गैरकानूनी खनन की भी अनुमति नहीं दी जाती । मैं पहले ही कह चुका हूं कि ऐसी भी कुछ खानें हैं जिन्हें बन्द कर दिया गया है, उनका खनन मामूली होता है फिर भी हम उनका ध्यान रखते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह चाहते हैं कि कोई खनन न हो ।

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खां चौधरी) : होता क्या है ? उच्चतम न्यायालय में कोयला खनन को गैरकानूनी घोषित किया गया । हमने अपने अनुभव द्वारा देखा है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय इस प्रकार के गैरकानूनी कोयला खनन के विरुद्ध अपने निर्णय देता आ रहा है । इससे हम कठिनाई में पड़ जाते हैं । हम यह निषेधाज्ञा यथाशीघ्र हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

डा० बसंत कुमार पंडित : मन्त्री ने सभा को आश्वासन दिया है कि कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है इस बात से हम सहमत नहीं हैं । क्या सरकार घरेलू अथवा साफ्टकोल और नान-कोकिंग कोल की जन वितरण प्रणाली द्वारा खुली बिक्री करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्री विक्रत महाजन : हमने नान कोकिंगकोल की खुली बिक्री शुरू कर दी है । लगभग तीन से चार लाख टन की बिक्री हो चुकी है । यह प्रयोग पिछले एक महीने से चल रहा है । हम देखना चाहते हैं कि क्या इससे अर्थव्यवस्था को कोई सहायता मिलेगी । हमने इसी कारण यह प्रयोग शुरू किया है । जहां तक इस्पात कोक का सम्बन्ध है, बंगाल में यह प्रयोग शुरू हो चुका है । हमने गोदाम बनाये हैं और ऐसे ही गोदाम देश भर में बनाना चाहते हैं ताकि स्थिति सुव्यवस्थित हो जाये ।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : कोयला उद्योग की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ।

श्री विक्रम महाजन : मैं पहले ही कह चुका हूं कि देश की वर्तमान मांग पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्टाक है । (**व्यवधान**) ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सबका ध्यान रखूंगा ।

श्री विक्रम महाजन : बुनियादी रूप से हम आत्मनिर्भर हैं और हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य भी वही है । केवल कोकिंग कोल के मामले में कुछ कमी है जिसे हम आयात द्वारा पूरा कर रहे हैं । (**व्यवधान**) ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अगले प्रश्न में अवसर दिया जाएगा । अब अगला प्रश्न ।

आसाम पाइप लाइन में रुका हुआ कच्चा तेल

*103. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 65,000 टन तेल पिछले 10 महीनों से आसाम-बरौनी पाइप लाइन में रुका पड़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि इसे निकाला नहीं गया तो यह तेल जम जाएगा और पाइप लाइन को भारी क्षति पहुंचाएगा ;

(ग) यदि हां, तो पाईप लाइन से तेल को निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(घ) आसाम पाईप लाइन में रुके पड़े कच्चे तेल का कुल मूल्य क्या है और क्या सरकार ने आन्दोलनकारियों को यह स्पष्ट कर दिया है कि तेल को पाईप लाइन में जमने देना राष्ट्रीय हित के विपरीत होगा ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) एवं (ख) जी, हां। लगभग 65,000 टन खनिज तेल पिछले दस महीनों से असम-बरौनी पाईप लाइन में रुका पड़ा है तथा अगर इसे निकाला न गया तो सर्दी के आने पर यह जम जाएगा जिससे पाइप लाइन को भारी क्षति हो सकती है।

(ग) रुके हुए खनिज तेल को ताजे संसाधित तेल द्वारा निकाला जा रहा है तथा प्रक्रिया जारी है।

(घ) एवं (ङ) पाइपलाइन में रुके हुए खनिज तेल की अनुमानित कीमत अन्तर्राष्ट्रीय दरों पर 14·95 करोड़ रुपए के लगभग है। पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने पर होने वाली कठिनाइयों के बारे में सभी को विस्तार से बता दिया गया है। आन्दोलनकर्त्ताओं की प्रतिक्रिया सहयोगपूर्वक नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल : क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि तेल कर्मचारी एसोसिएशन ने इस बारे में इस शर्त पर अपनी सहायता देने की पेशकश की थी कि पहले सेना हटाई जाए, यदि हां, तो यह पेशकश कब की गई और सरकार ने इस पेशकश को क्यों ठुकराया ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : कहा जाता है कि यह पेशकश वहां सलाहकार को दी गई थी, लेकिन यह पेशकश बहुत ही पेचीदा है और इसे इस रूप में स्वीकार करना कठिन होगा।

श्री सतीश अग्रवाल : बहुत पेचीदा कैसे ? यह पेशकश तेल कर्मचारी एसोसिएशन ने खुद की थी कि वे इस काम को खुद करेंगे बशर्ते कि सेना को वहां से हटाया जाए। लेकिन इस समय मैं इस बारे में चिन्तित नहीं हूं। मैं केवल इस बात से चिन्तित हूं कि क्या तेल कर्मचारी संघ ने कोई ऐसी पेशकश की थी, यदि हां तो कब, और सरकार ने इसे क्यों ठुकराया ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जैसे कि मैंने कहा पेशकश सलाहकार से की गई थी और पेशकश इस अर्थ में पेचीदा थी कि इसमें कुछ शर्तें थीं। "यदि सेना हटाई जाए" पर उचित समय पर विचार किया जा सकता है। दूसरे वे चाहते थे कि काम उन्हें सौंपा जाए। यह उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि वहां सामान्य स्थिति कायम न हो। तीसरे, यह शर्त भी थी कि तेल को आसाम से पम्प द्वारा बरौनी भेजा जाए ; और चौथी शर्त यह थी कि बरौनी को पुनः शुरू न किया जाए। हमने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया कि बरौनी कारखाने को पुनः शुरू न किया जाए। हम इसे शुरू करें या न करें यह दूसरी बात है। जहां तक तेल के बाहर पम्प करने का सम्बन्ध है, हम बार-बार कहते आए हैं कि यह एक सीमित कार्य है। लेकिन हम इस बात को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर सकते कि आसाम का तेल केवल आसाम का ही है।

श्री सतीश अग्रवाल : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है और प्रश्न में पूछी गई बात को स्वीकार किया है कि यह स्थिति पिछले दस महीनों से चल रही है। इन्होंने तेल के नाकाबन्दी के समय जनवरी में क्यों नहीं जमाया ? वह सबसे अधिक सर्दी का महीना था, जनवरी-फरवरी, 1980। सर्दी तभी ही शुरू होती है। उन्होंने इस तेल को जनवरी-फरवरी में क्यों नहीं जमाया ? आपने सोमवार, 17 तारीख को लोकसभा में वायदा किया था कि 60,000 टन कच्चे तेल को 8 दिनों के अन्दर निकाला जाएगा। क्या तेल की इस सारी मात्रा को निकाला जा चुका है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : 65,000 टन सारे तेल को निकाला जा चुका है और यह काम पूरा हो चुका है ; इसे कल पूरा किया गया। लेकिन कुछ लूप लाइनें भी हैं जिनसे अभी तेल निकाला जाना है और वह काम चल रहा है। इसमें चार-पांच दिन और लग जायेंगे। जहां तक पिछली जनवरी में तेल के जमने का प्रश्न है, तेल उस समय ताजा था और मैं श्री अग्रवाल की तरह एक तकनीकी व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन उस समय ऐसी तकनीकी सलाह नहीं मिली कि यह जम जाएगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मन्त्री ने अपने उत्तर में कहा कि आंदोलनकारियों की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं रही है। कल सेना के अधिकारियों ने कहा है कि उनका काम बिना बाधा के चल रहा है और वे निश्चित समय से तीन दिन पहले तेल को निकाल लेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्तव्य का क्या अर्थ है कि आन्दोलनकारियों की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं रही है। क्या उन्होंने तेल निकालने के लिए सेना के काम में बाधा डाली है। अन्यथा मुझे प्रतीत होता है कि सरकार आसाम के उन आन्दोलनकारियों को बदनाम करने पर तुली हुई है जो शांतिप्रिय हैं और जिन्होंने गांधीवादी उपाय अपनाए हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यहां शब्द का उपयोग एक सीमित अर्थ में है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : चिकना-चुपड़ा अर्थ ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न बहुत चिकना-चुपड़ा नहीं था।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जब हमने तेल को बाहर निकलने का निर्णय लिया तो हमने उनसे सहयोग के लिए अनुरोध किया और कहा कि इस सीमित काम के लिए आप अपना समर्थन तथा सहायता दें। दुर्भाग्यवश उनसे कोई सहायता नहीं मिली। इतना ही नहीं, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य किया गया और आयल इंडिया के केवल 100 अधिकारी तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के 6 अधिकारी को तेल कुंओं से निकालने और कच्चे तेल की रासायनिक सफाई आदि शेष काम को कर रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव : मन्त्री महोदय न जाने क्यों अपनी रक्षा कर रहे हैं। वे पूर्णत: जानते हैं कि कर्मचारीगण आसाम में तेल निकालने और साफ करने के लिए सहयोग नहीं दे रहे हैं। सेना ने एक शानदार काम किया है। क्या भारत सरकार आसाम में तेल निकालने के अतिरिक्त वहां तेलशोधक कारखाने भी स्थापित करेगी और मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल तथा अन्य राज्यों को तेल भेजने के लिए तेल साफ करेगी, चूंकि तेल सप्लाई एक अनिवार्य सेवा है तो क्या शर्तें लगाने वाले कर्मचारियों को क्या बिना शर्त काम करने के लिए कहा जाएगा और क्या सेना को आसाम में तेल साफ करने के लिए कहा जाएगा क्योंकि यह राष्ट्रीय सम्पत्ति है। मैं इसके लिए एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र का सम्बन्ध है, यहां की मांग आसाम की तुलना में आधी है। हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि उस क्षेत्र को कोई नुकसान न हो। यदि डिगबोई तथा गोहाटी तेलशोधक कारखानों का काम शुरू न करने दिया जाए। विगत के ईंधन को वहां से ले जाने नहीं दिया जाता। केवल मिट्टी तेल ले जाने दिया जाता है। अत: हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के छ: राज्यों को कोई नुकसान न हो। अभी एक महीने का स्टाक है और वहां की आवश्यकता का ध्यान रखा जा रहा है। देश के अन्य भागों से भेजकर हम उनकी सप्लाई में वृद्धि कर रहे हैं। जहां तक सेना द्वारा गोहाटी तथा अन्य तेलशोधक कारखानों को शुरू करने के लिए सेना का उपयोग करने का सम्बन्ध है, तो यह प्रश्न इस प्रकार नहीं हल किया जा सकता; इस पर आसाम में व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार करना है। अत: हम यह कहते आये हैं कि जहां तक तेल को बाहर निकालने का सम्बन्ध है, यह एक सीमित काम है और सौभाग्यवश सेना कार्मिकों की सहायता से, जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया, हमने यह काम कर लिया है और पाइप लाइन ठीक है। अब हम काम को जारी रखें या नहीं, इस बात का निर्णय बाद में होगा। हमने यही बुनियादी बात की है कि हम हमेशा के लिए इस बात को नहीं मान सकते कि आसाम के तेल को पम्प द्वारा बरौनी नहीं भेजा जा सकता।

श्री के० ए० राजन : "आसाम तेल आसाम के लिए" नामक खतरनाक नारे का मुकाबला राष्ट्र के व्यापक हितों में करना ही पड़ेगा । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कई मामलों तथा समस्याओं के बारे में चर्चा करने के बजाय राष्ट्रीय हित में कौन-कौन से ठोस तथा सख्त कदम उठाए गए हैं ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आसाम का तेल आसाम के लिए नहीं । सभी राजनैतिक दलों का इस बारे में मतैक्य है लेकिन प्रश्न यह है कि हम इस काम को कब और कैसे स्थाई आधार पर शुरू करें ।

श्री वीरभद्र सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि यदि जरूरत पड़े तो क्या सेना तकनीकी दृष्टि से कुंओं से तेल निकाल कर तेलशोधक कारखानों तक पम्प द्वारा भेजने में सक्षम है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : श्रीमानजी सेना कर्मचारियों को न केवल पाइप लाइन की सफाई करने के कार्य के लिए प्रशिक्षित किया गया है, अपितु वे तेल के कुओं से तेल भी निकालते हैं और उन्होंने शानदार कार्य किया है । इतना ही नहीं, प्रारम्भ में जो तेल 800 मीट्रिक टन प्रतिदिन निकलता था वह बढ़कर 5,000 टन प्रतिदिन हो गया है और इस तरह इसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है ।

प्रो० मधु दण्डवते : सही स्थिति जानने के लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इस दलील को यहां दोहराया है और विपक्षी नेताओं की कल हुई बैठक में भी उन्होंने यही दलील दी थी कि आसाम के आन्दोलनकर्ताओं का विचार है कि आसाम से निकलने वाला तेल आसाम का है । श्रीमानजी, माननीय मन्त्री महोदय द्वारा यह जानकारी दिए जाने के बाद, मैंने आसाम आन्दोलन के नेताओं से सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की । उन्होंने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि "यह हमारा दृष्टिकोण नहीं है कि एक क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन केवल उसी क्षेत्र के होते हैं और यदि कुछ उग्रपंथियों ने वस्तुतः यह दृष्टिकोण अपना लिया है तो वह उन दो संगठनों का अधिकृत दृष्टिकोण नहीं है जो इस आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और इसलिए उस दृष्टिकोण विशेष के आधार पर सरकार को इस परिपेक्ष्य में अपनी नीति नहीं बनानी चाहिए ।" क्या यह उन्हें (मन्त्री जी को) स्वीकार्य होगा ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इस बात से मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि प्रोफेसर दण्डवते आसाम के छात्रों से संपर्क स्थापित करने में सफल हो सके हैं । मेरी यह धारणा थी कि उन्होंने यह रुख अपनाया हुआ है कि सभी अखिल भारतीय दल, जहां तक उनका सम्बन्ध है, हैं ही नहीं । फिर भी, इस तथ्य के परिपेक्ष्य में कि प्रो० दण्डवते उनसे सम्पर्क स्थापित करने में सफल हो सके हैं, हमें इस स्थिति के बारे में जानकर प्रसन्नता है और उनका यह प्रस्ताव कि उन्होंने यह दृष्टिकोण नहीं अपनाया, हो सकता है कि कुछ उग्रपंथियों ने अपनाया हो । स्वागत योग्य है । श्रीमानजी, मैं केवल इस बात का आश्वासन दे सकता हूं··· (**व्यवधान**) ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप इस सम्बन्ध में प्रसन्न नहीं हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, वह आपकी अपेक्षा ज्यादा प्रसन्न हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, हम भी उतने ही प्रश्न हैं, क्योंकि हम दोनों ही देश भक्त हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक स्थायी रूप से कार्य करने के प्रश्न का सम्बन्ध हैं। यह आसाम में विद्यमान समूची स्थिति के संदर्भ में निर्णय किया जायेगा। फिर भी, हमें प्रसन्नता है कि प्रो० दण्डवते तथा व्यावहारिक दृष्टि से विपक्ष के सभी नेताओं ने कल यह रुख अपनाया कि जहां तक इस प्रश्न का सम्बद्ध है, कि कोई भी चीज किसी राज्य विशेष की नहीं होती है। हर चीज सारे भारत की होती है और इसलिए यह बात स्पष्ट है। परन्तु इस बात के सम्बन्ध में अलग-अलग रायें हो सकती हैं कि कब और कैसे इसे साफ किया जाना चाहिए और स्थायी आधार पर पुनः शुरू किया जाना चाहिए। कम से कम इस आधारभूत प्रश्न पर निर्णय हो चुका है और आसाम के छात्रों से यह जानकारी हासिल करने के लिए मैं प्रो० दण्डवते का आभारी हूं।

फिल्म प्रयोगशालाओं द्वारा चांदी का गैर-कानूनी व्यापार

*105. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश की फिल्म प्रयोगशालाओं द्वारा उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होने वाली चांदी का गैर-कानूनी व्यापार करने के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो फिल्म प्रयोगशालाऐं उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होने वाली चांदी का गैर-कानूनी व्यापार किस तरीके से करती है ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदवेन एम० जोशी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय फिल्म नीति संबंधी कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि मोटे तौर पर फिल्म विधायन प्रयोगशालाओं द्वारा प्रयुक्त रसायन शोध से अंदाजन प्रतिवर्ष आठ से दस करोड़ रुपए की चांदी निकाली जा सकती है। उसकी राय में, अधिकांश प्रयोगशालाएं प्रयुक्त रसायन की छोटे उधमियों को कुछ बिक्री दिखाती हैं, किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि वे गुप्त रूप से चांदी निकाल लेती हैं। इस प्रकार से प्राप्त राशि फिल्म निर्माताओं को अनौपचारिक ऋण देने के लिए इस्तेमाल की जाती है।

(ग) रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि वैज्ञानिक जांच करने के बाद रसायन शोध से चांदी निकालने के स्तर निर्धारित किए जाएं। निकाली जाने वाली चांदी हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स को या अन्य किसी निर्माता एजेंसी को दे दी जाए और प्रयोगशाला को केवल

उतनी ही कीमत दी जाए जो चांदी निकालने की प्रक्रिया में खर्च होती है, न कि निकाली गई चांदी की कीमत । की गई इस सिफारिश के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी ।

श्री राजनाथ सोनकार शास्त्री : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि राष्ट्रीय फिल्म नीति संबंधी कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि मोटे तौर पर फिल्म विधायन प्रयोगशालाओं द्वारा प्रयुक्त रसायन शोध से अंदाजन प्रतिवर्ष आठ से दस करोड़ रुपए की चांदी निकाली जा सकती है। यह फिल्म वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट है कि प्रति वर्ष देश में केवल एक प्रयोगशाला के द्वारा 5040 किलोग्राम चांदी गलत ढँग से हड़प ली जाती है । तो मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रयोगशालाओं द्वारा यह गैर-कानूनी व्यापार कब से हो रहा है और जो अरबों रुपए की सम्पत्ति प्रति वर्ष आंख में धूल झोंक कर फिल्म उद्योग पतियों से साठ-गांठ करके हड़प ली जाती है उसके लिए सरकार क्या कर रही है तथा कब से इस चोरी का पता सरकार को लगा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसंत साठे) : इसमें चोरी के बारे में नहीं कहा जा सकता लेकिन फिल्म एडवाइजरी कमेटी का जो ग्रुप बना और उसने जो रिपोर्ट दी उससे जाहिर है कि फिल्म के धोने में उसमें से चांदी निकलती है । देश में तकरीबन 35 लेबार्टरीज हैं, जो बंगलौर, कलकत्ता, त्रिवेंदरम, मद्रास, बम्बई में ज्यादातर हैं, वहां चांदी अवश्य निकलती है और रिपोर्ट से पता चलता है कि काफी तादाद में चांदी निकलती है । लेकिन यह विषय राज्यों के अधीन आता है । अभी राज्यों के मंत्रियों की एक काफ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने भी माना कि यह विषय कुछ हदतक कानकरेन्ट लिस्ट में आना चाहिए । यह एक सर्वमान्य मान्यता वहां पर रही और अगर ऐसा होता है तो केन्द्रीय स्तर पर इसको नियन्त्रित करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकेंगे । अभी फिलहाल राज्यों के स्तर पर यह मामला होने से हम सीधे दखल नहीं दे सकते हैं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित प्रतिष्ठान द्वारा जो फिल्म रोल सप्लाई किए जाते हैं वह प्रयोगशालाओं में जितनी जरूरत होती है, जैसे 14 रोल की जरूरत होती है तो अमूमन बढ़ाकर 16, 18 या 20 रोल्स की मांग की जाती है तो क्या सरकार उस मांग के अनुसार बगैर किसी हिचक के उसकी सप्लाई कर देती है जिससे कि उनको ब्लैक मार्केटिंग का मौका मिलता है ।

श्री वसंत साठे : शायद समझने में कुछ गलतफहमी हो रही है । यह रा-स्टाक जिसको कहते हैं यह सरकार सप्लाई नहीं करती है बल्कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स में रा-स्टाक आता है और वहां से, विभिन्न सिनेमा बनाने वाले जो हैं वे लेते हैं और ये सिनेमा बनाने वाले निगेटिव फिल्म को जब एक्सपोज करते हैं लेबार्टरी में धोने के लिए जब फिल्म जाती है तो वाश करते समय यह चांदी निकलती है । इसका डायरेक्ट सम्बन्ध रा-स्टाक देने वालों से नहीं है यह बात मैं आपको बताना चाहता था ।

श्री रशीद मसूद : वजीर साहब ने कहा कि इसका सेन्टर से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन फिल्म्स डिवीजन जो है उसका ताल्लुक सेन्टर से है। मैं समझता हूं वजीर साहब को मालूम होगा कि इसमें जो खराब फिल्म रोल होते हैं जो 17-18 रुपए में बेचे जाते हैं उसमें 50 रुपए की तो चांदी ही होती है। क्या वजीर साहब को इसका इल्म है या नहीं ? अब तो रिपोर्ट को आए हुए काफी टायम हो गया है, मन्त्री जी ने उन लोगों के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया है या नहीं अगर नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया है ?

श्री बसंत साठे : जहां तक फिल्म डिवीजन का सवाल है, हम अपनी खुद लैबोरेट्री बना रहे हैं। दिल्ली में लैबोरेट्री बना रहे हैं।

श्री रशीद मसूद : मैं यह कहना चाहता हूं कि 50 रु० की चीज जो 17 रु० में बिक रही है, इस पर आपने अब तक क्या एक्शन लिया है।

श्री बसंत साठे : हमारे यहां से थोड़े ही बेच रहे हैं।

श्री रशीद मसूद : आपकी रिपोर्ट में है।

श्री बसंत साठे : फिल्म डिवीजन वाले कोई चान्दी नहीं बेच रहे हैं। जहां तक लैबोरेट्रीज से जो चान्दी निकलेगी, उसका सवाल है, उसका क्या ब्यौरा है, उसकी जानकारी लेकर····· (व्यवधान)।

उनमें धैर्य नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं ?···· (व्यवधान)।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप जरा इनका सवाल दोबारा सुन लीजिए।

श्री बसंत साठे : मैंने इनका सवाल सुन लिया है। फिल्म डिवीजन के मातहत लैबोरेट्रीज में कितनी चान्दी निकलती है, उसका क्या होता है···(व्यवधान)····आप तो चान्दी की बात कर रहे हैं।

श्री रशीद मसूद : जो 17-18 रु० के आप वेस्ट फिल्म रोल्स बेचते हैं। जैसा कि आपकी वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट है, उसमें से जो चान्दी निकाली जाती है, वह 50-60 रु० की होती है। इसका आपको इल्म हो गया था। उससे पहले के लिये आप कह सकते हैं कि आपको इल्म नहीं था। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अब तक उनके ऊपर क्या पाबन्दी लगाई है, क्या उस पर एक्शन लिया है ?

श्री बसंत साठे : सिल्वर रिकवरी प्लान्ट सैट-अप करने की बात है, रोल्स तो आज भी वैसे ही बेचे जाते हैं। हम तो चान्दी रिकवर नहीं करते हैं, दूसरे लोग करते है। यह न हो, इसलिए खुद सिल्वर रिकवरी प्लान्ट लगाने का विचार चल रहा है।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अपना जवाब देते वक्त उन्होंने कुछ स्टेट और कुछ सैन्टर की बात इस अन्दाज से की कि यह साफ तौर से स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में है या सेन्ट्र गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में है। तो पहली बात मैं जानना चाहता हूं कि आया जो चान निकल रही है और जो गलत तरीके से मार्केट में बेची जा रही है, इतनी मुद्दत तक चाहे वह स्ट गवर्नमेंट हो या सैन्टल गवर्नमेंट हो, अब तक उस पर क्यों कोई कदम नहीं उठाया गया ? अ कार क्षेत्र की बात तो मंत्री महोदय के सामने रिपोर्ट में है, इसलिए यह स्थिति भी स्पष्ट हो जा चाहिए कि आया यह स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में है या सैन्ट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्ष में है ?

श्री बसंत साठे : यह ट्रेडिंग लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट देती है और इसलिए यह विषय स्ट गवर्नमेंट के अधीन आता है। जहां तक फिल्म्स डिवीजन, फिल्म एग्जीबिशन और प्रोडक्शन सवाल है, यह सब्जक्ट स्टेट के अधीन आता है, उस पर हमारा कोई कन्ट्रोल नहीं है। फिल्में उन्होंने एक बार ले लीं, फिर उसको बनाना और प्रौसैसिंग लैबोरेट्रीज भी स्टेट के अन्द आती हैं, उस पर भी हमारा कोई कन्ट्रोल नही है। जैसी कि फिल्म एडवाइजरी कमेटी की रिपो है, हम यह मानते हैं कि चान्दी निकलती है और कुछ न कुछ कदम उसके बारे में लेना चाहिए। जैसा मैंने कहा जब तक यह विषय कान्करेंट लिस्ट में नहीं आयेगा तब तक हम कानून नहीं बन सकेंगे। हम रिकमेंडेशन कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि इसके बारे में कोई कोई कानून बनें जैसे स्टेट मिनिस्टर्स ने कबूल किया है कि इसको कान्करेंट लिस्ट में लाया जाना चाहिए और इस दृष्टि से सोचा जा रहा है।

श्री आर० के० महालगी : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्य सरकार को देश की फिल्म प्रयोगशालाओं द्वारा चांदी का गैर कानूनी व्यापार करने के बारे में समाचार पत्रों में छपे समाचारों की जानकारी है और क्या सरकार ने इस बात का खण्डन किय है अथवा इस बारे में स्पष्टीकरण दिया है, और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बसंत साठे : यह संभव है कि फिल्म प्रयोगशालाओं द्वारा गैर-कानूनी व्यापार किय जाता हो। सारी समस्या यह है कि जब यह चांदी निकलती है तो वह खाते में दिखाई नहीं जाती। जब आप कानूनी प्रक्रिया से जानना चाहेंगे तो आप जान जाएंगे। आज आपको केवल यही मान लेना है कि इन विधियों के माध्यम से जो चांदी निकाली जाती है वह सारी भूमिगत कर दी जाती है अथवा काले बाजार में चली जाती है अथवा उसके बारे में कुछ न कुछ अवश्य किया जाता होगा। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि यह चांदी किस तरह भूमिगत हो रही है, यह कहां जा रही है। वर्तमान कानून के अन्तर्गत हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री आर० के० महालगी : मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार को फिल्म प्रयोगशालाओं में हो रहे इस तरह के कार्यों के बारे में समाचारपत्रों में छपे समाचारों की जानकारी है और यदि है तो क्या इनका खण्डन अथवा स्पष्टीकरण किया गया है।

श्री बसंत साठे : इसका खंडन करना मेरा काम नहीं है। मैं उन समाचारों से अवगत हूं और मैं कहता हूं कि यह संभव है। इसलिए मेरे द्वारा इसका खण्डन किए जाने का प्रश्न ही नहीं है ?

श्रीमती कृष्णा साही : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने स्वयं कहा कि इनको जानकारी नहीं थी कि कुछ गड़बड़ हो रही है मैं जानना चाहती हूं कि इन्होंने राज्य सरकार को कुछ कार्यवाही करने के लिए लिखा या नहीं और यदि लिखा, तो क्या कार्यवाही करने के लिए लिखा तथा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बसंत साठे : मैंने तो पहले ही आप से कहा कि इसका हल एक ही है कि इसे किसी न किसी कानून के तहत लाया जाय। या तो राज्य सरकार के कानून के तहत लाया जाय या केन्द्र सरकार के कानून के तहत लाया जाय ··(व्यवधान)···राज्य सरकारों के मंत्रियों से मैंने स्वयं बातचीत की है (व्यवधान)···।

यह सारी उत्तेजना मेरी समझ में नहीं आती। मैंने व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित राज्य मंत्रियों से इस मामले पर विचार विमर्श किया है। यह हमारा विषय है और हम इस मामले में आवश्यक कदम उठाएंगे।

अतिरिक्त बिजली क्षमता

*106. **श्री आर० वाई० धोरपाडे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष 2300 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है ;

(ख) यदि, हां, तो सरकार को यह लक्ष्य कैसे प्राप्त करने की आशा है ; और

(ग) अवरोधों को दूर करने, कमियों को ठीक करने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि संबंधित अधिकारी सरकार को बिजली के उत्पादन और उसके वितरण संबंधी सही आंकड़े भेजें।

विवरण

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) ; (क) और (ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 2232 मेगावाट की नई ताप विद्युत और जल विद्युत यूनिटों को चालू करने के लक्ष्य की तुलना में यह उम्मीद है कि 1912 मेगावाट की क्षमता जोड़ी जाएगी।

(ग) परियोजनाओं के विभिन्न कार्यों की ध्यानपूर्वक मानीटरिंग करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में निर्माण मानीटरिंग निदेशालायों का गठन किया गया है। परियोजना प्राधिकारियों, उपस्कर सप्लाईकर्त्ताओं और निर्माताओं, निर्माण एजेन्सियों आदि के साथ केन्द्रीय विद्युत

प्राधिकरण में समन्वय तथा समीक्षा बैठकें नियमित रूप से की जाती हैं। सभी प्रकार की बाधा पर कड़ी नजर रखी जाती है। ताकि सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। केन्द्रीय विद्य प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी परियोजना स्थलों का दौरा करते हैं और बाधाओं को दूर करने लिए मामले को उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाते हैं। विद्युत विभाग में भी समीक्षा बैठ की जाती हैं ताकि राज्य सरकारों के साथ तथा केन्द्रीय सरकार के स्तर पर समुचित कार्यवा की जा सके। समय पर मानीटरिंग करने तथा परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के सम्बन्ध वस्तुतः मार्गदर्शी सिद्धांत भी विद्युत विभाग, ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य बिजली बोर्डों को भेजे हैं।

श्री आर. वाई. घोरपाडे : क्या यह सच है कि नवम्बर के प्रथम दो सप्ताह के दौरा बिजली उत्पादन, गतवर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15.3 प्रतिशत बढ़ गया था ? क्या य भी सच है कि उद्योग में बिजली की भिन्न-भिन्न समय से सप्लाई के कार्य सुव्यवस्थित कर दिए गया है और विभिन्न स्थानों के लिए बिजली के विभिन्न समय नियत करने के साथ-साथ बिजली की अत्याधिक खपत की शुल्क सूची (हाई पीक टैरिफ पावर) शुरू की जा रही है ?

श्री विक्रम महाजन : यह सच है कि इस वर्ष नवम्बर में बिजली के उत्पादन में हमें आशातीत सफलता मिली है जब यह उत्पादन गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक था। हम बिजली की सप्लाई में सुधार करने और इसके साथ ही अपनी ऊर्जा पद्धति की कार्यक्षमता में सुधार करने—दोनों के लिए हर सम्भव उपाय शुरू कर रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य महोदय ने उल्लेख किया है, हमने बिजली को भिन्न-भिन्न समय में सप्लाई के कार्य को युक्तिसंगत बनाया है और हमने राज्य सरकारों से आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है।

श्री आर. वाई. घोरपाडे : मैं निम्न बातें जानना चाहूंगा :

(क) क्या यह सच है कि अनुमानित बिजली उत्पादन और वास्तविक उत्पादन के आंकड़ों में भारी अन्तर है ? क्या यह भी सच है कि बिजली बोर्ड के अधिकारियों द्वारा बड़ी मात्रा में गैर कानूनी ढंग से बिजली बेची गई है ?

(ख) कम अवधि के लिए अधिक बिजली की कटौती करने की अपेक्षा लम्बी अवधि के लिए थोड़ी सी बिजली की कटौती करने से कम हानि होती है। क्या सरकार का बिजली की कटौती, यदि कोई हो, लम्बी अवधि तक करने का प्रस्ताव है ?

(ग) क्या हमारे लिए देश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए यह सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रम बनाना आवश्यक नहीं है कि बिजलीघर उच्च क्षमता स्तर पर कार्य करें ?

श्री विक्रम महाजन : महोदय, जहां तक अन्तर का सम्बन्ध है, वास्तव में, देश में यह अन्तर निरन्तर कम हो रहा है। गत वर्ष 16 प्रतिशत तक कमी थी। इस वर्ष, अक्टूबर में कमी केवल 10 प्रतिशत तक है। इसलिए बिजली के उत्पादन और मांग के बीच अन्तर धीरे-धीरे कम

किया जा रहा रहा है और वस्तुतः स्थिति सुधर रही है और हमें आशा है कि सुधार का यह रुख जारी रहेगा ।

बिजली की बिक्री के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें रही हैं । परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य महोदय जानते हैं, बिजली का वितरण मूलतः राज्य का विषय है और जो भी शिकायतें हमें मिलती हैं । हम उन्हें राज्य बोर्डों के पास भेज देते हैं और हमने उनसे इन शिकायतों के बारे में जाँच करने के लिए कहा है ।

जहां तक बिजली में की गई कटौतियों का सम्बन्ध है, उनमें कमी हो रही है । वास्तव में, कुछ राज्यों में तो बिजली में कटौती की ही नहीं जा रही । कुछ राज्यों में तो इसका आधिक्य है और कुछ राज्यों में छूट दे दी गई है । सच्चाई तो यह है कि सारे देश भर में इसमें सुधार हो रहा है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य प्रसारित किया है, उसके मुताबिक 2232 मेगावाट नई ताप विद्युत और जल विद्युत यूनिटों को चालू करने की बात इस वित्तीय वर्ष में कही गई है और फिर नई क्षमता भी जोड़ना चाहते हैं 1912 मेगावाट की ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नो, आउट आफ डेट ।

श्री रामावतार शास्त्री : हिन्दी में तो ऐसा नहीं है । ये 2232 मेगावाट क्या इस वित्तीय वर्ष में पूरा करना चाहते हैं और अब तक कितना इन्होंने पूरा किया है जबकि ज्यादा समय इस वित्तीय वर्ष का बीत गया है, यह मन्त्री जी बताएं और दूसरी बात यह है कि राज्यवार इस बात का ब्यौरा दें कि किन-किन राज्यों में आपने इस दिशा में क्या सफलता हासिल की है। अगर आपके पास इसका ब्यौरा है, तो कृपया इस ब्यौरे को रखिये और आग आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, यह भी बताइए ।

श्री विक्रम महाजन : महोदय, जहां तक वर्ष भर के आंकड़ों का सम्बन्ध है, हमारे पास सूची है और मैं उन संयन्त्रों का उल्लेख करूंगा जिन्हें इस वर्ष चालू किया जाना है और उनके बारे में हम सविस्तार बतायेंगे । उदाहरणार्थ, इस वर्ष चालू किया जाना है और उनके बारे में हम सविस्तार बतायेंगे । इस वर्ष के अन्त तक हम फरीदाबाद में 60 मेगावाट का एक एकक चालू कर देंगे । उत्तर प्रदेश में, ओबरा में अगले वर्ष के आरंभ में 200 मेगावाट की एक इकाई चालू हो जायेगी । और यही फिर चालू वर्ष के लिए भी होगी । फिर उत्तर प्रदेश के गढ़वाल में हम पहले ही 36 मेगावाट का एक यूनिट चालू कर चुके हैं । मध्य प्रदेश में पूर्वी कोरबा में 120 मेगावाट की एक इकाई को इस वर्ष के अन्त तक या आगामी वर्ष के शुरू में चालू कर दिये जाने की संभावना है । महाराष्ट्र में, नासिक में 210 मेगावाट का (तापीय) एकक-5 शीघ्र ही चालू होने वाला है । 210 मेगावाट का पोरली एकक पहले ही चालू किया जा चुका है । पुनः महाराष्ट्र में उरान गैस टरबाइन यूनिट—1 चालू होने वाला है परन्तु हो सकता है इस वर्ष में पूरा न हो सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, यह सब तो आप पहले ही सभा पटल पर रख चुके हैं। (व्यवधान)।

श्री विक्रम महाजन : नहीं, मैं तो इसे पढ़कर सुना रहा हूं।

हम 20 मेगावाट वाली कोयना डेम (जलीय) यूनिट को पहले ही चालू कर चुके हैं। आन्ध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 210 मेगावाट वाला एकक चालू हो चुका है। इससे अगली है पश्चिमी-बंगाल की सन्थाल डीह यूनिट-4 जो कि अगले वर्ष के शुरू में चालू होने वाली है। (व्यवधान) माननीय सदस्य को यह सूचना चाहिये। मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं।

अगले वर्ष के मध्य तक बन्डेल एकक-5 भी शुरू होने वाली है। इसके साथ-साथ अगले वर्ष के आरंभ तक असम में 60 मेगावाट वाली बोंगाई गांव (तापीय) यूनिट-1 चालू होने वाली है। उड़ीसा के तालचेर में 110 मेगावाट की एकक-1 अगले वर्ष अप्रैल-मई तक चालू हो जायेगा। केन्द्रीय क्षेत्र में, 210 मेगावाट का दुर्गापुर एकक-4 मार्च तक चालू हो जाएगा। बिहार में हम 65 मेगावाट का सुवर्णरेखा एकक पहले ही चालू कर चुके है। (व्यवधान)...यदि आप चाहें तो मैं और अधिक पढ़कर सुना सकता हूं। मुझे अभी दो मिनट तक पढ़कर और सुनाना है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ओस्कर फर्नान्डीस।

श्री ओस्कर फर्नान्डीस : ऐसा कहा जाता है कि कर्नाटक में जल विद्युत संयन्त्रों में 90 प्रतिशत तक बिजली में कटौती की जायेगी; इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चहाता हूं कि संकट से उबरने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए क्या उपाय करने जा रही है। मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि कर्नाटक के मंगलौर और रायचूर के तापीय बिजली संयत्रों के बारे में केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है?

श्री विक्रम महाजन : इस समय कर्नाटक में बिजली में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा रही है। परन्तु आगामी मास से कुछ कमी पड़ सकती है। वास्तव में, वे केरल से सहायता ले रहे हैं और यदि बहुत अधिक कमी पड़ती है तो हम उसकी अन्य राज्यों से भी सहायता करने का प्रयत्न करेंगे। परन्तु जहां तक आज की स्थिति का सम्बन्ध है, कर्नाटक में बिजली में कोई कटौती नहीं की जा रही है।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मन्त्री महोदय ने अभी-अभी देश में बिजली की स्थिति के बारे में बताया है। जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, वहां पहले से ही 30% की कटौती की जा रही है। (व्यवधान) राज्य सरकार इसे बढ़ाकर 50% तक करने पर विचार कर रही है। इस बिजली-कटौती को ध्यान में रखते हुए, हड़तालों और अन्य कारणों से बहुत से तापीय बिजली घरों और

जल विद्युत परियोजनाओं ने बिजली उत्पादन करना बन्द कर दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है अथवा क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि कोयम्बटूर जिले की वल्पारई पहाड़ियों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कादम्बरी नामक परियोजना गत वर्ष 72 करोड़ रुपए की लागत से चालू कर दी गई है और क्या यह भी सच है कि असामाजिक तत्वों द्वारा कराई गई हड़तालों के कारण गत छह मास से छूट समाप्त कर दी गयी है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या स्थिति का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कादम्बरी परियोजना में कोई अधिकारी भेजा है। मन्त्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार, यह बताया गया है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न को पढ़कर मत सुनाइये (व्यवधान)।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस पर क्या कार्यवाई की।

श्री विक्रम महाजन : तमिलनाडु की नवम्बर मास के लिए कुल 1714 मेगावाट की आवश्यकता होगी और केवल 1681 मेगावाट ही उपलब्ध है। अतः व्यावहारिक दृष्टि से मांग और सप्लाई एक समान हैं। तमिलनाडु का प्लान्ट लोड फैक्टर अखिल भारतीय औसत से कहीं बहुत नीचे है। यदि वे इसे अखिल भारतीय स्तर तक कर लें तो उनके यहां विद्युत का आधिक्य होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मनीपुर में कोयले के निक्षेप

*104. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर (मनीपुर राज्य के दक्षिणी जिले) में कोयले के भारी निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बरौनी तेलशोधक कारखाने का बन्द होना

*107. **श्री निहाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी के कारण बरौनी तेल शोधक कारखाना बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए हैं तथा इस तेल शोधक कारखाने को पुनः चालू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं। परन्तु, असम से अशोधित तेल की सप्लाई रुक जाने के कारण 2 जनवरी, 1980 से बरौनी शोधनशाला निरन्तर बन्द है।

(ख) इस कारण से कोई कर्मचारी नौकरी से पृथक नहीं किया गया। बरौनी को एक बार अशोधित तेल की सप्लाई सुनिश्चित हो जाने पर शोधनशाला को पुनः आरम्भ किया जा सकता है।

निर्वाचनों के लिए एक निधि बनाये जाने का सुझाव

*108. **श्री के प्रधानी** :

श्री छोटूभाई गामित : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों के वित्तपोषण के लिए अगले पांच वर्षों में 100 करोड़ रुपये की एक निधि बनाये जाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग का प्रस्ताव है कि लगभग 100 करोड़ रुपये की एक निर्वाचन निधि अगले पांच वर्षों में स्थापित की जाए जिसका उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाए, अर्थात् :—

1. निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण।
2. निर्वाचनों का संचालन।
3. निर्वाचन सामग्री और अभिलेखों का भंडारकरण।
4. मतदाताओं को फोटो वाले पहिचान पत्र जारी करना।

5. राजनैतिक दलों को आर्थिक सहायता देना। इसमें एक ओर केन्द्रीय सरकार तथा दूसरी ओर विभिन्न राज्य सकरारों और ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों का, जिनमें विधान मंडल हैं, अंश-दान आधा-आधा होगा। विभिन्न राज्य सरकारों का परस्पर अंशदान अलग से निकाला जाएगा। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपए का अंशदान करेंगी जिससे कि 5 वर्ष की अवधि में 100 करोड़ रुपए की कुल प्रस्तावित निधि तैयार हो जाएगी। इस विषय में और ब्यौरे तथा मार्गदर्शन सिद्धांत और प्रक्रिया अभी तैयार की जानी है।

उर्वरक उद्योग का संकट की ओर अग्रसर होना

*109. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 30 अक्तूबर, 1980 के 'इण्डियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अरबों रुपये के उर्वरक उद्योग में ऐसी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण यह उद्योग भारी संकट की ओर बढ़ रहा है और उसका परिणाम यह है कि उत्पादन कम हो गया है, लागत बढ़ गई है तथा परियोजनाओं में विलम्ब हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी, हां। सरकार ने सम्बन्धित रिपोर्ट देख ली है।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि उर्वरक उद्योग रुग्णता की स्थिति में है अथवा संकटकारी स्थिति की ओर बढ़ रहा है जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है। तथापि उर्वरकों के उत्पादन पर पिछले एक वर्ष से बिजली की कटौती, असम आन्दोलन के कारण कुछ उर्वरक प्लांटों के फीड स्टाक और कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई में कठिनाइयों के कारण गंभीर प्रभाव पड़ा है।

अब स्थिति में सुधार हो गया है। सभी राज्य सरकारों ने बिजली की कटौती/प्रतिबन्ध को हटा दिया है और जिन प्लांटों में पिछले दिनों उत्पादन हानि हुई थी उनमें से अधिकांश प्लांटों में फीड-स्टाक की सप्लाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। तथापि असम आन्दोलन के प्रयत्न और परोक्ष प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कुछ उर्वरक प्लांटों को अभी भी फीड स्टाक की सप्लाई में कमी हो रही है।

औषध उद्योग में क्षमता का विनियमन

*110 **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विदेशी कम्पनियों के तथा भारतीय, सरकारी और एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रियायें कम्पनियों दोनों मामलों में औषध उद्योग में क्षमता के विनियमन का मामला सरकार द्वारा दो पूरी तरह से एक दूसरे के विपरीत निर्णय लिये जाने के कारण खटाई में पड़ गया है ;

(ख) अनुज्ञप्त क्षमता की तुलना में अधिष्ठापित क्षमता के विनियमन के लिए क्या मानदंड निर्धारित है ;

(ग) उन विदेशी तथा भारतीय कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी अपनी अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक उत्पादन किया है ; और

(घ) सरकार का मामले को किस प्रकार विनियमित करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) (ख) और (घ) हाथी समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने लाइसेंसशुदा क्षमता के अधिक उत्पादन को 31 मार्च 1977 को समाप्त तीन वर्षों की अवधि के दौरान किसी एक वर्ष में प्राप्त अधिकतम उत्पादन स्तर पर कुछ विशेष शर्तों के आधार पर नियमित करने के निर्णय की घोषणा की थी । उक्त निर्णय को औषध नीति के विवरण पत्र के पैराग्राफ 27.3 से 36 पर दर्शाया गया है जिसकी एक प्रतिलिपि तत्कालीन पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री द्वारा 29 मार्च 1978 को लोक सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी । औद्योगिक विकास विभाग ने राष्ट्रीय मितव्ययता की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ चुने हुए उद्योगों और अधिक खपत वाले मदों के उत्पादन में लगे हुए उद्योगों (इसमें औषध और भेषज उद्योग भी शामिल हैं) की सितम्बर 1980 तक की स्थापित क्षमता को जहां वह लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक है, कुछ शर्तों के साथ मान्यता प्रदान करने के बारे में सरकार की नीति की घोषणा की है । इस निर्णय को औषधों के मामले में लागू किए जाने की जांच की जा रही है ।

(ग) लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक उत्पादन का पता लगाने के लिये जिन 130 एककों को अपेक्षित आंकड़े भेजने के लिये कहा गया था उनमें से 114 एककों ने अबतक सूचना भेज दी है । इन 114 कम्पनियों में से जिन कम्पनियों का उत्पादन 31 मार्च 1977 को समाप्त तीन वर्षों की अवधि के दौरान एक अथवा अधिक वल्क औषधों की लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक है उनके नामों को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम
1.	मैसर्स अतुल प्रोड्क्टस लिमिटेड
2.	मै० सिनविओटिस लि०

क्रम सं०	कम्पनी का नाम
3.	मै० बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल वर्क्स लि०
4.	मै० साराभाई एम० कैमिकल्स
5.	मै० रोची प्रोडक्टस लि०
6.	मै० बीहरिंगर-नील लि०
7.	मै० जर्मन रैमीडीज लि०
8.	मै० सियानामिड इंडिया लि०
9.	मै० सियरल इण्डिया लि०
10.	मै० सैन्डोज इन्डिया लि०
11.	मै० डफर इन्टर-फ्रान लि०
12.	मै० डे-सी-चीम लि०
13.	मै० चौगुवल एण्ड कम्पनी (हिन्द) प्राइवेट लि०
14.	मै० हफकिन वायो-फारमेक्यूटिकल्स लि०
15.	मै० यूनिचीम लेवोरेटरीज
16.	मै० कूरीवैल (इण्डिया) लिमिटेड
17.	मै० ग्लैक्सो लेब्रोरेटरीज (इण्डिया) लि०
18.	मै० फाइजर लि०
19.	मै० स्टे-डर्ड फर्म
20.	मै० सीवा-जिगी ऑफ इण्डिया लि०
21.	मै० जीऔफैरी मैसर्स इण्डिया लि०
22.	मै० औरेगनस (इन्डिया) लि०
23.	मै० होचेस्ट फार्माक्यूटिकल्स लि०
24.	मै० वैथ लेबोरेटरीज
25.	मै० वुराउगह वैलकम (इण्डिया) लि०
26.	मै० सूहरीड गेजी आफ इण्डिया लिमिटेड

क्रम सं०	कम्पनी का नाम
27.	मै० पार्क डेविस इण्डिया लि०
28.	मै० मेहता फार्माबियूटिकल्स
29.	मै० बेयर (इण्डिया) लि०
30.	मै० मै एण्ड बेकर इण्डिया लि०

जीवन-रक्षक औषधियों की कम सप्लाई

*111 **श्री के० ए० राजन :**

श्री सी० चन्नास्वामी : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास महानगरों में अधिकांश जीवन-रक्षक औषधियों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो कमी वाली औषधियों के नाम क्या हैं और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) कुछ विशिष्ट ब्राण्ड के फार्मूलेशनों की कमी के बारे में बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास महानगरों सहित विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर रिपोर्ट मिलती रही है ।

(ख) अक्टूबर 1980 के दौरान उपरोक्त कुछ महानगरों से जिन प्रमुख ब्राण्ड के फार्मूलेशनों की कमी के बारे में रिपोर्ट मिली है वे निम्न प्रकार है :—

(1) क्लोरोमाइसिटीन कैप्सूल/सिरप	पार्क डैविस
(2) क्लोरोस्ट्रैप कैप्सूल/सिरप	पार्क डैविस
(3) अल्डोमेट गोलियां	मार्क शार्प एण्ड डोहेम
(4) थाइरोइड गोलियां	बुरोज वैल्कम
(5) डैप्सोम गोलियां	—वही—
(6) थालाजोल गोलियां	मै० एण्ड बेकर
(7) एनट्रोक्विनोल	ईज इण्डिया

(8) सिन्टोसिनोन इन्जैक्शन मै० सैन्डोज

(9) मैथरजिन इन्जैक्शन मै० सैन्डोज

तथापि इनमें से अधिकांश मामलों में उन्हीं के समान दूसरे उत्पाद उपलब्ध हैं।

विशिष्ट ब्राण्ड फार्मूलेशनों की कमी के अनेक कारण हैं जैसे (i) श्रमिक अशान्ति (ii) बिजली की कटौती, (iii) क्षमता की कठिनाई (iv) कच्चे माल की सीमित/अनुपलब्धता आदि।

(ग) सरकार प्रत्येक सप्ताह जीवन रक्षक और अनिवार्य फार्मूलेशनों की उपलब्धता की देख-रेख करती है। जिस विशिष्ट ब्राण्ड की कमी के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होती है उसके निर्माताओं और उसी के समान दूसरे उत्पादों के निर्माताओं को तार द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे कमी वाले स्थानों को तुरन्त सप्लाई जारी करें. इस प्रकार कमी को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय किये जाते है।

नाइट्रोजन की क्षमता

*112 **श्री ए० टी० पाटील** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री निम्न-लिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 अक्तूबर, 1980 की स्थिति तक देश में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस पेंटाआक्साइड की अलग-अलग प्रतिष्ठापित क्षमताएं कितनी-कितनी थी और इन क्षमताओं के 31 मार्च, 1981 तक कितनी हो जाने की सम्भावना है ; और

(ख) वर्ष 1980 के दौरान किन-किन परियोजनाओं ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है और उनकी क्षमताएं कितनी-कितनी हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) दिनांक 31 अक्टूबर 1980 को नाइट्रोजन और फास्फोरस पेन्टाआक्साइड (P_2O_5) की स्थापित क्षमता क्रमशः 38.91 लाख टन और 12.72 लाख टन थी। 31 मार्च 1981 को नाइट्रोजन की क्षमता 45.75 लाख टन और P_2O_5 की क्षमता 12.72 लाख टन हो जाएगी।

(ख) कोयले पर आधारित दो उर्वरक प्लांटों अर्थात रामागुण्डम और तालचर में नवम्बर 1980 से वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हो गया है। और नैफथा पर आधारित फूलपुर प्लांट के इसी वर्ष के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है। इन तीनों प्लांटों में से प्रत्येक की क्षमता 228,000 टन नाइट्रोजन की है और इस प्रकार कुल क्षमता 684,000 टन नाइट्रोजन की है।

थोन बांध परियोजना पर काम रुकना

*113 **श्री पी० के० कोडियन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राज्यीय विवाद के कारण रावी नदी पर थीन बांध परियोजना का काम रुका पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ;

(ग) समस्या को सुलझाने के लिए संघ सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ;

(घ) क्या संघ सरकार ने, विवाद को लम्बित रखते हुए, परियोजना के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ङ) रावी नदी के जल का उपयोग करने के लिए पंजाब सरकार ने 1964 में थीन बांध परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी अन्तर्राज्यीय वाद होने के कारण इस परियोजना का क्रियान्वयन हाथ में नहीं लिया जा सका था। अक्तूबर, 1977 में तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा बुलाई गई एक बैठक में, जिसमें पंजाब राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्रियों/सिंचाई और विद्युत मंत्रियों ने भाग लिया था, यह निर्णय लिया गया था कि परियोजना का क्रियान्वयन पंजाब द्वारा किया जा सकता है तथा एक अन्तर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड होगा जिसके अध्यक्ष, केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री होंगे, उपाध्यक्ष केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री होंगे तथा सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्री तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री इसमें सदस्य होंगे।

लगभग 263 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 7-2-1979 को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी थी। तथापि, अन्तर्राज्यीय वादों का हल लम्बित होने के कारण योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति नहीं दी है।

पंजाब सरकार ने 1978 में निर्माण कार्य शुरू कर दिया था और इस समय अवसंरचनात्मक सुविधाएं स्थापित कर दी हैं, जैसे कालोनियों, रेलवे लाइनों, सड़कों आदि का निर्माण करना।

राज्य सरकार ने छठी योजना तथा वार्षिक योजनाओं (1980-81 तथा 1981-82) के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए हैं :—

	छठी योजना	वार्षिक योजना	
		1980-81	1981 82
सिंचाई	53 करोड़ रु०	12.00 करोड़ रुपये	12.00 करोड़ रुपये
विद्युत	25 लाख रु०	5.00 लाख रु०	5.00 लाख रु०

योजना आयोग द्वारा इन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

राज्य सरकारों द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के जनरेटिंग सेटों को लेने से इन्कार किए जाने का समाचार

*114. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने अपनी विद्युत परियोजनाओं के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के जनरेटिंग सेट स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है क्योंकि इन सेटों के बारे में बताया गया है कि इनकी कुशलता आयातित सेटों, विशेषकर पश्चिमी देशों और कनाडा से भी आयात किए गए सेटों की अपेक्षा 10 प्रतिशत कम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इन सेटों के आयात की अनुमति देने के लिए कोई अन्तिम निर्णय किया है ; और

(ग) देश में अपेक्षित तकनीकी जानकारी (नो हाउ) विशेषज्ञता का उपयोग करने और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० द्वारा उत्पादित सेटों के स्तर में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ताकि देश को भविष्य में इन सेटों का आयात न करना पड़े ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० की चालू की गई यूनिटों के सुस्थिर होने में लगने वाले अपेक्षाकृत लम्बे समय को ध्यान में रखते हुए तथा उपस्कर की शीघ्र डिलीवरी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्य सरकारों/बिजली बोर्डों ने विद्युत उत्पादन यूनिटों के आयात के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। इन प्रस्तावों की अलग-अलग मामले के आधार पर जांच की जाती है। यह जांच आवश्यकता, लाभों, स्वदेशी निर्माताओं की क्षमता आदि के आधार पर की जाती है।

(ग) विभिन्न विद्युत केन्द्रों में प्रतिष्ठापित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के यूनिटों में आ रही समस्याओं के बारे में विद्युत विभाग तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के साथ विचार-विमर्श किया है और यूनिटों के कार्यनिष्पादन में और सुधार करने की दृष्टि से तथा यूनिटों का शीघ्र सुस्थिर होना सुनिश्चित करने के लिए, यूनिटों में कमियों को दूर करने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० ने उपचारात्मक उपाय शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त स्वदेशी उपस्करं के निर्णय और उत्थान के दौरान गुणवत्ता सुनिश्चित करने की एक प्रणाली लागू की जा रही है।

रूस से पैट्रोलियम उत्पादों की पूर्ति

*116. **श्री केशव राव पारधी** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से प्राप्त होने वाले पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में ईरान-ईराक युद्ध के कारण बाधा पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो उससे हुई कमी की पूर्ति के लिए किए गए कदम और इस संबंध में तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गिरिडीह क्षेत्र में भूमिगत आग से कोयले की क्षति

*117. **श्री के० लक्प्पा :**
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के गिरीडीह क्षेत्र में भूमिगत आग से एक लाख टन कुकिंग कोयले की क्षति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्षति का पूरा विवरण क्या है;

(ग) क्या किसी जांच के कोई आदेश दिए गए हैं और उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बिजली उत्पादन और पारेषण सम्बन्धी हानियां

*118. **श्री चन्द्रजीत यादव :**
श्री राम विलास पासवान : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ओर तो देश में बिजली उत्पादन में अत्यधिक कमी आई है और दूसरी ओर पारेषण हानियां जो 12 से 15 प्रतिशत होनी चाहिए बढ़कर 20 से 25 प्रतिशत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान बिजली के उत्पादन में कमी का और बिजली उद्योग के निराशाजनक कार्य निष्पादन तथा पारेषण हानियों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारणों के बारे में कोई विश्लेषण किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं और सरकार ने इस दिशा में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) पिछले एक वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है। 1979-80 में विद्युत का उत्पादन 1978-79 के दौरान हुए विद्युत उत्पादन से 2.1% अधिक था। अप्रैल से 15 नवम्बर, 1980-81 तक की अवधि के दौरान कुल ऊर्जा उत्पादन 67,478 मिलियन यूनिट हुआ है। इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह उत्पादन 66,904 मिलियन यूनिट हुआ था। चालू वर्ष 1980-81 के दौरान 113,00 मिलियन यूनिट उत्पादन करने का कार्यक्रम है। पिछले वर्ष के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में यह उत्पादन लगभग 7 प्रतिशत अधिक होगा।

पिछले पांच वर्ष के दौरान, देश में पारेषण और वितरण हानियां 19% से 20% तक रही हैं। ये हानियाँ लाइन कन्डक्टरों तथा उपस्करों की अन्तर्निष्ठ विशिष्टिताओं अर्थात् ट्रांसफार्मेशन में होने वाली हानियों आदि के परिणामस्वरूप होती है। बिना मीटर के कनेक्शनों बिजली की चोरियों, बिल बनाने संबंधी गलतियों, मीटरों के साथ छेड़छाड़ करने और मीटर बन्द हो जाने आदि के कारण भी पारेषण और वितरण संबंधी हानियां होती हैं। विद्युत प्रणाली का विस्तार होने तथा सुदूरवर्ती तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नवोल्टता वाली लाइनों के विस्तार से पारेषण और वितरण हानियों की प्रवृत्ति बढ़ोतरी की ओर है। राज्य बिजली बोर्ड, प्रणाली सुधार की स्कीमें हाथ में ले रहे हैं। प्रणालियों को सुदृढ़ करके तथा उपकेन्द्रों में तथा उपभोक्ताओं के आहतों में केपेसिटर्स की प्रतिष्ठापना को बढ़ावा देकर पारेषण और वितरण हानियों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इन समस्याओं से तथा विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने की आवश्यकता से सरकार अवगत है। 1979-80 में मानसून फेल होने के कारण तथा चालू की गई यूनिटों के सुस्थिर होने में विलम्ब के कारण वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन पर प्रभाव पड़ा है। विद्युत केन्द्रों के बेहतर कार्य-निष्पादन में बाधा पहुंचाने वाले कारणों का पता लगा लिया गया है और प्रणाली में विद्युत की कुल उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई अल्प-कालिक तथा दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं तथा किए जा रहे हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. उचित गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई। गलती करने वाली कोयला खानों का पता लगाया जा रहा है और संयुक्त रूप से सेम्पलिंग करने के लिए विद्युत केन्द्रों के प्रतिनिधि वहां तैनात किए जा रहे हैं। कोयला कम्पनियों से कहा गया है कि पत्थर, सलेटी पत्थर तथा अन्य विजातीय पदार्थों को हाथ से उठाने के कार्य को तेज करें ताकि गुणवत्ता में सुधार हो। कोयला कम्पनियों को यह सलाह भी दी गई है कि वे कोयला खानों पर पोर्टेबिल/स्थायी क्रशर प्रतिष्ठापित करें तथा कोयला परिष्कार के लिए समुचित कार्यक्रम शुरू करें।

2. संयंत्र सुधार कार्यक्रम तथा बेहतर सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को सहायता।

3. उपस्कर के डिजाइन में कमी का पता लगाना तथा उन्हें सुधारने और प्रतिस्थापित करने के कार्यक्रम शुरू करना।

4. स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की समय पर सप्लाई की व्यवस्था करना।

5 जिन इन्जीनियरों तथा तकनीकी कार्मिकों की विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।

6. निर्माणाधीन समस्त विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रमों की विस्तृत रूप से मानीटरिंग करना।

अरुणाचल प्रदेश में तेल का पता लगना

*119. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरुणाचल प्रदेश में खरसांग में कितने कुंए खोदे गए हैं, उनमें से कितनों में तेल पाया गया है और कितनों में गैस का पता चला है ; और

(ख) वहां पाये जाने वाले तेल और गैस की अनुमानित मात्रा कितनी होगी ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) खरसांग क्षेत्र में खोदे गये 5 कुओं में से 2 कुओं में तेल मिला था। पांचवे कुएं में तेल की विद्यमानता का संकेत मिला है किन्तु उसका परीक्षण किया जाना है। इस क्षेत्र में खुदाई कार्य पूरा हो जाने के पश्चात यह ज्ञात हो सकेगा कि वहां कितना अशोधित तेल मिलेगा।

ईरान-ईराक युद्ध के कारण पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों पर प्रभाव

*120. **श्री राम विलास पासवान** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ईरान-ईराक युद्ध का पैट्रोलियम पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : ईरान-ईराक युद्ध के परिणामस्वरूप खनिज तेल एवं पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में कुछ अव्यवस्था हुई है सरकार से सरकार स्तर पर या मौके पर खरीद के द्वारा कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक सप्लाई की व्यवस्था के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है चूंकि युद्ध के प्रारम्भ होने के बाद खनिज तेल एवं पैट्रोलियम उत्पादों के मौके पर दरों (स्पाट प्राइजेज) में वृद्धि हुई है। सरकार कम एवं अधिक समय की होने वाली कठिनाईयों का अध्ययन कर रही है तथा इसकी सही तस्वीर कुछ महीनों बाद ही पता चल सकेगी।

विद्यापति के गीतों के नाम

1001. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में दिल्ली दूरदर्शन द्वारा प्रस्तुत किए गए विद्यापति के गीतों के नाम क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली दूरदर्शन ने विद्यापति के गीतों की उपेक्षा की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में दिल्ली दूरदर्शन की नीति को बदलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र द्वारा 1980 के दौरान विद्यापति के कोई गीत प्रस्तुत नहीं किए गए है ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र एक प्रादेशिक केन्द्र है । यह दिल्ली और मंसूरी के आसपास के क्षेत्र में सेवा प्रदान करता है । और कार्यक्रम हिन्दी में टेलीकास्ट करता है । विद्यापति के गीत मैथिली में हैं जो बिहार के मैथिली क्षेत्र में बोली जाती है । तथापि, इसका मतलब यह नहीं है कि विद्यापति या किसी अन्य परम्परागत कवि के गीत दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र द्वारा टेलीकास्ट नहीं किए जाते । तथ्य यह है कि क्योंकि प्रेषण की अवधि सीमित है और टेलीकास्ट शाम को होते हैं, इसलिए भक्ति संगीत को प्रस्तुत करने के अवसर सीमित हैं ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में तालाबन्दी

1004. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रबन्धकों ने निनिदीह परियोजना में किन परिस्थितयों में तालाबन्दी की घोषणा की है ; और

(ख) भविष्य में इस परियोजना में सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दिनांक 11-9-1980 को भारत कोकिंग कोल लि० की मोनीडीह खान में 150 से अधिक कामगारों की भीड़ ने गेस्ट हाउस का घेराव कर लिया और तीन अधिकारियों पर लोहे की छड़ों, लाठियों, पत्थरों और ईंटों से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप इन अधिकारियों को गम्भीर चोटें लगीं । इनमें से दो को तो फ्रैक्चर हो गए और सिर में गम्भीर चोटें लगीं । एक सुरक्षा गार्ड पर भी हमला किया गया । उन्होंने (कामगारों ने) घायल अधिकारियों को कोई चिकित्सा सहायता भी नहीं देने दी ।

कामगार मिलजुलकर काम से अनुपस्थित भी रहे और उन्होंने गैर-कानूनी ढंग से अपना काम बन्द भी कर दिया। इस क्षेत्र में हड़तालों और अधिकारियों पर हमले आदि के कारण व्यापक हिंसा के वातावरण को देखते हुए प्रबन्ध मण्डल ने खान में तालाबन्दी की घोषणा कर दी।

(ख) कम्पनी ने हिंसात्मक कार्रवाई और हमलों में भाग लेने वाले कामगारों के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की है जिसमें बर्खास्तगी भी शामिल है। भारत कोकिंग कोल लि० की संयुक्त द्विपक्षीय परामर्शदात्री समिति ने भी हिंसा की निंदा की है और यह संकल्प स्वीकार किया है कि कामगारों की शिकायतें सांविधानिक और कानूनी उपायों से दूर की जाएं।

अशोधित तेल की स्थल पर खरीद

1006. **श्री एन० ई० होरो** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विश्व बाजार में 30,000 टन अशोधित तेल की स्थल पर खरीद (स्पोट परचेज) करने के बारे में निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस हेतु कोई विश्वव्यापी टेंडर मांगे गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) हमने तत्काल निविदा के आधार पर चालू वर्ष के दौरान 1.27 मिलियन मी० टन कुल मात्रा की खरीद की है।

(ख) यह तत्काल खरीद आई० ओ० सी० द्वारा जारी की गई टेंडर पूछताछ के आधार पर की गई है।

(ग) इससे अधिक ब्यौरे देना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

कोयला उद्योग द्वारा मजदूरी समझौते का कार्यान्वयन

1007. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग में पिछला मजदूरी समझौता कहां तक कार्यान्वित किया गया है ;

(ख) यदि उक्त समझौता पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) समझौते को पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता II की मुख्य व्यवस्थाओं को पूरी तरह लागू कर दिया गया है। परन्तु कुछ अन्य मदों के सम्बन्ध में कामगारों के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे मामले उठाए हैं जिनमें व्यवस्थाओं को लागू नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षी समिति अपनी एक उप-समिति (जो कि एक सयुक्त समिति है) के जरिए राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-II के कार्यान्वियन की पुनरीक्षा करती रहती है और दूसरी ओर यह उप-समिति स्वयं कम्पनी स्तर की संयुक्त कार्यान्वियन समितियों द्वारा प्रस्तुत कार्यान्वयन रिपोर्टों की जांच करती है। यह समितियां तथा कम्पनियां भी व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के जो मामले पता चलते हैं उनमें विलम्ब के कारण देखती हैं तथा सुधार की कार्रवाई करती है।

आवश्यक औषधियों के मूल्यों में वृद्धि

1008. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आवश्यक औषधियों के मूल्यों में कमी लाने के लिए और उन्हें आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 में निर्दिष्ट आवश्यक और जीवन रक्षक औषध फार्मुलेशनों और इन फार्मुलेशनों के लिए अपेक्षित बल्क औषधों के मूल्यों पर नियंत्रण रखा गया है। तथापि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि के कारण कच्चे माल की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा किये गये लागत अध्ययन के आधार पर मूल्य नियंत्रित बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्यों में समायोजन करने की अनुमति देने का निर्णय किया है। मूल्यों में इस समायोजन के परिणामस्वरूप कुछ औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्यों में वृद्धि होगी और कुछ मामलों में कमी होगी।

प्रेस का औद्योगिक घरानों से अलग करने के लिए प्रेस आयोग के जांच परिणाम

1010. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस को बड़े औद्योगिक घरानों से अलग रखने के प्रश्न पर प्रेस आयोग के जांच परिणाम सरकार को प्राप्त हो गये है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का प्रेस आयोग को कम से कम एक मुख्य मुद्दे पर कि बड़ा समाचार पत्र राज्य के दो से अधिक केन्द्रो और तीन से अधिक राज्यों से प्रकाशित न किया जाए, अन्तरिम रिपोर्ट देने के लिए कहने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में मिट्टी के तेल की मांग

1011. **श्री हरीहर सोरन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को प्रतिमास कुल कितने किलोलिटर मिट्टी के तेल की जरूरत होती है;

(ख) जिला क्योंझुर को प्रति मास कुल कितने किलो लिटर मिट्टी के तेल की जरूरत होती है; और

(ग) उड़ीसा के विभिन्न जिलों को गत 2 महीनों में कुल कितने किलो लिटर मिट्टी का तेल सप्लाई किया गया ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) नवम्बर, 1980 के लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने लगभग 8400 किलोलिटर (के.एल.एस.) के आवंटन के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है ।

(ख) व (ग) यह मंत्रालय मिट्टी के तेल का मासिक आवंटन सब राज्यों को करता है जिनमें उड़ीसा भी शामिल है । इस आवंटन को राज्य के विभिन्न जिलों/क्षेत्रों में बांटने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का होता है जो कि ऐसे प्रत्येक जिले की आवश्यकता को भी ध्यान में रखती है । राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि उत्पाद का विभिन्न क्षेत्रों में बराबर वितरण करने को सुनिश्चित करें और कदाचार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करें ।

उड़ीसा के विभिन्न जिलों में सितम्बर और अक्तूबर के महीनों में मिट्टी के तेल की कुल बेची गई मात्रा क्रमश: 7700 किलो लिटर और 8500 किलो लिटर हैं ।

कम्पनी निदेशकों को ऋण दिया जाना

1012. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम्** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी निदेशकों को ऋण देने के लिए भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा 295(1) के अधीन इस वित्तीय वर्ष में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ख) इन कम्पनियों तथा निदेशकों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या कोई अनुमति दी गई है और यदि हां, तो उन कम्पनियों तथा निदेशकों के नाम क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 1 अप्रैल, 1980 से प्रारंभ होने वाले इस वित्तीय वर्ष में, 31-10-1980 तक, कम्पनियों के निदेशकों को ऋण देने के लिये 8 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं ।

(ख) तथा (ग) : सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है ।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	सम्बन्धित निदेशक का नाम	अनुमोदित	टिप्पणी
1.	मै० प्रीसीजन बीयरिंग्स इण्डिया लि०	श्री एच० जी० वर्मा	अनुमोदित	—
2.	मै० मैसूर लैम्प वर्क्स लि०	श्री आर० सी मनचन्दा	अनुमोदित	—
3.	मै० पीको इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इलैक्ट्रीकल्स लि०	श्री एस० वेंकटारामन	—	कम्पनी से संशोधित आवेदन-पत्र भेजने के लिए कहा गया है।
4	मै० स्वदेशी मिल्स कम्पनी लि०	श्री एच० एन० वजीफदार	—	अनिर्णीत
5.	मै० टी० एस्टेट इन्डिया लि०,	श्री एस० कृष्णन	अनुमोदित	—
6.	मै० तमिलनाडु मैगनेसिट लि०	श्री एस० सुब्रह्मण्यम	—	अनिर्णीत
7.	मै० मद्रास पुरुषावल्कम, हिन्दू अनोपवार सास्वत निधि, अथवा दि परमानेन्ट जनरल बैनीफिट फन्ड लि०,	—	अनुमोदित	यह निधि कम्पनी है। निदेशकों तथा उसके सम्बन्धियों को ऋण देने के लिए निरंक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।
8.	मै० ननगाम्बाकम सास्वत धन रक्षक निधि लि०,	—	—	अनिर्णीत यह निधि कम्पनी है तथा निदेशकों तथा उनके सम्बन्धियों को ऋण देने के लिए निरंक अनुमोदन के लिए आवेदन किया गया है।

सिन्दरी वरौनी, ट्राम्बे तथा नामरूप उर्वरक संयंत्रों में काम कर रहे सहायक पुस्तकाध्यक्षों के वेतनमान

1011. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:—

(क) सिन्दरी, वरौनी, ट्राम्बे और नामरूप उर्वरक परियोजनाओं में काम कर रहे सहायक पुस्तकाध्यक्षों के वेतनमान क्या हैं और सेवा आरम्भ करते समय उन्हें कुल कितना वेतन मिलता है ;

(ख) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन, हल्दिया डिवीजन में काम कर रहे सहायक पुस्तकाध्यक्षों के वेतनमान क्या हैं और उनको सेवा आरम्भ करते समय कुल कितना वेतन मिलता है ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन, तथा अन्य एककों में कोई अन्तर है और उसके क्या कारण हैं तथा क्या सरकार का विचार सभी उर्वरक परियोजनाओं में सहायक पुस्तकाध्यक्षों के लिए एक समान वेतनमान लागू करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० दलबीर सिंह) : (क) एफ० सी० आई० के सिन्दरी यूनिट और एच० एफ० सी० के वरौनी यूनिट में सहायक पुस्तकाध्यक्ष का पद नहीं है। एच० एफ० सी० के नामरूप यूनिट और आर० सी० एफ० के ट्राम्बे यूनिट के सहायक पुस्तकाध्यक्षों के वेतनमान नीचे दर्शाये गये हैं :—

यूनिट का नाम	वेतन मान	न्यूनतम वेतन मान पर कुल परिलब्धियां
नामरूप	475-805 रुपए	लगभग 750 रुपए
ट्राम्बे	(1) 415-15-490-20-630 रुपए	लगभग 850 रुपए
	(2) 450-20-550-25-750	(पहले वाले वेतनमान में)

(ख) एच० एफ० सी० के हल्दिया प्रभाग में सहायक पुस्तकाध्यक्ष का पद नहीं है।

(ग) सभी उर्वरक परियोजनाओं में सहायक पुस्तकाध्यक्षों के लिए समान वेतनमान लागू करने के बारे में सरकार का कोई विचार नहीं है।

(घ) विभिन्न सरकारी कम्पनियों के हरेक क्षेत्र में समानता लाना व्यावहारिक नहीं है।

पाकिस्तान और बंगलादेश द्वारा ईंधन तेल की आपूर्ति

1014. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान और बंगलादेश ने भारत को ईंधन ते पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो की गई पेशकश का ब्यौरा क्या है और उस पर सरका प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख हमने बंगलादेश और पाकिस्तान से मिट्टी के तेल की कुछ मात्रा लेना स्वीकार कि करारों के विस्तृत ब्यौरे देना इण्डियन आयल कार्पोरेशन के वाणिज्यिक हित तथा प्रथाओं के विपरीत होगा।

आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से मैथिली में समाचार

1015. **श्री भोजेन्द्र झा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री दरभंगा आकाशवा क्षमता के बारे में 8 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3416 के उत्तर के सं बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न वर्गों के लोगों ने यह मांग की है कि आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों से मैथिली में समाचार प्रसारित किए जाएं ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से मैथिली के लिए कुल कितना समय और क्या उसमें वृद्धि करने की सम्भावना पर विचार किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) हां। इस आशय की कुछ मांगें रही हैं।

(ख) क्योंकि बिहार की घटनाएं हिन्दी के वर्तमान समाचार बुलेटिनों, जि प्रेमी/बोलने वाले लोग व्यापक रूप से सुनते हैं, में अच्छी तरह कवर की जाती मैथिली में एक अलग समाचार बुलेटिन शुरू करना आवश्यक नहीं है।

(ग) बिहार में स्थित आकाशवाणी के केन्द्रों से प्रसारित होने वाले मैथिली कार्यक्रमों की कुल मासिक अवधि 32 घंटे 50 मिनट है। इसमें इन केन्द्रों से प्रसारित होने वाले मैथिली गीत शामिल नहीं हैं। मैथिली भाषा के कार्यक्रमों के लिए आबंटित वर्तमान अवधि में वृद्धि करना फिलहाल सम्भव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कारण ऊपर (ख) के सम्मुख दे दिए गए हैं।

कोयले का उत्पादन

1016. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कोयले के अतिरिक्त उत्पादन के लिए हाल में कोई योजनाएं बनाई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो निवेश तथा मंजूर की गई नई परियोजनाओं का ब्यौरा है और विभिन्न किस्मों के कोयले के उत्पादन के क्या वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) छठी योजना में कितनी पूंजी लगाई जाए इस पर अंतिम विचार हो रहा है। जनवरी, 1980 से 20 नई कोयला परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। वर्ष 1980-81 के दौरान कोककर और अकोककर कोयले के उत्पादन लक्ष्य क्रमशः 24.29 मिलियन टन और 74.71 मिलियन टन हैं। यह मात्रा 1984-85 तक बढ़ कर कोककर कोयले के लिए 34.50 मिलियन टन और अकोककर कोयले के लिए 130.50 मिलियन टन हो जाएगी।

दूरदर्शन के लिए नया चेनल।

1017. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भाषा प्रसारण की ओर अधिक विस्तार देने हेतु सभी दूरदर्शन केन्द्रों के लिए नया चेनल आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान के जिला जालौर में हरियाली गांव में ड्रिलिंग कार्य

1018. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने राजस्थान के जिला जालौर की सांचौर तहसील में हरियाली गांव में गैस और पैट्रोल निकालने का ड्रिलिंग कार्य आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले है ; और

(ग) क्या तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का उस क्षेत्र में ड्रिलिंग और सर्वेक्षण कार्य पुनः आरम्भ करने का है और यदि हां, तो कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

आसानसोल में दूरदर्शन केन्द्र

1019. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसोल में दूरदर्शन रिले केन्द्र के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पूरा किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) आसनसोल के दूरदर्शन रिले केन्द्र के लिए स्थान कब्जे में ले लिया गया है । प्रेषण उपकरणों के लिए आर्डर दे दिया गया है । टावर हासिल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है सिविल निर्माण कार्यों के लिए प्राक्कलन मंजूरी के लिए तैयार किए जा रहे हैं ।

(ख) आसनसोल का दूरदर्शन रिले केन्द्र बेंड 3 में चैनल 7 पर कार्य करेगा । ट्रांसमीटर की शक्ति 10 कि० वा० होगी और एंटेना को 150 मीटर ऊंचे टावर के सबसे ऊंचे भाग पर लगाया जायेगा । रिले केन्द्र की सेवा परिधि 75 कि० मी० होगी जिसके अन्तर्गत 18,000 वर्ग कि० मी० के क्षेत्र के 10,434 गांव आयेंगे । कवर होने वाली कुल जनसंख्या, का अनुमान 67.35 लाख (11.60 लाख शहरी और 55.88 लाख ग्रामीण) हैं । यह केन्द्र कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रमों को रिले करेगा । इसके 1983-84 में चालू होने की उम्मीद है ।

माइक्रोवेव पोषित ट्रांसमीटरों की स्थापना

1022. **श्रीमती संयोगिता राने** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पणजी में माइक्रोवेव पोषित रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी, हां ।

(ख) पणजी दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर की शक्ति 10 कि० वा० होगी । इसकी सेवा परिधि 75 कि० मी० होगी जिसके अन्तर्गत 10,000 वर्ग कि० मी० के क्षेत्र के 1,284 गांव आयेंगे । कवर होने वाली कुल जनसंख्या का अनुमान 18.86 लाख है, जिसमें 3.91 लाख शहरी और 14.95 लाख ग्रामीण जनसंख्या होगी । इस परियोजना को कार्यान्वयन के लिए हाथ में ले लिया गया है और इसके 1983 में चालू हो जाने की उम्मीद है ।

उत्तरी बंगाल के विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता

1023. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल, ताप (कोयला तमा तेल द्वारा) द्वारा उत्तरी बंगाल में 31 मार्च, 1980 को विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता का ब्यौरा क्या है और 1979-80 में वास्तविक उत्पादन कितना था ;

(ख) उत्तरी बंगाल में सिंचाई, प्रकाश तथा उद्योग के लिए विद्युत की आवश्यकता सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनको पता है कि विद्युत की सप्लाई के अभाव में उत्तरी बंगाल में कई उद्योगों को बंद करना पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो उत्तरी बंगाल की विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 31-3-1980 की स्थिति के अनुसार उत्तर बंगाल में प्रतिष्ठापित क्षमता निम्नानुसार है :—

जलढ़ाका (जल विद्युत)	27 मेगावाट
सिलिगुड़ी गैस टरबाइन	20 मेगावाट

इसके अतिरिक्त कुछ लघु डीजल सेट तथा माइक्रो जल विद्युत क्षमता है, जो कुल मिलाकर लगभग 23 मेगावाट है। 1979-80 के दौरान ऊर्जा उत्पादन 65.3 मिलियन यूनिट हुआ है।

(ख) से (घ) नीचे बताए गए अनुसार उत्तर बंगाल की लगभग 60 मेगावाट की वर्तमान उपलब्धता की तुलना में इसकी कुल आवश्यकता लगभग 80 मेगावाट है :—

जलढाका	8 मेगावाट
लघु माइक्रो जल विद्युत तथा डीजल	15 मेगावाट
गैस टरबाइन	20 मेगावाट
बिहार से सहायता	17 मेगावाट
	60 मेगावाट

जिन चाय बागानों और अन्य संगठनों के पास अपनी केपटिव विद्युत है वे सामान्यतः अपनी व्यस्ततमकालीन मांग पूरी करते हैं ताकि सीमित उपलब्धता को अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा सके। पश्चिम बंगाल सरकार का ऊर्जा नियंत्रण आदेश उत्तर बंगाल के पांच जिलों—मालदा, पश्चिम दीनाजपुर, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और दार्जिलिंग—में लागू नहीं है तथा कमी को सामान्यतः लोड शैडिंग द्वारा पूरा किया जाता है।

इस समय उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल से केवल 66 के० वी० लाइन से जुड़ा हुआ है। 132 के० वी० लाइन (मालदा-रायगंज) शीघ्र ही चालू हो जाने की आशा है, जिससे उत्तर बंगाल में उपलब्धता में सुधार हो सकता है। जब फरक्का सुपर ताप विद्युत संयंत्र तथा राजन जल विद्युत परियोजना पूरी हो जाएंगी, तब से उत्तर बंगाल की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

आकाशवाणी में प्रोड्यूसर

1024. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री आकाशवाणी में विभिन्न भाषाओं के प्रोड्यूसरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में दिनांक 26 अप्रैल, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 864 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आकाशवाणी में प्रोड्यूसरों की संख्या अब निर्धारित कर दी है यदि हां, तो इस संवर्ग की संख्या निर्धारण करने के लिए क्या मानदंड अपनाया गया;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारणों को देखने के लिए प्रादेशिक केन्द्रों में विशेषज्ञों की नियुक्ति नहीं की गई है :

(ग) आकाशवाणी के सभी केन्द्रों पर कितने प्रोड्यूसर काम कर रहे है ; और

(घ) विभिन्न केन्द्रों में प्रोड्यूसरों की नियुक्ति के लिए सरकार की भावी योजनाएं क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं । कर्मचारी निरीक्षण एकक के मानकों, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है, के अनुसार कार्यक्रम अधिकारियों (जो या तो सरकारी नियमित कर्मचारी अर्थात् कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव हो सकते हैं या संविदा कर्मचारी अर्थात् प्रोड्यूसर) की संख्या का निर्धारण किसी भाषा/बोली में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की मात्रा और विषय के आधार पर किया जाता है ।

(ख) जी, नहीं । तथापि, किसी भाषा/बोली के लिए अलग प्रोड्यूसर तब तक नियुक्त नहीं किए जा सकते जब तक कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर अलग प्रोड्यूसर नियुक्त करने का औचित्य न हो ।

(ग) और (घ) एक अप्रैल, 1980 को विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों/कार्यालयों में 191 प्रोड्यूसर थे । नए प्रोड्यूसरों को कर्मचारी निरीक्षण एकक के मानकों के अनुसार कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्त किया जाता है ।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों का स्थानान्तरण

1025. **श्री जी० एम० बनातवाला :**
श्री जैनुल बशर :
श्री जी० वाई० कृष्णन् :
श्री चतुर्भुज :
श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों के स्थानान्तरण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की नीति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श किया गया है, और यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या सरकार को मुख्य न्यायाधिपतियों और न्यायाधीशों में व्याप्त रोष की जानकारी है जिन्हें स्वतन्त्रता के छिन जाने तथा क्षेत्रीय भाषा तथा विधियों की पर्याप्त जानकारी न होने के कारण अपने कार्य में आने वाली कठिनाइयों का डर बना हुआ है ; और

(ङ) न्यायाधीशों के स्थानान्तरण की नीति में यदि कोई सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं तो वे क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ङ) सरकार को भिन्न-भिन्न स्थानों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह आग्रह किया गया है कि जहां तक नीति का सम्बन्ध है ,किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति उस उच्च न्यायालय की अधिकारिता के बाहर से नियुक्त किया जाना चाहिए। इस सुझाव को प्रभावी बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 222 का सहारा लिया जाना चाहिए। सरकार इस प्रश्न पर भारत के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से विचार कर रही है।

कोयले का गोरखपुर उर्वरक कारखाने को परिवहन

1026. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर उर्वरक फैक्टरी के पास सितम्बर 1980 के आरम्भ में तीन मास के लिए कोयले का भण्डार होने के बावजूद गैर-सरकारी ठेकेदारों को कोयले के परिवहन के लिए 157 रु० और 158 रु० प्रति टन की दर पर ठेके दिये गये थे जबकि रेल भाड़ा केवल 60 रु० प्रति टन है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उर्वरक कारखाना, गोरखपुर के श्रमिकों की यूनियन ने उनको इस सम्बन्ध में शिकायत की है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सितम्बर, 1980 के प्रारम्भ में तीन स्ट्रीम संचालन के आधार पर एफ० सी० आई० के गोरखपुर यूनिट में कोयले का लगभग 1½ महीने का स्टाक था। रेल परिवहन में पूर्वानुमानित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन के माध्यम से सप्लाई की व्यवस्था कर कोयले का स्टाक जमा किया गया था।

(ख) इस सम्बन्ध में गोरखपुर यूनिट में उर्वरक कारखाना मजदूर संघ से प्राप्त शिकायत की जांच एफ० सी० आई० द्वारा की जायेगी।

दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड को कोकिंग कोयला की सप्लाई

1027. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड को उसके कोयला धोवनशाला के लिए जनवरी, 1980 से महीनेवार कोकिंग कोयले की कितनी मात्रा सप्लाई की गई है ;

(ख) धोवनशाला को चालू रखने के लिए कोयले की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है ; और

(ग) अपेक्षित मात्रा में कोयला सप्लाई करने में सरकार के असफल रहने के क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दुर्गापुर कोयला वाशरी परियोजनाओं को कोयले की माहवार सप्लाई का एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख) इस वाशरी को चलाने के लिए 25 000 टन कोयला प्रतिमास चाहिए।

(ग) लक्ष्य कार्यक्रम के अनुसार दुर्गापुर परियोजना वाशरी को पर्याप्त कोयला पहुंचाने में जो कमी हुई उसका मुख्य कारण कोयले की लदान के लिए पर्याप्त वैगन न मिलना है।

विवरण

(आंकड़े लाख टनों में)

माह	कच्चे कोयले का प्रेषण	
	दुर्गापुर परियोजना लि० (वाशरी) को	दुर्गापुर कोककर भट्टी परियोजना को
जनवरी, 80	8.0	22.0
फरवरी, 80	3.0	21.0
मार्च, 80	3.0	22.0
अप्रैल, 80	6.0	19.0
मई, 80	9.0	11.0
जून, 80	15.0	18.0
जुलाई, 80	8.0	20.0
अगस्त, 80	7.0	20.0
सितम्बर, 80	5.0	18.0
	64.0	171.0

तापीय संयंत्रों द्वारा मांगे गए कोयले के वैगन

1029. **श्री जी० नरसिन्हा रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तापीय संयंत्रों द्वारा प्रतिदिन कोयले के कितने वैगनों की मांग की है और उन्हें कितने वैगन सप्लाई किए जाते रहें हैं ; और

(ख) इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोयले के लिए वैगनों का दैनिक आवंटन और वास्तविक प्राप्ति दिखाने वाला विवरण उपाबन्ध में दिया गया है।

(ख) स्थिति का सामना करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं/जा रहे हैं—

1. जिन ताप विद्युत केन्द्रों के पास कोयले के स्टाक बहुत ही कम होते हैं। वे केन्द्र कोयला विभाग तथा रेल मन्त्रालय की जानकारी में लाए जाते हैं ताकि कोयले की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

2. हाल ही में ऊर्जा मन्त्री तथा रेल मन्त्री के बीच हुई बैठक में रेलवे पर इस बात पर जोर दिया गया है कि आगामी महीनों में कोयले की ढुलाई में प्रतिदिन लगभग 4000 वैगनों तक के स्तर की वृद्धि करके बिजलीघरों को कोयला पहुंचाने को उच्चतम प्राथमिकता दी जाए ताकि विद्युत केन्द्र अधिकतम विद्युत उत्पादन कर सकें तथा कोयले के भण्डार बना सकें॥ विद्युत केन्द्रों को कोयले की ढुलाई का स्तर जो सितम्बर, 80 में लगभग 2600 वैगन प्रतिदिन था, बढ़कर नवम्बर, 80 में लगमग 3200 वैगन प्रतिदिन हो गया है।

विवरण

जनवरी, 1980 से अक्तूबर, 1980 तक की अवधि के दौरान रेल द्वारा ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों का दैनिक आवंटन और वास्तविक प्राप्ति दिखाने वाला विवरण

महीना	रेल द्वारा ढुलाई के लिए आवंटन (वैगन/प्रतिदिन)	बिजली घरो द्वारा वास्तव में प्राप्त वैगन (वैगन/प्रतिदिन)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
जनवरी, 80	3980	2805	प्रतिदिन वैगनों
फरवरी, 80	3754	2905	की गणना करने
मार्च, 80	3682	3388	के लिए यह मान
अप्रैल, 80	4160	3038	लिया गया है
मई, 80	4114	3215	कि :
जून, 80	4146	2942	(क) प्रत्येक महीना

1	2	3	4
जुलाई, 80	4198	2953	30 दिन का है ।
अगस्त, 80	4100	2455	(ख) प्रत्येक वैगन
सितम्बर, 80	4206	2480	में 22 मीटरी टन
अक्तूबर, 80	4518	2800	कोयला ढोया जाता है ।

सोवियत संघ के विशेषज्ञ दल से कोयला और ऊर्जा के क्षेत्र में वार्ता

1031. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सोवियत संघ का एक विशेषज्ञ दल कोयला और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग के बारे में वार्ता करने के लिए भारत आया था जैसा कि 18 अक्टूबर, 1980 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो भारत आए शिष्टमण्डल का ब्यौरा क्या है और भारत में समकक्ष अधिकारियों से हुई उनकी वार्ता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सोवियत संघ ने भारत को कितनी आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इस प्रतिनिधि मंडल के नेता सोवियत रूप के कोयला उद्योग के प्रथम उप मंत्री थे और इसमें "त्स्वेतमेतप्रेमेक्सपोर्त" के अध्यक्ष और "जेरुवेजूगोल" के अध्यक्ष भी थे ।

दोनों देशों के बीच एक कार्यकारी कार्यक्रम पर समझौता हुआ जिसका उद्देश्य भारत के कोयला उद्योग का आधुनिकीकरण और विकास है । इसमें नई खानों के डिजाइन बनाने के लिए तथा खानों और वाशरियों में कुछ निश्चित प्रौद्योगिक समस्याओं को सुलझाने के लिए सोवियत रूस की सहायता की व्यवस्था है ।

दिल्ली में कुकिंग गैस का नकली कारखाना

1033. **श्री तारिक अनवर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सितम्बर में दिल्ली में कुकिंग गैस के एक नकली कारखाने का पता लगा था ;

(ख) यदि हां, तो वे किस स्रोत के जरिए गैस प्राप्त किया करते थे ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ गैस विक्रेता गैस के सिलेण्डरों से गैस की चोरी करते हैं और कम वजन के गैस सिलेण्डरों की सप्लाई उप-भोक्ताओं को करते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो गैस विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को कम वजन के गैस सिलेण्डरो की सप्लाई करने की प्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार सितम्बर, 1980 में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के बादली गांव में सामेपुर में आनन्द उद्योग नामक एक नकली खाना बनाने वाली गैस के कारखाने का पता लगाया था ।

(ख) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा मामले की जाँच की जा रही है ।

(ग) एवं (घ) कुछ मामले मन्त्रालय के ध्यान में आये हैं । कम वजन के गैस सिलेण्डरों की सप्लाई को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

1. गैस सिलेन्डर तेल कम्पनियों या उनके द्वारा संचालित कमीशन प्राप्त वाटलिंग प्लांटों में स्वचालित तथा हस्तचालित मशीनों द्वारा भरे जाते हैं । नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता मन्त्रालय का बाट और माप निदेशालय इन मशीनों को नियमित अन्तराल में जांचता है तथा इन पर अपनी मोहर लगाता है । सिलेण्डरों की अक्सर जांच की जाती है तथा कम भरे हुए सिलेण्डर अगर हों तो, अलग कर दिये जाते हैं तथा वांटलिंग प्लांटों से केवल ठीक माप के सिलेण्डर ही ट्रांसपोर्टरों को दिये जाते हैं । वितरकों के शो रूमों तथा गोदामों में भी वितरकों द्वारा वितरण के समय अक्सर जांच की जाती है ।

2. तेल कम्पनियों को सलाह दी गई है कि वह वितरकों के गोदामों, शो-रूमों तथा पारगमन में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों की जाँच को और तेल करें तथा जो वितरक कम वजन के सिलेण्डर सप्लाई करते पाये जायें उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये ।

3. उपरोक्त सावधानियों के बावजूद अगर इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उन पर जैसा आवश्यक हो उचित कार्यवाही की जाती है ।

कच्चे तेल का उत्पादन

1034. **श्री छांगुर राम** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कच्चे तेल की मांग के मुकाबले उत्पादन की वर्तमान दर क्या है;

(ख) 1973 से अब तक मांग और पूर्ति का अन्तर दूर करने के लिए कितनी मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया जा रहा है और इसके आयात के बदले देश की कितनी मुद्रा का भुगतान करना पड़ा ; और

(ग) तेल के उत्पादन में आत्म-निर्भरता के लिए देश में तेल की खोज में तेजी के लिए सरकार ने कौन से कार्यक्रम, यदि कोई हैं तो हाथ में लिए हैं और अब तक प्राप्त परिणाम क्या हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण पत्र प्रस्तुत है :

(ग) प्रत्याक्षित क्षेत्रों में तेल का अन्वेषण करने और खोजे गए क्षेत्रों के उत्पादन को अनुकुलतम करने के लिए वार्षिक और पंच-वर्षीय योजनाएं तैयार की गई हैं । नए क्षेत्रों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इन्डिया लिमिटेड (इन्डिया) द्वारा अन्वेषण कार्य आरम्भ करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । इन प्रयत्नों को बढ़ाने के लिए बाहरी पार्टियों को देश में तेल अन्वेषण कार्य में अपनी रुचि प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया है ।

तेल अन्वेषण और उत्पादन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और आत्म-निर्भरता तेल की खोजी गई वास्तविक मात्रा पर निर्भर करेगी ।

विवरण

वर्ष 1973 से खनिज तेल की मांग, उत्पादन और आयात

मात्रा: मिलियन मीट्रिक टनों में
मूल्य करोड़ रुपयों में

वर्ष	मांग (मात्रा)*	देशीय उत्पादन	आयात	
			मात्रा	सी०आई०एफ० में मूल्य
1	2	3	4	5
1973	20.5	7.2	13.4	244.6
1974	20.8	7.5	14.0	899.4
1975	21.8	8.3	13.6	992.0

*वास्तविक खनिज तेल उत्पादन के रूप में मांग ।

1	2	3	4	5
1976	22.8	8.7	13.9	1145.6@
1977	24.4	10.2	14 5	1258.9@
1978	25.6	11 3	14.9	1243.9@
1979	28.2	12.8	15.4	1786.8@
जनवरी-सितम्बर, 80	18.9@	7.0@	11.9@	2192.5@

@ अस्थायी ।

हार्ड कोक में काला बाजारी

1035. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हार्ड कोक में कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : सरकार को हार्ड कोक में कालाबाजारी होने की कोई जानकारी नहीं है । वी हाइव किस्म के हार्ड कोक की उपलब्धि में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पहली अक्तूबर, 1980 से इस कोयले की पहले तीन महीने तक प्रायोगिक आधार बिना किसी नियंत्रण के बिक्री करने के लिए व्यवस्था की गई है ।

अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के लिये प्रोन्नति के अवसर

1036. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या विधि, **न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** दिल्ली के सिविल और सेशन न्यायालयों के कर्मचारियों के लिए प्रोन्नति के अवसरों के बारे में 10 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 258 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारिों के लिए प्रोन्नति के अवसर अभी भी कम हैं तथा दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रवृत्त कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इनको कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा और सरकार ने अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के लिए प्रोन्नति के अवसर इस समय कम हैं तथा ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तों को सुधारने के लिए प्रारूप नियमों की समीक्षा की जा रही है और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली उच्च न्यायालय से परामर्श करके इन नियमों की समीक्षा कर रहा है और उन्हें अंतिम रूप दे रहा है।

जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने में सहायता के लिए विदेशी विशेषज्ञ

1037. **श्री के० राममूर्ति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों को काम पर लगाया गया है ;

(ख) वे कौन-कौन सी जल विद्युत परियोजनाओं में कार्य कर रहे हैं; और

(ग) कितनी जल विद्युत परियोजनाएं ऐसी हैं जिनको आरम्भ हुए 10 वर्ष हो चुके हैं लेकिन वे अभी तक अधूरी हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) जल विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्र करने के लिए निर्माण कार्य के कुछ विशिष्ट और चुने हुए क्षेत्रों में विदेशी विशेषज्ञता का सहयोग लेने का विचार है। प्रस्तावों की जांच की जा रही है। शुरू किए जाने के 10 वर्ष बाद भी जो जल विद्युत परियोजनाएं अधूरी हैं, उनका विवरण दिया गया है।

विवरण

जल विद्युत परियोजनाएं (निर्माणाधीन) जो शुरू किए जाने के 10 वर्ष बाद भी पूरी नहीं हुई

क्रम सं०	परियोजना और क्षमता (मेगावाट)	शुरू करने की तारीख	अब की जा रही परिकल्पना के अनुसार कार्य पूरा होने की संभावित तारीख	विलम्ब के कारण तथा वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	यमुना-चरण-II (4×60+4×30 मेगावाट)	66-67	82-83	चिब्रो परियोजना के नाम से जाना जाने वाला इस परियोजना (4×60 मेगावाट) का भाग-I पूरा हो चुका है तथा खोडरी नाम से जाना जाने वाले परियोजना के भाग-II की हैडरेस सुरंग में भूवैज्ञानिक समस्याओं के कारण

1	2	3	4	5
				देरी हुई है। एक किलोमीटर के नाजुक क्षेत्र में एक सुरंग के स्थान पर अब तीन छोटी-छोटी सुरंगे बनाने की योजना है। एक सुरंग की खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है तथा अन्य दो पर कार्य प्रगति पर है और दिसम्बर, 1982 तक कार्य पूरा होने की आशा है। उत्पादन यूनिटें के उत्थापन कार्य पूरे हो गए हैं तथा हैडरेस सुरंग के निर्माण कार्य पूरे होने के बाद ये यूनिट चालू किए जायेंगे।
2.	मानेरी भालेव चरण-I (3 × 30 मेगावाट)	66-67	82-83	हैडरेस सुरंग में भूवैज्ञानिक समस्याओं और भागीरथ नदी में अभूतपूर्व बाढ़ के कारण इस परियोजना के कार्य में देरी हुई है। हैडरेस सुरंग का 400 मीटर का बाकी का कार्य दिसम्बर, 1982 तक पूरा होने की आशा है क्योंकि भूवैज्ञानिक परिस्थितियों के कारण प्रगति अत्याधिक धीमी है। यूनिट के उत्थापन और पेन स्टाक के कार्य प्रगति पर हैं तथा आशा है कि परियोजना 82-83 के अन्त तक पूरी हो जाएगी।
3.	बैरा स्यूल (3 × 60 मेगावाट)	69-70	81-82	प्रतिकूल भूवैज्ञानिक परिस्थितियों और भारी भूस्खलन के कारण परियोजना के निर्माण कार्य में देरी हुई है। दो उत्पादन यूनिटें चालू किए जा चुके हैं और तीसरे यूनिट के उत्थापन का कार्य पूरा हो चुका है तथा 183 मीटर पेन-स्टाक की प्रतिष्ठापना और स्फेरिकल वाल्व का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् इसे रोल किया जायेगा। यह कार्य प्रगति पर है। तथापि इस परियोजना से पूरा-पूरा लाभ बैरा बांध

1	2	3	4	5
				और परस्पर जोड़ने वाली भालेध फीडर सुरंग के पूरा हो जाने पर मिलेगा। इनका निर्माण कार्य प्रगति पर है और 81-82 के दौरान इनके पूरा होने की आशा है।
4.	श्रीशैलम (4×110 मेगावाट)	63-64	82-83	परियोजना के निर्माण में बिलम्ब होने के मुख्य कारण हैं, प्रशासनिक समस्या, बिजलीघर और टेल रेस सुरंग के क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक समस्याएं तथा बांध के निर्माण कार्य में श्रमिक समस्या। बांध और टेल रेस सुरंग पर कार्य प्रगति पर है तथा जून, 81 तक इनके तैयार हो जाने की आशा है। 81-82 और 82-83 से उत्पादन यूनिटें भी इस स्थिति में होंगी कि इन्हें चालू किया जा सके।
5.	लोकतक (3×35 मेगावाट)	69-70	82-83	भूवैज्ञानिक समस्याओं और हैडरेस सुरंग में मिथेन [गैस पाए जाने के कारण परियोजना के निर्माण में देरी हुई है। सुरंग की 1500 मीटर की बाकी खुदाई का कार्य प्रगति पर है। बर्तमान कार्यक्रम के अनुसार यह कार्य सितम्बर, 1982 तक पूरा हो जाने की आशा है। सभी विद्युत उपस्कर स्थापित कर दिए गए हैं और दिसम्बर, 82 में हैड रेस सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् इनको चालू किया जा सकता है।

प्रोसेसिंग के लिए फिल्म प्रभाग का यूनिट

1038. **श्री पी० राजगोपाल नायडु :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोसेसिंग के लिए फिल्म प्रभाग का अपना एक यूनिट है ; और

(ख) क्या अब यह आत्मनिर्भर है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) फिल्म प्रभाग से दिल्ली में एक फिल्म विधायन प्रयोगशाला स्थापित की है जो इस समय प्रयोगात्मक अवस्था में है ।

(ख) यह प्रयोगशाला दिल्ली से निकलने वाला समूचा सादा विधायन कार्य करेगी इसके अलावा, यह फिल्म प्रभाग, बम्बई के भी कुछ सादे कार्य को भी कर सकेगा ।

कम्पनियों का निरीक्षण

1039. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 50,000 कम्पनियां हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कम्पनी अधिनियम की धारा 209 के अधीन इन कम्पनियों का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान केवल 5 प्रतिशत कम्पनियों का ही निरीक्षण किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इन कम्पनियों का प्रभावपूर्ण ढंग से निरीक्षापन करने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 31 मार्च 1980 को देश में 55,780 कम्पनियां थीं ।

(ख), (ग) तथा (घ) सभी कम्पनियों का प्रतिवर्ष निरीक्षण करना आवश्यक नहीं है। 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 के वर्षों के मध्य निरीक्षण की गई कम्पनियों की कुल संख्या निम्न प्रकार हैं :—

1976-77	421
1977-78	405
1978-79	389

कम्पनी अधिनियम की धारा 209क के अन्तर्गत निरीक्षण, विशेष योजनाओं के अन्तर्गत जैसे, प्रथम बीस वृहद् औद्योगिक घरानों की कम्पनियों, विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक

कम्पनियों व शाखाओं, तीन अथवा अधिक वर्षों से लगातार हानियां उठा रही कम्पनियों तथा उन कम्पनियों, जिनके बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, के निरीक्षण, चयनात्मक आधार पर किये जाते हैं। इनके अतिरिक्त, कम्पनी रजिस्ट्रार भी समय-समय पर सीमित संख्या में कम्पनियों के निरीक्षण करते हैं।

यदि सभी कम्पनियों का प्रतिवर्ष निरीक्षण किये जायें तो इस उद्देश्य के लिए बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी नियुक्त करने होंगे। तथापि, इसके लाभ व्यय को जाने वाली लागत के समनुरूप नहीं होंगे।

औषध उत्पादन को विनियमित करने के लिए नीति का पुनरीक्षण

1040. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी कम्पनियों द्वारा अपनी अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक अथवा 1977 व 1978 के अधिकतम उत्पादन अथवा दोनों में जो अधिक है उतने उत्पादन को विनियमित न करने की सरकारी नीति को बदलने के विशेष कारण क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी औषध कम्पनियों के प्रवक्ता—ओ० पी० पी० आई० ने इस निर्णय से पूर्व सरकार को एक ज्ञापन दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो उस ज्ञापन में क्या मुद्दे उठाए गए थे ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) औषध नीति 1978 के अन्तर्गत लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक उत्पादन को नियमित करने के बारे में किए गए निर्णय के विशेष संदर्भ में लाईसेंस शुदा क्षमता से अधिक स्थापित क्षमता को मान्यता देने के बारे में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा अगस्त 1980 में घोषित किए गए सरकार के निर्णय को लागू करने के प्रश्न की सम्बन्धित विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।

(ख) ओ० पी० पी० आई० ने 2-6-1980 को सरकार को एक ज्ञापन दिया था।

(ग) ज्ञापन में उठाए गए प्रमुख मुद्दों को पहले ही दिनांक 29 जुलाई, 1980 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-6016 के भाग (क) और (ग) से (च) के उत्तर में सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया है।

उद्योगों में तेल के स्थान पर "कोल गैस" का प्रयोग किया जाना

1041. **श्री निरेन घोष** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों में तेल के स्थान पर "कोल गैस" का प्रयोग उपयुक्त है ;

(ख) यदि हां, तो कोयला गैसीफिकेशन सन्यन्त्रों की अब तक स्थापना क्यों नहीं ह गई है ;

(ग) क्या अब प्राथमिकता के आधार पर कोयला गैसीफिकेशन सन्यन्त्रों के लगा का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) यह बात मान्य हो चुक है कि कोयला अब मुख्यतया "कोयला आधारित गैस" के रूप में खनिज तेलों से उत्पन्न पदार्थ का स्थान कुछ कामों के लिए ले सकता है; जैसे उर्वरक का उत्पादन, ईंधन तेल/मिट्टी तेल के लिए मेथानोल का स्थान लेना, आदि । कोयले पर आधारित नगर गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस और मिट्टी के तेल के स्थान पर घरेलू उपयोग के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। सरकार ने दानकुनी (प० बंगाल) में 49 करोड़ रुपये की लागत से एक निम्न ताप कार्बनीकरण संयंत्र की स्थापना के लिए अनुमोदन दे दिया है—यह संयंत्र कलकत्ता क्षेत्र के लिए धुआंरहित घरेलू ईंधन और टाउन गैस का उत्पादन करेगा । दानकुनी सन्यन्त्र में पूंजी निवेश और वितरण पाइप लाइन की स्थिति तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक और कार्यसाध्य पाई गई है और यहां प्राप्त अनुभव के आधार पर अन्य परियोजनाओं के लिए विचार किया जाएगा ।

अशोधित तेल के स्टाक की प्रतिपूर्ति

1042. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने स्टाक की प्रतिपूर्ति के लिए 5 लाख मीट्रिक टन अशोधित तेल के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों ने टेंडर दिए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) हाल तत्काल विवाद के आधार पर चालू वर्ष के दौरान 1.27 मिलियन मी० टन कुल मात्रा की खरीद की है । यह तत्काल खरीद आई० ओ० सी० द्वारा जारी किए गए टैण्डर पूछताछ के आधार पर की गई है । इससे अधिक ब्यौरे देना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा ।

लेह स्टेशन की रेंज

1043. **श्री पी० नामग्याल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के लेह केन्द्र की प्रभावकारी रेंज मुश्किल से लगभग 40 कि०मी की है और इसकी कैपेस्टी केवल 10 कि० वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लद्दाख का बड़ा भाग विशेषकर दिन के समय उसका प्रसारण नहीं सुन पाते और उन्हें मजबूरी में रेडियो ल्हासा (तिब्बत) और पाकिस्तान अधिकृत कशमीर के तथाकथित आजाद कशमीर रेडियो आफ पाकिस्तान को सुनना पड़ता है ;

(ग) क्या ल्हासा रेडियो और तथाकथित आजाद कशमीर रेडियो द्वारा प्रसारित प्रबल झूठे प्रचार (का सामना करने के लिए शार्ट वेव ट्रांसमीटर स्थापित करने का वहां पर सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि उपरोक्त (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो कब और यदि उत्तर नकारात्मक हो तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) लेह में आकाशवाणी केन्द्र मीडियम वेव के मध्यम शक्ति वाले एक ट्रांसमीटर जो लेह और इसके आस-पास के क्षेत्रों को प्राथमिक ग्रेड की दिवाकालीन सेवा प्रदान करता है से सुसज्जित है। इस क्षेत्र में पहाड़ी इलाके होने के कारण लेह केन्द्र की प्रभावी वास्तविक परिधि सीमित है।

(ख) यह सही है कि लद्दाख के अधिकांश क्षेत्र आकाशवाणी लेह की प्राथमिक ग्रेड की सेवा द्वारा पर्याप्त रूप से कवर नहीं होते। तथापि इन क्षेत्रों में रेडियो ल्हासा (तिब्बत) और पाकिस्तान के ट्रांसमीटरों के संग्रहण के बारे में कोई प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) लेह में 50 कि० वाट शार्ट वेव का एक ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव संशोधित "योजना" (1980-85) के प्रारूप में शामिल किया गया है जो अब विचाराधीन है। तथापि, इस स्कीम का कार्यान्वयन "योजना" की स्वीकृति संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

कानूनी सहायता के लिए दी गई निधि

1044. **श्री विलास मुत्तेमवार :**

श्री चित्त बसु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोगों को कानूनी सहायता के लिए वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के लिए की गई निधियों का वस्तुतः उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) लोगों को कानूनी सहायता देने से संबंधित आवश्यक विधेयक संसद में कब तक पेश कर दिया जाएगा।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान कानूनी सहायता के लिए बजट में केवल एक लाख रुपय के प्रतीक अनुदान की व्यवस्था थी। केन्द्रीय बजट में पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई थी और इसका आशय यह दर्शित करना था कि सरकार ने कानूनी सहायता देने की आवश्यकता को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। इस धन का व्यय नहीं किया जा सका क्योंकि यह आवश्यक समझा गया कि लोक धन को खर्च करने से पूर्व आवश्यक रक्षोपाय सहित कानूनी सहायता की एक उचित स्कीम तैयार कर ली जाए।

(ख) इस संबंध में अभी यह बताना संभव नहीं है कि कानूनी सहायता से संबंधित विधान कब पुनः स्थापित किया जाएगा किन्तु कानूनी सहायता स्कीमें विधान के बिना भी क्रियान्वित की जा सकती है। यह उल्लेखनीय है कि व्यापक कानूनी सहायता स्कीमें विस्तार से तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में एक छोटी उच्च शक्ति प्राप्त समिति 26 सितम्बर, 1980 के संकल्प द्वारा गठित की गई है।

इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड में रिक्त पदों को भरने का आधार

1045. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों को भरने का आधार क्या है ; और

(ख) क्या लोगों की भर्ती करते समय लोक उद्यम ब्यूरो (बी० पी० ई०) के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन किया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) विभिन्न स्तरों पर कम्पनी में रिक्त स्थान सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या सरकार से अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से प्रति नियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं। सीधी भर्ती इस प्रकार की जाती है :—

1. जो लोग कम्पनी के समाचार पत्रों में या अन्य स्थानों पर छपे विज्ञापनों के संदर्भ में आवेदन करते हैं ;

2. वे लोग जिन्हें रोजगार कार्यालय, सरकारी उद्यम कार्यालय या डी. जी. ई. टी. के सरप्लस सैल द्वारा प्रति भूत किया जाता है ;

3. सी. एस. आइ. आर. के वैज्ञानिक पूल के लोग ;

4. कम्पनी का फालतू स्टाक या अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी विभागों का फालतू स्टाक ;

5. रक्षा सेवाओं से मुक्त हुए कर्मचारी ;

6. ई. आई. एल. के वर्तमान कर्मचारी ।

कम्पनी में पदोन्नति विधिवत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है ।

(ख) भर्ती नियम मुख्य रूप से वी. पी. ई. की मार्गदर्शक रूपरेखा पर आधारित है ।

बम्बई हाई में तेल का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव

1046. **श्री सूर्यनारायण सिंह :**

श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री जनार्दन पुजारी : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई हाई से तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेशी तेल कम्पनियों के प्रस्तावों पर विचार करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उस पर सरकार का निर्णय क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) कोई विस्तृत प्रस्ताव नहीं बल्कि 2 वर्ष की अवधि के भीतर बम्बई हाई और ऐटेलाइट संरचना से प्रतिवर्ष 5 मिलियन मिट्रिक टन अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करने हेतु सहयोग करने के लिए एक विदेशी कम्पनी की ओर से सुझाव प्राप्त हुए हैं । उनसे और अधिक विस्तृत ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ।

कोयले की कीमत में वृद्धि

1048. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के विभिन्न भागों में कोयला 20 रु० प्रति मन के भाव पर बेचा जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि कोयले के मूल्य में इस अभूतपूर्व वृद्धि ने आम आदमी पर भारी असर डाला है; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) और (ख) भागों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो उसकी कीमत में कमी लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सरकार खानमुहानों पर बिक्री के लिए कोयले की कीमत निश्चित करती है । उपभोक्ताओं के लिए कोयले की कीमत में कोयले की खान मुहाना कीमत विभिन्न देय कर, परिवहन और रखरखाव के खर्च आदि शामिल हो जाते हैं और यह भिन्न-भिन्न स्थानों पर अलग-अलग रहती है ।

कोयले की ढुलाई के लिए रेल वैगनों की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ताओं को सड़क से कोयला ले जाना पड़ता है जिसकी लागत कहीं अधिक ज्यादा आती है । परिणामस्वरूप गन्तव्य स्थान की दूरी आदि पर निर्भर करते हुए कोयले की कीमत रु० 15 से लेकर रु० 20 तक रहती है । उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले कोयले की लागत में कमी करने की दृष्टि से इस बात के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि कोयले की ढुलाई रेलवे वैगनों से अधिक मात्रा में की जाए ।

कोयले के लिए लागत सहित मूल्य फार्मूला

1049. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यमों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने कोयले के लिए 'लागत सहित' मूल्य फार्मूले की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो कोयले के बारे में इस समिति की अन्य सिफारिशें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) "सरकारी उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति" की कोल इंडिया लि० के सम्बन्ध में रिपोर्ट अभी हाल ही में प्राप्त हुई है और उसकी सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण

1050. **श्री चित्त बसु** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण में न केवल विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए वरन स्थानीय आदिवासी जनता के कल्याण के सम्वर्द्धन के लिए भी इस क्षेत्र के समेकित विकास का कार्य आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र के समेकित विकास के उद्देश्य को कहां तक पूरा किया गया है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पो० के० युंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दण्डकारण्य क्षेत्र के समेकित विकास में, भूमि का सुधार व विकास, कृषि कार्यों का सम्वर्द्धन, सिंचाई सुविधाओं का सृजन, यातायात के साधनों में सुधार, चिकित्सा और शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था तथा औद्योगिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप शामिल हैं । इन क्षेत्रों में किया गया विकास नीचे दिया गया है :—

I. भूमि सुधार	1,69,189 एकड़ (इसमें 31,298 एकड़ आदिवासियों के लिए)
II. सिंचाई परियोजनाएं निष्पादित/निष्पादनाधीन	
(क) पोटेरू सिंचाई परियोजना	(सिंचाई क्षमता —2,70,000 एकड़)
(ख) सतीगुडा बांध परियोजना	(सिंचाई क्षमता— 33,600 एकड़)
(ग) परखमेकोट बांध परियोजना	(सिंचाई क्षमता— 36,000 एकड़)
(घ) भास्कल बांध परियोजना	(सिंचाई क्षमता— 11,000 एकड़)
(ङ) लघु सिंचाई योजनाएं (44 योजनाएं)	(सिंचाई क्षमता— 9,000 एकड़)
III. निर्मित/सुधार की गई सड़कें	
(क) मुख्य सड़कें	561·40 कि०मी०
(ख) सम्पर्क सड़कें	821·75 कि०मी०
(ग) ग्रामीण सड़कें	406·14 कि०मी०
(घ) आदिवासी सड़कें	295·40 कि०मी०
IV. स्थापित किए गए चिकित्सा संस्थान	
(क) अस्पताल/प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र	10
(ख) औषधालय	3
(ग) चल यूनिटें	24
(घ) चिकित्सा उप केन्द्र	20
(ङ) प्राथमिक सहायता केन्द्र	51

V. स्थापित किए गए स्कूल

(क) प्राथमिक	307
(ख) माध्यमिक	31
(ग) हाई/उच्चतर माध्यमिक	8

VI. औद्योगिक क्रियाकलापों का विकास

(क) कार्य कर रहे औद्योगिक सेवा केन्द्र	३
(ख) खादी व ग्राम्य उद्योग आयोग द्वारा स्थापित किए गए नए नमूने के चर्खे की यूनिटें	2
(ग) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा स्थापित किए गए बेंत व बांस के कार्यों में उच्च प्रशिक्षण केन्द्र ।	1

इस प्रकार परियोजना की आवश्यकताओं के अनुकूल, इस क्षेत्र के समेकित विकास के लक्ष्य को काफी हद तक प्राप्त कर लिया है ।

निर्वाचन सुधार

1051. **श्री आर० पी० गायकवाड :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्वाचन सुधार संबंधी मामले पर, जिसमें विधायकों को वापस बुलाने के अधिकार और मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना भी सम्मिलित है, सक्रिय रूप से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चालू सत्र अथवा बजट सत्र के दौरान एक व्यापक कानून बनाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों के विभिन्न प्रस्तावों पर, जिनके अन्तर्गत विधायकों को वापस बुलाने के अधिकार के तथा मतदान की आय को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव भी हैं, सरकार को अभी विनिश्चय करना है ।

निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों के विभिन्न प्रस्तावों पर न केवल इनके पूरे आशय और इनमें निहित अर्थों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है बल्कि-राजनीतिक दलों और कुछ मामलों में राज्य सरकारों के साथ भी विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। प्रस्तावों की प्रकृति और उनके दूरगामी प्रभाव तथा परामर्श करने में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसको देखते हुए यह बताना सम्भव नहीं है कि इस विषय पर संसद के समक्ष व्यापक विधान कब लाया जाएगा।

अनापाड़ा, उत्तर प्रदेश में 1000 मेगावाट पन-बिजली केन्द्र की स्थापना के लिए जापान से प्रस्ताव

1052. **जैनुल बशर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान से उत्तर प्रदेश के अनापाड़ा स्थान पर एक 1000 मेगावाट का पन बिजली केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव मान लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सितम्बर, 1980 में सूचित किया था कि आर्डर देने की तारीख से 40 महीने के अन्दर-अन्दर अनपारा में 2×500 मेगावाट के सेट प्रतिष्ठापित करने तथा अनपारा 'बी' ताप विद्युत केन्द्र की पहली यूनिट को चालू करने के अनुरूप ही लिंक कोयला खानों को विकसित करने के लिए मैसर्ज मितसुई एण्ड कम्पनी लि०, टोकियो, जापान ने एक टर्नकी प्रस्ताव उनके पास भेजा है।

(ग) और (घ) अनपारा 'बी' के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति की प्रतीक्षा है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में इस स्कीम पर कार्यवाही की जा रही है, और प्राधिकरण की अगली बैठक में इस पर विचार किया जा सकेगा। स्कीम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर दिए जाने तथा योजना आयोग द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने के बाद मैसर्ज मितसुई से प्राप्त प्रस्ताव पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

कलकत्ता तथा अन्य नगरों में कोल इन्डिया लि० द्वारा स्थापित लाइसेंस शुदा कोयले के भन्डार

1053. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियन्त्रित मूल्यों पर कोयला बेचने के लिए कलकत्ता तथा अन्य नगरों में कोल इन्डिया लि०, द्वारा कितने लाइसेंस शुदा कोयले के भण्डार स्थापित किए गए हैं ;

(ख) इन भण्डारों से उपभोक्ताओं को किस मूल्य पर कोयला बेचा जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कदाचार के कोई समाचार मिले हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार कोयले की तस्करी की समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अधिकार देने पर विचार कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोल इन्डिया लि० कलकत्ता/ हावड़ा क्षेत्र में सौफ्ट कोक के वितरण के लिए 5 टाल चला रही हैं। उनमें से हावड़ा के एक टाल के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने लाइसेंस दिया था। कलकत्ता में 4 अन्य टाल पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसार चल रहे हैं।

(ख) इन टालों से लाइसेंस प्राप्त डीलरों को सौफ्ट कोक रु० 9/-प्रति 40 किलो ग्राम की दर से इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि वह इसको उपभोक्ताओं को जिस कीमत पर बेचेंगे वह रु० 11/- प्रति 40 किलोग्राम से अधिक नहीं होगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कोयले के अन्तर-राज्य संचलन का विनियमन करने की शक्ति राज्य सरकारों को देने के प्रश्न पर विचार किया गया है किन्तु ऐसा करना साध्य नहीं समझा गया।

इडुक्की पन-बिजली परियोजना के दूसरे चरण के लिए तकनीकी सहयोग

1054. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत मंत्री, केरल सरकार ने अपनी हाल की कनाडा यात्रा के पश्चात् इडुक्की पन-बिजली परियोजना के दूसरे चरण के लिए तकनीकी सहयोग के बारे में भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनियों के अंशकालिक निदेशकों के लिए परिलब्धियां

1055. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कम्पनियों के कुछ अंशकालिक निदेशक को अनधिकृत धनराशियों और अन्य परिलब्धियों की अदायगी के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में इस प्रकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनका पूरा ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के अंशकालिक निदेशकों को भत्तों तथा अन्य परिलब्धियों की अदायगी के शासित करने वाले अन्य मार्गदर्शी निर्देश क्या हैं और उनको लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जाते हैं ;

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) कम्पनियों के अंशकालिक निदेशकों को अनधिकृत धन-राशियों तथा अन्य परिलब्धियों की अदायगी की किन्हीं शिकायतों की सरकार को कोई सूचना नहीं हैं।

(ग) एक ऐसे निदेशक, जो न तो पूर्ण-कालिक कर्मचारी हैं और ना ही प्रबन्ध निदेशक, के पारिश्रमिक की अदायगी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 309(4) के उपबन्धों के अन्तर्गत शासित होती है। इस उपबन्ध में उल्लेख है कि इस प्रकार के व्यक्ति को पारिश्रमिक, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक संदाय के रूप में, अथवा कमीशन के रूप में उस दशा में, जिसमें कि कम्पनी विशेष संकल्प द्वारा ऐसा संदाय प्राधिकृत करे, दिया जा सकता है। तथापि, ऐसे निदेशकों को, जहां कि एक से अधिक ऐसे निदेशक हों, वहां उन सबको मिला कर दिया जाने वाला पारिश्रमिक उस दशा में, जिसमें कि कम्पनी का कोई प्रबन्ध अथवा पूर्ण-कालिक निदेशक हो, कम्पनी के शुद्ध लाभों के एक प्रतिशत से, तथा किसी अन्य दशा में कम्पनी के शुद्ध लाभों के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। विभाग में इस बाबत कोई विशेष मार्ग-दर्शक सिद्धान्त नहीं बनाये गये हैं, तथा प्रत्येक मामले पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

फिल्म उद्योग विषयक कार्यदल की शिफारिशें

1056. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

श्री ए० के० राय : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म उद्योग विषयक कार्यदल ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय फिल्म नीति बनाने के लिए सिनेमा और फिल्म उद्योग के सम्पूर्ण प्रश्न का केन्द्रीय नीति और नियन्त्रण के अधीन लाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का उस पर क्या निर्णय है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय फिल्म नीति सम्बन्धी कार्य दल ने यह सिफारिश की है कि सिनेमा और फिल्म उद्योग के समूचे विषय को केन्द्रीय नीति और केन्द्रीय नियंत्रण के अधिकार क्षेत्र में लाया जाना चाहिए, मामले में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है । उनके परामर्श से सरकार द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

बड़क बांध परियोजना के लिए जांच

1057. **श्री संतोष मोहन त्वे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़क बांध परियोजना के लिये जांच कब शुरू की गई थी ;

(ख) परियोजना प्रतिवेदन को पूरा करने में और कितना समय लगेगा ; और

(ग) इस परियोजना के निर्माण कार्य की कार्यान्विति के लिए संभावित तारीख क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिक्रम महाजन) : (क) से (ग) उत्तर पूर्वी परिषद के अनुरोध पर टुईवाई नदी और बड़क नदी के संगम स्थल से ठीक नीचे तिपाइमुख पर एक उच्च बांध के अन्वेषण कार्य केन्द्रीय जल आयोग ने अक्टूबर, 1977 से शुरू किये थे । अन्वेषण कार्य प्रगति पर हैं। तथापि, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हो रहे वर्तमान उपद्रवों का प्रभाव कार्य की प्रगति पर पड़ा है अन्वेषण कार्य जून, 1981 तक पूरे हो जाने की आशा है तथा प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्ट दिसम्बर, 1982 तक तैयार हो जाने की आशा है ।

उम्मीद है कि परियोजना के पूरा होने में 8 से 9 वर्ष का समय लगेगा । इसमें सड़क, आवासीय कालोनियां आदि जैसी अवसंरचनाओं के निर्माण में लगने वाला समय भी शामिल है। परियोजना को चालू करने की तारीख को और नजदीक करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं ।

उड़ीसा में विद्युतीकृत गांवों की संख्या

1058. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है ;

(ख) अन्य राज्यों की तुलना में यह संख्या कितनी कम या अधिक है ; और

(ग) राज्य में विद्युतीकरण कार्य को तीव्र करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अगस्त 1980 के अन्त तक 17,439 गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है ।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गॉवों की कुल संख्या 31-8-80 तक विद्युतीकृत किए गए गांवों की संख्या तथा विद्युतीकरण के स्तर की प्रतिशतता को दिखाने वाला विवरण संलग्न है । यद्यपि कुछ राज्य ऐसे हैं, जो ग्राम विद्युतीकरण के 44.5% के राष्ट्रीय औपत से आगे बढ़ गये हैं किन्तु कई अन्य राज्य ऐसे भी हैं जो ग्राम विद्युतीकरण के मामले में उड़ीसा राज्य से काफी पीछे हैं ।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बनाये जाते हैं तथा उन्हीं के द्वारा कार्यान्वित किये जाते हैं । ग्राम विद्युतीकरण नियम, वित्तीय दृष्टि से जीवनक्षम तथा तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें बनाने में राज्य बिलजी बोर्ड की सहायता करता है और उनके लिए ऋण सहायता भी यह निगम उपलब्ध कराता है । राज्य के आदिवासी तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्कीमों की वित्त व्यवस्था के लिए नियम, उदार शर्तों पर निधियाँ उपलब्ध कराता है । उड़ीसा में वर्ष 1980-81 के लिए ग्राम विद्युतीकरण के लिए वित्त व्यवस्था करने हेतु योजना आयोग ने 9.60 करोड़ रुपये की राशि का आबन्टन किया है । इनमें से 6.30 करोड़ रुपये ग्राम विद्युतीकरण निगम के जरिए उपलब्ध कराये जाने हैं तथा 3.30 करोड़ रुपये राज्य के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने हैं । 1,600 नए गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । आशा है कि राज्य बिजली बोर्ड समस्त राशि का उपयोग करेगा तथा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा और इस प्रकार उड़ीसा राज्य में गांवों के विद्युतीकरण में तेजी आयेगी ।

विवरण

आबाद गांव जो विद्युतीकृत हो गये हैं – 1971 की गणना के अनुसार

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल गांवों की संख्या	31-8-1980 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव	31-8-80 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांवों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आंध्र प्रदेश	27,221	17,014 (×)	62.2
2.	असम	21,995	4,486	20 4
3.	विहार	67,566	20,628 (स)	30.5
4.	गुजरात	18,275	11,336	62.0
5.	हरियाणा	6,731	6,731	100,0
6.	हिमाचल प्रदेश	16,916	9,236 (द)	54.6
7.	जम्मू तथा काश्मीर	6,503	4,552 (×) (अ)	70.0
8.	कर्नाटक	26,826	16,378	61.1
9.	केरल	1,268	1,268	100 0
10.	मध्य प्रदेश	70,883	23,050	32.5
11.	महाराष्ट्र	35,778	26,028	72.7
12.	मणिपुर	1,949	322 (स)	16.5
13.	मेघालय	4,583	596 (स)	13.0
14.	नागालैंड	960	343	35.7
15.	उड़ीसा	46,992	17,439	37.1
16.	पंजाब	12,188	112,26 (=)	100.0
17.	राजस्थान	33,305	13,933 (ब)	41.8
18.	सिक्किम	215	75	3 4.9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.	त्रिपुरा	4,727	792	16.8
20.	उत्तर प्रदेश	1,12,561	39,664 (द)	35.2
21.	पश्चिम बंगाल	38,074	13,302	34 9
	जोड़ (राज्य)	5,71,251	2,54,870	44.6
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	390	101	25.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	2973	291	9.8
3.	चण्डीगढ़	26	26	100.0
4.	दादरा और नागर हवेली	72	52	72.2
5.	दिल्ली	243	243	100.0
6.	गोवा, दमन और दीप	409	355	86.8
7.	लक्ष्यद्वीव	10	9	90.0
8.	मिजोरम	229	27	11.8
9.	पांडिचेरी	333	333	100.0
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	4685	1437	30.7
	जोड़ (अखिल भारत)	5,75,936	2,56,307	44.5

(×)—अनन्तिम आंकड़े

(=)—62 गांवों को गैर-आबाद घोषित किया गया है ।

(अ)—31-12-1979 की स्थिति के अनुसार ।

(ब)—31-5-1980 की स्थिति के अनुसार ।

(स)—30-6-1980 की स्थिति के अनुसार ।

(द)—31-7-1980 की स्थिति के अनुसार ।

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाना

1059. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने झाबुआ और रतलाम के बीच गैस पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजा है ; और

(ख) उस पर अब तक क्या कार्यवाई की गई है और संयंत्र को कब तक स्थापित करने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) गैस पर आधारित 6 प्रस्तावित उर्वरक प्लाटों के लिए उपयुक्त स्थल का सुझाव देने के लिए एक स्थल चयन समिति नियुक्त की गई है। इनमें से एक प्लांट के मध्य प्रदेश में लगाये जाने की संम्भावना है। स्थल चयन समिति की सिफारिशें सरकार को प्राप्त होने के बाद ही प्लांट के सही स्थल के बारे में निर्णय लिया जायेगा ।

विज्ञापनों के संबंध में राज्यों को केन्द्रीय मार्गदर्शी निदेश

1062. **श्री हन्नान मोल्लाह** :

प्रो० रूप चन्द पाल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विज्ञापनों के संबंध में राज्य सरकारों को नये मार्गदर्शी निदेश जारी किये हैं ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार का विज्ञापनों के वितरण का सिद्धान्त क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को केन्द्रीय सरकार के विज्ञापन इस समय लागू विज्ञापन नीति, के विवरण की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है, में निहित सिद्धान्तों के आधार पर सरकार की विविध प्रचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिलीज किये जाते हैं।

विवरण

भारत सरकार की विज्ञापन नीति 1 अक्तूबर, 1980 से लागू

(क) प्रस्तावना

1. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों, और विभागों की ओर से विभिन्न समाचारपत्र/पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करवाता है। अनेक स्वायत्तशासी निकाय और सार्वजनिक उद्यम के विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से विज्ञापन देते हैं।

2. सरकारी विज्ञापनों का मूल उद्देश्य समाचार या सामयिक विषयों पर टिप्पणियां छापने वाले समाचारपत्रों तथा विज्ञान, कला, साहित्य, खेल, व फिल्मों की मानक पत्रिकाओं के माध्यम से यथासम्भव अधिक से अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रचार करना है। सरकारी विज्ञापन देते समय सम्बद्ध प्रकाशन को राजनीति प्रतिबन्धता या सम्पादकीय नीति पर ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर भी ऐसे समाचारपत्र/पत्रिकाओं को विज्ञापन नहीं दिए जायेंगे, जो साम्प्रदायिक भावना भड़काते हों या हिंसा का प्रचार करते हों, अथवा भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता पर आघात करते हैं या सार्वजनिक शालीनता और नैतिक आदर्शों सम्बन्धी सर्वमान्य परम्पराओं पर आघात करते हों।

(ख) 1. नीति निर्देश : सरकारी नीति में प्रचार की आवश्यकताओं और धन की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए विज्ञापनों का एक संतुलित और सम्यक आधार पर वितरण का ध्येय रखा जाता है। सरकारी विज्ञापनों का प्रयोजन, किसी समाचारपत्र/पत्रिका को आर्थिक सहायता देना नहीं है। सरकार के व्यापक सामाजिक उद्देश्यों का अनुसरण करते हुए और विभिन्न श्रेणियों की पत्र/पत्रिकाओं के बीच दरों में समानता लाने के उद्देश्य से निम्न प्रकार की पत्र/पत्रिकाओं की उपलक्षधन (वेटेज) दिया जायेगा या उनके प्रति उदारता बरती जा सकती है :—

(अ) छोटे और मंझोले समाचारपत्र/पत्रिकाएं।

(आ) विशेष सामग्रीयुक्त, वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाएं।

(इ) भाषाई समाचार पत्र/पत्रिकाएं।

(ई) पिछड़े, दूरस्थ एवं सीमावर्ती स्थानों से प्रकाशित पत्र/पत्रिकाएं

2. छोटे मझोले व बड़े समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है :—

(अ) छोटे —जिनकी प्रसार संख्या 15,000 प्रति अंक तक हो।

(आ) मझोले—जिनकी प्रसार संख्या 15,000 से 50,000 प्रति अंक के बीच हो।

(इ) बड़े—जिसकी प्रसार संख्या 50,000 प्रति से अधिक हो ।

3. सरकारी विज्ञापन देते समय समाचारपत्र/पत्रिकाओं के चयन में नीचे लिखी बातों का ध्यान रखा जाएगा :—

(अ) समाज के सभी वर्गों के पाठकों तक विशेषतः राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियानों को पहुंचाना ।

(आ) विज्ञापन में निहित सन्देश आधार पर प्रचार अभियानों को समाज के सम्बद्ध विशिष्ट वर्ग तक पहुंचाना । छोटे और मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों को प्रेरक तथा शिक्षाप्रद अभियानों के बारे में विज्ञापन देने का विशेष ध्यान रखा जाएगा ।

(इ) समाचारपत्र/पत्रिकाएं/प्रकाशन की कोई अन्य श्रेणी जिन्हें सरकार समय-समय पर उचित समझें ।

(ई) घरेलू पत्र-पत्रिकाओं तथा स्मारिकाओं को सरकारी विज्ञापनों के लिए आमतौर से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ।

4. वि० द्० प्र० नि० ऐसे समाचारपत्र/पत्रिकाओं का उपयोग करेगा जिनकी न्यूनतम विक्रीत प्रसार संख्या कम से कम 1000 है, फिर भी निम्नलिखित दशाओं में इस सम्बन्ध में छूट दी जा सकती है:—

(अ) विशिष्ट/वैज्ञानिक/तकनीकी पत्र-पत्रिकाएं जिनकी ग्राहक संख्या कम से कम 500 प्रतियां प्रति अंक हो ।

(आ) संस्कृत के समाचारपत्र/ पत्रिकाएं और पिछड़े क्षेत्र के साथ ही सीमान्त प्रदेश व दुर्गम क्षेत्र से अथवा जन जातीय भाषा या जन जातीय लोगों के लिए छपने वाला पत्र/पत्रिकाएं, जिनकी विक्रीत प्रसार संख्या कम से कम 500 प्रति अंक हो ।

5. समाचारपत्र/पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन दिए जाने पर तभी विचार किया जा सकता है जब उनका 4 महीने तक नियमित और अनवरत प्रकाशन होता रहा हो और प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 का पालन किया गया हो । त्रैमासिक पत्रिकाओं के विषय में कम से कम 2 अंक प्रकाशित हो जाने के बाद विचार किया जा सकेगा ।

6. समाचारपत्र/पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन पाने का पात्र बनने के लिए निम्नांकित न्यूनतम मुद्रित स्थान होना चाहिए :—

आवृति	न्यूनतम मुद्रित स्थान
दैनिक	760 मानक कालम से० मी०

साप्ताहिक और पाक्षिक	480 मानक कालम से० मी०
मासिक और अन्य पत्रिकाएं	960 मानक कालम से० मी०

ऐसे समाचारपत्र/पत्रिकाओं को छूट दी जा सकती है जो जन-जातीय भाषा या मुख्यतः जन-जातीय लोगों के लिए प्रकाशित होते हैं।

7. सभी समाचारपत्र/पत्रिकाओं की प्रसार संख्या किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या लेखाओं से सम्बन्धित किसी व्यावसायिक और प्रतिष्ठित निकाय या संस्था से प्रमाणित होनी चाहिए। लेकिन जिन समाचारपत्रों की प्रसार संख्या प्रति अंक 2000 प्रतियों तक है वे किसी सनदी लेखापाल (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) या सम्बद्ध जिला दण्डाधिकारी (मैजिस्ट्रेट) से प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते है। यदि किसी समाचारपत्र/पत्रिका की प्रसार संख्या गलत सिद्ध होगी तो उसे सरकारी विज्ञापनों के लिए अयोग्य घोषित करने के अलावा सरकार उन पर अलग से भी कोई ऐसी कार्यवाही कर सकती है, जिसे वह उचित समझे।

(ग) **विज्ञापन दर :**

सरकारी विज्ञापनों के लिए दरों का ढांचा वि० दृ० प्र० निदेशालय द्वारा उन सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया जाएगा, जिनकी व्याख्या ऊपर दी गई है। वि० दृ० प्र० नि० अलग अलग पत्र-पत्रिकाओं के साथ यथोचित दरों पर अनुबन्ध करेगा।

कुवैत द्वारा कच्चे तेल का विक्रय

1063. **श्री आर० प्रभु :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत भारत को उसकी कच्चे तेल की तात्कालिक आवश्यकता पूरी करने के लिए कच्चा तेल बेचने पर सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) जी, हां। कोई भी और विस्तृत ब्यौरे देना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

कच्चे तेल के स्टाक की स्थिति

1064. **श्री ई० बालानन्दन :**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल की मास-वार स्टाक-स्थिति क्या है और गत छः महीनों में राज्यवार इसका कितना वितरण हुआ है ; और

(ख) कच्चे तेल की कुल भाण्डारण क्षमता कितनी है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) गत छः महीनों के दौरान अशोधित तेल के हमारे स्टाक की स्थिति आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त रही है ।

भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

1065. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजस्थान में पाली जिले के सेन्दरा गांव (तहसील रायपुर) में भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने का निर्णय किया था और इस प्रोयजन के लिए भूमि भी अर्जित की थी यदि हां, तो बयावर (जिला अजमेर) में ये क्वार्टर बनाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या यह सच नहीं है कि सेन्दरा में क्वार्टर बनाने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां थीं और इस निर्णय को बदलने के क्या कारण हैं और क्या भविष्य में सेन्दरा में क्वार्टर बनाये जायेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सेन्दरा में अपने कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण करने के लिए न सरकार ने और न इन्डियन आयल कार्पोरेशन ने भूमि अधिग्रहण करने का कोई निर्णय किया गया था । सेन्दरा में भूमि का अधिग्रहण केवल पम्प स्टेशनके लिए किया गया था बयावर को मकानों के स्थान के रूप में चुना गया है क्योंकि यह एक नागरिक सुविधाओं वाला एक विकसित कस्बा है ।

(ख) सेन्दरा को मकानों के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया क्योंकि यहां एक छोटा सा गांव है जिसमें नागरिक सुविधाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा और खरीदने की सुविधायें नहीं हैं । वहां पर उपलब्ध भूमि भी बिल्कुल उपयुक्त नहीं थी । इन्डियन आयल कार्पोरेशन का फिल्हाल निकट भविष्य में सेन्दरा में मकानों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कर्नाटक राज्य में मिट्टी के तेल की कमी

1066. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कर्नाटक राज्य में मिट्टी के तेल की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य को गत चार महीनों में सप्लाई किए गए मिट्टी के तेल के बारे में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सब राज्यों को, जिसमें कर्नाटक भी शामिल है, मिट्टी के तेल का मासिक आवंटन इस उत्पाद की वर्ष 1979 के तद्नुरूपी महीनों के दौरान की वास्तविक बिक्री से 5% वृद्धि के आधार पर किया जाता है। कर्नाटक में मिट्टी के तेल की बिक्री सामान्य रूप से गत कुछ महीनों के दौरान किये गये आवंटनों के अनुसार रही। राज्य के अन्दर मिट्टी के तेल का वितरण करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है और उनको सलाह दी गई है कि उत्पाद के समवितरण को सुनिश्चित करें जिससे कि उपभोक्ताओं की आवश्यक आवश्यकताओं को इस आवंटन के अन्तर्गत पूरा किया जा सके।

(ख) जुलाई और अक्तूबर, 1980 के दौरान मिट्टी के तेल के आवंटन और बिक्री के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

आंकड़े मी० टनों में

महीना	आवंटन	बिक्री
जुलाई, 1980	18,790	18,694
अगस्त, 1980	19,600	19,536
सितम्बर, 1980	19,600	19,766
अक्तूबर, 1980	18,820	19,978 (अस्थायी)

एवियेशन गैस के मूल्य में वृद्धि

1067. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :**

श्री रतन सिंह राजदा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 जून, 1980 को विमानों में प्रयोग होने वाले ईंधन के मूल्य में वृद्धि की गई थी ; और

(ख) यदि नहीं, तो विमानों में प्रयोग होने वाले ईंधन के मूल्य पिछली बार कब बढ़ाये गए थे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) विमानन गैस का मूल्य सबसे अन्तिम बार बम्बई भण्डार गृह पर दिनांक 15-1-1980 से 6604.64 रुपये प्रति किलो लिटर तक बढ़ाया गया था।

कोयला उद्योग के विकास के लिए विदेशी सहयोग

1068. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या भारत सरकार कोयला उद्योग के चहुमुखी विकास के लिए सहयोग प्राप्त करने हेतु रूस, ब्रिटेन, फ्रांस जर्मनी और पौलेण्ड की सरकारों से बातचीत कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने 20 परियोजनाओं के लिए 287 करोड़ रु० की राशि मंजूर की है जिसके फलस्वरूप 1984-85 तक कोयले का उत्पादन एक करोड़ टन से भी अधिक हो जायगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सरकार ने 1980 के दौरान 20 कोयला परियोजनाएं मंजूर की हैं जिनमें 394.41 करोड़ रुपये की पूंजी लगेगी और इनसे उत्पादन लक्ष्य अंतत: 30.84 मिलियन टन होगा ।

जल, ताप और परमाणु शक्ति द्वारा 48,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की परियोजना

1069. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी दस वर्षों के दौरान 48,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन की कोई परियोजना उनके मन्त्रालय ने तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो (i) जल ऊर्जा (ii) ताप ऊर्जा (iii) परमाणु ऊर्जा और (iv) अन्य स्रोतों के सम्बद्ध में परियोजना का विवरण क्या है ; और

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में नए बिजली यूनिटों की भी परिकल्पना की गई है और यदि हां, तो उनके नाम, क्षमता और प्रस्तावित व्यय का विवरण क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) छठी योजना (1980-85) में शामिल करने के लिए विद्युत कार्यक्रम की सिफारिश करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित विद्युत पर कार्यकारी दल ने 1980-90 की 10 वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 48,000 मेगा० की अभिवृद्धि का एक अनन्तिम कार्यक्रम निर्धारित किया था । इसमें से, 20,263 मेगा० की अभिवृद्धि छठी योजना के दौरान करनी है तथा 27,910 मेगा० की अभिवृद्धि सातवीं योजना अवधि के दौरान की जानी है । छठी योजना अवधि के दौरान अभिकल्पित वृद्धि में से 4,755 मेगा० की अभिवृद्धि निर्माणाधीन तथा स्वीकृत जल विद्युत परियोजनाओं से तथा 13,988 मेगावाट की अभिवृद्धि निर्माणाधीन तथा स्वीकृत ताप विद्युत परियोजनाओं से तथा

1160 मेगा० की अभिवृद्धि निर्माणाधीन न्यूक्लीय विद्युत संयंत्रों से तथा 360 मेगा० की अभिवृद्धि इस समय निवेश संबंधी निर्णय के लिए पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं से होंगी। सातवीं योजना अवधि के दौरान 27,910 मेगा० की अभिवृद्धि नीचे दिए गए अनुसार प्राप्त की जानी है :—

(1) निर्माणाधीन और स्वीकृत जल विद्युत स्कीमें	4402 मेगावाट
(2) निर्माणाधीन और स्वीकृत ताप विद्युत स्कीमें	4450 मेगावाट
(3) वे स्कीमें जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर दी गई हैं परन्तु जिनके लिए योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा है	
जल विद्युत	3035 मेगावाट
ताप विद्युत	3230 मेगावाट
(4) शेष अभिवृद्धि अभिज्ञान की जाने वाली तथा अनंतिम तौर पर अभिज्ञान परियोजनाओं से	12790 मेगावाट

(*7794 मेगावाट जल विद्युत, 235 मेगावाट न्यूक्लीय विद्युत तथा शेष ताप विद्युत का संभावित योगदान)।

छठी योजना अवधि के दौरान लाभ प्राप्त करने के लिए अनन्तिम तौर पर शामिल की गई स्कीमों का ब्यौरा उपाबंध-1 और 2 में दिखाया गया है तथा 1985-90 के दौरान लाभ प्राप्त करने के लिएअनंतिम तौर पर शामिल की गई स्कीमों का ब्यौरा उपाबंध-3, 4 और 5 में दिया गया है कार्यकारी दल के द्वारा सिफारिश किए गए विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के लिए तथा सम्पूरक पारेषण और वितरण कार्यक्रम के लिए और ग्राम विद्युतीकरण सुविधाओं के लिए निधियों की आवश्यकताओं का हिसाब भी कार्यकारी दल ने लगाया है। यह आवश्यकता 23,433 करोड़ ०रु है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

विद्युत उत्पादन	10,645 करोड़ रु०
पारेषण	9,558 करोड़ रु०
ग्राम विद्युतीकरण	2,900 करोड़ रु०
सर्वेक्षण और अन्वेषण	250 करोड़ रु०
विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी	80 करोड़ रु०

छठी पंच वर्षीय योजना 1980-85 को योजना आयोग ने अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है और राष्ट्रीय विकास परिषद् का अनुमोदन अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। छठी

योजना अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि के सही-सही लक्ष्य छठी योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही जाने जा सकते हैं ।

(मंत्रालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०1422/80)

गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में उत्पादित उर्वरकों के नाम

1070. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों के नाम क्या है, वे कहां-कहां स्थिति हैं और उन संयंत्रों की क्षमता कितनी है तथा किन किस्मों के उर्वरकों का उत्पादन किया जा रहा है ;

(ख) 1 जनवरी से 1 जून, 1980 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक संयन्त्र द्वारा उर्वरकों का कितनी-कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ और उत्पादित उर्वरक की प्रति टन लागत क्या है;

(ग) किसानों को सप्लाई किए गए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों [का वर्तमान मूल्य क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) 1 जनवरी से 31 मई, 1980 तक की अवधि के दौरान प्लांटवार नाम, स्थल, वार्षिक क्षमता, उत्पादित उर्वरक की किस्म और उत्पादित मात्रा को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र विवरण पत्र-I के रूप में संलग्न है ।

विभिन्न उर्वरकों की प्रतिटन लागत एक प्लांट से दूसरे प्लांट में बदलती रहती है जो पूंजी लागत, विन्टेज; अपनाई गई प्रक्रिया और प्रौद्योगिक प्रयुक्त कच्चा माल, रख रखाव की लागत आदि मुद्दों पर निर्भर करती है ।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण पत्र-II में दी गई है ।

विवरण I

उर्वरकों का नाम/स्थल, क्षमता और उत्पादन

1. नाइट्रोजनस उर्वरक (सभी आँकड़े नाइट्रोजन के 000 टनों में)

प्लांट का नाम/स्थल	वार्षिक-क्षमता	उत्पादन (1 जनवरी 1980 से 31 मई, 1980)
(1)	(2)	(3)
क. सरकारी क्षेत्र		
नंगल	80	18.0
नंगल विस्तार	152	15.6
भटिण्डा	235	35.9
पानीपत	235	25.3
सिन्दरी	219	6.8
गोरखपुर	131	17.0
नामरूप—I	45	4.7
नामरूप—II	152	शून्य
दुर्गापुर	152	26.5
बरौनी	152	10.5
ट्राम्बे	90	34.9
ट्राम्बे—IV	75	16.6
उद्योग मण्डल	82	18.8
कोचीन—I	152	50.3
कोचीन—II	40	—
राउरकेला	120	11.4
नेवेली	70	27.1
मद्रास	176	63.5
उप उत्पाद	24	8.4
योग (क)	2382	391.3

(1)	(2)	(3)
(ख) गैर सरकारी क्षेत्र		
बड़ोदा	236	76.1
विजाग	84	21.1
कोटा	152	45.4
कानपुर	207	44.1
गोआ	171	60.4
टूटीकोरीन	258	89.9
मंगलौर	156	18.1
वाराणासी	10	0.1
इन्नौर	16	2.8
उप-उत्पाद	4	1.3
कुल योग (ख)	1294	359.3
(ग) सहकारी क्षेत्र		
काण्डला/कलोल	215	92.3
योग (ग)	215	92 3
योग (क+ख+ग)	3891	842.9

(1. फास्फेटिक उर्वरक (सभी आंकड़े $पी_2 ओ_5$ के० 000 टनों में)

प्लांट का नाम/ स्थल	वार्षिक क्षमता	उत्पादन 1 जनवरी, 1980 से 31 मई, 1980 तक
(क) सरकारी क्षेत्र		
ट्राम्बे	45	15.4
मद्रास	112	39.7
कोचीन—II	114	13.9

(1)	(2)	(3)
ट्राम्बे IV	75	16.8
खेत्री	90	1.8
उद्योग मण्डल	44	8.9
एस० एस० पी० यूनिट	35	4.5
सिन्दरी	150	4.4
योग (क)	665	105.4
(ख) गैर सरकारी क्षेत्र		
बड़ौदा	50	17.2
विजाग	104	28.2
गोआ	42	11.6
टूटीकोरन	73	18.7
इन्दौर	10	3.4
एस० ए०० पी० यूनिट	201	57.8
योग (ख)	480	136.9
(ग) सरकारी क्षेत्र		
कान्डला	127	70.3
कुल योग (क+ख+ग)	1272	312.6

विवरण-पत्र-II

8-6-1980 से लागू सैधानिक नियन्त्रण के अन्तर्गत स्वदेशी उत्पादित उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य

उत्पादन का नाम	प्रतिटन अधिकतम खुदरा मूल्य (रु० में)
1. यूरिया	2000
2. डाई अमीनो फास्फेट	3050
3. एन० पी० के० (17-17-17)	2200

4.	पोटाशयुक्त नाइट्रोफास्फेट (15-15-15)	1800
5.	एन० पी० के० (19-19-19)	2500
6.	अमोनियम फास्फेट सल्फेट (20-20-0)	2200
7.	नाइट्रोफास्फेट (20-20-0)	2050
8.	अमोनियम फास्फेट सल्फेट(16-20-0)	1950
9.	यूरिया अमोनियम फास्फेट (24-24-0)	2600
10.	यूरिया अमोनियम फास्फेट (28-28-0)	3050
11.	एन० पी० के० (14-28-14)	2600
12.	एन० पी० के० (10-26-26)	2500
13	एन० पी० के० (14-35-14)	2900
14.	एन० पी० के० (12-32-16)	2750
15.	सुपर फास्फेट ट्रिपल (दानेदर)	2200
16.	सुपर फास्फेट ट्रिपल (पाउडर)	2050

जैसलमेर, राजस्थान में तेल और गैस के लिए छिद्रण कार्य

1071. **श्री अशोक महलोत** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तेल और गैस की खोज के लिए जैसलमेर (राजस्थान) में छिद्रण कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसी क्षेत्र (पाकिस्तानी क्षेत्र में) सूई गैस मिली है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि इससे जैसलमेर क्षेत्र में तेल और गैस मिलने की सम्भावना और अधिक बढ़ गई है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार तेल और गैस का पता लगाने के लिए जैसलमेर क्षेत्र में छिद्रण कार्य फिर से आरम्भ करने का विचार कर रही है ;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उसके लिए बनाई गई योजना की रूपरेखा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां। जैसलमेर (राजस्थान) क्षेत्र में व्यधन कार्य 1965 में आरम्भ किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) पाकिस्तान में भूगर्भीय परिस्थितियां जैसलमेर क्षेत्र की परिस्थितियों से कुछ भिन्न हैं। इसलिए परस्पर तुलना करना सम्भव नहीं है।

(घ) जैसलमेर क्षेत्र में व्यधन कार्य संचालन भूकम्पीय सर्वेक्षणों, जिन्हें इस समय किया जा रहा है, के परिणामस्वरूप प्राप्त उपयुक्त संभावनाओं पर निर्भर करेगा।

(ङ) वर्ष 1980-81 के दौरान जैसलमेर के किशनगढ़ शैल्फ क्षेत्र में उन्नत तकनीकों के साथ 8/12 किलोमीटर ग्रिड में भूकम्पीय सर्वेक्षण किए जाने का प्रस्ताव है।

इन्द्रप्रस्थ और बदरपुर बिजली घरों की स्थापित विद्युत-जनन क्षमता

1072. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ और बदरपुर ताप बिजली घरों की स्थापित जनन क्षमता क्या है और उसकी वर्तमान विद्युत-जनन दर क्या है ;

(ख) इन बिजली घरों द्वारा विद्युत-जनन में कमी, यदि कोई है तो, के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए राजधानी दिल्ली को उत्तरी पावर ग्रिड के सदस्य राज्यों से किस सीमा तक बिजली की पूर्ति होती है और क्या यह पूर्ति नियमित है, और

(घ) उपरोक्त बिजली घरों के विद्युत-जनन में सुधार के लिए सरकार द्वारा कौन से उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (इन्द्रप्रस्थ और राजघाट विद्युत केन्द्रों) तथा बदरपुर ताप विद्युत केन्द्रों की वर्तमान प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता और उनके उत्पादन का वर्तमान स्तर निम्नानुसार है :—

प्रणाली	प्रतिष्टापित क्षमता (ह्रासित)	उत्पादन का वर्तमान स्तर (मेगावाट)
दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (इन्द्रप्रस्थ और राजघाट)	306	200-250
बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र	485	200-300 (100 मेगावाट का यूनिट-2 अनुरक्षण के लिए बंद है)

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में दिल्ली में विद्युत की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और इस समय इन्द्रप्रस्थ तथा बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र दिल्ली की आवश्यकताओं को सामान्यतः पूरा करते हैं। इन विद्युत केन्द्रों में कभी-कभी उत्पादन में कमी के मुख्य कारण मुख्यतः ये हैं; टयूब लीकेज के कारण उत्पादन यूनिटों की बंदियाँ, मिलिंग सन्यन्त्र में तथा अन्य आनुषंगिक उपस्करों आदि की समस्याएं, कोयले की गुणवत्ता तथा फालतू पुर्जों का शीघ्रता से प्राप्त न होना।

(ग) उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड के किसी भी संकटक ने दिल्ली को विद्युत-सप्लाई करने के लिए स्थायी रूप से वचनबद्धता नहीं की है। इस समय दिल्ली की विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र की सम्मिलित उत्पादन क्षमता पर्याप्त है। तथापि कभी-कभी उत्पादन यूनिटें बन्द हो जाने के कारण दिल्ली को विद्युत की कमी का सामना करना पड़ता है। और ऐसे समय कुछ अवसरों पर, ग्रिड में उत्पादन के स्तर पर निर्भर करते हुए, भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड की प्रणाली से सहायता ली जाती है।

(घ) बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) हाल ही में चालू किए गए 210 मेगावाट के यूनिट में शीघ्र सुस्थिरता लाने के लिए सन्यन्त्र सुधार कार्यक्रम बनाया गया है।

(2) 3x100 मेगावाट के यूनिटों के संयन्त्र और उपस्कर की कमियों को दूर करने के लिए/पुर्जों के प्रतिस्थापन के लिए परियोजना नवीकरण कार्यक्रम भी हाथ में लिया गया है।

(3) आधुनिक प्रचालन और अनुरक्षण पद्धतियों के आधार पर प्रचालन और अनुरक्षण पद्धति को सरल और कारगर बनाया गया है।

(4) कोयला सप्लाईकर्त्ताओं से अनुरोध किया गया है कि अपेक्षित गुणवत्ता का कोयला भेजें।

इसी प्रकार इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्र के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं ।

वस्तुओं के उत्पादन पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में ढील दिया जाना

1073. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों पर से उनकी क्षमता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने के मामले में उस सीमा तक पाबन्दियां हटा लेने का निर्णय किया है जिस सीमा तक उक्त अधिक उत्पादित माल का भारत से बाहर निर्यात किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) मामला विचाराधीन है ।

पत्र-पत्रिकाओं और दैनिक समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के मानदण्ड

1074. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान सबसे बड़े दस राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों को कितने विज्ञापन दिए गए ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : वैयक्तिक समाचारपत्र को दिये जाने वाले विज्ञापनों की मात्रा जनहित में गोपनीय समझी जाती है ।

राज्यों के लिए कोयले के भंडारों की स्थापना करना

1075. **श्री वी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 6 राज्यों में कोयले के भंडार स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब स्थापित किए जाने की सम्भावना है ;

(ग) प्रत्येक भंडार की कितनी क्षमता होगी ;

(घ) इन्हें किन राज्यों में स्थापित किया जाएगा और अन्य राज्यों के बारे में स्थिति क्या है ;

(ङ) इन पर कार्य कब शुरू किए जाने की सम्भावना है और इसके कब पूरा हो जाने की सम्भावना है ; और

(च) इस पर कुल कितनी लागत आएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) यह टाल यथा संभव शीघ्र ही स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

(ग) प्रारम्भ में इन टालों के लिए सोफ्ट कोक के उत्तर प्रदेश को 4 रेक प्रतिमाह और हरियाणा तथा पंजाब में से प्रत्येक को दो-दो रेक प्रतिमाह भेजे जाएंगे । अन्य राज्यों के संबंध में विवरण तैयार किए जा रहे हैं ।

(घ) यह टाल प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब गुजरात, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित किए जाएंगे । अन्य राज्यों में यह टाल स्थापित करने पर बाद में विचार किया जाएगा ।

(ङ) यह टाल यथासंभव शीघ्र ही स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

(च) इन टालों की स्थापना के लिए कोई पूंजीगत खर्च की संभावना नहीं है क्योंकि इन स्थानों पर रेलवे साइडिंग और अन्य सुविधायें मौजूद हैं । फिर भी, इन टालों के संचालन की लागत की, संबद्ध राज्य सरकारों से परामर्श करके, जांच की जा रही है ।

महानगरों में आवश्यक औषधियों की कमी

1076. **डा० सरदीश राय** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि प्रसव और प्रसव उपरान्त मामलों, उच्च रक्त चाप, अतिरुधिर तनाव कुष्ठ और पेचिस आदि के लिए आवश्यक औषधियां दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में बिल्कुल उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) जी, नहीं । तथापि प्रसूति और प्रसूति के बाद के मामलों, उच्च रक्त चाप, उच्च मानसिक दबाव कोढ़ और दस्त के लिए अपेक्षित कुछ विशिष्ट ब्राण्ड के फार्मूलेशनों की कमी के बारे में दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के चार महानगरों से समय-समय पर रिपोर्ट प्राप्त हुई है ।

(ख) सरकार प्रति सप्ताह जीवन रक्षक और अनिवार्य फार्मूलेशनों की उपलब्धता की देख-रेख करती है । जिस विशिष्ट ब्राण्ड की कमी के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होती है उसके निर्माताओं

और उसी के समान दूसरे उत्पादों के निर्माताओं को तार द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे कमी वाले स्थानों को तुरन्त सप्लाई जारी करें इस प्रकार कमी को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

हिमाचल प्रदेश के आंध्र, तहसील रोहर, में पन-बिजली परियोजना

1077. **श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश के आंध्र, तहसील रोहर, में एक पन-बिजली परियोजना कार्यान्वित कर रही है ;

(ख) क्या स्थानीय लोगों को इस आधार पर रोजगार से वंचित किया जा रहा है जबकि अधिकांश तकनीकी/गैर-तकनीकी तथा लिपिकीय कर्मचारी शिमला में भर्ती किए जाते हैं और वहां भेजे जाते हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन और शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है और चिरगांव तथा रोहरू, में स्थानीय रोजगार दफ्तर के माध्यम से स्थानीय शिक्षित बेरोजगार स्नातकों तथा मैट्रिकयूलेटों को लिपिकीय संवर्ग में रोजगार दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा आंध्र, तहसील रोहर, हिमाचल प्रदेश में एक जल विद्युत परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस मामले पर वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही यह सूचना उपलब्ध हो जाएगी, सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अखबारी कागज वितरण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव

1079. **श्री भीकू राम जैन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश के सभी जिलों में अखबारी कागज वितरण केन्द्र खोलने का है ;

(ख) क्या तैयार माल की उत्पादन लागत कम करने की दृष्टि से अखबारी कागज पर बिक्री कर समाप्त करने का भी विचार है ; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) सरकार ने सिद्धांततः यह सुझाव मान लिया है कि अखबारी कागज की बिक्री के लिए अधिक डिपो खोले जाने चाहिए। समाचारपत्रों के संगठनों से यह अनुरोध किया गया है कि वे नए डिपो के स्थान सुझाएं। तथापि, सभी जिला मुख्यालयों में इस प्रकार के डिपो खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे समाचारपत्रों विशेषकर लघु और मझोले समाचारपत्रों के लाभ के लिए अखबारी कागज को बिक्री कर से छूट दे दें। कुछ राज्य सरकारों ने इसके बारे में अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

मैसर्स सीमेन्स द्वारा लोड डिस्पेच्ड सेन्टर्स की सप्लाई

1081. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज सीमेन्स को देश में ही लोड डिस्पेच्ड सेन्टर्स स्थापित करने के लिए आधुनिकतम मशीनरी की पूरी खेप भेजने के लिए निश्चित आदेश दिए गए हैं और यदि हां, तो उक्त क्रयादेशों का मूल्य क्या है और किस-किस मशीनरी का आयात किया जाना है ;

(ख) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने कहा है कि उनके राज्यों में ऐसे लोड डिस्पेच्ड सेन्टर्स स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो आयात के पश्चात उक्त मशीनरी का क्या उपयोग किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) तीनों क्षेत्रीय बिजली बोर्डों अर्थात उत्तरी, पश्चिमी और क्षेत्रीय बिजली बोर्डों ने क्षेत्रीय भार प्रेषण की स्कीमों के लिए उपस्करों की सप्लाई के लिए अलग-अलग टेन्डर आमन्त्रित किए थे। इन उपस्करों की खरीद के लिए धन की व्यवस्था आई०डी०ए० ऋण से की जा रही है। आई०डी०ए० की पद्धति के अनुसार टेन्डरों का मुल्यांकन करने के पश्चात उत्तरी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड और पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड ने अपने-अपने क्षेत्रों के लिए टेलीमीटरी और कमप्यूटर उपस्करों और सम्बद्ध उपस्करों के लिए और पश्चिमी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड ने सिस्टम डायग्राम बोर्ड के लिए मेसर्स सीमन्स इंडिया लि० को आर्डर दे दिए थे। आर्डरों का कुल मूल्य नीचे लिखे अनुसार है :—

क्रम संख्या	क्षेत्रीय बिजली बोर्ड	उपस्कर	देशी सप्लाई (रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य)	विदेशी सप्लाई (पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य)
1.	उत्तरी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड	सिस्टम डायग्राम बोर्ड, कमप्यूटर टेलीमीटरी और एल० एफ० सी० उपस्कर फुटकर पुर्जों आदि सहित।	रु० 5,115,582	डायचमार्क 7,045,121
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड	सिस्टम डायग्राम बोर्ड	रु० 854,928	डायचमार्क 77,899
3.	पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड	सिस्टम डायग्राम बोर्ड, कमप्यूटर, टेलीमीटरी और एल० एफ० सी० आदि।	रु० 6,941,762	डायचमार्क 6,839,343

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों में नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित बनाना

1082. **श्री एस०ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन नैमित्तिक कर्मचारियों ने आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों में 240 दिन से अधिक काम कर लिया है उन्हें नियमित करने के सम्बन्ध में क्या कसौटी अपनायी गई है;

(ख) नैमित्तिक रिक्त पदों को नियमित आधार पर भरने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या ठेके के आधार पर रखे जाने वाले स्टाफ आर्टिस्टों के विरुद्ध सी०सी०एस०/सी०सी०ए० नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें नियमित नौकरियां न देने का क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) मोटे तौर पर, आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों में नैमित्तिक कलाकारों को नियमित करने के लिए अपनाई जाने वाली वर्तमान कसौटी इस प्रकार है : —

आकाशवाणी और दूरदर्शन के उन नैमित्तिक कलाकारों, जिनको (1) वर्ष 1974-75 से 1979-80 तक के दौरान किसी भी एक वित्तीय वर्ष में 200 दिन या (2) तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 1974-77 या 1975-78 के दो ब्लाकों में से किसी भी एक ब्लाक के दौरान 365 दिन के लिए बुक किया गया था, को स्टाफ आर्टिस्टों के खाली पदों पर नियमित किये जाने के लिए विचार किया जाता है, बशर्ते कि उनको जिन पदों पर नियमित किया जाना है, वे उन पदों के लिए शैक्षिक दृष्टि से और अन्यथा अर्हता प्राप्त हों।

(ख) स्टाफ आर्टिस्टों की कोई नैमित्तिक रिक्तियां नहीं होतीं। नैमित्तिक कलाकारों को आवश्यकताओं के अनुसार स्टाफ आर्टिस्टों के नियमित पदों पर रखा जाता है। नैमित्तिक कलाकारों को ऊपर (क) में बताए गए फार्मूले के आधार पर नियमित किया जाता है। अब तक दूरदर्शन में 179 और आकाशवाणी में 70 नैमित्तिक कलाकारों को नियमित किया जा चुका है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अल्पांश शेयरधारिता के प्रबन्ध वाली कम्पनियां

1083. **श्री धर्मवीर सिन्हा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फेरा तथा अन्य कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार ने अल्पांश शेयरधारिता के प्रबन्ध के अधिकार अर्थात् निदेशक मण्डल पर चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक और/अथवा अन्य सदस्य नियुक्त करने के अधिकार दे रखे हैं ;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने अल्पांश अंशधारिता वाली विदेशी कम्पनियों को निदेशक मण्डल में नाम-निर्देशन के अधिकार को मंजूरी दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कम्पनियों का नियंत्रण प्राथमिक रूप से मताधिकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो कम्पनी में साम्य हिस्सेधारिता की सीमा से प्रस्फुटित होता है। यह कहा जा सकता है कि उन कम्पनियों के मामले में, जिनमें विदेशी हिस्सेधारिता 50 प्रतिशत से कम है, उनका प्रबन्ध भारतीयों के अधिकार के शेष हिस्सेधारियों के वास्तविक वितरण तथा सहायता

पर निर्भर करेगा, कि हिस्सेधारियों का कोई समूह अन्य हिस्सेधारियों से विन्यास कर सके । यदि हिस्सेधारिता विस्तृत रूप से वितरित है, तो प्रभावी नियंत्रण उन विदेशी हिस्सेधारियों के हाथ में रह सकता है, जिनके पास सारवान मात्रा में हिस्से हैं । यह पूर्ण रूपेण भारतीय कम्पनियों के बारे में भी सत्य है ।

एक कम्पनी के हिस्सेधारिता प्रतिरूप के बावजूद भी, इसके मण्डल के निदेशक, इसके हिस्सेधारियों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं । तथापि, केन्द्रीय सरकार, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा उन प्राइवेट कम्पनियों, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की सहायक हों, के प्रबन्ध अथवा पूर्ण-कालिक, निदेशकों अथवा प्रबन्धकों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 269 के अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त करने की, अपेक्षा द्वारा प्रबन्धक-वर्ग पर अपने नियंत्रण का प्रयोग करती है । धारा 269 की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार जब तक अपना अनुमोदन प्रदान नहीं करेगी, तब तक कि वह निम्नांकित के बारे में संतुष्ट न हो,

(क) एक प्रबन्ध अथवा पूर्ण-कालिक निदेशक का होना कम्पनी के हित में है ।

(ख) प्रस्तावित प्रबन्ध अथवा पूर्ण-कालिक निदेशक उसकी राय में उक्त पद पर नियुक्त किये जाने के लिए एक योग्य व समुपयुक्त व्यक्ति हैं तथा उस व्यक्ति का प्रबन्ध अथवा पूर्ण-कालिक निदेशक की नियुक्ति जनहित के विरुद्ध नहीं है, तथा

(ग) कम्पनी के प्रस्तावित प्रबन्ध अथवा पूर्ण-कालिक निदेशक की नियुक्ति के निबन्धन तथा प्रतिबन्ध, उचित तथा तर्क संगत हैं ।

ये उपबन्ध उन विदेशी निदेशकों पर भी समान रूप से लागू होते हैं, जो कम्पनियों में प्रबन्ध अथवा पूर्ण-कालिक निदेशकों के पदों पर नियुक्त किये जाते हैं ।

विदेशी हिस्सेधारिता वाली, भारत में विनियमित कुछ कम्पनियां, जिनके विनियमन के समय पर, उनके पार्षद नियमों में यह प्रावधान किया गया हो कि अनियमित उत्तराधिकार निदेशकों (प्रबन्ध निदेशकों सहित) में से कुछ लोग, विदेशी हिस्सेधारियों द्वारा नियुक्त किए जायेंगे । इस प्रकार के मामलों में, केन्द्रीय सरकार के पास कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, पार्षद नियमों में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है, यद्यपि, कम्पनी अधिनियम की धारा 269 के उपबन्धों तथा अन्य सम्बन्धित कानूनों के उपबन्धों के नाते, सरकार के पास विदेशी प्रबन्ध निदेशकों/पूर्ण-कालिक निदेशकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक के अनुमोदन की शक्तियां, उसके पास होती हैं । जहां विदेशी हिस्सेधारिता वाली कम्पनियों के पार्षद-नियमों में इस प्रकार का उपबन्ध नहीं है, तथा वे इन नियमों में संशोधन के लिए केन्द्रीय सरकार का कम्पनी अधिनियम की धारा 268 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित (प्रबन्ध-निदेशकों सहित) अनुमोदन प्राप्त करना चाहती हैं, तो वहां सरकार नीति विषय के रूप में इस प्रकार के संशोधनों को अनुमोदन प्रदान नहीं करती ।

नूतन गैस स्टोव की कमी

1084. **श्री राम लाल राही** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उनको यह जानकारी है कि इस वर्ष बाजार में नूतन गैस स्टोव की कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि ऊंची कीमतों और चोरबाजारी को देखते हुए बनावटी अभाव पैदा किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इसकी उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) देश की मांग को पूरा करने के लिए अधिकतम उत्पादन करने के लिए अधिकतम उत्पादन करने के उद्देश्य से सरकारी नीति के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र में स्टोवों के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नई दिल्ली, देश के विभिन्न स्थानों में अनेक एककों की स्थापना कर रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जैसा कि ऊपर (ख) भाग में दिया गया है ।

कैप्रोलैक्टम का अभाव

1085. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कैप्रोलैक्टम का अभाव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसका आयात कर रही है ;

(ग) देश में इस कच्चे माल की कितनी मांग है और इसका उत्पादन कितना होता है ; और

(घ) उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए देशीय उत्पादन पर्याप्त नहीं है ।

(ख) जितना आवश्यक समझा गया है उतना ही आयात करने की अनुमति दी जा रही है।

(ग) यद्यपि कैप्रोलैक्टम का निर्माण करने की लाइसेंस दी गई क्षमता प्रतिवर्ष 20,000 मीट्रिक टन है तथापि वास्तविक उत्पादन लाइसेंसीकृत क्षमता का 80 प्रतिशत की दर पर ही रहा है। देशी मांग प्रतिवर्ष 40,000 मीट्रिक टन के आस पास है।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में कैप्रोलैक्टम के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता के सृजन का अनुमोदन करने का प्रस्ताव है।

तेल के लिए तट-दूर ड्रिलिंग के क्षेत्र

1086. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल के लिए तट-दूर ड्रिलिंग किन-किन नए क्षेत्रों में किया जा रहा है ;

(ख) क्या केरल भी उन में सम्मिलित है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में तेल की खोज के लिए किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) अन्वेषणात्मक खुदाई के लिए नये संभावित क्षेत्र निम्न हैं :—

पश्चिमी तट :

1. वेसिन क्षेत्र की तरफ उत्तर पूर्व का क्षेत्र जो कि काम्पे गल्फ में फैला हुआ है ;

2. वी-38 क्षेत्र के दक्षिण में रत्नागिरि अपतटीय क्षेत्र ;

3. बम्बई हाई संरचनाओं के पश्चिम की पार्श्व भाग की संरचनाएं।

4. पश्चिम से आगे का खण्डमय वेसिन जहां पानी की गहराई 100 मीटर या अधिक है।

पूर्वी तट :

1. पाण्डिचेरी के परे की संरचनाएं ;

2. कृष्णा-गोदावरी नदी के मुख से परे की संरचनाएं ;

3. अण्डमान से परे की संरचनाएं ;

(ख) जी, नहीं।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1977-78 से 1979-80 तक अपतटीय क्षेत्रों में 51 अन्वेषणात्मक कूपों (केरल अपतटीय क्षेत्र में एक कूप सहित) की खुदाई की गई। इनमें से 8 संरचनाएं तेल एवं गैस युक्त पाई गयीं। उनके नाम हैं : बी—37 ए, दक्षिण ताप्ती, बी—38, आर—9, बी—55, बी—37 बी, ताप्ती मध्य तथा आर—12. इनके अलावा तीन संरचनाओं मुख्यतः बी—51, बी—58-1 तथा बी—12, (दाहान्) में कम मात्रा में (गैर-व्यापारिक) तेल एवं गैस पाई गई है।

1980-81 के दौरान 7 नई अपतटीय संरचनाओं (केरल में एक अपतटीय संरचनाओं में अन्वेषणात्मक खुदाई एवं परीक्षणों से चार में मुख्यतः आर-7, पी० वाई-1, ए० एन-1 तथा जी-1, तेल/गैस का पता चला है।

कोयले का आयात

1089. **श्री चिरन्जीलाल शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांग पूरी करने के लिए कोयले का आयात करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) अकोककर कोयले के आयात का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु इस्पात विभाग इस्पात संयंत्रों की मांग पूरी करने के लिए कोककर कोयले के आयात का विचार कर रहा है। सरकार ने अब तक 1980-81 और 1981-82 में 1·5 मि० टन कोककर कोयले के आयात के लिए अनुमति दे दी है।

ऊर्जा नीति का निरुपण

1091. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन साइन्स कांग्रेस के 67वें सत्र में राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के निरुपण पर हुई चर्चा का विवरण क्या है ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कलकत्ता में फरवरी, 1980 में हुए इण्डियन साइंस कांग्रेस के 67वें सत्र में 'भारत के लिए ऊर्जा संबंधी योजना-कौशल' पर विचार विमर्श हुआ था। आगामी दशक में ऊर्जा संकट का सामना करने की दृष्टि से देश के लिए एक ऊर्जा नीति तैयार करने की आवश्यकता की सिफारिश इस सत्र में की गई थी। उपलब्ध ऊर्जा साधनों के समुचित समुपयोजन तथा ऊर्जा के नए नवीकरणीय साधनों के विकास के लिए आवश्यक विभिन्न उपाय इन सिफारिशों में दिए गए हैं।

इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि 1976 में विस्तृत राष्ट्रीय नीति तैयार हो जाने के पश्चात, देश में तथा विदेशों में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान ऊर्जा स्थिति की विस्तृत समीक्षा करने, ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए एक परिप्रेक्ष्य का विकास करने तथा उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम समुपयोजन करने के लिए उपयुक्त नीति संबंधी उपाय सुझाने के लिए योजना आयोग ने विद्युत विभाग के तत्कालीन सचिव की अध्यक्षता में ऊर्जा नीति संबंधी एक कार्यकारी दल का गठन किया था। कार्यकारी दल ने नवम्बर, 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। आर्थिक विकास पर प्रभाव डाले बिना ही, ऊर्जा की मांग को इष्टतम ढ़ंग से पूरा करने की दृष्टि से ऊर्जा क्षेत्र का विकास किस प्रकार से करना होगा यह मार्ग रिपोर्ट में बताया गया है। कार्यकारी दल की सिफारिशों से उठ खड़े होने वाले मामलों पर विचार करने के लिए एक मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन किया गया है। इसकी सहायता के लिए सचिवों की एक समिति है।

'लोडशेडिंग अगेन' शीर्षक से छपा समाचार

1092. **श्री चतुर्भुज :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 9 अक्तूबर, 1980 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अलोचनात्मक अध्ययन की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) उसमें किन-किन बातों का उल्लेख किया गया है तथा बिजली के बार-बार बन्द होने, बिजली की अनियमित सप्लाई के कारण होने वाली औद्योगिक हानियों, वास्तविक से अधिक राशी के बिलों के बनाए जाने, बिजली की उत्पादन लागत तथा संबंधित दरों, अच्छे किस्म के कोयले की उपलब्धता, बदरपुर स्थित संयंत्र तथा अन्य संयंत्रों में खराब उपकरण होने, राजस्व की चोरी हो जाने, भ्रष्टाचारों के आरोपों और भावी योजनाओं के बारे में उसमें क्या क्या वास्तविक तथ्य दिए गए हैं ;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(घ) दिल्ली में भविष्य में चलाई जाने वाली विद्युत रेलगाड़ी को बिजली की अनियमित सप्लाई से बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : सूचना विवरण में दी गई है।

(घ) : रेलवे ट्रेक्शन भार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और इसे लोड शैडिंग से पूर्णतः मुक्त रखा गया है।

विवरण

पिछले वर्ष की तुलना में दिल्ली में विद्युत सप्लाई में काफी सुधार हुआ है। दिनांक 9 अक्टूबर, 1980 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार का संबंध दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डी०ई०एस०यू०) की अनेक समस्याओं से है। समाचार मुख्यतः दिल्ली में अनियमित तथा अनिश्चित विद्युत की सप्लाई, प्रतिबंधों, लोड शेडिंग बिलों में गलतियों, असंतोषजनक वित्तीय स्थिति, घटिया प्रबंध व्यवस्था, घटिया अनुरक्षण औद्योगिक सम्बन्ध सुखद न होना, यूनियनों की संख्या बढ़ना, पूर्णकालिक महाप्रबंधक की अनुपस्थिति आदि से संबंधित है। समाचार में प्रकाशित मुख्य-मुख्य विषयों के संबंध में स्थिति नीचे दी गई है :—

1. दिल्ली में विद्युत की कमी तथा लोड शेडिंग

सामान्यतः दिल्ली की विद्युत की मांग को दिल्ली के इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र तथा बदरपुर विद्युत केन्द्र से हुए उत्पादन से पूरा करना संभव है। इन्द्रप्रस्थ तथा बदरपुर विद्युत केन्द्र में एक या दो यूनिटों के एक साथ बन्द होने के कारण, विद्युत की उपलब्धता में कमी हो जाती है तथा स्थिति से निपटने के लिए भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड से सहायता लेने के बावजूद भी लोड शेडिंग करनी पड़ती है। कभी-कभी उत्तरी ग्रिड की कम वोल्टता की स्थिति के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि लोड शेडिंग का सहारा लिया जाए ताकि विद्युत केन्द्रों में उत्पादन उपस्कर में होने वाली खराबी से बच सकें। लोड शेडिंग कार्यक्रमों तथा लोड शेडिंग की अवधि के बारे में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा समाचार पत्रों के जरिये सामान्यतः व्यापक प्रचार किया जाता है। तथापि, उत्पादन यूनिटों की अचानक बन्दी के मामलों में लोड शेडिंग करते समय पहले से सूचना देना संभव नहीं है। बदरपुर विद्युत केन्द्र के एक यूनिट के बन्द होने के कारण, 24 अप्रैल, 1980 को लोड शेडिंग करनी पड़ी थी क्योंकि बदरपुर में उत्पादन का स्तर घटकर 120/170 मेगावाट हो गया था जबकि एक यूनिट के वार्षिक ओवर हालिंग के कारण इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र में उत्पादन स्तर भी कुछ कम था। उत्तरी ग्रिड में प्रणाली की खराबियों के परिणामस्वरूप 17 जून, 1980 को लोड शेडिंग करनी पड़ी थी।

2. ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई

इन्द्र प्रस्थ विद्युत केन्द्र तथा बदरपुर विद्युत केन्द्र को कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग ऊर्जा मन्त्रालय तथा केन्द्रीयण विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रायः दैनिक आधार पर की जाती है तथा रेल मन्त्रालय तथा कोयला विभाग के परामर्श से, कोयले की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है। ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग समय-समय पर मन्त्री मण्डलीय औद्योगिक अवसंरचना समिति द्वारा भी की जाती है। तदनुसार इन केन्द्रों को कोयले की सप्लाई से सुधार हुआ है।

3. बकाया राशि के बिल

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में कम्प्यूटर प्रणाली शुरू किए जाने के कारण उपभोक्ताओं के बिल बनाने में कुछ गड़बड़ हुई है। उपभोक्ताओं के बिलों की वर्तमान प्रणाली की जांच करने के लिए, जिसमें बिलों की कम्प्यूटर प्रणाली आरम्भ करने के कारण दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिलों को भेजने में देरी होने की गलतियां होने के कारण की, तथा राजस्व संग्रह करने की प्रणाली की समीक्षा शामिल है। कमियों को दूर करने के लिए उपाय सुझाने के लिए तथा बिल प्रणाली आदि में सुधार करने के लिए सरकार ने पहले ही, सदस्य (ई०एन्ड०सी०), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

4. दोषपूर्ण मीटर

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने यह भी सूचित किया है कि कुछ मामलों में, जहां मीटर लगाए जाने के बाद ये मीटर खराब हो गये हैं उपभोक्ताओं की खपत के मूल्यांकन के आधार पर बिल बनाये जाते हैं। पहले भुगतान किये जा चुके पिछले बिलों की बकाया राशि को नये बिलों में शामिल किए जाने के कुछ मामलों में उपभोक्ताओं से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा आवश्यक संशोधन कर दिये जाते हैं। ऐसे मामलों को यथासंभव कम करने के लिए वे प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के माध्यम से भुगतान किए जाने की स्कीम को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने समाप्त कर दिया है क्योंकि इन शाखाओं में भुगतान किए गए बिलों के बारे में सूचना मिलने में काफी देर होती थी तथा परिणामस्वरूप नए बिलों में ऐसी बकाया राशि शामिल कर लिए जाने से उपभोक्ताओं को असुविधा होती थी।

5. विद्युत की चोरी-लाइन हानियां

पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान कदम उठा रहा है। तथा प्रणाली हानियों को कम करने के लिए उच्च वोल्टता तथा निम्न वोल्टता उप-केन्द्रों पर केपेसिटर्स पहले ही प्रतिष्ठापित किए गए हैं। ऐसे अधिक केपेसिटर लगाने तथा पहले से प्रतिष्ठापित केपेसिटरों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए भी उन्हें सलाह दी गई है। चोरी के मामलों का तथा विद्युत की चोरी आदि का पता लगाने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने एक सतर्कता, संगठन पहले ही बनाया है।

6. विद्युत की लागत

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की असंतोषजनक वित्तीय स्थिति की सरकार को जानकारी है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को सलाह दी गई है कि अपने वित्तीय कार्यकरण की सरल और कारगर बनाने के लिए तथा जहां तक संभव हो, लागत को कम करने के लिए समुचित कदम उठाए।

7. महाप्रबन्धक की नियुक्ति

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के पहले महाप्रबन्धक के स्थानान्तरण के पश्चात् महाप्रबन्धक के पद को शीघ्रता से भरने के लिए कदम उठाए गए थे। एक पदधारी के चुनाव को अन्तिम रूप भी दिया गया था किन्तु बाद में उस व्यक्ति ने दि० वि० प्र० सं० में कार्यभार ग्रहण करने में अधिक रुचि नहीं दिखाई। इस पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

II. दिल्ली में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

दिल्ली में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह सचेष्ट है। दिल्ली की विद्युत की इस समय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता पर्याप्त है। सितम्बर, 1981 में बदरपुर ता० वि० केन्द्र में 210 मेगावाट का एक और यूनिट चालू किए जाने का कार्यक्रम है इन्द्रप्रस्थ केन्द्र के निकट 2×110 मेगावाट का एक यूनिट स्थापित करने के लिए दि० वि प्र० सं० द्वारा रखे गए प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी जा सकी क्योंकि राष्ट्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र पर विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए सहमति नहीं दी। दि० वि० प्र० सं० को अन्य उपर्युक्त स्थल की जांच करने के लिए कहा गया था। बादली में एक केन्द्र स्थापित करने के उनके प्रस्ताव को भी रेलवे ने कोयले की ढुलाई के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए सहमति नहीं दी।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि० ने अब 2×210 मेगावाट के यूनिट बदरपुर में स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और मामले की जांच के० वि० प्रा० द्वारा की जा रही है।

इसके अतिरिक्त दिल्ली को विद्युत का हिस्सा केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से मिलेगा, 150 मेगावाट तक का हिस्सा उसे सिंगरोली सुपर ताप विद्युत केन्द्र से और 20 मेगावाट का हिस्सा बैरा स्यूल से मिलेगा। नरोरा परमाणु विद्युत केन्द्र सलाल जल विद्युत आदि सेविद्युत के हिस्से के आवंटन के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

उपर्युक्त उपायों के द्वारा दिल्ली की बढ़ती हुई विद्युत की मांग को पूरा कर सकना संभव हो सकेगा।

मिट्टी हटाने वाले तथा निर्माण उपकरणों के क्षेत्र में आयातित मशीनरी

1094. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार मिट्टी हटाने वाले तथा निर्माण उपकरणों आदि के क्षेत्र में अनेक आयातित मशीनरियों के फालतू पुर्जों की सप्लाई के बारे में देशी स्रोतों की खोज करने के सम्बन्ध

में क्या कार्यवाही करने का है ताकि आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके और विदेशी मुद्रा की बचत हो सके ;

(ख) भारी मशीनरी के उक्त क्षेत्र में विकसित देशी मदों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) देशी तथा आयातित मशीनरी की प्रतिशतता कितनी है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, भारत में इस्तेमाल होने वाले विविध आयातित मिट्टी हटाने वाले तथा निर्माण उपकरणों के स्वदेशी अतिरिक्त पुर्जों के लिए, 1970 से दर ठेके करने के लिए कार्यवाही कर रहा है। यह कार्य लगातार जारी रहने वाला है, और सरकार की नीति के अनुसार अधिकतम स्वदेशी निर्मित मदों को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के अधीन लाने के लिए हर प्रकार का यत्न किया जाता है। इन मदों के सम्बन्धित मागों को इन्डिन ट्रेड जनरल में सावधिक रूप से विज्ञापित किया जाता है। इसके लिए स्वदेशी फर्मों से ठेके किए जाते हैं। ऐसा उन फर्मों की अतिरिक्त पुर्जों को सप्लाई करने की क्षमता तथा योग्यता और इन पुर्जों की अदला-बदली की क्षमता, कार्य निष्पादन, सुरक्षा और मूल आयातित उपकरणों के पुर्जों की तुलना में इन स्वदेशी पुर्जों के स्थायित्व की जाँच करने के बाद किया जाता है।

(ख) आयातित मिट्टी हटाने वाले तथा निर्माण सम्बन्धी भारी उपकरणों के लिए, 20,000 से अधिक किस्म के फालतू पुर्जे स्वदेशी रूप से खरीदे जा रहे हैं।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ने मैसर्स भारत अर्थमूवर लिमिटेड से 7.8 लाख रु० की लागत पर स्वदेश में बने हुए एक बुलडोजर खरीदा है। विविध मांगकर्त्ता विभागों से कोई भी इंडेंट प्राप्त न होने के कारण, कोई भी आयातित उपकरण अथवा कोई अन्य स्वदेशी उपकरण नहीं खरीदा गया। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के उपकरण केन्द्रीय जल आयोग, विविध नदी घाटी सिंचाई परियोजनाओं और कोलफील्डस स्टील प्लांट जैसे सरकारी उपक्रमों द्वारा सीधे ही खरीदे जा रहे हैं।

आकाशवाणी केन्द्र उदयपुर

1095. **श्री मोखाभाई** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी, केन्द्र उदयपुर में एक विशेष 'बागड़ी' अनुभाग को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। अभ्यावेदन विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाड़ी के देशों से पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई

1096. **श्री नवीन रवाणी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान-ईराक युद्ध के कारण खाड़ी के देशों से पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई की क्या स्थिति है ;

(ख) सप्लाई के नए अन्य स्रोत क्या हैं और इस वर्ष के अन्त तक प्रत्येक स्रोत से हमें कितनी-कितनी सप्लाई मिल जाएगी ;

(ग) खुले बाजार में हमें कितना मूल्य चुकाना पड़ा और अब तक हमने इस प्रकार कितनी खरीद की है ; और

(घ) परिवहन में तथा डीजल से चलने वाले निजी विद्युत उत्पादन सेटों में डीजल की खपत में बचत करने के लिए किन ठोस उपायों को कार्यान्वित किया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) ईरान-ईराक युद्ध के पणिामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कुछ अव्यवस्था हुई। तथापि अन्तराल को पूरा करने के लिए अन्य स्थानों से आवश्यकता अनुसार सप्लाई प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में और अधिक ब्यौरे देना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

(घ) राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को सलाह दी गई है कि निवासियों की हाई स्पीड डीजल आयल की समस्त आवश्यक आवश्यकताओं को निर्धारित आवंटन के अन्तर्गत पूरा करने के लिए एक उपयुक्त नियंत्रण प्रणाली आरंभ करें और इन उत्पादों में होने वाले कदाचारों को समाप्त करने के सबसे अधिक सख्त कदम उठायें।

आकाशवाणी के कलाकारों और प्रोड्यूसरों की पदोन्नति

1098. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री आकाशवाणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के नियमों के बारे में 12 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7725 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कलाकारों और प्रोड्यूसरों की पदोन्नति से सम्बन्धित समस्या को हल कर लिया गया है ताकि उन्हें भी पदोन्नति के वही अवसर मिल सकें जो नियमित कार्यक्रम अधिकारियों को मिलते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो विशेषज्ञों के साथ भेद-भाव बरतने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सरकार ने कार्मिक नीति को नया रूप देने के लिए किसी समिति का गठन किया है यदि हां, तो समिति ने अब क्या सिफारिश की है; और

(घ) उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है और प्रोड्यूसरों की श्रेणी को क्या राहत दी गई है और इस बारे में भावी योजना की रूप-रेखा क्या है और इन्हें कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) जबकि नियमित कार्यक्रम कर्मचारियों के पद सिविल पद हैं, स्टाफ आर्टिस्ट संविदा कर्मचारी हैं और इसलिए प्रत्येक श्रेणी के लिए विद्यमान पदोन्नति के अवसर भिन्न हैं। स्टाफ आर्टिस्टों के लिए पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाने का प्रश्न सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है।

(ग) और (घ) आकाशवाणी की कार्यक्रम सेवाओं के संदर्भ ढांचे का अध्ययन करने के लिए सरकार ने 1977 में एक अध्ययन दल गठित किया था। इसकी सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और वे इस समय सरकार के विचाराधीन हैं।

उद्योगों द्वारा गैस की मांग

1099. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समीरन और संथाल तेल और गैस क्षेत्र में उपभोग की जाने वाली गैस उद्योगों को न दिए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) उस क्षेत्र में कितने उद्योगों ने गैस की मांग की है तथा उसकी मात्रा कितनी है ;

(ग) इनमें से उनकी संख्या कितनी हैं जिनको गैस दी गई है तथा उनको कितनी गैस दी गई है तथा शेष उद्योगों को कब तक गैस दी जाएगी ; और

(घ) उत्तर और दक्षिण काडी में कितनी गैस उपलब्ध है तथा इस में से कितनी गैस उद्योगों से दी गई है तथा शेष कितने उद्योगों को गैस दी जानी है तथा उन सबको गैस देने के पश्चात कितनी गैस बचेगी तथा आई० एफ० एफ० सी० ओ० के लिए काडी क्षेत्र से कालट को कितनी गैस लाई जाएगी तथा उसे कब तक लाया जाएगा ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) इस क्षेत्र में 'समीरन' नाम का कोई क्षेत्र नहीं है। जहां तक संथाल तेल क्षेत्र का सम्बन्ध है इस क्षेत्र के किसी उद्योग द्वारा गैस की कोई मांग नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) उत्तर कादी और दक्षिण कादी क्षेत्रों से क्रमशः लगभग 27,000 एस० सी० एम० डी० और 45,000 एस० सी० एम० डी० गैस सप्लाई किए जाने के लिए उपलब्ध है । ओ० एन० जी० सी० ने गुजरात इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन को 71,500 एस० सी० एम० डी० गैस देने का वचन दिया है और यह निगम बाद में इस गैस को 12 उद्योगों में वितरित करेगी ॥ अतः अन्य उद्योगों अथवा इफ्को के लिये कलोल से कादी लाने के लिये कोई गैस अविशेष नहीं बचती ।

सिकोम द्वारा मिथेनोल, फलोट ग्लास आदि के उत्पादन के लिए आवेदन

1100. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिकिम (एस० आई० ओ० एम०) ने गैस के उपयोग से मिथेनोल, फलोट ग्लास और ब्लैक कार्बन बनाने के लिए आशय-पत्रों हेतू आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वर्ष 1977 के दौरान मेथानोल तथा ऐसेटिक एसिड और फलोट ग्लास के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के बारे में दो अलग-अलग आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे । कार्बन ब्लैक के निर्माण के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) मेथानोल और फलोट ग्लास दोनों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को नामंजूर कर दिया गया है क्योंकि इन मदों के लिए पहले ही पर्याप्त क्षमता मंजूर की हुई है ।

"सी० ए० एप्रेन्टिसिज फ्लोस्ड" शीर्षक समाचार

1101. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 28 अगस्त, 1980 के 'इण्डियन एक्सप्रेस,' नई दिल्ली के "सी० ए० एप्रेन्टिसिज फ्लोस्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) ऐसे गोलमाल को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है जिसके परिणामस्वरूप पेशेवर चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा उचित व्यवहार न किए जाने के कार

प्रशिक्षु चार्टर्ड लेखाकारों को अत्यधिक कठिनाई और शर्मिन्दगी का सामना करना पड़ता है क्योंकि चार्टर्ड लेखाकार उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हां, श्रीमन् जी ।

(ख) तथा (ग) शास प्राप्त लेखापाल संस्थान, जिसको सरकार द्वारा निर्देशाकन किया गया था, ने सूचित किया है कि समाचार रिपोर्ट में, विनिर्दिष्ट घटना की संस्थान द्वारा जांच की गई है । जांच की रिपोर्ट, दिसम्बर, 1980 में होने वाली संस्थान की समिति की बैठक में प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है जहां सम्पूर्ण मामले पर विचार किया जायेगा, तथा सम्बन्ति शास प्राप्त लेखापाल के विरुद्ध, शास प्राप्त लेखापाल अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बनाए गये विनियमों के उपलब्धों के अनुसार, जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी, पर विचार किया जायेगा ।

शास प्राप्त लेखापाल संस्थान की समिति, अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों में, शास-प्राप्त लेखापालों के लिए वर्णित आचरण संहिता के उल्लंघनों के मामलों में विशेष सतर्कता का प्रयोग करती है । इसमें साथ-साथ शास-प्राप्त लेखापालों द्वारा आर्टीकल्ड क्लर्कों की शिष्यवृत्ति के अदा न करने के मामले भी आते हैं । जब कभी भी उपरोक्त प्रकृति अथवा किसी अन्य उल्लंघन का कोई मामला इसकी जानकारी में आता है, तो सम्बन्धित लेखापाल के विरुद्ध शास-प्राप्त लेखापाल अधिनियम की धारा 21 तथा इसके अन्तर्गत बनाये गए विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है । पुनः चूंकि शास-प्राप्त लेखापालों तथा आर्टीकल्ड क्लर्कों के मध्य विवाद, शिष्यवृत्ति की अपर्याप्तता तथा/अथवा इसको अदा न करने, से सम्बन्धित होते हैं, अतः प्रिशिक्षु शास प्राप्त लेखापालों की शिष्यवृत्ति की दरों के बढ़ाने तथा इसको समय पर अदा करना सुनिश्चित के मापदण्डों के प्रस्ताव, संस्थान के सक्रिय विचाराधीन हैं ।

पेट्रो-कैमिकल कम्पलेक्स के लिए स्थान

1102. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा तैयार किए गए सम्भावना अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार बरौनी इंडस्ट्रियल कम्पलैक्स को जिसके पास उन्नत आधारभूत ढांचा, संसाधनों के उपयोग में लाने की अधिक क्षमता और उपयुक्त स्थान उपलब्ध है, पेट्रोकैमिकल कम्पलैक्स की स्थापना के लिए तरजीह दी जानी चाहिए, अब जिसकी स्थापना का प्रस्ताव मथुरा में है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने एरोमैटिक्स (सुगन्धित पदार्थ) के उत्पादन के लिए पेट्रो-रसायन उद्योग समूहों की स्थापना के लिए एक स्थल चयन समिति गठित की है । अन्य बातों के साथ-साथ समिति की

शर्तों में यह भी सम्मिलित है कि समिति तकनीकी-आर्थिक अग्रता के क्रम से विभिन्न स्थलों की सिफारिश करेगी।

समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व वह बिहार सरकार द्वारा दिये गए आंकड़ों का भी अध्ययन करेगी। समिति की रिपोर्ट की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

आकाशवाणी और दुरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों के पदों का नियमित किया जाना

1104. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में स्टाफ आर्टिस्टों के लगभग 3000 पदों को नियमित पदों में बदलने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना कब तक है ;

(ग) इससे सरकारी कोष पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों के पदों को नियमित सिविल पदों में बदलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इस अवस्था पर यह बताना सम्भव नहीं है कि प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की सम्भावना है।

(ग) इसमें निहित वास्तविक अतिरिक्त व्यय निकालना सम्भव नहीं है। तथापि, स्टाफ आर्टिस्टों की अंशदायी भविष्य निधि, जो 11.50 लाख रुपए है, की बाबत सरकार के अंशदान के रूप में सरकार द्वारा इस समय जो कुल वार्षिक व्यय किया जा रहा है, उसके स्टाफ आर्टिस्टों को पेंशन की सुविधा दिए जाने पर लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ जाने की उम्मीद है।

कर्नाटक में विद्युत की कमी

1105. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय कर्नाटक में विद्युत की 60 प्रतिशत कटौती चल रही है जिसके परिणामस्वरूप विद्युत की अत्यधिक आवश्यकता वाली एककें बन्द पड़ी हैं ; और कृषि क्षेत्र की बिजली की आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पा रही है ; और

(ख) विद्युत की कमी को दूर करने के लिए राज्य में क्या विद्युत परियोजना बनाई जा रही हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) : राज्य में निर्माणाधीन तथा छठी योजना के दौरान आयोजित विद्युत परियोजनाओं को दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

कर्नाटक में बताई जा रही अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बताने वाला विवरण

क्रम सं०	उत्पादन स्कीम का नाम	यूनिटों की सं० और क्षमता	चालू किए जाने की निर्धारित तारीख
	कर्नाटक		
1.	कालीनदी चरण I (ज० वि०)	4×135	जून, 1981 अगस्त, 1981 मार्च, 1982 अक्तुबर, 1982
2.	सूपा (ज० वि०)	2×50	नवम्बर, 1984
3.	कालीनदी चरण II (ज० वि०)	2×25 + 4×32 + 4×25	1985-90
4.	वारही (ज० वि०)	2×115	फरवरी, 1986 दिसंबर, 1986
	मणि (ज० वि०)	2×4.5	दिसम्बर, 1983 फरवरी, 1984
5.	गगांवाली चरण-I (ज० वि०)	2×105	दिसम्बर, 1985 अप्रैल, 1986
6.	रायचुर (ता० वि०)	2×210	दिसम्बर, 1983 जून, 1984

होजनाकल जल-विद्युत योजना

1106. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या होजनाकल जल-विद्युत योजना की जांच की गयी थी और परियोजना प्रतिवेदन योजना आयोग को भेजा गया था ; और

(ख) इसकी क्रियान्विति के बारे में योजना आयोग द्वारा कब निर्णय किए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) होजनाकल जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट तमिलनाडु बिजली बोर्ड से 1964 में प्राप्त हुई थी । चूंकि, सम्बन्धित राज्यों के बीच कावेरी-जल के बंटवारे का विवाद अभी हल नहीं हुआ है, अतः इस परियोजना पर आगे की कार्यवाही रोक दी गई है ।

गरीबों को कानूनी सहायता के बारे में उच्च शक्ति प्राप्त समिति

1107. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार ने समान स्कीमें तैयार करने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) गरीब व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने के लिए व्यापक सहायता स्कीमें ब्यौरे वार तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने तारीख 26 सितम्बर, 1980 के संकल्प सं० 6 (19)/80-आई०सी० द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त एक छोटी समिति गठित की है ।

(ख) तारीख 26 सितम्बर, 1980 के संकल्प की, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(मंत्रालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०1423/80)

मानव निर्मित फाइबर उद्योग को औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

1106. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री मानव निर्मित रेशे का व्यापार करने वाले औद्योगिक गृहों के विस्तार के लिए लाइसेंस के बारे में 8 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3374 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के विचाराधीन पड़े हुए आवेदन पत्रों का इस बीच निपटान कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन औद्योगिक गृहों के नाम क्या है जिन्हें विभिन्न प्रकार के मानव निर्मित रेशे की अपनी क्षमता के विस्तार के लिए लाइसेंस दिये गए हैं, प्रत्येक मामले में वर्तमान क्षमता बताई जाय तथा नए उद्यमों के मामले में लाइसेंस क्षमता बताई जाए ;

(ग) सरकारी क्षेत्र की उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें विस्तार के लिए और नए उद्यम आरम्भ करने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं ; और

(घ) क्या सरकार नें देश में सम्भावित मांग को ध्यान में रखकर इस क्षमता के पूर्ण उपयोग के बारे में स्वय को संतुष्ट कर लिया है और क्या बड़े औद्योगिक गृहों के अतिरिक्त आवेदकों को कोई प्राथमिकता दी गई है, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) विभिन्न संश्लिष्ट तन्तुओं का निर्माण करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों के लिए पड़े हुए प्रार्थना पत्रों पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बल्क औषधियों के मूल्यों में संशोधन

1110. **श्री एस० एम कृष्णन्** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा जारी 13 अनिवार्य बल्क औषधियों के मूल्यों में वृद्धि की हाल की अधिसूचना के बाद औषध उद्योग में सभ्रान्ति व्याप्त है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालयों ने उन औषधियों के आधार पर निरूपण के लिए लीडर मूल्यों की घोषणा नहीं की है ; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए और यह देखने के लिए कि बाजार में वे आवश्यक औषधियां सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध हों, उनके मन्त्रालय द्वारा किन तरीकों पर विचार का प्रस्ताव है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) हाल ही में अनिवार्य बल्क औषधों के मूल्यों में संशोधन की अनुमति देने के बाद औषध उद्योग में व्याप्त किसी भ्रम की सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) जिन बल्क औषधों के मूल्यों में संशोधन कर दिया गया है उन पर आधारित कुछ फामुंलेशनों के संशोधित लीडर मूल्यों की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी ।

(ग) जब कभी सरकार के ध्यान में यह बात आती है कि कोई निर्माता किसी औषध को अधिकृत मूल्य से अधिक मूल्य पर बेच रहा है तो ऐसे निर्माता को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और/अथवा सम्बन्धित राज्य औषध नियंत्रण से अनुरोध किया जाता है कि वह उक्त मामले की जांच करें और आवश्यक कार्यवाही करें ।

उत्पादन के स्वरूप का विविधीकरण

1111. श्री निहाल सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नैं० फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड (एफ० ए० सी० टी०) के उत्पादन के स्वरूप में विविधीकरण के बारे में जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नही, तो जांच कब तक पूरी हो जाएगी तथा उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्राउनकोर लि० (फैक्ट) की विविधीकरण योजना के एक भाग के रूप में एक कैप्रोलैक्टस प्रायोजना स्थापित करने के लिए उनके एक प्रस्ताव पर रसायन और उर्वरक विभाग द्वारा अन्य संबंधित विभागों के परामर्श से विचार किया जा रहा है और इस मामले में शीघ्र ही निर्णय किए जाने की आशा है ।

किन्ही कम्पनियों के लेखे रखा जाना

1112. श्री निहाल सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री लेखे न रखने के लिए दोषी पाई गई कम्पनियों के नामों के बारे में 10 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 331 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उक्त कम्पनियों द्वारा समुचित लेखे न रखे जाने के कारणों का इस बीच पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) निर्देशित प्रश्न के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना संकलित की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

1979-80 के दौरान विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की राज्य-वार संख्या

1113. श्री राम सिंह शाक्य : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979-80 के दौरान राज्यवार कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया ;

(क) क्या बिहार के जिला समस्तीपुर के विद्युतीकरण की प्रगति धीमी है ; और

(ग) यदि, हां, तो उसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान, 5,990 गांवों में हरिजन तथा अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा आबाद बस्तियों में स्ट्रीट लाइट की सुविधा दी गई थी। राज्यवार ब्यौरा उपाबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) समस्तीपुर जिले सहित बिहार राज्य में विद्युतीकरण की गति धीमी है। समस्तीपुर जिले के 1,213 गांवों में से मार्च 1980 के अंत तक 426 गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। जिन गांवों में स्ट्रीट लाइट की सुविधा है उनकी संख्या केवल 45 है और इन में से 41 गांवों में, हरिजनों तथा अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा आबाद बस्तियों को स्ट्रीट लाइट की सुविधा दे दी गई थी। गांवों में स्ट्रीट लाइट देने के मामले में अधिकांश राज्य दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि स्थानीय संस्थायें बिजली की खपत के प्रभारों और बल्बों को बदलने जैसे अनुरक्षण कार्य के लिए भुगतान करने के लिए राजी नहीं हैं। हरिजन बस्तियों सहित गांवों में स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध कराने का मामला पूर्णतः संबंधित स्थानीय संस्थाओं का मामला है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विद्युतीकरण में कृषि सेवाओं तथा ग्रामीण उद्योगों पर जोर दिया जाता है।

विवरण

वर्ष 1979-80 के दौरान जिन गांवों में हरिजन तथा अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा आबाद बस्तियों में स्ट्रीट लाइट की सुविधा दी गई है, उन गांवों की संख्या दर्शाने वाला विवरण :

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिन गांवों में हरिजनों तथा अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा आबाद बस्तियों को 1979-80 के दौरान स्ट्रीट लाइट की सुविधा दी गई है उन गांवों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1454
2.	बिहार	39
3.	गुजरात	473
4.	हरियाणा	28
5.	कर्नाटक	530
6.	केरल	उपलब्ध नहीं
7.	मध्य प्रदेश	231
8.	महाराष्ट्र	1328
9.	उड़ीसा	334

10.	पंजाब	1
11.	राजस्थान	उपलब्ध नहीं
12.	तमिलनाडु	£
13.	त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं
14.	उत्तर प्रदेश	1561
15.	पश्चिम बंगाल	शून्य
	कुल जोड़ (राज्य)	1979
1.	दादर और नगर हवेली	1
2.	दिल्ली	*
3.	लक्ष्यद्वीप	शून्य
4.	मिजोरम	10
5.	पांडिचेरी	*
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	11
	जोड़ (अखिल भारत)	5990

£—31-3-1980 की स्थिति के अनुसार राज्य में जितनी हरिजन बस्तियां थी, सभी को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

*—शत प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

नोट :—असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम और संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ और गोवा, दमन और दीव में अलग से बसी हरिजन बस्तियां नहीं हैं तथा गांवों को विद्युतीकृत करते समय हरिजनों द्वारा बसी हरिजन बस्तियों को भी साथ ही साथ लाभ मिलता है।

आसनसोल में रेडियो स्टेशन

1114. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आसनसोल में रेडियो स्टेशन स्थापित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो, तो क्यों नहीं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) से (ग) आसनसोल आकाशवाणी, कलकत्ता के 50 कि० वा० और 100 कि० वा० मीडियम वेव के दोनों ट्रांसमीटरों की प्राथमिक ग्रेड की दिवाकालीन सेवा की परिधि में है । इसको ध्यान में रखते हुए और संसाधनों की कमी के कारण आसनसोल में एक अलग रेडियो स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

न्यायाधीशों की नियुक्तियां और स्थानान्तरण

1116. **श्री एन० ई० होरो :**

श्री के० मालन्ना : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यह है कि उच्च न्यायालयों के एक तिहाई न्यायाधीश राज्य के बाहर से नियुक्त किये जाने चाहिए और मुख्य न्यायाधिपति को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो यह भी सच है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद ने इसका विरोध किया है ;

(ग) क्या किसी राज्य ने इस प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) सरकार को भिन्न-भिन्न स्थानों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह आग्रह किया गया है कि जहां तक नीति का संबंध है किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति उस उच्च न्यायालय की अधिकारिता से बाहर का होना चाहिए और यह कि इस सुझाव को प्रभावी बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 222 का सहारा लिया जाना चाहिए ।

यह सुझाव भी दिए गए हैं कि उच्च न्यायालय के एक तिहाई न्यायाधीश राज्य के बाहर से नियुक्त किए जाने चाहिए ।

सरकार इस विषय पर विचार कर रही है ।

(ख) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने जुलाई, 1980 में एक संकल्प पारित किया जिसमें यह कहा गया था कि यदि किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के पद के रिक्त होने पर

उस पर भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को नियुक्त करके उस रिक्त पद को भरने की परिपाटी का अनुसरण किया जाता है तो यह उन व्यक्तियों के हित में उचित नहीं होगा जो इस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और जो इस बारे में निश्चित हैं कि वे मुख्य न्यायाधिपति के रूप में प्रोन्नति प्राप्त करेंगे ।

किन्तु सरकार ऐसी किसी परिपाटी को अपनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

विधिज्ञ परिषद् के उक्त संकल्प में एक तिहाई न्यायाधीशों की बाहर से नियुक्ति किए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया गया है ।

सितम्बर 1979 में, विधि आयोग को एक प्रश्नावली के उत्तर में भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की उस उच्च न्यायालय की अधिकारिता के बाहर से नियुक्त किये जाने और एक तिहाई न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के बाहर से किए जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स लिमिटेड द्वारा राज्यों में संयुक्त उद्यम परियोजनायें चालू करना

1117. **श्री जनार्दन पुजारी :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स लिमिटेड ने फार्मूलेशन तैयार करने के लिये विभिन्न राज्यों में छः संयुक्त उद्यम लगाने की योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों के साथ करार पर हस्ताक्षर हो गये हैं और परियोजनाओं के कब तक शुरू हो जाने की आशा है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) इस समय हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० ने 3 राज्यो में संयुक्त उद्यम की योजना बनाई है और तदनुसार उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में संयुक्त उद्यम फार्मुलेशन एककों के बारे में करार पर हस्ताक्षर किये हैं । महाराष्ट्र एकक पूरा होने वाला है और मार्च, 198 तक उसमें निमार्ण कार्य आरम्भ होने की आशा है । अन्य दो एकक कार्यान्वयन के विभिन्न स्तर पर हैं ।

घटिया स्तर की कीटनाशी दवाओं की खरीद

1118. श्री निहाल सिंह :

श्री आर० वाई० घोरपांडे : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 सितम्बर, 1980 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार कि करोड़ों रुपये की खरीदी गई कीटनाशी दवायें जिन्हें राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत भेजा गया, घटिया क्वालटी की थी, में क्या कोई सच्चाई है ;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनसे ये कीटनाशी दवायें खरीदी गई थी ; और

(ग) जांच के दौरान पाए गए दोषी अधिकारियों के नाम तथा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन 1976 और 1977 के दौरान वी० एच० सी० 20 प्र० श० डब्ल्यू डी० पी० और मैलाथीम 25 प्र० श० डब्ल्यू डी० पी० की कुछ मात्रा खरीदी गई थी। राज्य मलेरिया संगठन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्राप्त मात्रा का कुछ अंश दिसम्बर, 1977 में सांविधक प्राधिकरण अर्थात् पौध संरक्षण निदेशालय, कृषि विभाग, महाराष्ट्र द्वारा घटिया किस्म का पाया गया था। इस बारे में फर्मों के साथ उत्पन्न हुए विवाद को विवाचक के सुपुर्द कर दिया गया था। पाइरोथीन पर आधारित पायसीकरण के योग्य लाखों नाशक तेल की सप्लाई के लिए मैसर्स शैलात ब्रादर्स मद्रास को दिए गए दो ठेकों में घटिया किस्म की कुछ मात्रा के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

(ख) जिन फर्मों का माल रद्द किया गया था, उनके नाम नीचे दिए गए हैं :—

बी० एच० सी० 50 प्र० श० डब्ल्यू डी० पी०

1. मैसर्स कृषि चैमिन (प्रा०) लि०, बंगलौर।
2. मैसर्स देवीदयाल सेल्स (प्रा०) लि०, बम्बई।
3. मैसर्स एस० एम० पी० (प्रा०) लि०, बम्बई।
4. मैसर्स रैलिस इंडिया, बम्बई।
5. मैसर्स युनाइटेड फर्टिलाइजर, बम्बई।
6. मैसर्स खानदेश पैस्टीसाइडस (डी० एस० आई० डी० सी०)।

7. मैसर्स किलपेस्ट (प्रा०) लि०, भोपाल ।

मैलाथीन 25 प्र० श० डब्ल्यू डी० पी०

1. मैसर्स एस० एम० पी० (प्रा०) लि०, बम्बई ।
2. मैसर्स किलपेस्ट (प्रा०) लि०, भोपाल ।

पाइरेथोरम तेल

मैसर्स शैलात ब्रादर्स, मद्रास ।

(ग) विवाचन-प्रक्रिया का परिणाम मालूम हो जाने के बाद ही अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने के प्रश्न की जांच की जाएगी । पाइरोथ्रीम के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है और रिपोर्ट की जांच पूरी हो जाने के बाद ही जिम्मेदारी निश्चित किए जाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

आवश्यक औषधियों के मूल्यों को बढ़ाने का निणय

1119. **श्री माधव राय सिंधिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा किए गए लागत अध्ययन के आधार पर कतिपय आवश्यक औषधियों के मूल्यों का पुनरीक्षण और उनमें वृद्धि करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, यदि हां तो वृद्धि की अनुमति किस तिथि से दी गई है ;

(ख) प्रत्येक औषधि के उत्पादन लागत में हुई वृद्धि तथा उसके अनुमानतः मूल्य वृद्धि इस सम्बन्ध में को दर्शाते हुए इस सम्बन्ध में लिये गए निर्णय तथा ब्यूरो द्वारा किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इन औषधियों के मूल्यों में सम्भावित वृद्धि को देखते हुए ये औषधियां खुले बाजार से गायब हो गई है तथा कई विनिर्माताओं द्वारा इन्हें छुपा लिया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा किये गये लागत अध्ययनों के आधार पर औषध (मूल्य नियंत्रित) आदेश 1979 के अन्तर्गत मूल्य नियंत्रित औषधों के मूल्यों में समायोजन करने की अनुमति देने के बारे में सरकार ने अगस्त 1980 में एक पद्धति को मंजूरी दी थी । इस निर्णय के अनुसरण में सरकार ने अब तक 14 बल्क औषधों के मूल्यों में संशोधन कर दिया है । इन 14 बल्क औषधों के मूल्यों में वृद्धि को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है जिसमें उनकी उत्पादन लागत में वृद्धि और संशोधित मूल्य लागू होने की तिथि को भी ध्यान में रखा गया है ।

(ग) मूल्यों में समायोजन केवल वृद्धि के मामले में ही नहीं किया जायेगा। अपितु उसमें वृद्धि भी हो सकती है और कमी भा। कुछ औषधों की उपलब्धता में कमी के अनेक कारण हैं। तथापि किसी अनिवार्य औषध को संभावित मूल्य वृद्धि के कारण बाजार से गायब रखे जाने की कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

विवरण

क्र० सं०	औषध का नाम	संशोधन से पूर्व प्रति कि० ग्रा० मूल्य (रुपयों में)	संशोधित मूल्य (रुपयों में)	संशोधन की तारीख
1	2	3	4	5
1.	पैंथीडाइन एच०सी०एल०	1050.00	1522.25	17.9.1980
2.	पैथेलाइन सल्फा थियाजोल	173.00	188.55	27.9.1980
3.	एसीटाजोलामाइड	350.00	564.56	4.10.1980
4.	एफीड्राइन एच०सी०एल०	405.00	487.56	4.10.1980
5.	फोलिक एसिड	2497.07 (कैप्टिव खपत के लिए 2536.40 दूसरों को बेचने के लिए	2631.62	4.10.1980
6.	सल्फा सिटामाइड	102.25	172.97	4.10.1980
7.	सल्फा सिटामाइड सोडियम	102.25	113.10	4.10.1980
8.	सल्फा डिमीडाइन	181.41	178.56	4.10.1980
9.	क्लोमा पैनीकल सोडियम सक्सीनोट	स्वदेशी उत्पादन के लिए कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था।	1024.45	4.10.1980
10.	स्ट्रेप्टोमाईसीन सल्फेट	475.00 (पूल)	660.75 (पूल)	6.10.1980

1	2	3	4	5
11.	क्लोरम फैनीकल पावडर	460.00 (पूल)	622.00 (पूल)	7.10.1980
12.	क्लोरम फैनीकल पालमीटेट	460.00 (पूल)	806.00 (पूल)	7.10.1980
13.	प्रोकेन हाइड्रो क्लोराइड	114.00	158.83	9.10.1980
14.	विटामिन-बी 2	935.48 (पूल)	1100.00 (पूल)	13.11.1980

"ह्यूज कोल डिपोजिट्स फाउण्ड इन गुजरात" शीर्षक से छापा समाचार

1120. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 15 अक्टूबर, 1980 के "इंडियन एक्सप्रेस" में छपे समाचार के अनुसार गुजरात में कोयले के बड़े भण्डार पाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कोयले का कितना अनुमानित भण्डार पाया गया है और उस कोयले की किस्म क्या है ; और

(ग) खानों से कोयले के खनन का काम कब तक प्रारम्भ किया जाएगा और इससे देश की आवश्यकता किस हद तक पूरी होगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) लिग्नाइट (जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं) के छः भण्डार इन स्थानों पर खुले है—पनन्ध्रो, मातानोमाध-लैफरी, उम्रसर, धूनेरी, अकरी और झूलराई-वागपदार कच्छ जिले में । एक भण्डार गुजरात के भडोंच जिले (भूरी) में भी है ।

(ख) समन्वेषण के आधार पर इन भण्डारों के लिए 165 मिलियन टन लिग्नाइट होने का अनुमान लगाया गया है । कच्छ के लिग्नाइट की औसत किस्म में निम्नलिखित अंश है-34.82 प्रतिशत नमी, 34.36 प्रतिशत वाष्पशील द्रव्य, 8.5 प्रतिशत राख, 23.4 प्रतिशत नियत कार्बन इसकी कैलोरीफिक वैल्यू प्रति किलोग्राम 3942 किलो कैलोरीज है । पन्धी और उम्रसर में लिग्नाइट में क्रमशः 3.17 प्रतिशत 5.4 प्रतिशत गन्धक का अंश भी मिला है ।

(ग) इस समय केवल पेन्धी में ही धरातल के निकट मिलने वाले लिग्नाइट का गुजरात खनिज विकास निगम ओपेनकास्ट प्रणाली से खनन कर रहा है और इसका उपयोग धरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है । जहां तक अन्य स्थानों के लिग्नाइट भण्डारों का प्रश्न है, वहां लिग्नाइट धरातल से लगभग 1400 मीटर नीचे पाया जाता है और इतनी अधिक गहराई से

खनन के लिए देश में अभी तक किसी प्रोद्योगिकी का विकास नहीं हुआ है इसके अलावा इन क्षेत्रों की विभिन्न पट्टियों में भन्डारों की मात्रा भी ऐसी नहीं प्रतीत होती कि प्रौद्योगिक की वर्तमान दशा में इनका आर्थिक दृष्टि से लाभकारी खनन हो सके। अतः इन पट्टियों से निकट भविष्य में लिग्नाइट का खनन तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं समझा जा रहा है।

विद्युत, अल्युमिनियम तथा इस्पात की कमी का ग्रामीण विद्युतीकरण पर प्रभाव

1121. **श्री पी० एस० सईद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत, अल्यूमीनियम, इस्पात जैसे कुछ आदनों की कमी के कारण गत वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति के बारे में बाधा पैदा हुई ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष में कितने गावों का विद्युतीकरण किया गया ;

(ग) चालू वर्ष में कितने गावों का विद्युतीकरण किया जाने की संभावना है ;

(घ) 1 जनवरी से 31 अक्टूबर, 1980 तक की अवधि में अब तक कितने गावों का विद्युतीकरण किया गया है ; और

(ङ) चालू वर्ष में और छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि आबंटित की गयी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) : विद्युत, अल्यूमीनियम, इस्पात आदि जैसे आदानों की कमी से वर्ष 1979-80 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति में कुछ हद तक बाधा अवश्य पड़ी है। पिछले वर्ष विद्युतीकृत किए गांवों की संख्या 17,342 थी।

(ग) और (घ) : वर्ष 1980-81 (अर्थात् 1-4-80 से 31-3-1981 तक) के लिए योजना आयोग लगभग 25,000 नए गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्राप्त हुई अद्यतन प्रगति रिपोर्टों के अनुसार 1 जनवरी से 31 अगस्त, 1980 तक की अवधि के दौरान 15,247 नए गांव विद्युतीकृत किए गए हैं।

(ङ) : चालू वित्त वर्ष 1980-81 के लिए योजना आयोग ने ग्राम विद्युतीकरण के लिए 285.22 करोड़ रु० आबंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त प्रणाली सुधार की निर्माणाधीन स्कीमों की वित्त व्यवस्था के लिए 17.50 करोड़ रु० आबंटित किये गये हैं। छठी पंच वर्षीय योजना-1980-85 के लिए ग्राम विद्युतीकरण के लिए आबंटन के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

1125. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री पी० एम० सईद :

श्री वी० वी० देसाई : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में 2144 कम्पनियां कदाचार कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन करते पाई गई हैं ;

(ख) क्या विदेशी कम्पनियों ने भी कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन करना आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को कम्पनी अधिनियम का किस तरह का उल्लंघन होने का पता चला है और इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) वर्ष 1979-80 की प्रथम अर्द्ध अवधि में, 2144 कम्पनियों और उनके अधिकारियों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के उल्लंघनों के लिए मामले प्रारम्भ किये गये थे। चलाये गए अभियोगों में बहुसंख्या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 162, 168, 210 और 220 के अन्तर्गत किए गए दोषों से सम्बद्ध थीं। चयन किए गए आधार पर, भारतीय सहायकों और विदेशी कम्पनियों की शाखाओं के निरीक्षण के लिए मार्च, 1979 में निर्धारित विशेष योजना के अनुसरण में, अब तक 15 मामलों में निरीक्षण सम्पन्न किए गए हैं। इनमें से, 12 मामलों में कम्पनी अधिनियम के कतिपय उपबन्धों के उलंघनों जो मुख्यत: धारा 49, 56, 108, 143, 147, 159, 193, 205 क, 209, 211, 212, 217, 292, 297, 301, 303, 314, और 383क से सम्बन्धित थे, सूचना में आए कुछ मामलों में, कम्पनियों के उत्तरों पर विचार करने के पश्चात् आगे कार्यवाही समाप्त कर दी गई। शेष मामलों में, सम्बन्धित कम्पनियों से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

कोयले के वितरण और बिक्री प्रणाली में परिवर्तन

1126. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में कोयले के वितरण और बिक्री प्रणाली में परिवर्तन किए जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या वर्तमान योजना के अतर्गत यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सावधानी बरती है कि प्रत्येक पार्टी को अनुमत बिक्री वास्तव उपभोक्ता को दी जाए और उसकी चोरबाजारी न हो सके ; और

(ग) प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है तथा उसे कब से आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) कोयला वास्तविक उपभोक्ताओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रायोजन के आधार पर ही दिया जाता है परन्तु कोयले की खान मुहानों पर उपलब्धि में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पहली सितम्बर, 1980 से कुछ विशेष खानों का कोयला बिना किसी नियन्त्रण के भी सभी खरीदारों को बेचा जा रहा है। यह योजना प्रयोग के आधार पर पहले केवल तीन महीने के लिए है। किसी राज्य में कोयले के उपभोग का नियन्त्रण उस राज्य की राज्य सरकार करती है जिसके लिए उसे अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अधीन शक्तियां प्राप्त हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयला खानों में कार्य प्रणाली को आधुनिकतम बनाने के लिए विदेशी सहयोग

1127. **श्री सतीश अग्रवाल :**

श्री के० मालन्ना :

श्री जनार्दन पुजारी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में कोयला खानों में कार्य प्रणाली को आधुनिकतम बनाने के लिए विदेशों में प्रौद्योगिकी का आयात करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए विदेशों से प्रस्ताव मांगे गए हैं, यदि हां, तो उन देशों के नाम तथा प्रस्तावों की शर्तें क्या हैं ;

(ग) इस कार्य को भारतीय प्रौद्योगिकों को न सौंपने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार को फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, पोलैंड जापान, पश्चिम जर्मनी, सोवियत रूस और रोमानिया से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) भूमिगत और ओपेनकास्ट खनन के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी केवल उन्हीं मामलों में माँगी जाती है जिसमें संबद्ध समस्याओं के समाधान के लिए देश में ही उपलब्ध प्रौद्योगिक ज्ञान पर्याप्त नहीं होता ।

एल० पी० जी० गैस का आयात

1128. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार एल० पी० जी० (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) का आयात करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) जी, हां। फरवरी से अगस्त, 1980 के दौरान 31,000 मी० टन तरल पेट्रोलियम गैस का आयात किया गया। आगामी महीनों में कुछ और एल० पी० जी० के आयात करने का प्रस्ताव है।

कच्चे तेल के आयात के लिए मैक्सिको को प्रतिनिधि मंडल

1129. **श्री अरविन्द नेताम** :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री हीरालाल आर० परमार : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के लिए कच्चा तेल प्राप्त करने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल ने मैक्सिको की यात्रा की थी ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी विववरण क्या है और उक्त यात्रा का क्या परिणाम रहा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) मैक्सिको ने वर्ष 1981 के दौरान 1.5 मिलियन मी० टन अशोधित तेल की सप्लाई करना स्वीकार कर लिया है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों को बोनस

1130. **श्री निहाल सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों को बोनस के भुगतान के बारे में अन्तिम निर्णय इस बीच ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी राशि वितरित की गयी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक कोई निर्णय न किए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों को उत्पादकता पर आधारित अनुग्रह-पूर्वक अदायगी करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ।

समाचारपत्रों में मूल्य वृद्धि

1131. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार प्रबन्धकों ने अखबारों की कीमत बढ़ा दी है ;

(ख) यदि हां, तो वृद्धि के कारण एवं आधार क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की थी और यह सुनिश्चित किया था कि अखबारों की कीमत में वृद्धि न्यायोचित हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम०जोशी) : (क) जी, हां ।

(ख) समाचारपत्रों ने दावा किया है कि मूल्य वृद्धि अधिक निर्माण लागत के कारण हुई है ।

(ग) संवैधानिक रूप से सरकार समाचारपत्रों को अपना मूल्य एक निश्चित स्तर पर निश्चित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती ।

(घ) द्वितीयतीय प्रेस आयोग से इस पहलु का अध्ययन करने की अपेक्षा है और सरकार द्वितीय प्रेस आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद ही अपनी राय बना सकेगी ।

कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना

1133. **श्री के० ए० राजन :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री के० एम० मधुकर :
श्री अरबिन्द नेताम : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस योजना के लिए कोई विदेशी सहायता मांगी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार का विचार कोयले के उत्पादन को 1979-80 के 103.73 मिलियन टन से बढ़ाकर 1984-85 तक 165 मिलियन टन करने का है ।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि० ने पौलैंड ग्रेड ब्रिटेन, सोवियत रूस तथा फ्रांस के साथ कोयला खनन उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर सहायता के लिए समझोते किये हैं ।

उर्वरक का उत्पादन

1134. **श्री के० ए० राजन** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान देश में हुए उर्वरक उत्पादन का माह-वार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : वर्तमान वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर, 1980) के दौरान महावार उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

माह	उत्पादन (1000 टनों में)	
	नाइट्रोजन	पी० 2 ओ० 5
अप्रैल, 1980	144.8	59.0
मई, 1980	147.9	57.1
जून, 1980	125.1	65.7
जुलाई, 1580	129.7	74.1
अगस्त, 1980	155.3	71.1
सितम्बर ,1980	141.2	68.3
अक्टूबर, 1980	190.3	75.4

शांत घाटी परियोजना के पारिस्थितिक पहलुओं के बारे में समिति

1135. **श्री के० ए० राजन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में शांत घाटी परियोजना के पारिस्थितिक पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समिति के प्रतिवेदन के कब तक मिल जाने की आशा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) जी, हां। साइलेंट वेली परियोजना के पारिस्थितिक पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रोफसर एम० जी० के० मेनन, सचिव, विज्ञान और प्रोद्यौगिकी विभाग, की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन निम्नानुसार है ;

केन्द्र द्वारा नामाँकित	राज्य द्वारा नामांकित
डा० एच० के० जैन्, निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, हिल साइड रोड, नई दिल्ली-110012	अध्यक्ष विज्ञान और प्रोद्योगिकी समिति, समिति, पदेन सचिव, केरल सरकार,
डा० ए० के० शर्मा, अध्यक्ष, भारतीय विज्ञान कांग्रेस विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।	योजना और आर्थिक कार्य विभाग, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम। डा० के० राघवन नेप्पियार, सहायक प्रोफेसर पर्यावरण इन्जीनियरिंग, गवर्नमेंन्ट इन्जीनियरिंग कालेज, त्रिचूर, केरल।

केन्द्र द्वारा नामांकित	राज्य द्वारा नामांकित
डा० टी० एन० अनन्तकृष्णन, जवाहर लाल नेहरू फैलो, भूतपूर्व निदेशक जूलाजिकल सर्वे आफ इन्डिया, लोयोल कालेज, मद्रास।	अध्यक्ष, केरल राज्य बिजली बोर्ड। विद्युत आयुक्त केरल सरकार।
डा० माधव गाडगिल पीताम्बर पतं राष्ट्रीय पर्यावरण फैलो, सैद्धान्तिक अध्ययन केन्द्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।	

संयुक्त समिति का कार्य प्रगति पर है।

उर्वरक संयंत्रों में उपकरणों के खराब हो जाने के कारण

1136. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 के दौरान कलोल, गोआ, दुर्गापुर तथा बरौनी स्थित उर्वरक सन्यन्त्रों में उपकरणों के खराब हो जाने के क्या कारण थे और उन्हे हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) सिन्दरी मार्डनाइजेशन प्लान्ट, पानीपत, तालचर और रामागुन्डम सन्यन्त्रों में ईंधन तेल, कोयले की कमी और विद्युत सप्लाई में वोल्टेज घट-बढ़ आदि की समस्याओं को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी और उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कलोल स्थित प्लांट में कार्बनडाइआक्साइड कम्प्रेसर फेल हो गया था क्योंकि उसकी धातु पुरानी हो गई थी और उसके डिजाइन में भी कुछ कमी थी मशीन को मरम्मत करके उसे चालू किया गया है और एक नए स्टैन्डबाइ के लिए आर्डर दे दिया गया है।

2. गोवा प्लांट का वेस्ट हीट बायलर फेल हो गया था क्योंकि वह 6 वर्ष से अधिक समय से चालू था। ट्यूब बन्डल को बदल दिया गया है। कार्बनडाइआक्साइड कम्प्रेसर में मीटर स्टार्टर खराब सर्वीस के कारण फेल हो गया था उसे बदल दिया गया है। एन० पी० के० प्लांट में लगातार मैटल पटींग के कारण ट्रायर का एक टायर फेल हो गया था। इसे बदल दिया गया है।

दुर्गापुर प्लांट में प्रक्रिया तथा फ्लू गैस साइड में वेस्ट हीट रिकवरी बालयलर की ट्यूब दो बार फट गई थी। एक बार ट्यूब के अन्दर रुकावट होने से पानी का बहाव बन्द हो गया था। दूसरी बार उच्च डिजाइन हीट भार के कारण बहुत अधिक दबाव पड़ने से कुछ पुर्जे कमजोर हो गए थे। मरम्मत और परिवर्तन कार्य पूरा किया गया है। कैटेलिस्ट के अन्दर से टुकड़े-टुकड़े हो जाने से अत्यधिक गर्मी के कारण रिफोर्मर फरनैस में 2 केटेलिस्ट कैरियर ट्यूब फेल हो गए थे। कैट्लिस्ट के फेल होने का कारण बार-बार प्लांट को बन्द करना और चालू करना था। ट्यूब और कैटेलिस्ट को बदल दिया गया है। रिफोर्मर से मुख्य हाट प्रोसेस लाइन में गास्केट फेल हो गया था जिसके लिए गोस्केट बदले गए हैं एक नये कम्प्रेसर इन्टरकूलर की ट्यूब रास्ते में दूर हो जाने से फेल हो गई थी। ट्यूब का बन्डल बदल दिया गया है।

4. बरौनी में रिफोर्मर फ्लू गैस डक्ट की रिफ्रैक्ट्री लाईनिंग खराब हो गई थी इसका कारण आंशिक रूप से प्लांट को बार-बार चालू और बन्द करना था और आंशिक रूप से घटिया किस्म की सामग्री और उसका उपयोग था। रिफोर्मर फरनैस का एक मुख्य ड्राफ्ट फैन सामग्री के कारण फेल हो गया था। प्रभावित भाग को बदल दिया गया है। रिफोर्मर कैटेलिस्ट ट्यूब

की हीट कनैक्टिंग पाइप जो होट हीटर से जोड़ी जाती है फट गई थी जिससे बार-बार थरमल झटके लगते रहे क्योंकि उसे बिजली फेल होने से बार-बार बन्द/चालू करना पड़ता था। मरम्मत और परिवर्तन के अलावा प्लांट के होट फ्रन्ट एण्ड को सुरक्षित पावर सप्लाई करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि अल्प समय के लिए बिजली बन्द होने की स्थिति में प्लांट संचालन में रुकावट न आने पाये।

(ख) सिन्दरी आधुनिकीकरण प्लांट को बिजली निकटवर्ती कोयला क्षेत्रों से कोयले की उपलब्धता में कोई कठिनाई नहीं है और बिजली की उपलब्धता की भी कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि उनके पास कैप्टिव पावर प्लांट है। सिन्दरी को ईंधन तेल फीड स्टाक की सप्लाई में 18-1-80 से कटौती कर दी गई थी क्योंकि बरौनी और बोगईगांव शोधन शालाओं जिनसे सप्लाई जुड़ी हुई है, का संचालन बन्द हो गया था। सिन्दरी को हल्दिया शोधनशाला/आयात से सप्लाई करने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। नवम्बर 1980 के अन्त तक उत्पादन पुनः आरम्भ करने की आशा है।

2. पानीपत प्लांट को इस समय कोपाली और कान्डला बन्दरगाहों से ईंधन तेल की सप्लाई की जा रही है। यद्यपि इस प्लांट को इस समय ईंधन तेल की सप्लाई पर्याप्त रूप में की जा रही है लेकिन उसका कोयला स्टाक बहुत कम है। ईंधन तेल और कोयले की सप्लाई की देख-रेख की जा रही है।

3. वोल्टेज में बार-बार उतार-चढाव और बिजली की गड़बड़ी के कारण पानीपत प्लांट को चालू करने में प्रभाव पड़ा और परीक्षण उत्पादन में विलम्ब हो गया। यह मामला हरियाणा बिजली बोर्ड के साथ उठाया गया था और अब स्थिति में सुधार है। बिजली सप्लाई में अस्थिरता को दूर करने के लिए स्थायी उपायों की व्यवस्था की जा रही है।

4. तालचर और रामागुण्डम प्लांटों को ईंधन तेल अथवा कोयले की कमी की कोई समस्या नहीं है। तथापि दोनों प्लांटों को बिजली की सप्लाई में अत्यन्त प्रतिबन्ध के कारण जनवरी, 1980 और जुलाई 1980 के बीच संचालन कार्य को बन्द करना पड़ा और तालचर प्लांट को अक्तूबर, 1980 में भी बाढ़ के कारण बन्द करना पड़ा। बिजली की कटौती हाप देने से संचालन कार्य को पुनः आरम्भ कर दिया गया था। इन प्लांटों में 1 नवम्बर, 1980 से वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हो गया है।

फिल्मों की कथित तस्करी के बारे में शिकायत

1138. **श्री जगपाल सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि एक प्रमुख फिल्में निर्माता तथा निदेशक द्वारा की गई एक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार भारतीय फिल्मों की तस्करी कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लगाये गये इस आरोप के बारे में कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) से (ग) श्री सोहराब मोदी से उनकी अपनी फिल्म 'पुकार' के बारे में और कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं उनकी जांच हड़ताल की गई थीं। 'पुकार' यह पाया गया था कि राष्ट्र फिल्म संग्रहालय पुणे के क्यूरेटर ने फिल्म/को प्रोडयूसर की अनुमति लिए बिना जो संग्रालय, द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार लेनी चाहिए थी, पेरिस भेजा था। यह फिल्मों की तस्करी का मामला नहीं था। तथापि, भविश्य में इस प्रकार के मामलों की पुनरावर्ती को रोकने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक शोधक कार्रवाई की गई है।

नाइट्रोजीनियस उर्वकोंर के उत्पादन में कमी

1139. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री जनार्दन पुजारी : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1980 से नाट्रोजीनियस उर्वरकों के उत्पादन में भारी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1980 से उर्वरकों के उत्पादन में कितनी कमी हुई है ;

(ग) उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार का विचार मांग और सप्लाई के बीच अन्तर को किस प्रकार पूरा करने का है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) और (ख) जनवरी से अक्टूबर, 1980 की अवधि के दौरान नाइट्रोजन के 23,62,300 टन के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में नाइट्रोजनस उर्वरक के रूप में 16,24,6000 टन नाइट्रोजन का उत्पादन हुआ।

(ग) बिजली की कटौती/परिसीमन, कच्चे माल और सम्भरण सामग्री की कमी, यांत्रिक समस्याओं और श्रमिक समस्याओं जैसे विभिन्न कारणों से उत्पादन में गिरावट आई।

(घ) उर्वरकों की मांग और सप्लाई के बीच अन्तराल को आयात द्वारा पूरा किया जाता है।

बड़े समाचारपत्रों में छापे जाने वाले विज्ञापनों की संख्या कम करना

1140. **श्री तारिक अनवर :**

श्री हन्नान मोल्लाह :

प्रो० रूपचन्द पाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़े समाचार-पत्रों में छापे जाने वाले विज्ञापनों की संख्या निर्धारित करने का है ताकि पाठकों को समाचारपत्रों में विज्ञापन के साथ-साथ एक निश्चित मात्रा में अन्य पठन-सामग्री भी मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) से (ग) द्वितीय प्रेस आयोग, जिसका गठन प्रेस के संवर्धन और प्रास्थिति की जांच करने के लिए किया गया है, से समाचारपत्रों में विज्ञापनों की मात्रा सहित प्रेस को प्रभावित करने वाली बात के कई पहलुओं का अध्ययन करने की अपेक्षा की जाती है। सरकार द्वितीय प्रेस आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद अपनी राय बना सकेगी।

तेल का उत्पादन और आयात

1141. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान भारत ने अपने प्रयास तेल की कितनी मात्रा में उत्पादन किया और पिछले तीन वर्षों के मुकाबले इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारत ने ईरान और ईराक से तेल का कितनी मात्रा में आयात किया ;

(ग) जनवरी, 1980 से अब तक की अवधि के दौरान तेल के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ; और

(घ) तेल के आयात पर 1981-82 के दौरान सरकार द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की जाएगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वर्ष 1977, 1978, 1979 और 1980 (जनवरी-सितम्बर) के दौरान और इन वर्षों में वृद्धि/घटत की प्रतिशतता नीचे दर्शायी गई है।

(1000 मी० टन)

	उत्पादन	% वृद्धि/कमी
1977	10185	+17.6
1978	11271	+10.7
1979	12839	+13.9
1980 (जन०-सित०)	7021	—28.4

(ख) अशोधित तेल की चालू वर्ष में वास्तव में प्राप्त हुई मात्रा इस प्रकार है :—

(मि० मी० टन)

	ईरान	ईराक
1977	6.7	3.1
1978	4.9	4.7
1979	2.4	6.6

(ग) वर्ष 1980 के दौरान अशोधित तेल के आयात पर व्यय की जाने वाली अनुमानित विदेशी मुद्रा लगभग 3,000 करोड़ रुपए होगी।

(घ) सरकार वर्ष 1981-82 के लिए आयल इकोनोमी बजट तैयार करने जा रही है। अतः वर्ष 1981-82 के दौरान व्यय की जाने वाली विदेशी मुद्रा के प्रस्ताव के कोई अनुमान अभी से देना सम्भव नहीं है।

उत्तरी बंगाल में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां

1143. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी बंगाल में खाना पकाने की गैस की इस समय कितनी एजेंसियाँ हैं ;

(ख) क्या उस राज्य में खाना पकाने की गैस की और एजेंसियां खोले जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी और कब तक ;

(घ) क्या और अधिक गैस एजेंसियां खुल जाने के बाद उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन जल्दी मिल जायेंगे ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) उत्तरी बंगाल में 6 कुकिंग गैस एजेंसियां कार्य कर रही हैं।

(ख) और (ग) आगामी 2 वर्षों में उत्तरी बंगाल सहित पश्चिम बंगाल राज्य में अनेक कुकिंग गैस एजेंसियां खोले जाने का प्रस्ताव है। ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) और (ङ) वर्तमान तथा नये वितरकों के माध्यम से उस समय और अधिक कनक्शन देना संभव हो जायेगा जबकि मथुरा शोधनशाला और दुलियाजान में स्थित आयल इंडिया की प्रायोजना से अतिरिक्त एल० पी० जी० मिलनी आरम्भ हो जाएगी।

गैस की खोज

1144. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन स्थानों में गैस का पता लगा है ;

(ख) क्या जिस गैस का पता लगा है उसका खाना बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है तथा वह सस्ती भी होगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वाणिज्यिक सम्भाव्यता वाली उन्मुक्त गैस तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की हजीरा ओल्पद, कोसम्बा, सिसोधरा, मोतवान, अंकलेश्वर, गजेरा, डावका बाउला, अहमदाबाद (रामोल), कलोल, केम्बे (गुजरात), दक्षिणी ताप्ती और दक्षिण बसीन (अपतट) नामक संरचनाओं में मिला है। दहेज (गुजरात), बारामूरा (त्रिपुरा), बोरहोल्ला (असम), मध्यताप्ती, बी-55 और ए० एन०-1 (अपतट) में पाई जाने वाली वाणिज्यिक सम्भाव्यता की गैस का अभी मूल्यांकन किया जाना है।

आयल इन्डिया लि० ने नाहरकटिया मोरान खनन पट्टा क्षेत्रों में सम्बद्ध गैस प्राप्त की है।

(ख) और (ग) ऐसी गैस को उसमें उपलब्ध तरल पेट्रोलियम गैस (एल० पी० जी०) के विखंडनों की सीमा तक खाना पकाने के कार्य में प्रयोग में लाया जा सकता है। तरल पेट्रोलियम गैस को उपलब्ध गैस में से निकालने के लिए सुविधाएं आरम्भ करना और उनकी लागत उससे सम्बन्धित तकनीकी-आर्थिक आधार पर प्रत्येक मामले पर निर्भर करती है। इस समय बम्बई हाई और असम तेल क्षेत्रों में उपलब्ध गैस से तरल पेट्रोलियम गैस को निकालने के लिए सुविधायें आरम्भ की जा रही हैं।

रूमानिया द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति

1145. श्री पीयूष तिरकी :

श्री माधवराव सिंधिया : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूमानिया सरकार लम्बी अवधि के ठेके के आधार पर भारत को पेट्रोलियम पदार्थों को भेजने पर सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) दीर्घ-कालीन आधार पर कुछ पेट्रोलियम उत्पादों को आयात किये जाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए दोनों सरकारों के बीच प्रारम्भिक बातचीत हुई है ।

उर्वरक निगम के कर्मचारियों को वैकल्पिक चयन की छूट दिया जाना

1146. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक निगम के कर्मचारियों से यह बताने के लिए कहा गया था कि वे किस एकक में कार्य करना चाहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों ने आंध्र प्रदेश में कार्य करने की इच्छा प्रकट की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) दिनांक 1-4-1978 से फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० और नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कर्मचारियों से एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी में हस्तान्तरण के विकल्प मांगे गए थे न कि कम्पनी या राज्य के कोई एक यूनिट, प्रभाग के लिए रिक्त स्थान होने पर इन विकल्पों पर विचार किया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

निर्धनों को कानूनी सहायता देने के बारे में भगवती समिति की रिपोर्ट

1147. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायाधीश पी० एन० भगवती समिति ने निर्धनों को कानूनी सहायता देने के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) क्या उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) एक समिति ने जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती और जिसके सदस्य न्यायमूर्ति श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर थे, 31 अगस्त, 1977 को राष्ट्रीय कानूनी सहायता के विषय पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ।

(ख) और (ग) स्वयं उस समिति ने इस बात को स्वीकार किया था कि अस्थायी रूप से भी किसी अन्तिम विनिश्चिय पर पहुंचने से पूर्व अनेक बातों के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के अध्ययन करने होंगे और इसलिए समिति की रिपोर्ट में जो मुद्दे उठाए गए हैं उन पर विस्तार से विचार किया गया और अन्ततोगत्वा यह विनिश्चय किया गया कि व्यापक कानूनी सहायता स्कीमें विस्तार से तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने का कार्य एक समिति को सौंपा जाए जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति श्री भगवती स्वयं करेंगे और उनकी सहायता के लिए अन्य सदस्य होंगे । द्वितीय भगवती समिति राष्ट्रीय कानूनी सहायता विषयक रिपोर्ट को यथा संभव क्रियान्वित करेगी ।

मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए विशेष सैल

1148. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम तथा रसायन विभाग में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए एक विशेष सैल स्थापित किया गया है ; और

(ख) क्या उक्त सैल के कर्मचारी-वृन्द में इन जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) दिनांक 24-5-1979 से पेट्रोलियम विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सैल गठित किया गया । रसायन और उर्वरक विभाग में यह कार्य प्रशासन प्रभाग द्वारा किया जाता है ।

(ख) सभी सरकारी कर्मचारीयों को सरकार की नीतियों का कार्यान्वयन के लिए बाध्य है और सैल में कर्मचारियों की तैनाती उपयुक्त कर्मियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है चाहे वे किसी भी समुदाय के हों ।

बिजली घरों की प्रयुक्त स्थापित थर्मल क्षमता का प्रतिशत और कोयले की खपत

1149. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रयुक्त स्थापित थर्मल (परमाणु शक्ति सहित क्षमता की प्रतिशतता जैसी कि प्लांट लोड फैक्टर द्वारा मापी गयी है 1977-81 के 51.5 प्रतिशत के मुकाबले 1978-79 में 48.6 रही और 1979-80 में यह कम होकर 45 प्रतिशत रह गई ;

(ख) क्या यह सच है कि 1979-80 के दौरान बिजली घरों द्वारा कोयले की खपत 33.58 मिलियन टन थी जो उसके गत वर्ष की 29.4 मिलियन टन खपत के मुकाबले 14.2 प्रतिशत अधिक थी जबकि बिजली के उत्पादन में बढ़ोत्तरी बढ़ी हुई कोयले की खपत के समानुपातिक नहीं थीं ; और

(ग) यदि उपरोक्त पैरा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो स्थापित थर्मल क्षमता में कमी और कोयले की अधिक खपत के बावजूद बिजली के उत्पादन में बढ़ोत्तरी न होने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता (न्यूक्लीय विद्युत सहित ताप विद्युत) का वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के लिए समुपयोजन, जोकि संयंत्र भार अनुपात के आधार पर आंका गया है, नीचे दिए अनुसार है।—

वर्ष	संयंत्र भार अनुपात (%)
1977-78	50.8
1978-79	48.4
1979-80	45.0

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान बिजलीघरों में 33·58 मिलियन मीटरी टन कोयले की खपत हुई थी। इसकी तुलना में वर्ष 1978-79 में यह खपत 30.50 मिलियन मीटरी टन थी। खपत में यह 10% की वृद्धि है। कोयले पर आधारित विद्युत केन्द्रों से वर्ष 1979-80 के दौरान 48.9 बिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ था। इसकी तुलना में 1978-79 में यह उत्पादन 44.9 बिलियन यूनिट था। उत्पादन में यह 8.9% की वृद्धि है।

(ग) ताप विद्युत केन्द्रों को प्राप्त हुए कोयले की गुणवत्ता में थोड़ी सी कमी के कारण कोयला की खपत में वृद्धि हुई है।

देश में विद्युत उत्पादन

1150. **श्रीमति कृष्णा साही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अप्रैल, 1979 से मार्च, 1980 के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि के 10,33,280 लाख यूनिट उत्पादन के मुकाबले कुल 10,55,190 लाख यूनिट ऊर्जा का कम उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या उत्पादन में केवल दो प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि विद्युत की मांग उत्पादन के मुकाबले अत्यधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1978-79 के दौरान हुए 103328 मिलियन यूनिट की तुलना में वर्ष 1979-80 में ऊर्जा का उत्पादन 1,05,525 मिलियन यूनिट हुआ ।

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान हुआ ऊर्जा का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से 2.1% अधिक था । तथापि, 105525 मिलियन यूनिट उत्पादन की तुलना में ऊर्जा की मांग 124880 मिलियन यूनिट थी । परिणामस्वरूप लगभग 16% कमी रही ।

(ग) देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं । इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) उचित गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई । गलती करने वाली कोयला खानों का पता लगाया जा रहा है और संयुक्त रूप से सेंप्लिंग करने के लिए विद्युत केन्द्रों के प्रतिनिधि वहां तैनात किए जा रहे हैं । कोयला कम्पनियों से कहा गया है कि पत्थर, सलेटी पत्थर तथा अन्य विजातीय पदार्थों को हाथ से उठाने के कार्य को तेज करें, ताकि गुणवत्ता में सुधार हो । कोयला कम्पनियों को यह सलाह भी दी गई है कि वे कोयला खानों पर पोर्टेबिल/स्थाई क्रशर प्रतिष्ठापित करें तथा कोयला परिष्कार के लिए समुचित कार्यक्रम शुरू करें ।

(2) सन्यन्त्र सुधार कार्यक्रम तथा बेहतर सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों की सहायता ।

(3) उपस्कर के डिजाइन में कमी का पता लगाना तथा उन्हें सुधारने और प्रतिस्थापित करने के कार्यक्रम शुरू करना ।

(4) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाई कर्ताओं से फुटकर पुर्जों की समय पर सप्लाई की व्यवस्था करना ।

(5) जिन इंजीनियरों तथा तकनीकी कार्मिकों को विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना ।

(6) निर्माणाधीन समस्त विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रमों की विस्तृत रूप से मानीटरिंग करना ।

(7) छठी योजना के दौरान लगभग 20,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

राज्य विद्युत बोर्डों को हानि

1151. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य विद्युत बोर्डों को 1979-80 में कुल 498 करोड़ रुपये की कुल वाणिज्यिक हानि हुई ; और

(ख) यदि हां, तो यह हानि पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अधिकांश राज्य बिजली बोर्डों के सम्बन्ध में वर्ष 1979-80 के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं । वाणिज्यिक हानियों का निर्धारण, यदि कोई हो, उनके लेखे प्राप्त होने पर ही किया जा सकता है ।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

विभिन्न राज्यों के लिए डीजल का कोटा

1152. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1980 महीनों में डीजल का कोटा कितना था और उन्हें वास्तव में कितनी मात्रा दी गई ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : जुलाई—अक्तूबर, 1980 की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के संबंध में हाई स्पीड डीजल तेल का आवंटन और वास्तविक बिक्री का विवरण नीचे दिए गये अनुसार है :—

राज्य का नाम		हाई स्पीड डीजल तेल		आंकड़े मी० टनों में
		आवंटन	बिक्री	
उत्तर प्रदेश	जुलाई, 80	88800	61420	
	अगस्त, 80	70700	54290	
	सितम्बर, 80	76300	72037	
	अक्तूबर, 80	82000	80992	(अस्थायी)
महाराष्ट्र	जुलाई, 80	107500	95060	

	अगस्त, 80	98200	84142
	सितम्बर, 80	100200	94415
	अक्तूबर, 80	90000	93101
पंजाब	जुलाई, 80	47700	41590
	अगस्त, 80	46300	44480
	सितम्बर, 80	53100	46194
	अक्तूबर, 80	51040	51112 (अस्थायी)
हरियाणा	जुलाई, 80	21700	22022
	अगस्त, 80	23100	20460
	सितम्बर, 80	25800	24869
	अक्तूबर, 80	24680	26065 (अस्थायी)
आंध्र प्रदेश	जुलाई, 80	65000	59358
	अगस्त, 80	62125	54179
	सितम्बर, 80	62100	56013
	अक्तूबर, 80	55870	61529 (अस्थायी)

कुछ मामलों में जुलाई से सितम्बर तक के महीनों में डीजल की बिक्री उत्पाद की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद कम मांग होने के कारण, आबंटन की तुलना में कम रही है ।

तेल और पेट्रोलियम पदार्थों की स्थाविक खरीद

1153. **श्री निरेन घोष** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और पेट्रोलियम पदार्थों की हाल में स्थाविक खरीद (स्पाट परचेज) किन शर्तों तथा मूल्यों पर की गई थी और ये खरीदें किस संस्था (एजेन्सी) के माध्यम से की गई हैं ; और

(ख) उस समय तेल का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या था ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की तत्काल खरीद के सम्बन्ध में किए गए ठेकों के ब्यौरे देना इण्डियन आयल कार्पोरेशन के वाणिज्यिक हितों और अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं के विपरीत होगा ।

तेल परियोजना को कोयला सम्बन्धी जे. सी. घोष समिति का प्रतिवेदन

1154. **श्री निरेन घोष** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल परियोजना को कोयला के सम्बन्ध में जे. सी. घोष समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस वर्ष में ;

(ग) क्या परियोजना को क्रियान्वित नहीं किया गया है ;

(घ) क्या सरकार प्रतिवेदन की प्रति सभा-पटल पर रखेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। डा. जे. सी. घोष समिति की रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की गई थी।

(ग) इस परियोजना पर काम नहीं शुरू किया गया है।

(घ) डा. जे. सी. घोष समिति की रिपोर्ट की पांच प्रतियां संसद सदस्यों की सन्दर्भ सुविधा के लिए ससदीय पुस्तकालय में रख दी गई है। उक्त प्रकाशनों को दिया गया इन्डेक्स नं० 662.66 आर. (आर. 41820) (1—5) जे. 6 है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1980-81 के लिए कोयले के उत्पादन का लक्ष्य

1155. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1980-81 के लिए कोयले के उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा गया है।

(ख) नवम्बर 1980 तक कोयले का कितना उत्पादन किया जा चुका है ; और

(ग) निर्धारित लक्ष्य से कम उत्पादन के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1980-81 के लिए योजना आयोग के साथ परामर्श करके, 113.5 मिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) अप्रैल-अक्टूबर, 1980 की अवधि में 61.84 मिलियन टन कोयले के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में 58.72 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ।

(ग) कोयले का उत्पादन लक्ष्य से कम होने के मुख्य कारण बिजली की अपर्याप्त सप्लाई कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति, आदि थे। परन्तु इस कमी को पूरा करने और वर्ष के अन्त तक लक्ष्य के अनुसार उत्पादन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

बम्बई हाई के विकास के लिए विश्व कोष का ऋण

1156 **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने तेल का उत्पादन बढ़ाने हेतु बम्बई हाई को विकसित करने के लिए विश्व कोष से ऋण देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) बम्बई हाई को विकसित करने तथा तेल के उत्पादन में वृद्धि करने की क्या योजना है ; और

(घ) इससे तेल के आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) एवं (ख) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने चरण III बम्बई हाई विकास कार्यक्रम के वित्त प्रबन्ध के भाग के रूप में यू० एस० डालर 150 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया था तथा इस ऋण समझौते पर जून, 1977 में हस्ताक्षर किये गए। ऋण के समाप्त होने की तिथि 31 दिसम्बर, 1980 है। निकाले गये धन पर ब्याज 8.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष है तथा न निकाले गये धन पर एक प्रतिशत का 3/4 प्रतिवर्ष प्रतिबद्धता प्रभार के रूप में लिया जाएगा। ब्याज एवं प्रतिबद्धता प्रभार प्रतिवर्ष अर्द्धवार्षिक दर पर देय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित बम्बई हाई अपतटीय विकास कार्यक्रम के चरण-IV एवं चरण— V (अग्रिम कार्यवाही) के अन्तर्गत कुछ और अधिक प्लेटफार्मों तथा जोड़ने वाली सब सी पाइपलाइनों के निर्माण एवं स्थापना के लिए वित्त प्रबन्ध के लिए विश्व बैंक के साथ और अधिक ऋण के लिए बातचीत जारी है।

(ग) चरण-III विकास कार्यक्रय, जिसका 535.40 करोड़ रुपये की अनुमानित संशोधित लागत पर अनुमोदन किया गया है, कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इसका उद्देश्य जनवरी, 1978 में प्राप्त 4 मिलियन मी० टन उत्पादन क्षमता को दिसम्बर, 1980 के अन्त तक 7 मिलियन मी० टन तक पहुंचाना है। चरण—IV विकास कार्यक्रम में, जिस पर 365.40 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है, उत्पादन क्षमता 1980 के अन्त तक 12 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष पहुंचाने का लक्ष्य है।

(घ) चरण 3 एवं चरण 4 विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1982 के अन्त तक उत्पादन क्षमता में कुल 8 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष वृद्धि होगी तथा इसी स्तर पर आयात में बचत होगी।

आबू-धाबी के शेख द्वारा तेल शोधक कारखाना एवं पेट्रो-रसायन कम्पलेक्स पर धन लगाने का प्रस्ताव

1157. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आबूधाबी के शेख ने गुजरात में एक तेल शोधक कारखाने एवं पेट्रो-रसायन कम्पलेक्स पर 7500 लाख डालर खर्च करने की एक योजना का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात सरकार ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है और इसके बारे में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ड्रिलिंग के लिए विदेशी कम्पनियों को आमंत्रित करने हेतु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों का विरोध

1158. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों के संगठन ने ड्रिलिंग के लिए भारी संख्या में विदेशी बहुराष्ट्रीक कम्पनियों को आमंत्रित करने के सरकारी निर्णय का विरोध किस आधार पर किया है और सरकार का उस पर क्या निर्णय है ; और

(ख) क्या सरकार का, इन कम्पनियों के साथ समझौता करते समय, उनको इस बात की अनुमति देने का है कि वे उनके द्वारा किए गए कार्य के एवज में कुछ मात्रा में पेट्रोलियम ले सकते है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों के संघ (ए० एस० टी० ओ०) ने प्रधान मंत्री को एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने विदेशी तेल कम्पनियों को देश में तेल अन्वेषण के लिए आमन्त्रित करने के निर्णय का विरोध किया है संघ ने कोई विशेष कारण नहीं दिये है केवल यह प्रस्तुत किया है । कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया है और

वह अन्वेषण कार्य स्वयं कर सकता है। सरकार को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की क्षमताओं की जानकारी है और इनके अनुभव का पूरा लाभ उठाया जायेगा परन्तु तेल की कठिन स्थिति में यह आवश्यक है कि देश की तेल की खोज के सम्बन्ध में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किए गए प्रयासों को बढ़ाने के लिए सब सम्भव उपाय किए जायें।

(ख) इस समय इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

इन्जीनियर्स इंडिया लिमिटेड में पदोन्नति का मानदण्ड

1159. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में पदोन्नति का क्या मानदण्ड है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : रुपये 1300-1800 के वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए पदोन्नतियां परस्पर गुणों तथा वरिष्ठता पर आधारित होती हैं। रु० 1500-2000 और उससे अधिक वेतनमानों के लिए पदोन्नतियों हेतु गुणों और अभ्यर्थी की क्षमता पर अधिक बल दिया जाता है।

पदोन्नतियां विधिवत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर की जाती हैं।

पेट्रोलियम, और रसायन के क्षेत्र में उच्च पदों का रिक्त होना

1160. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोलियम और रसायन के क्षेत्र में अनेक उच्च पद अभी रिक्त पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) एवं (ख) पेट्रोलियम विभाग के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

रसायन और उर्वरक विभाग के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

विवरण

पेट्रोलियम विभाग

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	रिक्त उच्च पदों का ब्यौरा एवं कारण
1	2
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	निदेशक (विपणन) के एक पद का सृजन फरवरी, 1978 में किया गया था परन्तु इसे भरा नहीं गया तथा प्रबन्ध कर्मचारियों के वेतन ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के प्रश्न पर निर्णय होने तक इसे आस्थगित रखा गया है। पद 'ग' अनुसूची का है तथा इसका वेतनमान रु० 2500-100-3000 है। अब चूंकि योजना कार्यान्वित की जा रही है। पद को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	जून, 1980 में निदेशक (उत्पादन) के एक पद का सृजन किया गया था। पद ग' अनुसूची का है तथा इसका वेतन-मान रु० 2500-100-3000 है। पद के लिए चुनाव प्रक्रिया सभी कार्यविधि औपचारिकताओं के पूरा होने के शीघ्र बाद की जाएगी।
इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम-वामर-लारी ग्रुप आफ कम्पनीज	1-4-1980 से त्यागपत्र देने के कारण अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का पद रिक्त है। पद को भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है।
इन्डियन आयल कार्पोरेशन लि०	15-7-1980 से त्यागपत्र देने के कारण वित्त निदेशक का पद रिक्त पड़ा है। सरकारी उद्यम चुनाव बोर्ड की पद के लिए अनुशंशा प्राप्त हो गई है तथा इस पर मंत्रालय में कार्यवाही की जा रही है।
बांगाईगांव रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का पद रिक्त है तथा इसे भरने के सम्बन्ध में ए०सी०सी० को लिखा जा चुका है।
इन्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि०	वित्त निदेशक ने मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का पद भार संभालने के लिए पद त्याग दिया है। फिर भी वह आई०पी०सी०एल० के वित्त निदेशक का कार्य कुछ और समय देखेंगे।

1	2
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	सदस्य (कार्मिक) : पदधारक ने पद भार 24-5-1980 (अपराह्न) को छोड़ा था। सरकारी उद्यम चुनाव बोर्ड ने एक योग्य व्यक्ति अनुशंसा की है। परन्तु पद पर नियुक्ति आस्थगित कर दी गई है क्योंकि ओ० एन० जी० सी० नियम, 8 सदस्यों की सीमा निर्धारित करते हैं तथा परिणामिक पद में आयोग स्तर पर एक भूवैज्ञानिक को सदस्य (अन्वेषण) के रूप में नियुक्त करना ज्यादा आवश्यक समझा गया है। सदस्य (कार्मिक) की नियुक्त पर ओ०एन०जी०सी० नियम में संशोधन करने के पश्चात ताकि अधिक सदस्य नियुक्त किए जा सकें, विचार किया जायेगा। सदस्य (पदार्थ) :—पहले सदस्य (पदार्थ) की नियुक्त 'ग' अनुसूची में 29-2-1980 तक अनुमोदित की गयी थी। अनुसूची 'ख' में एक योग्य व्यक्ति को नियुक्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के विचाराधीन है। सदस्य (तकनीकी एवं अन्वेषण) जैसा ऊपर वर्णित है ओ० एन०जी०सी० नियम द्वारा निर्धारित 8 सदस्यों की सीमा के कारण पी०ई०एस०बी० से प्रार्थना की गयी है कि सदस्य (कार्मिक) के स्थान पर इस पद के लिए योग्य व्यक्ति की अनुशंसा करें। उनकी सिफारिश की प्रतीक्षा की जा रही है।
ओ०एन०जी०सी० जारी	सदस्य (समुद्र पार परिचालन) इस समय पद के कार्यभर को देखते हुए पूरे समय के सदस्य की नियुक्ति उचित नहीं है। ओ०एन०जी०सी० नियम में संशोधन तथा पद के कार्यभार के औचित्य को देखकर इस पद को भरने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

बिहार में कोयले का अवैध रूप से खनन

1161. **श्री आर० के० महालगी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अक्तूबर 16-31,1980 के 'इन्डिया टूडे' में 'डपथस आफ ग्रीड' शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट को देखा है ;

(ख) क्या उक्त रिपोर्ट की यह बात सच है कि बिहार में कोयले के अवैध खनन से सम्बन्धित कार्य में 10,000 व्यक्ति लगे हुए हैं और वे प्रति दिन लगभग 10,000 टन कोयला खानों से बाहर निकालते हैं।

(ग) क्या यह भी सच है कि बेईमान लोगों द्वारा इन व्यक्तियों का शोषण किया जाता है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि खानों से कोयला निकालने के इस अवैध कार्य में बार-बार अनेक दुर्घटनाएं होती हैं, वर्ष 1979 और वर्ष 1980 में अब तक इन खानों में कितने व्यक्ति मारे गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उच्चतम न्यायालय में अपने 11-4-1980 और 9-5-1980 के निर्णयों के द्वारा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1976 की उन व्यवस्थाओं को वैध ठहराया था जिनके अधीन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर, अन्यकिसी भी व्यक्ति को भारत में किसी भी रूप में कोयले का खनन करने से रोक दिया गया है और कोयले की खुदाई या खनन के संबंध में प्राइवेट कम्पनियों को दिए गए सारे पट्टे केवल उन कम्पनियों को छोड़कर रद्द कर दिये गये हैं जो लोहे और इस्पात का उत्पादन करती है। इन निर्णयों के बाद कोयले के गैर कानूनी खनन की शरारत बड़ी सीमा तक कम हो गई है। फिर भी, ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कुछ लोग उन खानों में कोयले की खुदाई करते हैं जिनमें कोयला सीमें लगभग समाप्त हो गई हैं। ऐसे अपराधियों का जब पता चल जाता है तो कोयला कम्पनियां और राज्य सरकारें उनके खिलाफ समेकित कार्रवाई करती हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस प्रकार की तथा कथित गैर सरकारी कोयला खानों में 1979 में 3 और 1980 में एक घातक दुर्घटना की रिपोर्ट मिली है।

महाराष्ट्र से विद्युत प्रजनन परियोजनाएं

1162. **श्री आर० के० महालगी** : क्या ऊर्जा मंत्री महाराष्ट्र की विद्युत प्रजनन योजनाओं के बारे में 1 जुलाई, 1980 अतारांकित प्रश्न संख्या 2597 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार की ओर से केन्द्रीय अधिकारियों को पेश की गई महाराष्ट्र की विद्युत प्रजनन परियोजनाओं संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) वहां बिजली की भारी कमी को देखते हुए इन परियोजनाओं को शीघ्र ही मंजूरी दे देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) महाराष्ट्र द्वारा केन्द्रीय प्राधिकारियों को प्रस्तुत की गई जिन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का उल्लेख 1 जुलाई, 1980 को अतारांकित प्रश्न सं० 2597 के उत्तर में किया गया है उनकी वर्तमान स्थिति नीचे दी जाती है :—

परियोजना	प्रतिष्ठापित क्षमता	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1. पवना जल विद्युत परियोजना	1×10 मेगावाट = 10 मेगावाट	यह परियोजना/योजना आयोग द्वारा 15 जुलाई, 1980 को अनुमोदित कर दी गई थी ।
2. गिरणा जल विद्युत परियोजना	2×3.5 मेगा० = 7 मेगावाट	इस परियोजना के लिए संशोधित अनुमान तथा इसका औचित्य महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है ।
3. उज्जेनी ताप विद्युत परियोजना	2×500 मेगा० 1000 मेगावाट	इस परियोजना के लिए अभी तक कोयला लिंक सुनिश्चत नहीं किए गए हैं ।
4. पारली विस्तार यूनिट—4	1×210 मेगा० = 210 मेगावाट	यह परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित कर दी गई है तथा निवेश संबंधी निर्णय के लिए सिफारिश करके योजना आयोग को भेज दी गई है ।
5. पश्चिमी महाराष्ट्र में ताप विद्युत केन्द्र (बी०एस०ई०एस० लि०)	2×210 मेगा० अथवा 1×500 मेगावाट	इस परियोजना के लिए कोयला लिंक स्वीकृत नहीं किए गए हैं । राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि बड़े साइज, के इस ताप विद्युत केन्द्र का निर्माण कार्य किसी ऐसी प्राइवेट वितरण कम्पनी को

1	2	3
		सौंपना उचित नहीं होगा, जिसे विद्युत उत्पादन में अथवा विद्युत केन्द्र के निर्माण में कोई अनुभव अथवा विशेषज्ञता हासिल नहीं है।
6 डरण गैस टरबाइन चरण--2	4 × 60 मेगा०	विद्युत उत्पादन के लिए गैस की जो मात्रा सूचना के अनुसार दी जा सकेगी वह चरण-I के अन्तर्गत प्रतिष्ठापित किए जाने वाले चार विद्युत उत्पादन यूनिटों के लिए भी पर्याप्त नहीं होगी। चूंकि इस परियोजना के लिए ईंधन लिंक की पुष्टि नहीं की गई है, इस परियोजना के लिए तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा करना सम्भव नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र से जो अतिरिक्त परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं उनकी वर्तमान स्थिति नीचे दी जाती है:—

परियोजना	क्षमता	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1. खड़कवासला जल विद्युत	2 × 8 = 16 मेगा०	इन परियोजनाओं के लिए स्कीम रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है।
2. भाटसा जल विद्युत	1 × 15 = 15 मेगा०	(नवम्बर, 1980) तथा इनका तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है।
3. चन्दपुर ताप विद्युत चरण-3	1 × 500 मेगा०	इस परियोजना के लिए कोयला लिंक की हाल ही में पुष्टि की गई थी। तथापि इस परियोजना से लिंक किए गए कोयले में सल्फर का अंश अधिक है। बायलर में जलाने के लिए इस कोयले की उपयुक्तता के बारे में

1	2	3
		बायलर निर्माताओं के विचार प्राप्त करके महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने अभी तक नहीं भेजे हैं। इसके बाद, वातावरण की दृष्टि से स्वीकृति आवश्यक होगी।
4. भुरावल 'ब' ताप विद्युत	4 × 500 = 2000 मेगावाट	यह प्रस्ताव इस मान्यता पर आधारित है कि कोयले की सप्लाई सिंगरौली से उपलब्ध होगी। सिंगरौली खानों से कोयला उपलब्ध नहीं होगा। इस परियोजना के लिए कोयले का लिंकेज किसी अन्य स्रोत से अभी तक सुनिश्चित नहीं हुआ है।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी की वार्षिक रिपोर्ट

1163. **श्री आर० के० महालगी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान ऐन्टीबायोटिक्स लिमिटेड पिम्परी (पूना, महाराष्ट्र) ने अपने वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे प्रस्तुत कर दिए हैं ;

(ख) वार्षिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय क्या है ;

(ग) यदि उक्त निर्धारित तिथि निकल चुकी है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे दूसरे उपक्रमों की सूची क्या है जिन्होंने अब तक अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) नहीं श्रीमान् जी।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 के साथ पठित धारा 166 के अन्तर्गत कम्पनी को, अपने वित्तीय वर्ष के बन्द होने के पश्चात् छः माह के अन्दर, अपनी वार्षिक महासभा की बैठक में अपने वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है, इसको छोड़कर बैठक को सम्पन्न करने की अवधि किन्हीं विशेष कारणों तथा कम्पनी द्वारा की गई प्रार्थना पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 166 की उप-धारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसरण में अवधि आगे

बढ़ाई जाती है। 18 मार्च, से 2 मई, 1980 तक 40 दिनों के पश्चात् समाप्त हुई कर्मचारियों की हड़ताल, जिसमें वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखाओं को अन्तिम रूप देने की समय सारणी को भंग कर दिया था, के कारण मैसर्स हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड ने देय तिथि अर्थात् 30-9-80 से 3 माह और बढ़ाने के लिए आवेदन-पत्र दिया था, जिसकी सरकार ने अनुमति दे दी थी इस तरह कम्पनी की अपनी वार्षिक महासभा की बैठक अपने उपरोक्त वार्षिक लेखों को 31 दिसम्बर, 1980 तक प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी गई।

(ग) उपरोक्त (ख) को दृष्टिगत करते हुए उत्पन्न नहीं होता है।

(घ) वह अवधि जिसके सम्बन्ध में सूचना माँगी गई है, उसका उल्लेख नहीं किया गया है तथा सरकारी कम्पनियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण इस सूचना को देना सम्भव नहीं है।

गुजरात में बिजली की कमी

1163. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गुजरात को बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है और कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहली बार नगरीय क्षेत्रों में बिजली की कटौती करनी पड़ी ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इस वर्ष गुजरात के एकमात्र पन-बिजली केन्द्र उकई जलागार में पानी का स्तर पूरी क्षमता से 15 फुट नीचे था जिसके कारण पन-बिजली की उपलब्धता कम रही ;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने प्रति मास 80,000 टन तेल की निरन्तर सप्लाई अपने धुवरन बिजली केन्द्र के लिए और प्रतिदिन 12,000 टन कोयला बिजली की भारी मांग को पूरा करने के लिए मांगा है ;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि राज्य की मांग की तुलना में अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर में कोयले की सप्लाई आधी हो रही है तथा इससे स्टाक की स्थिति तेजी से खराब होती गई ; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य की तेल एवं कोयले की मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) इस वर्ष गुजरात में मानसून की अच्छी शुरूआत होने के बाद, उत्तरार्द्ध में मानसून फेल हो जाने के फलस्वरूप उकई जल विद्युत केन्द्र में जलाशय का स्तर कम रहा। इसके अतिरिक्त, उकई ताप विद्युत केन्द्र के कुछ

320 मेगावाट के दो यूनिटों में भी कुछ खराबियां आई है। मानसून के जल्दी समाप्त होने के कारण कृषि के लिए विद्युत की मांग में अचानक वृद्धि हुई, जिससे राज्य में विद्युत की स्थिति गम्भीर हो गई तथा सतत तथा गैर-सतत प्रक्रिया उद्योगों पर मांग कटौतियां, 8% से बढ़ाकर 8 अक्तूबर, 1980 से 30% से 40% तक कर दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों को सप्ताह में कम से कम चार दिन 24 घंटे तथा शेष तीन दिन में रात को विद्युत की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए 9 से 18 अक्तूबर, 1980 तक शहरी क्षेत्रों में दो घण्टे लोड शेडिंग भी करनी पड़ी।

(ख) जी, हां। उकई जलाशय में जल संचयन की अधिकतम ऊंचाई 345 फुट है। इसकी तुलना में, कम अन्तर्वाह के कारण जल स्तर की अधिकतम उंचाई 329.98 फुट रही।

(ग) जी, हां।

(घ) धुवारण ताप विद्युत केन्द्र को अगस्त, सितम्बर, तथा अक्तूबर, 1980 में क्रमशः 3950, 7250 तथा 13200 मीटरी टन कोयला प्राप्त हुआ तथा अक्तूबर के अन्त में इस केन्द्र के पास 6 दिनों की खपत के बराबर कोयला का स्टाक था।

(ङ) धुवारण ताप विद्युत केन्द्र को कोयले की ढुलाई की मानीटरिंग विद्युत विभाग/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कोयला विभाग तथा रेल मन्त्रालय के समन्वय से की जाती है तथा एल. एस. एच. एस. तथा कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाते हैं ताकि विद्युत केन्द्र को अपने उत्पादन में कमी न करनी पड़े। कोयले का अतिरिक्त मात्रा के आवंटन तथा ढुलाई का प्रश्न सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ पहले ही हाथ में लिया गया है तथा इस समस्या का समाधान करने में सचिव (समन्वय) भी सहायता कर रहे हैं।

राज्यों को मिट्टी तेल तथा डीजल का आवंटन

1169. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, से नवम्बर, 1980 तक प्रतिमाह राज्य-वार मिट्टी तेल तथा डीजल तेल की कितनी मात्रा आवंटित की गयी ;

(ख) अप्रैल, से नवम्बर, 1980 तक प्रतिमाह राज्यवार मिट्टी का तेल तथा डीजल तेल की वास्तव में कितनी मात्रा सप्लाई की गयी ;

(ग) इन दो मदों के आवंटन का आधार क्या है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) अप्रैल-अक्तूबर, 1980 की अवधि के दौरान मिट्टी का तेल और हाई स्पीड डीजल आयल के आवंटन और बिक्री के राज्यवार और माहवार ब्यौरे और नवम्बर, 1980 का आवंटन दर्शाने वाले दो विवरण-पत्र संलग्न हैं (अनुबन्ध I और II)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०1424/80)

(ग) से (ङ) मिट्टी के तेल का आवंटन सम्बन्धित राज्य सरकार को पिछले वर्ष के तद्नुरूपी माह की वास्तविक बिक्री से 5% से अधिक स्तर पर किए जाते हैं। एच० एस० डी० के मामले में, पिछली खपत/आवंटन और अन्य सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रख कर आवंटन किया जाता है।

केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना

1171. **श्री नीललोहितदासन नाडार** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की मामले दायर किए जाने की शक्तियों सहित एक न्यायपीठ की स्थापना के प्रश्न पर कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार कब तक निर्णय लेने वाली है ; और

(घ) इस बारे में शीघ्र ही अनुकूल निर्णय लेने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना का एक प्रस्ताव राज्य सरकार ने सितम्बर, 1971 में भेजा था। उन्हें कुछ कानूनी परामर्श पूरा करने के लिए जुलाई, 1973 में पत्र लिखा गया था। उस समय कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। राज्य सरकार ने जून, 1978 में सूचित किया कि वह इस विषय पर अभी भी विचार कर रही है। राज्य सरकार से तब से इस विषय पर कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार वस्तुतः केन्द्रीय सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिस पर विनिश्चय किया जाना हो।

शान्तघाटी पन-बिजली परियोजना के परिस्थितिक पहलू

1173. **श्री ए० नीलालोहिथा दिसन नाडार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शान्त घाटी पनबिजली परियोजना के परिस्थितिक पहलुओं के अध्यन को पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के क्या निकर्ष निकले है ;

(ग) यदि नहीं, तो अध्ययन के कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ;

(घ) क्या यह अध्ययन भारत सरकार की देख-रेख में किया जा रहा है अथवा केवल सरकार की देख रेख में और यह अध्ययन किस एजेन्सी के माध्यम से कराया जा रहा है ;

(ङ) क्या इस अध्ययन के एक भाग के रूप में भारत सरकार के पास कोई रिपोर्ट उपलब्ध हैं ;

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(छ) भारत सरकार परियोजना के कार्य को आगे बढ़ाने हेतु स्वीकृति देने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (छ) केरल के मुख्य मंत्री द्वारा अगस्त, 1980 में प्रधान मंत्री के साथ किए गए विचार-विमर्श के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया था कि समस्त वैज्ञानिक सूचना की समीक्षा करने तथा समुचित सिफारिशें करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाए जिसमें भारत सरकार तथा केरल सरकार के प्रतिनिधि हों। समिति ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है।

कोयले का चोरी छिपे देश से बाहर भेजा जाना

1174. **श्री चित माहटा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला चोरी छिपे देश से बाहर भेजा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विवरण क्या है और यदि नहीं, तो कोयला चोरी छिपे देश से बाहर भेजना रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोयले के तस्करी द्वारा देश से बाहर जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तालचर में सुपर तापीय बिजली घर और ब्राह्मणी पर मीनकुंड पन बिजली परियोजना

1175. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में तालचेर में सुपर तापीय बिजली घर और क्योंझर जिले में ब्राह्मणी पर भीम कुंड पनबिजली परियोजना स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार की योजना के अनुसार विवरण (स्थापित क्षमता सहित) और उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां । उड़ीसा के तलचेर में एक सुपर ताप विद्युत परियोजना को छठी योजना में केन्द्र सेक्टर में शामिल किए जाने के लिए उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने जुलाई, 1980 में प्रस्ताव रखा था । उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने जून, 1980 में केन्द्रीय योजना मन्त्री को भी लिखा था जिसमें प्रस्ताव किया था कि भीमकुंड बहुद्देश्यीय परियोजना को केन्द्रीय सेक्टर में केन्द्र द्वारा वित्त घोषित किया जाए ।

(ख) तलचेर परियोजना पर एक व्यवहार्यता रिपोर्ट राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा तैयार की गई है । व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना के लिए परिकल्पित चरम क्षमता 2800 मेगावाट है । सम्बद्ध प्रणाली सहित इसके प्रथम चरण में 800 मेगावाट तक के विकास के लिए अनुमानित लागत 590.38 करोड़ रुपए होने का अनुमान है । प्रस्तावित इस परियोजना का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन केन्द्री विद्युत प्राधिकरण द्वारा कर लिए जाने के पश्चात् इस पर निवेश सम्बन्धी निर्णय लिए जाने के लिए कार्रवाही की जाएगी । भीमकुंड बहुद्देश्यीय योजना की परियोजना रिपोर्ट में इसके जल विद्युत वाले भाग में, बाईगुण्डी में एक विद्युत केन्द्र में अन्ततः 115-115 मेगावाट के 6 यूनिटों की प्रतिष्ठापना (यद्यपि प्रारम्भ में केवल 3 यूनिटों को प्रतिष्ठापित करने का प्रस्ताव है) और बांध के चरणतल के विद्युत केन्द्र में 16-16 मेगावाट के तीन यूनिटों की प्रतिष्ठापना को परिकल्पना की गई है । वर्तमानों के अनुसार 6 × 115 मेगावाट + 3 × 16 मेगावाट विद्युत परियोजना की लागत, विद्युत को आबंटित अभय उपयोग के निर्णय कार्यों के लागत समेत, 304.10 करोड़ होगी । एक बहुद्देश्यीय परियोजना होने के कारण, यह आवश्यक है कि तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन का कार्य केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अपने हाथ में लिए जाने से पहले टी० एण्ड सी० को स्वीकृति प्राप्त की जाए । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दिये जाने के पश्चात् ही सरकार निवेश सम्बन्धी निर्णय ले सकती है ।

कोयले की मांग और सप्लाई के बीच का अन्तर दूर करने की परियोजनाएं

1176. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न किस्मों के कोयले की मांग और सप्लाई के बीच का अन्तर दूर करने के लिए गत 10 महीनों के बीच कुछ परियोजनाएं मंजूर की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 1980 से सरकार ने 20 कोयला खनन परियोजनाएं मंजूर की हैं। इनके विवरण नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	लक्ष्य उत्पादन (मि० टन)
1	2	3
	ईस्टर्न कोलफील्डस लि०	
1.	राजमहल ओपेनकास्ट	5.00
	भारत कोकिंग कोल लि०	
2.	केसलपुर ओपेनकास्ट	0.51
3.	निचितपुर तेतुलमारी ओपेनकास्ट	0.45
4.	भालग-पेरा	1.20
5.	खड़खड़ी-धरमाबन्द	0.36
6.	नार्थ अमलाबाद	0.72
	सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	
7.	आरा पुनर्गठन	1.00
8.	गोविन्दपुर भूमिगत	0.80
9.	ककरी ओपेनकास्ट	2.50
10.	दूंदीचुआ के लिए अग्रिम कार्रवाई	6.00
11.	खादिया के लिए अग्रिम कार्रवाई	6.00
	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	
12.	पिपला कोलियरी	0.50
13.	इन्दर पुनर्गठन	0.40
14.	हिन्दुस्तान लालपेठ पुनर्गठन	0.60
15.	सतपुड़ा खान I और II	0.60

1	2	3
19.	छींदा कोलियरी	0.50
	सिंगरेनी कोलियरीज	
17.	राममुंडम ओपेनकास्ट	2.00
18.	ओपेनकास्ट नं०—I मानुगुरू	0.60
19.	गोदावरी खानी नं० II—ए इनक्लाइन के लिए अग्रिम कार्रवाई	0.80 *
20.	रवीन्द्र खानी नं० 8 इनक्लाइन के लिए अग्रिम कार्रवाई	0.30 *
		10.84 मि० टन

उर्वरक उत्पादन में घाटा

1177. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री अमर राय प्रधान : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम राज्य में आन्दोलन के कारण उर्वरकों के उत्पादन में देश को बहुत घाटा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना घाटा हुआ है और इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अक्तूबर, 1980 के अन्त तक असम आन्दोलन के कारण उर्वरकों के उत्पादन में लगभग 4.41 लाख टन नाइट्रोजन की हानि का अनुमान है ।

अधिकतर उर्वरक प्लांटों को कच्चे माल की सप्लाई के लिए दूसरी व्यवस्था की गई है जिन्हें असम आन्दोलन में परिणाम स्वरूप कच्चे माल की सप्लाई में गड़बड़ी/रुकावट के कारण

* पूरी होने पर ।

उत्पादन में हानि हुई । तथापि असम आन्दोलन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों की दृष्टि से कुछ उर्वरक प्लाटों में कच्चे माल की सप्लाई में अभी भी कमी है ।

कोयले की कमी से प्रभावित ताप विद्युत केन्द्र

1178. **श्री डी० पी० जदेना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की कमी से जिन ताप विद्युत केन्द्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या कोयले की ढुलाई के लिए अधिक वैगन देने हेतु रेल विभाग से अनुरोध किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो रेल विभाग ने क्या उत्तर दिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जिन ताप विद्युत केन्द्रों के पास एक सप्ताह से कम के लिए कोयला भण्डार है, उनके नाम दिखाने वाला विवरण उपाबंध में दिया गया है ।

(ख) जिन ताप विद्युत केन्द्रों के पास कोयले के स्टाक बहुत ही कम होते हैं वे केन्द्र कोयला विभाग तथा रेल मंत्रालय की जानकारी में लाए जाते हैं ताकि कोयले की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं । हाल ही में उर्जा मंत्री तथा रेल मंत्री के बीच हुई बैठक में रेलवे पर इस बात पर जोर दिया गया है कि आगामी महीनों में कोयले की ढुलाई में प्रतिदिन लगभग 4000 वैगनों तक के स्तर की वृद्धि करके बिजलीघरों को कोयला पहुंचाने को उच्चतम प्राथमिकता दी जाए ताकि विद्युत केन्द्र अधिकतम विद्युत उत्पादन कर सके तथा कोयले के भण्डार बना सकें ।

(ग) जिन ताप विद्युत केन्द्रों के पास कोयले की स्टाक बहुत ही कम हैं, उन केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए रेल मंत्रालय ने समुचित कार्रवाई की है । इन उपायों के परिणामस्वरूप, ताप विद्युत केन्द्रों को वैगनों की लोडिंग जो सितम्बर, 1980 में लगभग 2600 वैगन प्रतिदिन थी, बढ़कर नवम्बर, 1980 में 3200 वैगन प्रतिदिन हो गई ।

विवरण

20-11-1980 की स्थिति के अनुसार जिन बड़े ताप विद्युत केन्द्रों, जिनके पास 7 दिन से कम के लिए कोयले का भण्डार है, उनके नाम दिखाने वाला विवरण

उत्तरी क्षेत्र

दिल्ली

1. बदरपुर
2. इन्द्रप्रस्थ केन्द्र

हरियाणा

3. फरीदाबाद

पंजाब

4. भटिंडा

उत्तर प्रदेश

5. हरदुआगंज बी० और सी०
6. पनकी विस्तार
7. ओबरा 'ए'

पश्चिमी क्षेत्र

महाराष्ट्र

8. नासिक

गुजरात

9. अहमदाबाद
10. गांधीनगर

पूर्वी क्षेत्र

पश्चिमी बंगाल

11. बंडेल
12. कलकत्ता
13. सन्तालडीह

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत पैदा करने के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य

1179. **श्री डी० पी० जडेजा :**

श्री सत्यनारायण जटिया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान विद्युत स्थिति क्या है ;

(ख) देश की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए छठी पचवर्षीय योजना के दौरान अधिक विद्युत पैदा करने के बारे में क्या निर्धारित किया गया है ; और

(ग) आगामी योजना में देश में नए विद्युत जनरेटर स्थापित करने के सम्बन्ध में लक्ष्य ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) इस समय देश प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 31,920 मेगावाट है, जिसमें से 29,386 मेगावाट युटिलिटीज में है ।

यद्यपि विद्युत की उपलब्धता अभी भी मांग से कम है तथापि विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार हुआ है और मानसून की अवधि के दौरान कई राज्यों में विद्युत कटौतियों और प्रतिबंधों में ढील दे दी गई थी। यदि संयंत्र भार अनुपात में सुधार होकर यह अनुपात 60% हो जाए तो देश में कोई कमी नहीं रहेगी।

(ख) और (ग) छठी योजना के लिए विद्युत कार्यक्रम की सिफारिश करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित विद्युत पर कार्यकारी दल ने छठी योजना अवधि के दौरान, निर्माणाधीन और स्वीकृत परियोजनाओं से 19903 मेगावाट की अभिवृद्धि की तथा निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा कर रही जल विद्युत स्कीमों से 360 मेगावाट की अभिवृद्धि की सिफारिश की है। पांच वर्ष की अवधि 1980-85 के दौरान लाभ के लिए कार्यकारी दल ने जो विद्युत परियोजनायें अनन्तिम तौर से अभिज्ञात की हैं, वे संलग्न विवरण में दी गई हैं। तथापि छठी पंचवर्षीय योजना 1981-85 को योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और अभी राष्ट्रीय विकास परिषद का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। छठी योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही, छठी योजना अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि के सही-सही लक्ष्य जाने जा सकते हैं।

विवरण

विद्युत पर कार्यकारी दल (1980-85) द्वारा अनन्तिम तौर पर अभिज्ञात विद्युत उत्पादन परियोजनाएं जिनसे पांच वर्ष की अवधि 1980-85 के दौरान लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है।

परियोजना का नाम	कुल प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	1980-85 के दौरान संभावित लाभ (मेगावाट)
1	2	3
निर्माणाधीन और स्वीकृत स्कीमें जल-विद्युत		
1. पश्चिमी यमुना नहर (हरियाणा)	6×8	32
2. वर्स्सी विस्तार (हि० प्र०)	1 × 15	15
3. आन्ध्र (हि० प्र०)	3 × 5	15
4. बिनवा (हि० प्र०)	3 × 2	6
5. रोंगटोंग (हि० प्र०)	4 × 0·5	2
6. शानन विस्तार (पंजाब)	1 × 50	50
7. मुकेरियां (पंजाब)	6 × 15 + 6 × 19·5	90

1	2	3
8. आनन्दपुर साहिब (पंजाब)	4×33.5	134
9. माही (राजस्थान)	2×35+2×45	140
10. ऋषिकेश-हरिद्वार (उ० प्र०)	3×36	72
11. यमुना-II (उ० प्र०)	4×30	120
12. पनेरी-I (उ० प्र०)	3×31	93
13 देहर विस्तार (पंजाब/राज०/हरियाणा)	2×165	330
14. पोंग विस्तार (—वही—)	2×60	120
15. बैरा-स्यूल (केन्द्रीय क्षेत्र)	3×60	160
16. उकई बांया तट (गुजरात)	2×2.5	5
17. कडाना पम्पड (गुजरात)	4×60	120
18. पेंच (म०प्र०/महाराष्ट्र)	2×80	160
19. कोयना बांध बिजलीघर (महाराष्ट्र)	2×20	20
20. पैथोन (महाराष्ट्र)	1×12	120
21. तिल्लारी (महाराष्ट्र)	1×60	60
22. भौरा टेल रेस (महाराष्ट्र)	2×40	80
23. नागार्जुन सागर (आन्ध्र प्रदेश)	4×100	300
24. श्री शैलम (आन्ध्र प्रदेश)	4×110	440
25. डोंकराई (आन्ध्र प्रदेश)	1×25	25
26. बलिमेला (आंध्र प्रदेश)	2×30	60
27. नागार्जुनसागर आर० बी० सी० (आं० प्र०)	1×60	60
28 इदमलयार (केरल)	2×37.5	75
29 कक्कड़ (केरल)	2×25	50
30 कदमपराई (तमिलनाडु)	4×100	400
31. सर्वलार (तमिलनाडु)	1×20	20
32. कालीनदी चरण-I (कर्नाटक)	6×135+2×50	775
33. स्वर्णरेखा (बिहार)	2×65	65
34 पंचेत हिल (दा० घा० नि०)	1×40	40
35. रेंगाली (उड़ीसा)	2×50	100

1	2	3
36. अपर कोलाब (उड़ीसा)	3 × 80	240
37. जल्ढाका (प० बंगाल)	2×4	8
38. रमन-II	4 × 12.5	50
39. लोअर बोरपानी	2 × 50	50
40. दिखु	1×0.25+1×0.75	1
41. गुमटी	1×5	5
42. कोपिली	2 × 50+2 × 25	150
43. लोकतक	3×35	105
	अखिल भारत जोड़ (ज० वि०)	4755

ताप-विद्युत

1. फरीदाबाद विस्तार (हरियाणा)	1X60	60
2. पानीपत चरण-2 (हरियाणा)	2X110	220
3. रोपड़ (पंजाब)	2X210	210
4. कोटा (राजस्थान)	2X110	220
5. ओबरा विस्तार (उ० प्र०)	5X200	400
6. परीछा (उ०प्र०)	2X110	220
7. अनपारा (उ० प्र०)	3X210	630
8. टांडा (उ० प्र०)	4X110	220
9. बदरपुर विस्तार (केन्द्रीय)	1X210	210
10. सिंगरौली-I (केन्द्रीय)	3X210	630
11. सिंगरौली-II (केन्द्रीय)	2X210+2X500	420
12. उकई 5वीं यूनिट (गुजरात)	1X210	210
13. वानकबोरी (गुजरात)	3X210	630
14. वानकबोरी विस्तार (गुजरात)	3X210	210
15. सतपुड़ा 8वीं और 9वीं (म०प्र०)	2X210	420
16. कोरबा पूर्वी (म० प्र०)	1X120	120

1	2	3
17. कोरबा पश्चिम (म० प्र०)	2X210	420
18. कोरब पश्चिम विस्तार (म० प्र०)	2X210	420
19. नासिक यूनिट 4 और 5 (महाराष्ट्र)	2X210	210
20. भुसावल यूनिट-3 (महाराष्ट्र)	1X210	210
21. पारली यूनिट-3 (महाराष्ट्र)	1X210	210
22. चन्द्रपुरा (महाराष्ट्र)	2X210	420
23. ट्राम्बे (महाराष्ट्र)	1X500	500
24. कोराडी चरण-3 (महाराष्ट्र)	3X210	420
25. उरण गैस (महाराष्ट्र)	4X60	240
26. चन्द्रपुरा चरण-2 (महाराष्ट्र)	2X210	210
27. कोरबा एम. टी. पी. एस. (केन्द्रीय)	3X210+1X500	630
28. विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)	2X210	210
29. तूतीकोरिन यूनिट-3 (तमिलनाडु)	1X210	210
30. रायचूर (कर्नाटक)	2X210	420
31. रामागुण्डम एस. टी. पी. एस. (केन्द्रीय)	3X210+1X500	630
32. नेवेली दूसरा माइन कट (केन्द्रीय)	3X210	420
33. पतरातू 9वीं और 10वीं (बिहार)	2X210	220
34. बरौनी 6 और 7 (बिहार)	2X101	220
35. मुजफ्फरपुर (बिहार)	2X110	220
36. दुर्गापुर चौथी (दा० धा० नि०)	1X210	210
37. बोकारो 'बी' (दा० धा० नि०)	1X210	210
38. तलचेर विस्तार (उड़ीसा)	2X110	210
39. संथालडीह (प० बंगाल)	2X120	120
40. बंडेल विस्तार (प० बंगाल)	1X210	210
41. कोलाघाट (प० बंगाल)	3X210	630
42. दुगा० परि० लि० विस्तार (प० बंगाल)	1X110	110
43. सी० ई० एस० सी० (प० बंगाल)	4X60	240
44. फरक्का एस० टी० सी० एस० (केन्द्रीय)	3X210	210

1	2	3
45. बोंगाईगांव (असम)	2X60	120
46. नामरूप वोट हीट (असम)	1X22	22
47. लकवा गैस (असम)	3X15	45
48. मोबाइल गैस (असम)	3X3+4X3	21
49. बोंगाई गांव विस्तार (असम)	2X60	120
50. चन्द्रपुरा (असम)	1X30	30
	अखिल भारत जोड़ (ता० वि०)	13988 मेगावाट

न्यूक्लीय

1. राणाप्रताप	2X220	220
2. नरोरा	2X235	470
3. कालपक्कम	2X235	470
	अखिल भारत जोड़ (न्यूक्लीय)	1160 मेगावाट

(ख) जल विद्युत परियोजनाएं जिन पर निवेश सम्बन्धी निर्णयों की प्रतीक्षा है

1. नागार्जुनसागर विस्तार (आं० प्र०)	3X100	200
2. श्री शैलम विस्तार (वही)	3X110	110
3. लोअर मैत्तूर (तमिलनाडु)	8X15	30*
4. कुन्डाह बिजलीघर-5 (वही)	20	20*

*योजना आयोग ने लोअर मैत्तूर तथा कुन्डाह बिजली-पां ३ परियोजनाओं को राज्य योजना में सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति हाल ही में प्रदान कर दी है।

जम्मू और कश्मीर में सलाल जल-विद्युत परियोजना का पूरा न किया जाना

1180. **श्री सी० चिन्नास्वामी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर में सलाल जल विद्युत परियोजना 10 वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या देश की जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों को काम पर लगाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) चूंकि यह परियोजना हिमालय से निकली श्रंखलाओं में है, जहां भूरंचना विषम है, इसके निर्माण के दौरान गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा जिनके कारण डिजाइन में परिवर्तन करने पड़े। इस कारण कार्य की मात्राओं और कार्य के क्षेत्र में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, इसके निर्माण में मूलतः परिकल्पित समय से अधिक समय लग रहा है।

देश में विभिन्न एजेंसियों तथा विशेषज्ञों के साथ विस्तार पूर्वक एवं गहन रूप से विचार-विमर्श तथा परामर्श करके ये सब समस्याएं हल कर ली गई हैं।

आई० डी० पी० एल० द्वारा प्राप्त विदेशी प्रौद्योगिकी

1181. **श्री सी० चिन्नास्वामी :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० डी० पी० एल० द्वारा विभिन्न औषधों के लिए प्राप्त की गई विदेशी प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है ;

(ख) किन किन देशों से इसकी खरीद की गई है ; और

(ग) क्या आई० डी० पी० एल० को अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसका विकास करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण पत्र संलग्न है :—

(ग) आई० डी० पी० एल० के एण्टीबायोटिक्स प्लांट ऋषिकेश और सिन्थेटिक ड्रग्स प्लांट, हैदराबाद में दो अनुसंधान और विकास केन्द्र है। मूल रूप से टेक्नोएक्सपोर्ट, मास्को के साथ तकनीकी और वित्तीय सहयोग के अंग के रूप में आई० डी० पी० एल० ने 15 औषधों की प्रोयोगिकी प्राप्त की। आई० डी० पी० एल० ने 30 औषधों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया जिनका वाणिज्यिक उत्पादन किया जा रहा है। ज्ञात और नए औषधों के लिए प्रौद्योगिकी के सृजन के अनुसंधान और विकास प्रयास किये जा रहे हैं। आई० डी० पी एल० की विभिन्न औषधों के उत्पादन के लिए विस्तार की योजना है।

विवरण

विदेशी सहयोग के ब्यौरे और देश का नाम

वर्ष	तकनीकी सहयोग वाले सहयोगों के संक्षिप्त विवरण	कुल मूल्य	जिसके साथ सहयोग किया गया है उस देश और फर्म का नाम
1	2	3	4
14 जून, 1976	डाक्सी साइक्लीन के उत्पादन के लिए विस्तृत डिजाइल इंजीनियरिंग समेत जानकारी की सप्लाई	7.5 लाख अमरीकी डालर	मैसर्स फर्माफिन, ईटली मैसर्स आई० सी० एल० ईटली मैसर्स फर्माफिल, ईटली।
दिसम्बर, 1976	उत्पादन के लिए विस्तृत डिजाइन इंजीनियरिंग वाली जानकारी और उच्च उत्पादन वाले स्ट्रेनों की सप्लाई :—	4 लाख वही वही	आई. सी. एल. प्लांट (ईटली)
	(i) पोट० पेनिसिलिन		
	(ii) टेट्रासाइक्लीन एच. सी. एल.	3 लाख वही वही	आर्कीफल प्लांट (ईटली)
	(iii) इरीथ्रोमाइसीन हाइक्लेट और विस्तृत डिजाइन वाली तकनीकी जानकारी	3 लाख वही वही	वही
	(iv) सेमी सिन्थेटिक पेनिसिलिन	5 लाख वही वही	आई. सी. एल. प्लांट (ईटली)
27 जून, 1976	मिथाइल इथाइल पाइरीडीन, नियासीन और निकोटिनामाइट के उत्पादन के लिए तकनीकी जानकारी और कुछ उपकरणों की सप्लाई।	20,00,000 स्वेडिश क्रोन और 14.36 मिलियन स्वेडिश क्रोन	मैसर्स ए. बी. वोफार्स, स्वेडन और मैसर्स लोन्जा, स्वीटजरलैंड

तेल शोधक कारखानों की उपलब्धियां

1182. **श्री सी० चिन्नास्वामी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष तेल शोधक कारखानों की क्या उपलब्धि रही तथा इसके पिछले दो वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) चालू वर्ष में वर्तमान तेल शोधक कारखानों को पूरी क्षमता पर लाने के लिए कितना अशोधित तेल चाहिए ; और

(ग) चालू वर्ष में तेल छिद्रण के लिए चुने गए नये क्षेत्र क्या हैं तथा कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 का शोधनशालाओं का उत्पादन निम्नलिखित है ।

मीट्रिक टनों में

शोधनशाला	खनिज तेल उत्पादन		
	1977-78	1978-79	1979-80
एच० पी० सी० एल० (बम्बई)	2.90	2.80	3.13
बी० पी० सी० एल०	4.51	4.69	4.82
एच० पी० सी० एन० (विसाख) आर० एल०	1.30	1.33	1.10
सी० आर० एल०	2.93	2.86	2.87
एम० आर० एल०	2.62	2.76	2.82
कोयाली	4.13	5.25	6.71
हालडिया	2.10	2.22	2.49
बरौनी	3.06	2.66	2.29
गोहाटी	0.82	0.83	0.64
दिग्बोई	0.53	0.52	0.41
बोंगाईगांव	—	0.06	0.19
	24.90	25.98	27.47

वर्ष 1979-80 के दौरान एच. पी. सी. एल., बी. पी. सी. एल., एम. आर. एल और हल्दिया नामक चार शोधनशालाओं ने सदा की अपेक्षा सबसे अधिक खनिज तेल प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, कोयाली शोधनशाला विस्तार एकक जिसको अक्टूबर 1978 में आरम्भ किया गया था, के पूरे वर्ष के प्रभाव को मिलाकर सर्वाधिक मात्रा में खनिज तेज को साफ किया गया जितना कि पहले कभी नहीं किया गया था। तथापि दिसम्बर, 1979 से आगे असम आन्दोलनों के कारण बरौनी, गोहाटी, दिग्बोई और बोंगाईगांव में खनिज तेल के उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान विद्यमान शोधनशालाओं उनकी पूर्ण प्राप्त की जाने वाली क्षमता पर संचालन करने के लिए लगभग 28.8 मिलियन मीट्रिक टन खनिज तेल की आवश्यकता होगी।

(ग) चालू वर्ष 1980-81 के दौरान (अक्टूबर 1980 तक) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने तटवर्ती और अपतटवर्ती क्षेत्रों में 5 नई संरचनाओं का व्यधन कार्य आरम्भ किया। संरचनाओं की स्थिति सहित ब्यौरे नीचे दिए गये हैं :—

	1980-81 (अक्टूबर, 1980 तक) के दौरान व्यधन के लिए ली गई नई संरचनाएं	स्थिति
अपतटीय	आर-7 (रत्नगिरी)	तेल
	पी० वाई०-1 (पोर्टो नोवो)	गैस
	पी० वाई०-3 (पोर्टो नोवो)	व्यधन जारी है
तटवर्ती	माही हाई (गुजरात)	परीक्षाधीन है
	डोंगबारा (गुजरात)	व्यधन जारी है

चालू वित्तीय वर्ष 1980-81 के शेष भाग में अपतटीय क्षेत्रों में 3 नई संरचनाएं और तटवर्ती क्षेत्रों में 17 नई संरचनाओं में कार्य आरम्भ करने की सम्भावना है।

ये संरचनाएं हैं :—

वर्ष 1980-81 के दौरान आरम्भ की जाने वाली नई संरचनाएं

अपतटीय	1. के० आर० ई०	—	1	—	1
	2. ए० एन०	—	2	—	1 (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
	3. जी०	—	2	—	1 गोदावरी

तटवर्ती गुजरात 1. कोलात 2. ओगनेज 3. लंबनेज 4. जकासन 5. अमलियासन 6. लोहर 7. कुन्हारा 8 गंधार 9. उत्तरी वासो

असम 1. बोरपत्थर 2. नापामुआ 3. नाहरहबी 4. बोरसिला (नए स्थानों पर व्यधन आरम्भ करना असम में सामान्य स्थिति के वापस आने पर निर्भर करता है)।

आन्ध्र प्रदेश 1. रजोल

पश्चिम बंगाल 1. अभय 2. जगूली

त्रिपुरा 1. रोखिया

जहां तक आयल इण्डिया लि० का सम्बन्ध है वह अरुणाचल प्रदेश में खनिज पट्टा क्षेत्र और पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस क्षेत्र में विस्तृत अन्वेषण और अर्द्ध अन्वेषण व्यधन करने के अतिरिक्त, उनको महानदी वेसिन अपतट में 12,000 वर्ग किलो मीटर और महानदी वेसिन तट पर 6,800 वर्ग किलो मीटर के लिए नए पट्टे सौंपे गये हैं।

महानदी-1 को 2740 मीटर की गहराई तक खोदा गया है। महानदी-2 को 3,000 मीटर की गहाराई से नीचे खोदा जा रहा है।

भारतीय कानूनी सेवा गठित करने की योजना

1183. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार भारतीय कानूनी सेवा गठित करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है और यह योजना कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं। यह उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 312 (3) में जिस भारतीय न्यायिक सेवा के प्रति निर्देश किया गया है वह भारतीय विधि सेवा से भिन्न है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश को डीजल की सप्लाई

1184. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति के बावजूद राज्य की अधिक मांग की तुलना में कम मात्रा में डीजल सप्लाई किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का कृषि विचार के महत्व को देखते हुए उसके लिए डीजल का कोटा बढ़ाने का है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के आदिवासी झबुआ जिले में कृषि के लिए डीजल का अतिरिक्त कोटा मंजूर करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) मध्य प्रदेश को नवम्बर, 1980 के महीने के लिए 45,400 मीट्रिक टन हाईस्पीड डीजल आयल का आवंटन किया गया है । इसको राज्य सरकार द्वारा सूचित 40,000 मीट्रिक टन प्रति माह की कम से कम मांग की अपेक्षा पर्याप्त से अधिक समझा गया है ।

(ख) केवल डीजल का कुल आवंटन इस मंत्रालय से तय किया जाना है । विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, परिवहन आदि में डीजल का वितरण राज्य सरकार तय करती है । मन्त्रालय ने राज्य सरकारों जिनमें मध्य प्रदेश सरकार शामिल है से अनुरोध किया है कि कृषि सम्बन्ध में डीजल के वितरण को सबसे उच्चतम प्राथमिकता दी जाए ।

(ग) उपयुक्त भाग (ख) के उत्तर में दर्शायी गई स्थिति की दृष्टि से, इस मामले पर मध्य प्रदेश सरकार को विचार करना पड़ेगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश द्वारा विश्रामपुर, विंध्याचल और पेंच तापीय विद्युत केन्द्रों की परियोजना

1185. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यप्रदेश बिजली बोर्ड ने विश्रामपुर, तापीय विद्युत पर, विंध्याचल तापीय विद्युत पर तथा पेंच तापीय विद्युत पर, की परियोजनाओं को अनुमोदन के लिए भारत सरकार को भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उपरोक्त तापीय विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयला तथा उपकरणों की आपूर्ति के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ;

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी गई है :—

विश्रामपुर ताप विद्युत केन्द्र

परियोजना में विश्रामपुर क्षेत्र में उपलब्ध कोयले के समुपयोजन की परिकल्पना की गई है जो कि अच्छी किस्म का कोयला है। कोयला विभाग का दृष्टिकोण यह था कि कोयले के संसाधनों के संरक्षण के हित में तथा राष्ट्रीय हित में यह अच्छा होगा कि अच्छे किस्म के कोयले का प्रयोग ताप विद्युत केन्द्रों में न किया जाए। इसलिए यह सुझाव दिया गया था कि मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा कोरना पर एक वैकल्पिक स्थल के सम्बन्ध में विचार किया जाए, जहां पर बड़ी मात्रा में विद्युत ग्रेड के कोयले के भंडार उपलब्ध हैं।

विंध्याचल ताप विद्युत केन्द्र (सिंगरौली)

परियोजना रिपोर्ट विन्ध्याचल (सिंगरौली) पर 2×500 मेगावाट के यूनिटों की प्रतिष्ठापना से सम्बन्धित थी। जलशीतलन हेतु पीयर नदी पर बांध निर्माण की परिकल्पना भी इसमें की गई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ हुए विचार-विमर्शों के पश्चात् मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को सलाह दी गई है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के स्थल के नजदीक ही विद्युत केन्द्र स्थापित करें ताकि सिंगरोली क्षेत्र में संयुक्त विद्युत विकास के लिए जल शीतलन सुविधाओं का अधिक लाभ उठाया जा सके। 19-8-1980 को हुई अपनी बैठक में स्थायी लिंकेज समिति ने इस विद्युत केन्द्र को सिंगरौली कोयला क्षेत्रों से जोड़ दिया था बशर्ते प्रथम सेट 1989-90 में चालू कर दिया जाएगा।

पेंच ताप विद्युत केन्द्र

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें प्रथम चरण में 2×210 मेगावाट के यूनिट तथा दूसरे चरण में 2×210 मेगावाट के यूनिट केन्द्रीय सेन्टर द्वारा हाथ में लिए जाने हैं। एक विद्युत केन्द्र केन्द्रीय सेन्टर में स्थापित किए जाने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की परियोजना रिपोर्ट (2×210 मेगावाट) उन्हें 24-9-1980 को वापस कर दी गई थी।

आनन्द बाजार पत्रिका को दिये गए विज्ञापन की धनराशी

1186. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में वर्ष वार आनन्द बाजार पत्रिका तथा इसकी सम्बद्ध कम्पनियों को विज्ञापन के रूप में कितनी धनराशि अदा की ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) वैयक्तिक समाचारपत्रों को दिए जाने वाले विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों का

मूल्य जनहित में गोपनीय समझा जाता है, क्योंकि ये सरकार और वैयक्तिक समाचारपत्रों के बीच नेचर कान्ट्रक्ट्स में होते हैं।

समाचारपत्रों में समाचारों और विज्ञापनों का अनुपात

1187. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचारपत्रों का पंजीकरण करते समय और विज्ञापन देते समय उन्हें समाचार और विज्ञापनों के प्रकाशन के सम्बन्ध में एक निश्चित अनुपात बनाए रखने के लिए निदेश जारी किए हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास ऐसा करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या इस बात की जांच करने के लिए कोई तन्त्र है कि समाचार पत्र समाचार-विज्ञापन के बारे में निश्चित अनुपात बनाए हुए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) अखबारी कागज सलाहकार समिति ने यह सुझाव दिया है कि सरकार को 'समाचारों' और 'विज्ञापनों' के बीच अधिकतम अनुपात निश्चित करना चाहिए और यह अनुपात 60 : 40 होना चाहिए। यह सुझाव विचाराधीन है। इस समय सरकार के पास इस बात की जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है कि क्या समाचार-पत्र "समाचारों" और "विज्ञापनों" के बीच विशिष्ठ अनुपात रखते हैं।

खंडसारी चीनी फैक्ट्रियों पर सीरा नियन्त्रण आदेश का लागू होना

1188. **श्री राजगोपाल नायडू :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खन्डसारी चीनी फैक्ट्रियों पर सीरा नियन्त्रण आदेश को लागू किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में यह लागू है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) सीरा नियन्त्रण आदेश, 1961 को आन्ध्र प्रदेश- असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु स्थित खण्डसारी चीनी मिलों पर ही लागू किया जा रहा है।

अंकलेश्वर के कुएं में गैस का मिलना

1189. श्री के० लकप्पा :
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :
श्री माधव राव सिंधिया : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंकलेश्वर में गैस मिली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पूरे देश में एल० पी० जी० की कमी को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जायेगा ; और

(घ) अन्य कौन से तरीकों में इसका प्रयोग करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में अन्वेषण के परिणामस्वरूप हाल ही में दाहेज संरचना में गैस निकली है ।

(ख) इस समय कुआं परीक्षणाधीन है ।

(ग) और (घ) इस अवस्था में इस मामले में कुछ भी कहना असामयिक होगा क्योंकि पाई गई गैस कितनी मात्रा में मिलने की सम्भावना है यह अभी पता लगाया जाना है ।

विद्यार्थी चलचित्र पर विवाद

1190. श्री बापू साहिब परूलेकर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के अधिकारियों तथा विद्यार्थियों के बीच विद्यार्थी चल-चित्रों के सम्बन्ध में काफी विवाद हो गया था अथवा हो गया है और क्या विद्यार्थियों ने सांकेतिक हड़ताल की थी ;

(ख) उक्त विवाद का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ग) क्या इस चले आ रहे विवाद की जड़ सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अनिश्चित दृष्टिकोण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) से (ग) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की प्रबन्ध परिषद ने कुछ विद्यार्थी फिल्मों में अश्लील

चित्रण के बारे में अपने एक सदस्य से शिकायत प्राप्त होने पर संबन्धित भागों को देखा। प्रबन्ध परिषद ने कुछ शाट अश्लील पाये और उसने निर्देश दिया कि विद्यार्थियों द्वारा बनाई जाने वाली फिल्मों में इस प्रकार के शाट नहीं होने चाहिएं। विद्यार्थियों ने इस निर्णय को अपनी शैक्षिक स्वतंत्रका का अतिलंघन समझा और वे एक दिन की हड़ताल पर चले गए। प्रबन्ध परिषद ने उसके अभ्यावेदन पर विचार किया और वह 20 सितम्बर, 1980 को हुई अपनी अगली बैठक में विद्यार्थियों से भी मिली। प्रबन्ध परिषद का निर्णय विद्यार्थियों को बताया गया और उनकी गलतफहमियों को दूर कर दिया गया। इसके बाद संस्थान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

जन सम्पर्क निदेशालय, दिल्ली में एक नियुक्ति पर प्रतिक्रिया

1191. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन सम्पर्क निदेशालय दिल्ली प्रशासन में वहां के अधिकारियों द्वारा एक नौकरशाह को विभागाध्यक्ष के रूप में थोपने का प्रयास किए जाने पर वहां कार्यरत पेशेवर संचार कर्मचारियों में भारी असंतोष फैल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन संचार कर्मचारियों की आपत्ति उचित नहीं है क्योंकि अब तक निदेशक का पद पेशेवर संचार कर्मचारियों में से ही भरा जाता था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में कम्पनियों द्वारा तुलना-पत्रों का प्रस्तुत किया जाना

1192. **श्री रामावतार शास्त्री** : विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में पंजीकृत सरकारी कम्पनियाँ अपने लेखा परीक्षा द्वारा जांच किए गए तुलन पत्रों तथा वार्षिक लेखों के तुलन पत्रों को कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सही समय पर पंजीकार को प्रस्तुत कर रही हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की भूल के लिए गैर-सरकारी कम्पनियों की ही भान्ति उन सरकारी कम्पनियों के विरुद्ध सम्बन्धित न्यायालयों में एक मामला दर्ज किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार का रुख अपनाकर सरकारी कम्पनियों को कानून का उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) बिहार में कुछ सरकारी कम्पनियों ने तुलन-पत्रों तथा वार्षिक विवरणियों को कम्पनी रजिस्ट्रारों को समय पर प्रस्तुत नहीं किया है। इनमें से कोई भी मामला विधि न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है, क्योंकि सरकारी कम्पनियों के मामले में निदेशकों के कोई व्यक्तिगत हित नहीं होते, अतः इस प्रकार की चूकें प्रशासनिक कार्यवाही के माध्यम से दूर कर दी जाती हैं। चूंकि सरकारी कम्पनियों के निदेशक, कम्पनी के हितों के साथ-साथ सार्वजनिक हित की सावधानी बर्तने के लिए केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, अतः कोई भी चूक जानबूझ कर नहीं की जाती। इसलिए इन कम्पनियों तथा उनके निदेशकों के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चलाए जाते।

एक अन्य उच्च स्तरीय समिति की नियुक्त

1193. **श्री चित्त बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद भी कि वर्गीज समिति आकाशवाणी और दूरदर्शन संबंधी मामले का अध्ययन कर चुकी है और अपनी रिपोर्ट भेज चुकी है सरकार का आकाशवाणी और दूरदर्शन में संरचनात्मक परिवर्तन सुझाने के लिए एक अन्य उच्च स्तरीय समिति के नियुक्त करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ;और

(ग) उसके निदेश पद क्या-क्या हैं, और समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अधीन माध्यमों के कार्य निष्पादन की गुणवत्ता में और अधिक व्यावसायिक दक्षता और सुधार लाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न माध्यम संगठनों में संरचनात्मक परिवर्तनों के बारे में मंत्रालय को सलाह देने हेतु एक सलाहकार समिति गठित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। प्रस्तावित समिति आकाशवाणी और दूरदर्शन के बारे में भी सुझाव देगी।

(ख) प्रस्तावित समिति न केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन के बारे में ही अपितु सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी माध्यम संगठनों के बारे में भी सलाह देगी।

(ग) समिति के विचारणीय विषयों, उसकी संरचना, आदि को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

न्यास

1194. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) राज्यवार ऐसे कितने-कितन और कौन-कौन, से न्यास हैं, जिन्होंने गत 3 वर्षों के दौरान न्यासों से संबंधित बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय बढ़ाए जाने की मांग की है ;

(ख) कितने मामलों में समय बढ़ाया गया है ; और

(ग) कितने आवेदन अभी तक विचाराधीन है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) न्यास या तो लोक न्यास होते हैं या प्राइवेट न्यास । साधारणतया न्यास के अधीन न्यासियों की बाध्यताओं की पूर्ति का प्रश्न न्यासियों और हिताधिकारियों के बीच का विषय होता है यद्यपि लोक न्यासों के मामले में कुछ राज्यों में न्यासों के प्रशासन का पर्यवेक्षण करने की बाध्यता पूर्त आयुक्त या अन्य प्राधिकारी की है तथापि न्यासों से यह अपेक्षित नही है कि वे अपनी बाध्यताओं की पूर्ति के लिए समय बढ़ाए जाने की मंजूरी हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई आवेदन करें ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सहगल पेपर्स लिमिटेड द्वारा कम्पनी कानूनी का उल्लंघन

1195. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सहगल पेपर्स लिमिटेड, दिल्ली द्वारा कम्पनी कानूनों का उलंघन किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वी० शिवशंकर) : (क) हां, श्रीमान, जी ।

(ख) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत शिकायतें,

(1) कम्पनी से हिस्सा-प्रमाण-पत्रों की अप्राप्ति, तथा

(2) हिस्सेधारियों द्वारा अदा की गई याचना राशि के पृष्ठांकन के पश्चात, हिस्सा प्रमाण-पत्रों को वापिस न करने से सम्बन्धित थीं । इन मामलों पर कम्पनी के साथ सम्पर्क किया गया है तथा मामले की आगे परीक्षा प्रवर्तमान है ।

अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर में एक ट्रांसमीटर लगाने की अनुमति

1196. **श्री लहना सिंह सुर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संत गुरूद्वारा प्रबन्धक समिति अमृतसर ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एक ट्रांसमीटर को लगाने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थिति अब क्या है ;

(ग) क्या उनका मंत्रालय इस ट्रांसमीटर से केवल गुरवाणी कार्यक्रमों का प्रसारण किए जाने को ध्यान में रखते हुए मामले पर सहानुभूतिपूर्ण विचार कर रहा है ; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय को इसकी अनुमति देने में किसी प्रकार की आपत्ति है और विशेष रूप से तब जब कि यह स्पष्ट है कि इसका पूर्ण नियंत्रण उनके मंत्रालय के पास ही रहेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमरी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) देश में किसी भी रूप में गैर सरकारी प्रसारणों या अनुरूप से धार्मिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति न देना सरकार की सुस्थापित नीति है । भक्ति कार्यक्रम देश के सभी आकाशवाणी केन्द्रों से कतिपय निश्चित समय पर नियमित रूप से प्रसारित किए जाते हैं ।

फ्रांसीसी रंगीन टेलीविजन टीम द्वारा दौरा

1197. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1980 में फ्रांसीसी रंगीन टेलीविजन टीम ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें भारत ने आमंत्रित किया था अथवा वे अपने आप आये;

(ग) उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य क्या था;

(घ) क्या उन्होंने भारत में प्रस्तावित रंगीन टेलीविजन आरंभ करने के पक्ष और विपक्ष के संबंध में कोई प्रतिवेदन दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं (ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

सिल्चर आकाशवाणी केन्द्र की क्षमता

1198. **श्री संतोषमोहन देव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिल्चर आकाशवाणी केन्द्र की वर्तमान पारेषण क्षमता इतनी कमजोर है कि काछार और बंगलादेश के सीमावर्ती क्षेत्र और उत्तर काछार हिल्स तथा मिजोरम के क्षेत्र इस केन्द्र का प्रसारण नहीं सुन सकते ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सिल्चर आकाशवाणी केन्द्र की पारेषण क्षमता में वृद्धि करने का है ताकि उपर्युक्त क्षेत्रों में भी उक्त केन्द्र से होने वाले प्रसारणों को सुना जा सके ?

सूचना और प्रसारण उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) सिल्चर का रेडियो स्टेशन मध्यम शक्ति के एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर से सुसज्जित है, जो समूचे कछार जिले और सीमावर्ती क्षेत्रों अर्थात् असम में उत्तरी कछार हिल्स जिले के दक्षिण भागों, मेघालय में जोवाई के पूर्वी भागों मिजोरम के उत्तरी भागों और मणिपुर के पश्चिमी भागों में दिवाकालीन प्राथमिक ग्रेड की सेवा प्रदान करता है ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

सिल्चर आकाशवाणी के ड्रामा अनुभाग के लिए कलाकारों के लिए ध्वनि परीक्षण

1199. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हांलाकि सिल्चर आकाशवाणी के ड्रामा अनुभाग के लिए कलाकारों के लिए ध्वनि परीक्षण (बंगाली ड्रामा के लिए) उक्त अनुभाग के लिए कलाकारों की भर्ती से काफी समय पूर्व किया था परन्तु उसे अभी तक अन्तिमरूप नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ड्रामा अनुभाग को बिना और आगे विलम्ब के आरम्भ करने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) सिल्चर के केन्द्र निदेशक को सितम्बर, 1980 में उपलब्ध संसाधनों का पुनरीक्षण करने और नाटकों को तैयार करने का काम यथा संभव हद तक हाथ में लेने के निर्देश दे दिए गए हैं।

दरभंगा केन्द्र के लिए ट्रांसमीटर

1200. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** 7 जनवरी, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 2(के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह कहा गया था कि आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र के ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाने पर विचार संसाधनों की उपलब्धता के पश्चात् किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त आश्वासन के अनुसरण में ट्रांसमीटर की क्षमता 100 कि० वाट तक बढ़ाई जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) से (ग) लोक सभा के उक्त प्रश्न के पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह कहा गया था कि दरभंगा ट्रांसमीटर की शक्ति 10 किलोवाट है तथा जब अधिक संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे तब ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। तथापि, संसाधनों की बराबर कमी के कारण दरभंगा ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में

कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि हम प्रश्नोत्तर काल में करते हैं, सदस्यगण एक-एक करके बोलें। मैं प्रत्येक को दो या तीन मिनट अवश्य दूंगा।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, सारंगपुर जिले मुंगलेर में वहां की पुलिस ने 5 औरतों को पांच दिन तक बन्द रखा और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। उनके एक बच्चे को पुलिस ने ही अपने बदमाशों से उठवा लिया है और आज तक वापस नहीं किया है। वे औरतें और आदमी यहां पर बोट क्लब पर धरना दिए हुए हैं। बड़ा ही गम्भीर मामला है। पुलिस ने ही एक नौजवान को गोली मरवाई और घरों को आग लगवाई है, पेशेवर गुन्डों के द्वारा इतना गम्भीर मामला है इसके लिए कृपया कालिंग अटेंशन स्वीकार करें।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : माननीय सदस्य ने एक बड़ा ही गम्भीर मामला उठाया है कि पांच महिलाओं, विशेषकर हरिजनों महिलाओं को थाने में बन्द किया गया और वहां पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ बलात्कार किया। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी छान-बीन करूंगा।

श्री रामबिलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अडजर्नमेंट मोशन दिया है और पहले भी दिया था। बिहार में पुलिस द्वारा 15 आदिवासियों की हत्या की गई है। इस पर न तो अभी तक अडजर्नमेंट मोशन लिया गया है और न ही कालिंग अटेंशन लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि हम फैक्ट्स मंगवा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार सरकार से फैक्ट्स आए हैं या नहीं आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो कितने दिन तक आएंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर अभी विचार हो रहा है हमें रिपोर्ट मिलेगी।

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्वांइट है। श्री जार्ज फिर्नान्डीस का जेल से टेलीग्राम आया है कि उनको जेल में इल्लीगली रखा गया है, उन्हें टारच्यूर कया गया है। आप यहां उपाध्यक्ष हैं। आप हम लोगों को बतलाइए कि जार्ज फर्नांन्डिस जेल में हैं या बाहर हैं ? किस स्थिति में हैं ? यह बड़ा गम्भीर मामला है। एक मेम्बर आफ पार्लियामेंट जेल से टेलीग्राम कर रहा है कि उसे अवैधानिक तरीके से रखा गया है, उनके साथ दुर्व्यहार हो रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैंने आपको एक पत्र लिखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने एक पत्र लिखा है और श्री पासवान यह प्रश्न ही उठा चुके हैं। मैं एक या दो मिनट में इसकी घोषणा कर दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : आपको इस बात का पता लगाना चाहिए कि उन्हें गैर-कानूनी ढंग से क्यों नजरबन्द किया गया और कितने दिन तक उन्हें नजरबन्द रखा गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं घोषणा करूंगा।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैंने बिहार में भुखमरी से होने वाली मौतों के बारे में स्थगन प्रस्ताव रखा है वहां पर भूख से कई लोग मर चुके हैं। सरकार इस देश के लोगों को भोजन तक जुटाने में पूर्णरूप से असफल रही है। यह एक बड़ा गम्भीर मामला है। हमने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है और एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी परन्तु स्वीकृति एक को भी नहीं मिली। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को तो स्वीकार कर ही लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दी जाएगी।

श्री रसीद मसूद (सहारनपुर) : मैंने छः सात चीजों पर कालिंग एटेंशन मोशन दिए हैं लेकिन कोई भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। उनमें से एक मामला इसी पर यानी हरिजन औरतों के साथ रेप का है। वह मेरे जिले का मामला है। वह मेरा हलका है। दूसरा मसला पैरेलल बुकिंग आफिस जो रेलवे के चल रहे हैं उनके बारे में है। ताज्जुब की बात है कि बिलकुल उसी जगह जहां पर रेलवे की प्रोटेक्शन फोर्स का दफ्तर होता है वहीं पर बराबर में ये बुकिंग आफिस काम कर रहे हैं। रोज यह चीज अखबारों में आ रही है। कलकत्ता, लखनऊ वगैरह में ये हैं। इसके बारे में मेरा जो कालिंग एटेंशन है उसको भी माना जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर गौर करेंगे । यह सचमुच ही एक गम्भीर मामला है ।

श्री रामावतार शास्त्री, मुझे आशा है कि वह श्री राजन के विषय को भी ले लेंगे । (**व्यवधान**) मैं सबको बोलने का अवसर दूंगा ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अखिल भारतीय छात्र संघ····· ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको तो केवल बोलकर ही सन्तोष मिलेगा । हमने इसकी नियम 377 के अधीन अनुमति दी है ।

श्री रामावतार शास्त्री : कृपया मेरी बात सुनिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे नियम 377 के अधीन नहीं चाहते ।

श्री रामावतार शास्त्री : आल इंडिया यूथ फेड्रेशन और आल इंडिया स्टुडेंट फेड्रेशन की तरफ से सत्याग्रह किया जा रहा है । उनके बारे में मैंने एक कार्य स्थगत प्रस्ताव दिया है । छात्रों और युवकों पर बर्बरता पूर्ण ढंग से लाठी चलाने के लिए । (**व्यवधान**) ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सचमुच इसका बड़ा खेद है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरी प्रार्थना है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव को माना जाये । हम सरकार को सेंशर करना चाहते हैं । बेरोजगारी के खिलाफ जो नौजवान लड़ रहे हैं सरकार उन पर लाठी चार्ज कराती है । इस पर मैंने कार्य स्थगत प्रस्ताव किया है और उनको माना जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसकी अनुमति नियम 377 के अधीन दी गई है । अब डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी । (**व्यवधान**) मैं सबको बोलने का अवसर दूंगा । (**व्यवधान**) मैं बारी-बारी से सभी को बुलाऊंगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर) : मेरा स्थगन प्रस्ताव एक अत्यन्त ही गम्भीर मामले के सम्बन्ध में है । मैंने आपको एक ऐसा स्थगन प्रस्ताव दिया था जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का एक गम्भीर मामला उठाया गया है । इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसके पास कोई संवैधानिक प्राधिकार नहीं था, पेरिस गया है । और वहां पर उसने फ्रांस सरकार द्वारा भारत सरकार को सप्लाई किए गए वायुयानों के खाके दिखाए जिससे फ्रांस सरकार घबड़ा गई जिस पर फ्रांस के राजदूत ने यहां पर भारत सरकार से औपचारिक विरोध प्रकट किया । (**व्यवधान**) ।

तो मैं आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुध हुई बात बता रहा था । वह जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं । इसीलिए वे उदास हो रहे हैं । (**व्यवधान**) ।

वास्तव में, मैं इस पर एतराज कर रहा हूं। समाचार-पत्रों में प्रतिदिन आ रहा है कि आज स्वामी जी यह कह रहे हैं और। और आज यह।*

***उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया ऐसे किसी व्यक्ति के नाम का जिक्र मत कीजिये जो इस सभा का सदस्य नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं स्वामी वीरेन्द्र ब्रह्मचारी की गतिविधियों सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर पूरा वाद-विवाद चाहता हूं। *श्री कुरियन।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : नियम 389 के अन्तर्गत। यह इस सभा की सुस्थापित परम्परा है कि उस व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया जायेगा और उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया जायेगा जो इस सभा का सदस्य नहीं है। यह बहुत गम्भीर मामला है। उसके विरुद्ध गैर- जिम्मेवारी किस्म के सभी आरोप लगाये जा रहे हैं। (**व्यवधान**)।

मैं इस बात की मांग करता हूं कि जो भी डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा है उसे सभा के कार्यवाही वृत्तान्त से अवश्य निकाल दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त को अवश्य देखूंगा और यह देखूंगा कि क्या किसी भारत के माननीय नागरिक, जो इस सभा का सदस्य नहीं है के खिलाफ कोई आरोप या असंसदीय शब्द है। मैं इस पर निश्चित रूप से ध्यान दूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : केवल यदि यह असत्य है। आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि क्या आरोप सत्य है या नहीं। आप सरकार से पूछ सकते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मैंने अति गम्भीर घटना के बारे में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है जो राजस्थान में वैर निर्वाचन क्षेत्र में हुई है जिसमें उन चार पत्रकारों की पिटाई की गई थी जो चुनाव गतिविधियों के समाचार भेजने के लिए वहां गये थे। वहां बहुत से चुनाव केन्द्रों पर कब्जा कर लिया गया था। यह बहुत गम्भीर मामला है। मैं उस पर विस्तृत वाद-विवाद चाहता हूं।

भुवनेश्वर में भी एक पत्रकार की पत्नी के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या की गई थी। मैंने उसके सम्बन्ध में गत सप्ताह एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में एक नोटिस दिया था और मैंने इस सप्ताह में इसे दोहराया है। आप इसके बारे में किसी बात का उल्लेख

*उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

नहीं कर रहे हैं। आप महत्व के मामलों पर ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे रहे हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का प्रश्न है अन्तर्ग्रस्त है।

मैं चाहता हूं कि आप इन बड़े महत्व के दो मामलों पर वाद-विवाद की अनुमति प्रदान करें।

श्री बी० किशोर चन्द्र एम० देव (पार्वतीपुरम) : मैंने दो अलग-अलग नोटिस दिये हैं। एक तो पत्रकार की पत्नी के साथ बलात्कार तथा हत्या के बारे में है। मैं उस पर वाद-विवाद चाहता हूं। यह एक गम्भीर मामला है। परन्तु बड़ी गम्भीर बात उस पाश्विक तरीके की है जिस तरीके से पुलिस ने पत्रकार के साथ व्यवहार किया था। उसे कैसे बन्द कर दिया गया था और उससे भुवनेश्वर में जबर दस्ती एक बयान लिया। यह अति गम्भीर मामला है। मैं इस पर वाद-विवाद चाहता हूं।

एक अन्य गम्भीर मामला सेन्चूरियन टैंकों के बारे में है। मैं उस पर वाद-विवाद चाहता हूं। समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि इनके फालतू पुर्जों को दक्षिणी अफ्रीका को भेज दिया गया है। यह राष्ट्रीय हित तथा भारत की सुस्थापित विदेश नीति के विरुद्ध है। यह मामला राज्य सभा में आंशिक रूप से उठाया जा चुका है। इस विशेष मामले के बारे में अनेक समाचार आ रहे हैं। इस सभा को इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (अंबला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो काम रोको प्रस्ताव पेश किये हैं। एक तो ग्राम उल्हेड़ा के झगड़े के बारे में जो धरना लगा हुआ है, हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों पर जो अत्याचार हुआ है, पुलिस ने डकैती खुद डाली है, जब गांव वालों ने उस डाकू को पकड़ा तो पुलिस ने जाकर औरतों तक को लूटा, उनकी पिटाई की, बच्चों को तंग किया। उन लोगों को न्याय नहीं मिला।

दूसरे बेरोजगार लोगों पर जो लाठी चार्ज हुआ है, इस देश के लोग रोजगार मांगें तो उन पर लाठी चार्ज किया जाये, जेल भेजा जाए, आप उनको रोजगार न दे सकें, इससे ज्यादा शर्म की चीज और कोई नहीं हो सकती। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में चर्चा होनी चाहिए मैंने इस पर चर्चा की मांग की है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैंने एक कालिंग अटेंशन और एक काम रोको प्रस्ताव दिया है। इस मुल्क के अन्दर पत्रकारों, हरिजनों, पिछड़े वर्ग के लोगों और किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, बदत्तर हो गई है कि उनको थाने में लेजाकर पीटा जा रहा है, सरेआम बाजार में पीटा जा रहा है, लेकिन यह सरकार उनकी रक्षा और इसकी रोकथाम के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इसलिये मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि जो सहारनपुर में अत्याचार हुआ है, मंगलौर में अत्याचार हुआ है, उड़ीसा में पत्रकार पर अत्याचार हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप इन सब बातों पर मत जाइये ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उन सब के बारे में इस हाउस में हमारा जो काम रोको प्रस्ताव है, उसको स्वीकार कीजिये । प्रेस की स्वतंत्रता और हरिजन व पिछड़ेवर्ग के लोगों की जिन्दगी का यह सवाल है ।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैने दो एजर्नमेंट मौशन्ज दिये हैं । और सब क्षेत्रों में तो मौजूदा हुकूमत पूरी तरह फेल हुई ही है, लेकिन दो चीजों को उसने बहुत सस्ता कर दिया है । एक तो इन्सान की जिन्दगी और दूसरी महिलाओं की इज्जत आज हरिजन पूरे देश में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । पिपरा और कफल्टा की घटनाओं के बाद रुड़की में पुलिस ने तीन हरिजन महिलाओं को थाने में पांच दिन तक रख कर उन पर सामूहिक बलात्कार किया है, जिसके बारे में मैंने एजर्नमेंट मोशन दिया है । इसके विरोध में बोट क्लब पर धरना दिया जा रहा है । यह बहुत सीरियस मामला है । सारे देश के लोग आतकित हैं ।

मेरा दूसरा एजर्नमेंट मौशन इस बारे में है कि आज इस देश में दस करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और अगर लोग रोजगार की मांग करने के लिए प्रदर्शन करते है, तो उन पर लाठी चार्ज किया जाता है । सरकार और देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती है । यह बड़ा गम्भीर विषय है और बड़े दुर्भाग्य की बात है । इस मामले पर बहस होनी चाहिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : श्रीमान, बड़े गम्भीर मोमले उठाये जा रहे हैं । मुझे आशा है कि उन्हें गम्भीरता से लिया जा रहा है । यह आकस्मिक उल्लेख नहीं है जो किया जा रहा है । हम कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर वाद-विवाद करना चाहते हैं जिन्हें माननीय सदस्य उठा रहे हैं । हम उन्हें सुन रहे हैं केवल यही कहना पर्याप्त नहीं है । कम से कम उन विषयों के प्रति गम्भीरता दिखानी चाहिए जो उठाए जा चुके है ।

मैं उनमें से अधिकाँश मामलों का समर्थन करता हूं जिनका सुझाव दिया जा चुका है । दो मामले हैं जिन पर हम बार-बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नोटिस देने का प्रयास कर रहे है । हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नोटिस दे चुके हैं और उन्हे उठाने का प्रयास कर रहे है परन्तु हमें कोई अवसर नहीं मिल रहा है ।

कलकत्ता में 200 वर्ष पुराना रक्षा प्रतिष्ठान है जिसे आयुद्ध डिपो के नाम से जाना जाता है । कर्मचारियों की संयुक्त मांग तथा विरोधों के बावजूद इसे समाप्त किया जा रहा है । कोई कारण नहीं दिया गया है । इसके कारण को जानने के लिए राज्य सरकार ने आपत्ति की, कर्मचारियों ने आपत्ति की परन्तु कारण नहीं बताया जा रहा है । हमने ध्यानाकर्षण का नोटिस दिया हैं ।

दूसरे बहुत महत्व पूर्ण विधेयक जो पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित किये जा चुके है । राष्ट्रपति की अनुमति न मिलने के कारण केन्द्र में रोके जा रहे हैं । भूमि सुधार विधान

और शैक्षिक सुधारों तथा भूमि हीनों को अधिकार देने संबंधी विधान जैसे महत्वपूर्ण विधान नार्थ ब्लाक या साऊथ ब्लाक या सरकार के विभिन्न कार्यालयों में महीनो रोके जा रहे हैं। आप उसी राज्य से आए हैं आप को पता है वहां क्या हो रहा है। राज्य सरकारें काम नहीं कर सकती हैं। विधान सभायें उपनिवेश वादी किस्म का दर्जा ग्रहण कर रही है। यदि केन्द्रीय सरकार की कृपा होती है तो महत्वपूर्ण विधान पर कार्यवाही होती है। हमने भी इसके लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नोटिस दिये हैं परन्तु कुछ नहीं हो रहा है, कोई मंजूर नहीं किया जा रहा है। हमें मालुम नही है कि सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सभा से अनुरोध तथा आग्रह करूंगा कि गम्भीर मामलों पर वाद-विवाद किया जाए और कम से कम कुछ वक्तव्य दिए जांए ताकि हमें मालूम हो जाए कि स्थिति क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आर० के० महालगी। (व्यवधान) क्या आप ने कोई स्थगन प्रस्ताव दिया है ?

श्री आर० के० महालगी : मैंने बिहार में 15 आदिवासियों के साथ बलात्कार के गम्भीर विषय पर स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो भी कहते हैं वह गम्भीर है।

श्री आर० के० महालगी : मैं समझता हूं कि वह सही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, प्रत्येक बात गम्भीर है यही मैंने कहा है।

श्री आर० के० महालगी : यह अनैमतिक रवैया है जो उपाध्यक्ष अपना रहे हैं। यह सही नहीं है। जब मैं यह कहता हूं कि बिहार में 15 आदिवासियों के साथ बलात्कार हुआ था तो सरकार इसे गम्भीरता से ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, ने कहा कि वे तथ्य मालूम करेंगे। चार अथवा पांच दिन हो गये हैं परन्तु सभा के समक्ष कोई बात नहीं आई है। इसलिए क्या मैं माननीय अध्वक्ष तथा उपाध्यक्ष महोदय से इस विशेष प्रस्ताव पर वाद-विवाद करने की कार्यवाही करने का अनुरोध कर सकता हूं ?

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : मैं उस लाठी प्रहार सम्बन्धी एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे चुका हूं जो कल उन छात्रों तथा युवकों पर संसद भवन के पास हुआ था जो रोजगार की मांग कर रहे थे जो काम की मांग कर रहे थे ..... ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने उस मामले को 377 के अधीन श्री रामावतार शास्त्री द्वारा उठाने की अनुमति दी है।

श्री एम० एम० लारेंस : मैं उस पर पूर्ण वाद-विवाद की मांग कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष जी, मैंने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है उसमें कहा है कि राजस्थान के वैर क्षेत्र में वहां के मुख्य मंत्री श्री पहाड़िया को जबर्दस्ती जिताया गया है। (व्यवधान) हमने यह भी कहा है कि वहां पर जनतन्त्र की हत्या की गई है। इस माने में कि वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया गया। (व्यवधान) आपका अधिकार है उसको मानें या न मानें लेकिन आपको अपनी रूलिंग देनी होगी कि आपने क्यों नहीं माना।

श्री के० ए० राजन (त्रिचुर) : इस देश के विचारों की आवाज उठाने वाले हजारों की संख्या में छात्र तथा युवक सारे देश से दिल्ली आए थे और रोजगार की मांग कर रहे थे। परन्तु उन पर लाठी-प्रहार किया गया और उन्हे हजारों की संख्या में गिरफ्तार किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है जिस पर मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दे चुका हूं।

श्री बापू साहिब पारूलेकर (रतन गिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के दो नोटिस दिए हैं।

एक वाणिज्य मंत्रालय में गड़बड़ के बारे में है जिसके सम्बन्ध में 'ब्लिटज' में एक समाचार प्रकाशित हो चुका है। कल मैंने एक नोटिस दिया है। यह बहुत गंभीर विषय है। हम भ्रष्टाचार के उन्मूलन की बात करते है। परन्तु मुझे आश्चर्य है कि इसके बारे में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। यह समाचार मिला है कि अक्तूबर के पिछले सप्ताह में वाणिज्य मंत्रालय में उच्चाधिकारियों को 15 लाख रुपये की रिशवत दी गई थी तथा उसी दिन लाइसेंस पर हस्ताक्षर किए गए थे और दस्तावेज को जाली बताया गया है। भुगतान करने से पूर्व इस बात का उल्लेख हुआ है कि वाणिज्य मंत्रालय की फाइल में यह कहा गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ आरोप लगा रहे हैं जिसके लिए आप को जिम्मेवारी लेनी होगी।

श्री बापू साहिब पारूलेकर : मैं इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। यदि वे सरकार को बदनाम कर रहे हैं तो प्रेस के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। इसे स्पष्ट करना उनके ऊपर है। इस बात का उल्लेख किया जाता है कि वाणिज्य मन्त्रालय की फाइल में यह कहा गया था कि माल लदान की इस विशेष स्वीकृति को देने से पूर्व 'कृषि मन्त्रालय की स्वीकृति आवश्यक है'। परन्तु उसी दिन जिस दिन भुगतान किया गया था, 15 लाख रु० भुगतान करने के बाद, शब्द 'आवश्यक और 'है' के बीच 'नहीं' रखा गया था। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है जिसके सम्बन्ध में सरकार को वक्तव्य देना चाहिए। और यदि यह सच नहीं है तो मुझे आशा है कि सरकार गुमराह करने के लिए उस विशेष समाचार के सम्पादक के विरुद्ध मुकदमा दायर करेगी।

मैं दूसरे विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने बिहार के अदुरा गांव में आदिवासियों पर किए गए आक्रमण तथा दस महिलाओं के साथ की गई छेड़खानी, जिसमें से दो

महिलाओं के साथ बलात्कार करने का आरोप है, के सम्बन्ध में एक नोटिस दिया है। मैंने यह नोटिस पिछले मंगलवार को दिया था तथा इसके बारे में अध्यक्ष महोदय से बार-बार निवेदन भी किया था। मुझे बताया गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। यह आश्चर्यजनक बात है कि पिछले आठ दिनों से बिहार से संसद को सूचना नहीं भेजी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विषय पर क्या कार्यवाही करने का विचार है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : कई महत्वपूर्ण विषयों का जिक्र किया गया है। मैंने विद्यार्थियों तथा युवकों पर कल प्रदर्शन करते समय लाठी चार्ज करने के बारे में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, जो कि यह मांग कर रहे थे "कि या तो हमें रोजगार प्रदान करो अथवा हमें जेल ले जाओ।" मुझे सूचित किया गया है कि उस स्थगन प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया है। उसके बजाय, इस विषय पर नियम 377 के अधीन चर्चा करने की अनुमति दी गई है। स्थगन प्रस्ताव के जरिए सरकार की निन्दा की जाती है। इस विषय पर सरकार की निन्दा की जानी ही चाहिए। ये बेरोजगार युवक यहां पर प्रदर्शन करने के लिए आए थे। रोजगार देने की बजाय, उन पर निर्ममता से लाठी चार्ज किया गया है। लगभग सौ व्यक्तियों को चोट आई है। यदि आप इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव की मंजूरी दे देते तो अधिक उपयुक्त रहता।

मेरी दूसरी बात जैसा कि श्री चटर्जी ने बताया है, यह है कि भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के साथ द्वेषपूर्ण रवैया अपना रही है। यह द्वेषपूर्ण रवैया .....।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है ?

श्री चित्त बसु : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में एक नोटिस दिया है, जिसमें मैंने मांग की है कि पश्चिम बंगाल सरकार के उस कथित आरोप के बारे में प्रधानमन्त्री को एक वक्तव्य देना चाहिए। जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल विधान मण्डल द्वारा पारित किए गए 14 विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई है।

वहां पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में भी प्रस्ताव है, जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं मिली है। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में प्रधानमन्त्री जी को एक वक्तव्य देना चाहिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : महोदय मैं आपका ध्यान.....।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने स्थगन प्रस्ताव का कोई नोटिस दिया है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इस विषय पर मैंने स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है, 22 नवम्बर के समाचार-पत्रों में यह बताया गया है कि बिहार में विचारणाधीन बन्दियों के साथ पुलिस क्रूरता से व्यवहार कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह राज्य का विषय नहीं है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : नहीं महोदय, यह हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम वहां से जानकारी प्राप्त करेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, यद्यपि अध्यक्ष महोदय ने स्थगन प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया था, लेकिन वे कह रहे थे कि यदि ऐसी घटनायें हुई हैं, तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा।

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समय रहते हुए यह सूचना प्राप्त की जाएगी, ताकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को मंजूर किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने जानकारी प्राप्त नहीं की है। श्री दण्डापाणि।

श्री सी० टी० दण्डापाणि (पोलाची) : महोदय, तन्जावूर जिले के मेला कुरूकई गांव में हरिजनों पर किए गए बर्बरतापूर्ण अत्याचारों के बारे में, मैं चाहता हूं कि विस्तार से चर्चा की जाए। यहां पर एक राजनीतिक दल द्वारा, जो कि हमेशा हरिजनों की वकालत का दम भरता है, एक हरिजन परिवार के सदस्यों को जला कर मार दिया गया।

तंजावूर जिले में एक गांव है जिसमें सारे हरिजन ही रहते हैं। इन हरिजनों को तमिलनाडू में कोई दर्जा नहीं दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। मेरे नेता, डा० करूणानिधि ने इस विषय पर वहां के राज्यपाल से बातचीत की है। राज्यपाल से अनुदेश जारी होने पर पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, लेकिन इसके सिवाय राज्य सरकार द्वारा आगे और कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं चाहता हूं कि सरकार हमें इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने का अवसर प्रदान करें। यदि मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो मैं भारत में एक विशेष राजनीतिक दल द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों के बारे में बहुत से तथ्यों को पेश करूंगा।

श्री जेवियर अराकल (त्रिवेन्द्रम) : पुलिस लाठी चार्ज के बारे में मैंने जो नोटिस दिया था उसका क्या हुआ·····(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री शिव शंकर (व्यवधान) आप सभी को सहयोग करना चाहिए। आपको मालूम होगा हम काफी समय ले चुके हैं। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री शिव शंकर।

श्री जेवियर अराकल—अपने स्थान से खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैंने मन्त्री महोदय को पुकारा है।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधि सूचनायें

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 620क की उप धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा, अंग्रजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

1. सा० सां० नि० 1 ,99 जो, दिनांक 25 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उपधारा (1 और 2) के अन्तर्गत मैसर्स समरास म्यूचुअल बेनीफिट फण्ड लिमिटेड, तमिलनाडु को एक 'निधि' घोषित किया गया है ।

2. सा० सां० नि० 1100 जो, दिनांक 25 अक्तूबर 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उपधारा (1 और 2) के अन्तर्गत मैसर्स किलपांक बेनीफिट सोसाइटी लिमिटेड, तमिलनाडु को एक 'निधि' घोषित किया गया है ।

(ग्रन्त्रालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1385/80)

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत अधिसूचनायें :

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

1. बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 4 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी० अ० 875(ङ) में प्रकाशित हुई थी

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1386/80)

2. बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) स्कीम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 11 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 888(ङ) में प्रकाकित हुई थी ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1387/80)

———

लोक लेखा के समिति के विवरण

श्री चन्द्रजोत यादव (आजमगढ़) : मैं निम्नलिखित विवरणों के अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं :—

1. देय राशि और उपकरण पर 98वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के अध्याय 1 में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय 5 के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

2. संचार मंत्रालय (डाक तथा तार बोर्ड) पर 118वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के अध्याय 1 में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय 5 के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

———

राज्य सभा से संदेश

सचिव : महोदय, मैं, राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :—

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 24 नवम्बर, 1980 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 17 नवम्बर, 1980 को पास किये गये श्री चित्ता तिरुनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिवेन्द्रम विधेयक, 1980 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 24 नवम्बर, 1980 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 12 जून 1980 को पास किये गये हिन्दुस्तान ट्रेक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) संशोधन विधेयक, 1980 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पटना में गंगा नदी पर पुल के निर्माण में कथित विलम्ब

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर माननीय नौवहन और परिवहन मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक बयान दें ;

"पटना, बिहार में गगा नदी पर पुल के निर्माण में कथित अनावश्यक विलम्ब, जिसके फलस्वरूप पुल के निर्माण की लागत में वृद्धि हो रही है ।"

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : महोदय, संविधान के अधीन, भारत सरकार मुख्य रूप से उन सड़कों के लिए जिम्मेदार होती है जो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। प्रत्येक राज्य में इन राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त बाकी अन्य सड़कों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सम्बन्धित राज्य सरकार की होती है।

गंगा नदी पर जो पुल बन रहा है, वह पूरा बन जाने पर राज्य की सड़क पर पड़ेगा। इसलिए यह राज्य की परियोजना है और मुख्य रूप से बिहार सरकार ही इसमें सम्बन्धित हैं। फिर भी इस पुल के निर्माण कार्य में जो 1972 में शुरू हुआ था, राज्य सरकार की आर्थिक सहायता करने के लिए भारत सरकार ने चौथी योजना में इस पुल के खर्च का 50 प्रतिशत खर्च वहन करने के लिए 4-5 करोड़ रुपये का योजना-विभिन्न ऋण देना मंजूर किया और बाकी सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से पूरा किया जाना था। चूंकि बाद की योजनाओं में इस तरह की सहायता देने के लिए कोई राशि नहीं नियत की गई, इसलिए राज्य सरकार तभी से इस पुल के निर्माण का खर्च अपने संसाधनों से पूरा करती आ रही है। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि वह अब तक 41 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है जिसमें चौथी योजना में राज्य सरकार को केन्द्र से प्राप्त 4-5 करोड रुपए की ऋण-राशि भी शामिल है।

चूंकि, प्रस्तावित परियोजना राज्य सरकार के अधीन आती है, इसलिए इस पुल से सम्बन्धित सभी मामलों पर कार्रवाई राज्य सरकार कर रही है। इस कार्रवाई में ये बातें शामिल हैं :— योजना बनाना, टेंडर तैयार करना, डिजायन तैयार करना, निर्माण तथा सर्वेक्षण इत्यादि। सभी देशों से टेंडर मंगाने के बाद, उन पर भली-भांति विचार करके राज्य सरकार ने 5-6-1972 को मैसर्स गैमन इंडिया लिमिटेड को उक्त पुल बनाने का काम सौंपा। राज्य सरकार ने कार्य के आरम्भ में यह योजना बनाई थी कि पुन-निर्माण का कार्य जून, 1978 तक पूरा हो जाएगा जिसकी नींव 4 लेन की होगी और उस पर 2 लेन की सुपर-स्ट्रक्चर होगी। लेकिन राज्य सरकार निर्धारित तारीख तक काम पूरा नहीं करा पाई जिसके कई कारण हैं और वे कारण ये हैं:— (1) निर्माण सामग्री का अभाव, (2) बिजली की कमी, (3) मजदूरों द्वारा हड़ताल, (4) अप्रैल, 1976 में तूफान का आ जाना जिसकी वजह से काम पर लगी 3 गंत्रियां

खो गई और पटना की तरफ जहां बेड कास्टिंग का काम हो रहा था, वहां भी काफी नुकसान हुआ जिसके कारणा काम पूरा होने में काफी देरी हुई, और (5) दिसम्बर, 1979 से ठीक किस्म का सीमेंट न मिलना इत्यादि।

इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार का अब अनुमान यह है कि यह 4-लेन की नींव तथा 2-लेन के सुपरस्ट्रक्चर वाले उक्त पुल का निर्माण दिसम्बर, 1981 पूरा कर लेगी। राज्य सरकार का अनुमान है कि जब यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा, तब इसकी लागत 46 करोड़ रुपए आएगी।

राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार, लागत में वृद्धि के कारण ये हैं :— (1) कार्यक्षेत्र का विस्तार जैसे :— नींव का काम बढ़ जाना और जहां पहले इस पुल पर 2 सब-स्ट्रक्चर बनाई जानी थीं, बाद में टेंडर स्वीकार करते समय इन्हें बढ़ाकर 4-लेन कर दिया गया और (2) सामग्री की कीमतों में और वृद्धि हो जाना। इस प्रकार मजदूरों की मजदूरी में और भूमि अधिग्रहण करने की लागत में वृद्धि हो जाना इत्यादि।

चूंकि उक्त परियोजना राज्य सरकार के अधीन है, इसलिए अब राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है कि वह बाकी काम को जितना जल्दी हो सके, पूरा करे।

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मुझे भी यही उम्मीद थी कि उनकी तरफ से इसी तरह का जवाब आयेगा। एक तरफ सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषय की चर्चा करती है लेकिन सरकार ने जो जवाब दिया है उससे ऐसा लगता है कि इस पुल का कोई राष्ट्रीय महत्व ही नहीं है। पिछले दिनों स्पीकर साहब पटना गए थे, जो पहले मन्त्री श्री ए० पी० शर्मा थे या जो भी मंत्री वहां जाते हैं यही भाषण देकर आ जाते हैं कि पुल बन जाएगा। चानना साहब भी यहां बैठे हुए हैं, इनसे भी हमने बातचीत की। इन्होंने भी कहा, रामविलास जी, पुल का काम 15 दिनों में शुरू हो जायगा। और आप ने कहा कि सीमेंट की कमी नहीं रहेगी और अब आप ने कहा है कि देरी का कारण निर्माण सामग्री का अभाव है। पहले तो सीमेंट में देरी हुई और फिर आप ने सीमेंट कैसा भेजा ? आप ने सीमेंट उड़ीसा से ऐसा भेजा जिस को चीफ इंजीनियर ने रिजेक्ट कर दिया। अब पैसे न मिलने के अभाव में रिजेक्ट किया, आप का सीमेंट बहुत अच्छा था लेकिन चीफ इंजीनियर को पैसा नहीं मिला, इसलिए रिजेक्ट कर दिया या सचमुच में आप के सीमेंट की खराबी थी ? अगर ऐसी बात है तो फिर आप का जो क्वालिटी कन्ट्रोल का विभाग है, वह क्या करता है। जब सीमेंट उठाया जा रहा था, उस समय क्यों नहीं इस बात को देखा गया। हजारों टन सीमेंट जब गंगा ब्रिज पर चला गया, तब कह दिया कि सीमेंट खराब है। तो मैं यह कह रहा हूं कि सरकार ने जो जवाब दिया है क्या इस ढंग का जवाब सरकार को देना चाहिए। उसने ऐसा जवाब दिया है जैसे यह राष्ट्रीय महत्व की चीज नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से आग्रह करता हूं कि यह 5,572 मीटर लम्बा पुल है और यह पुल न सिर्फ उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को

जोड़ता है बल्कि यह नेपाल जाने का मार्ग भी सुलभ करता है और यदि यह पुल बन जाता है तो पटना से नेपाल की दूरी 120 मील कम हो जाती है। मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, उस में कोई दम नहीं है और मैं तो यह आशा करता था कि पाटिल साहब जब जवाब देंगे, तो उन का जो स्वविवेक है, उस स्वविवेक को भी वे इस्तेमाल करेंगे। आप ने कारण दिया कि सीमेंट का संकट है। पहले तो आप ने सीमेंट का बहाना बनाया और जब सीमेंट आया, तो उसे बेकार साबित कर दिया गया। जब दोबारा सीमेंट आने का सवाल आया, तो कह दिया गया कि क्रेन काम नहीं कर रहा है और क्रेन की मरम्मत हो रही है। मैं तो यह कहूंगा कि यह सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है। यह पुल वह मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। उस पुल की क्या लागत आएगी, पता नहीं। इस का जवाब आप ने दिया है या नहीं लेकिन शुरू में 20 करोड़ रुपये इस की लागत का अनुमान था, 20 करोड़ रुपये एस्टीमेटेड कास्ट थी और आज 46 करोड़ रुपये उस पर खर्च हो चुके हैं और 46 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद भी अभी तक यह पता नहीं कि वह कब तक पूरा होगा। रोज अखबारों में इसके बारे में खबरें आ रही हैं और मैं बहुत सारी प्रेस केटिंग्स रखे हुए हैं। मंत्री महोदय ने वे पढ़ ली होतीं, स्टेट गवर्नमेंट से जवाब तलब करने के बजाए अगर उनको पढ़ लिया होता, तो पता चल जाता कि इस में कितनी बड़ी वंगलिंग और कितना कुछ हुआ है। 20 करोड़ रुपये की लागत के पुल पर 46 करोड़ रुपये खर्च हो जाएं और तब भी अभी जो पुल की स्थिति है, वह अगर आप 'टू डे' को देखें, तो पता चलेगा कि वह पुल ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। मैंने पहले कहा था कि जिस तरीके से यह पुल बन रहा है, वह शीघ्र नहीं बन पाएगा और मंत्री महोदय का जवाब है कि 1981 तक पूरा हो जाएगा। अगर इसी तरह से काम चला तो मैं कह सकता हूं कि 2,000 ई० तक भी वह नहीं बनेगा, 2,000 ई० तक भी वह नहीं बनने वाला है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से आग्रह करता हूं कि जब कोई मंत्री जवाब दें, तो पूरी जिम्मेवारी से जवाब दें। यह नहीं होना चाहिए कि एक मंत्री जब आ गए, तो कुछ जवाब और उसके बाद जब दूसरा मंत्री आए, तो कुछ और जवाब। एक ही सरकार के विभिन्न मंत्री विभिन्न जवाब देते हैं। यह नहीं होना चाहिए।

हमारे पास यह एक बहुत लम्बा खत है, जो कि मेरे नियम 377 के जवाब में श्री ए० पी० शर्मा जी ने लिखा था। उन्होंने इस बात को कबूल किया था कि जब वे वहां गए थे तो वहां की सरकार, वहां के राज्यपाल ने यह कहा था कि यह पुल बनाना हमारे बलबूते के बाहर है, बिहार सरकार के बस के बाहर की बात है और वहां के राज्यपाल ने उस पुल को बनाने के लिए लिखा था और मन्त्री जी ने अपने पत्र में यह लिखा था कि वे इससे सहमत हैं और लिखा था कि वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर बराबर बातचीत कर रहा हूं ताकि विचाराधीन पुल का निर्माण शीघ्र से शीघ्र हो जाएं। यह आपके मन्त्री जी का जवाब है, श्री ए० पी० शर्मा, जो उस समय शिपिंग एण्ड टांसपोर्ट मन्त्री थे। उस समय उनका यह जवाब आया था और अब भी जो आपने जवाब दिया है उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट को करना होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है तो वह पुल जहन्नुम में जाए, केन्द्र सरकार क

इससे कोई मतलब नहीं रह गया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये जो सारी चीजें हैं, इनको मन्त्री जी देखें। मन्त्री जी को इनकी जानकारी होगी। अगर वे प्रेस कटिंग्स को पढ़े होंगें तो उनको पता चला होगा कि इस पुल के लिए जो सीमेंट आया, पुल के निर्माण के लिए जो लोहा आया या दूसरी चीजें आईं, वे सारी की सारी नेपाल में चली गईं। अधिकांश माल वहां चला गया। जब देश के विभिन्न राज्यों में इतनी सारी बिल्डिगें बन गई हैं, तो यह पुल क्यों नहीं बना ?

हमको एक शंका और भी है और कई पेपर्स में भी यह चीज निकली है। इस देश में जो बड़े लोग हैं, उनकी मोनोपली सब चीजों पर है, चाहे वह रेलवे की मोनोपली हो, चाहे ब्रिजों की मोनोपली हो और चाहे किसी और चीज की मोनोपली हो। मन्त्री जी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। उसी घटना से उसी पुल की दूरी तक वहां के एक बहुत बड़े आदमी का स्टीमर चल रहा है और वह बराबर चल रहा है। आपका जहाज खराब हो जाएगा लेकिन उस बड़े आदमी का जहाज कभी खराब नहीं होगा। रेलवे का जहाज खराब होगा तो सब उसके जहाज से जायेंगे, सभी चीजें उस तीन किलोमीटर रास्ते पर उसी के जहाज से जायेंगी। वह आदमी बराबर काम कर रहा है।

सुना है कि इस पुल के निर्माण में भी जो देरी की जा रही है वह भी उसी आदमी की वजह से की जा रही है वह आदमी करोड़ों रुपये खर्च कर सकता है। अगर इस पुल का निर्माण हो जाता है तो उस पर से मोटर गाड़ी, जाएगी, आदमी जायेंगे। फिर उसके जहाज से कौन जाएगा ? मैंने पंडित कमलापति त्रिपाठी जी से भी बात की थी, एक समस्या के सम्बन्ध में बात की थी लेकिन वह हो नहीं सकी।

इस तरह से ये बड़े-बड़े लोग अपनी मोनोपली कायम किए हुए हैं। अभी गेमन्स कम्पनी का नाम लिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि इस गेमन्स कम्पनी के साथ क्या शर्तें तय हुई हैं, क्या उसकी कार्य क्षमता है। इसके बारे में सरकार ने नहीं बताया है। पता नहीं सरकार उस कम्पनी से क्यों डरती है ? क्या इस कम्पनी के साथ यह शर्त भी तय है कि यदि सरकार की लापरवाही के कारण कार्य में कोई विलम्ब होता है तो सरकार को 25 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इस कम्पनी को हर्जाना देना होगा ? मैं जानना चाहता हूं कि इस हर्जाने के तौर पर अब सरकार द्वारा इस कम्पनी को कितनी राशि दी गई और काम में लापरवाही के लिए कौन पदाधिकारी जिम्मेदार थे ? यह सारी बातें आपको जवाब में बतानी चाहिए थीं जिनको कि आपने नहीं बताया है।

मैं पूछना चाहता हूं कि जो ब्रिज बनाया गया है उसके बारे में जो गेमन्स कम्पनी के साथ कांट्रेक्ट हुआ, उसको अब तक कितना रुपया हर्जाने के तौर पर सरकार ने दिया है और हर्जाने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं ? गेमन्स की कितनी जगहों पर सरकारी एजेंसियां हैं और उसकी कार्यक्षमता क्या है ?

मन्त्री महोदय से मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या बिहार सरकार ने या वहां के राज्यपाल ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है या नहीं कि केन्द्रीय सरकार इस पुल को अपने हाथ में ले लें ? यह देश का एक बहुत महत्वपूर्ण पुल है । ऐसे राष्ट्रीय महत्व के पुल चाहे कहीं पर भी हों केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में लेकर उन्हें बनाना चाहिए । क्या केन्द्रीय सरकार इस महत्वपूर्ण पुल को अपने हाथ में लेगी या ऐसे ही खर्च करती जाएगी ? क्या केन्द्रीय सरकार यह भी देखेगी कि इस पर खर्च होने वाली राशि सही ढंग से खर्च हो रही है, उसका उपयोग सही ढंग से हो रहा है या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो अभी कुछ प्रश्न पूछे उनसे ऐसा लगता है कि जो कालिंग अटेंशन नोटिस उन्होंने पूछा है और उसका जो मैंने जवाब दिया उसको उन्होंने समझा ही नहीं ।

मैंने अपने जवाब में साफ तौर पर कह दिया था कि यह प्रोजेक्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया का नहीं है । यह जो गंगा पर पुल बन रहा है, यह स्टेट का है और स्टेट रोड पर बन रहा है । स्टेट रोड पर पुल बनाने की सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है न कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की । अगर नेशनल हाईवेज पर कोई रोक अगर है तो उस पर ब्रिज बनाने की जिम्मेदारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की है । लेकिन जब स्टेट के अन्दर बहुत सी सड़कें बनती हैं, उन पर ब्रिज बनते हैं तो उनके बारे में सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है । वही उनके बारे में प्लान बनाती है, वही टेंडर मांगती है, वही उनको बनाने के लिए एजेंसी मुकर्रर करती है । इसमें उन्होंने ओपन टेंडर मांगे जब कांट्रेक्ट दिया, या बुलाकर वैसे ही फिक्स किया, क्या किया, क्या हर्जाना दिया, उसके बारे में हमको कुछ नहीं मालूम है क्योंकि हम उनके बीच में नहीं आते हैं । लेकिन चूंकि यह बहुत बड़ा ब्रिज है, इसकी 5-7 किलोमीटर लेंग्थ है ।

मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ा ब्रिज है और पहले इसका एस्टीमेट 23 करोड़ 50 लाख का हुआ था । उस वक्त टू लेन केरिज का ही बनाने का विचार किया गया था, लेकिन जब टेंडर हुआ उस समय सोचा गया कि यह बहुत बड़ा ब्रिज है और इसे हम कोई 5-10 या 15 साल के लिए तो बना नहीं रहे हैं यह तो सदियों के लिए बन रहा है इसलिए फोर लेन केरिज पर होना चाहिए । तब इसका डिजाइन बदला गया और जिसकी वजह से 23 करोड़ 50 लाख के बजाए 46 करोड़ एस्टीमेट हो गया ।

श्री रामविलास पासवान : अभी खर्चा 46 करोड़ हो चुका है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अभी 41 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है । बिहार सरकार कह रही है ब्रिज पूरा करने के लिए और 5 करोड़ रुपए लगेंगे उनके हिसाब से रिवाइज एस्टीमेट के लिहाज से 46 करोड़ रुपए खर्च होंगे । अब सवाल यह है कि जब वे यह काम लेना चाहते थे उस वक्त भारत सरकार से उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा काम है और हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, हम इतना खर्चा नहीं कर सकते आप कुछ इमदाद कीजिए । क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा

नहीं था, ब्रिज हमारा नहीं था, कि यह रोड भी हमारा नहीं था, नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का ब्रिज है, फिर भी यह सोच कर कि बहुत बड़ा काम है इसलिए कहा कि हम फोर्थ प्लान में साढ़े चार करोड़ रुपया आपको देंगे ।

श्री राम विलास पासवान : 50 प्रतिशत देने की बात थी ?

श्री वीरेंद्र पाटिल : मैं उस पत्र का एक पोर्शन पढ़कर सुनाऊंगा—

> "यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि चौथी योजना अवधि के बाद परियोजना को पूरा करने के लिए कोई भी अतिरिक्त सहायता उपलब्ध नहीं होगी, और राज्य सरकार को आवश्यक धनराशि की व्यवस्था राज्य योजना के अन्तर्गत ही करनी होगी ।"

साढ़े चार करोड़ रुपया मंजूर करते वक्त हमने साफ तौर पर स्टेट गवर्नमेंट को कह दिया था कि साढ़े चार करोड़ रुपए से ज्यादा हम देने वाले नहीं है । इसके ऊपर जितना भी खर्च होगा वह आपको अपने रिसोर्सेस से करना पड़ेगा । हम इससे ज्यादा देने वाले नहीं हैं। लेकिन खर्चा अब बहुत बढ़ गया है। वे लोग 41 करोड़ रुपया खर्च चुके है । अब बिहार सरकार, मुख्य मंत्री, गवर्नर, सब हम को लिख रहे हैं कि हमको और इमदाद दीजिए, क्योंकि हमने इतना खर्च किया है, करीबन 35-36 करोड़ खर्च कर लिया है । हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है इसलिए आप कुछ और नान प्लान या आउट साइड प्लान लोन दीजिए । वे कह रहे हैं, लेकिन हमने अभी इसके बारे में कोई तसफिया नहीं किया हैं ।

श्री रामविलास पासवान : वही तो पूछ रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं ?

श्री बीरेन्द्र पाटिल : मुख्य मंत्री के लैटर्स मेरे पास आए हैं, गवर्नर के लैटर्स आए हैं, बिहार सरकार के लैटर्स आए हैं, वे कहते हैं कि अब तक हमने जो खर्च कर लिया है, लेकिन अब हमारे से नहीं होगा और कुछ हमको मदद दीजिए । उसके बारे में सोच रहे हैं, अभी तक कोई तसफिया नहीं हो पाया है, क्योंकि यह नान प्लान एक्सपेंडीचर है

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पासवान के इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए आप इस पर अनुकूल दृष्टि से विचार करें ।

श्री वीरेंद्र पाटिल : उन्होंने योजना से बाहर अतिरिक्त सहायता की मांग की है। इसकी एक प्रक्रिया है । मुझे योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की स्वीकृति लेनी होती है। जब तक योजना आयोग और वित्त मंत्रालय स्वीकृति नहीं दे देते मैं माननीय सदस्य को यहां कोई आश्वसन नहीं दे सकता ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : क्या आप पहल करेंगे ?

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, आज से 3 महीने पहले आपके मंत्री श्री ए. पी. शर्मा ने लिखा है कि वे बात कर रहे हैं और आप कहते हैं कि विचार कर रहे हैं, यह दोनों मंत्रियों का कैसा जवाब है ?

श्री इन्द्रजीत यादव : पढ़ कर सुना दीजिये जो इसमें लिखा है।

श्री रामविलास पासवान : इसमें यह लिखा हुआ है :

तभी से मैं सभी सम्बन्धित पक्षों से बिहार सरकार को वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर बराबर बातचीत कर रहा हूं ताकि विचाराधीन पुल का निर्माण कार्य शीघ्र से शीघ्र पूरा हो जाए। आप कहते हैं कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने साफ कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हमें लिख रही है, चीफ मिनिस्टर हमको परसनल लैटर लिख रहे हैं और यही नहीं परसनल लैटर फाइनेंस मिनिस्टर को प्लानिंग कमिशन को भी उन्होंने लिखे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर एडीशनल कुछ लोन हमको देना है तो उसके लिए प्रोसीजर है और उसी के बारे में शर्मा जी ने जिक्र किया है अपने पत्र में कि मैं पत्र व्यवहार कर रहा हूं या सम्बन्धित लोगों से बातचीत कर रहा हूं। यह नान प्लान एक्सपेंडीचर है। यह हमारा प्रोजक्ट नहीं है। जितनी भी हम सहायता दे सकते हैं वह प्लानिंग कमिशन और फाइनेंस मिनिस्टरी से कंसलटेशन के बाद उनके कनकरेंस के बाद ही दे सकते हैं। उसके पहले देने का सवाल पैदा नहीं होता है। मैं दोनों से बातचीत करूंगा और उनकी कनकरेंस अगर मिली तो मैं असिस्टेंस देने की स्थिति में होऊंगा।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : गंगा नदी पर जो पुल का निर्माण हो रहा है यह सिर्फ प्रान्त से कंसर्ड नहीं है। यह राष्ट्रीय महत्व की चीज है। जितना विलम्ब हो रहा है उतनी राष्ट्र की आर्थिक क्षति हो रही है। दस वर्ष पूर्व इस पुल का शिलान्यास प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा किया गया था। यह भी सही है कि इस बीच सभी वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए हैं। सिमेंट का दाम बढ़ गया है, लेवर चार्जिज में संशोधन हो गया है। उसके कारण भी इस पर आने वाले खर्च में बढ़ोतरी होती चली गई है। रिवाइज्ड कास्ट जो है वह अब 46 करोड़ हो गई है। जैसा अभी मंत्री जी ने कहा बिहार सरकार की पी डब्ल्यू डी के जितने भी अनुबन्ध थे वे सारे इसी पर खर्च हो गए हैं और सारा धन इस पुल के निर्माण में खर्च हो गया है। इस कारण से बिहार में दस वर्ष से कोई भी सड़क निर्माण का काम नहीं हुआ है। इससे बिहार की प्रगति अवरुद्ध हो गई है। मंत्री महोदय ने कहा है कि यह बिहार सरकार की योजना है और उनका इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं इसको नहीं मान सकती हूं। जब यह राष्ट्र से सम्बन्धित है और राष्ट्रीय क्षति हो रही है तो जरूर उनका इससे सम्बन्ध जुड़ता है। इन दस वर्षों में पेट्रोल, डीजल के दाम बहुत अधिक बढ़ गए हैं और इनकी कमी भी हो गई है। सीमेंट की कीमत भी बढ़ती जा रही है और उसकी कमी महसूस की जा रही है। इन कारणों से दस करोड़ इस पर अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है। इस बीच अगर पुल का निर्माण हो गया होता तो आज पेट्रोल और डीजल

में जो खर्च हो रहा है, टी० ए० डी० ए० में सरकार का जो खर्च हो रहा है वह सब बच जाता और इस तरह से दस पंद्रह करोड़ की बचत हो सकती थी।

विलम्ब के कारण यहां बताए गए हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह सही नहीं है कि बिहार सरकार ने पन्द्रह हजार मेट्रिकटन सिमेंट की मांग की थी जबकि उसको केवल छः हजार मेट्रिकटन ही दिया गया ? जो दिया भी गया वह ऐसा सिमेंट था जिससे पुल का निर्माण नहीं हो सकता था और वह घर बार वगैरह बनाने में इस्तेमाल हो गया। क्या यह सब सही नहीं है।

माननीय सदस्य ने अभी शर्मा जी का, चानना जी का नाम दिया। ये भी तीन साल तक शासन की बागडोर सम्भाले रहे। तब इन्होंने इस परियोजना की वकालत ठीक से नहीं की। जनता पार्टी सरकार से पर्याप्त राशि का प्रावधान करने के लिए उस पर जोर नहीं डाला। जिसके कारण काफी विलम्ब हुआ है। यह आज का ही विलम्ब नहीं है, यह पहले से ही चला आ रहा है। इस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिये, यह आवश्यक है। लेकिन पिछले तीन वर्षों से राशि का प्रावधान नहीं हो सका और इस पर इस समय इतना ध्यान नहीं दिया गया। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं और जानना चाहती हूं कि वहां जो सीमेंट का अभाव है क्या वह उसकी आपूर्ति जल्दी से जल्दी करेंगे ताकि अगर 1981 में नहीं हो सके तो कम से कम 1982 में तो यह पुल बनकर तैयार हो जाये।

इसके अलावा जो भी सरकार बनी है, चाहे जनता पार्टी की हो या हमारी पार्टी की हो, सब ने यह आश्वासन दिया है कि यह बहुत बड़ी राशि है और इसे बिहार सरकार खर्च नहीं कर सकती है, इसलिए भारत सरकार आधी राशि देगी और हमेशा इसमें सिम्पैथैटिक कंसीडरेशन की बात है। मैं जानना चाहती हूं कि 5 करोड़ की जो राशि इसमें लगेगी क्या वह भारत सरकार देगी और क्या सीमेंट की आपूर्ति करेगी जिससे 1981 या 1982 तक यह पुल बनकर तैयार हो जाये ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : सवाल यह पूछा गया है कि जो 5 करोड़ रुपये और लगेंगे, क्या वह गवर्नमेंट आफ इन्डिया देगी ? अब हुआ यह है कि बिहार गवर्नमेंट 23 करोड़ रुपये के बारे में हमसे पूछ रही है, एडीशनल लोन देने के लिए मांग कर रही है। 5 करोड़ तो टू-लेन कैरिज-वे के लिए लग जायेगा और उनका प्रपोजल यह है कि फोर-लेन कैरिज-वे होना चाहिये। इसलिए फोर लेन कैरिज-वे का सुपर स्ट्रक्टर होना है तो उसके लिए ऐडीशनल 18 करोड़ रुपया चाहिये। इस तरह से 18 करोड़ यह और 5 करोड़ रुपया पहले के एस्टीमेट का है, इस तरह से 23 करोड़ रुपया वह पूछ रहे हैं।

23 करोड़ रुपये मैं आज ही दे दूंगा, यह कहने की हालत में नहीं हूं। यह 23 करोड़ रुपये का आउट साइड दी प्लान लोन देने का सवाल है। इसलिए मैंने कहा है कि प्लानिंग कमीशन और फाइनेन्स मिनिस्टर से डिसकस करूंगा और जितना मेरे से हो सकता है, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, लेकिन आज कोई भी आश्वासन देने की हालत में मैं नहीं हूं। इसलिए मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा, इतना कह सकता हूं।

माननीया सदस्या ने यह सवाल पूछा कि सीमेंट सप्लाई न होने की वजह से यह काम धीमा हो रहा है, ठीक तरह से नहीं चल रहा है। मैं अभी चानना साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि इसके लिये स्पेशल सीमेंट की जरूरत है, पोटलैंड सीमेंट की जरूरत है, बिहार में जो सीमेंट मिलता है वह इस काम के लिए ठीक नहीं है, यह सीमेंट तमिलनाडु से लाना पड़ेगा, अब चाहे तमिलनाडु से लाना पड़े या कहीं से भी लाना हो इस ब्रिज के लिए जो भी सीमेंट लगना है वह मैं अपने मित्र चानना साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि टाप-प्रायर्टी पर इस सीमेंट की सप्लाई करवाने की व्यवस्था करें। हम लोग भी पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे कि जहां तक हो सके, उनका जो टारगैट डेट है दिसम्बर, 1981 तक खत्म होने का उसके अन्दर ही ब्रिज पूरा करने के प्रयत्न हम करेंगे।

दिल्ली नगर पालिका विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1980 के बारे में याचिका

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : श्रीमन्, मैं दिल्ली नगर पालिका विधि (संशोधन और वैधीकरण), विधेयक, 1980 के सम्बन्ध में श्री पी० एन० नारंग द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

लाभ के पदों सम्बंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति, जिसे लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति कहा जाएगा, गठित की जाये, जिसमें 15 सदस्य—दस इस सभा से और पांच राज्य सभा से हों, जो प्रत्येक सभा में अपने सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुने जायेंगे।

कि संयुक्त समिति के कृत्य ये होंगे :—

(एक) वर्तमान सभी "समितियों" (उन समितियों को छोड़कर जिनकी जांच उस संयुक्त समिति द्वारा की गई थी जिसे संसद (अनर्हता निवारण) विधेयक, 1957 सौंपा गया

था) तथा उन सभी "समितियों", जो अब के बाद गठित की जायें, के सदस्यों को संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन संसद की किसी भी सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह करार दिया जाये ;

(दो) उसके द्वारा जांच की गई "समितियों" के सम्बन्ध में यह सिफारिश करना कि कौन से पद अनर्ह और कौन से पद अर्ह करार दिया जायें ;

(तीन) समय-समय पर संसद (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की जांच करना और उक्त सूची में कुछ परिवर्धन, लोप या अन्यथा किसी संशोधन की सिफारिश करना ;

कि संयुक्त समिति उपरोक्त सभी या उनमें से किसी मामले के सम्बन्ध में संसद की दोनों सभाओं को समय-समय पर प्रतिवेदन देगी ;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा की कार्यावधि तक पद पर रहेंगे ।

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या की एक तिहाई होगी ।

कि अन्य प्रकरणों में, संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति, जिसे लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति कहा जायेगा, गठित की जाये, जिसमें 15 सदस्य—दस इस सभा से और पांच राज्य सभा से हों, जो प्रत्येक सभा में अपने सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुने जायेंगे :

कि संयुक्त समिति के कृत्य ये होंगे :

(एक) वर्तमान सभी "समितियों" (उन समितियों को छोड़कर जिनकी जांच उस संयुक्त समिति द्वारा की गई थी जिसे संसद (अनर्हता निवारण) विधेयक, 1957 सौंपा गया था) तथा उन सभी "समितियों", जो अब के बाद गठित की जायें, के सदस्यों को संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन संसद की किसी भी सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह करार दिया जाये ।

(दो) उसके द्वारा जांच की गई "समितियों" के संबन्ध में यह सिफारिश करना कि कौन से पद अनर्ह और कौन से पद अर्ह करार दिये जायें ;

(तीन) समय-समय पर संसद (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की जांच करना और उक्त सूची में कुछ परिवर्धन, लोप या अन्यथा किसी संशोधन की सिफारिश करना ;

कि संयुक्त समिति उपरोक्त सभी या उनमें से किसी मामले के संबन्ध में संसद की दोनों सभाओं को समय-समय पर प्रतिवेदन देगी ;

कि संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोक सभा की कार्यविधि तक पद पर रहेंगे ।

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या की एक तिहाई होगी ।

कि अन्य प्रकरणों में, संसदीय समितियों के संबन्ध में इस सभा के प्रक्रिया संबन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें ; और

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आरोविल (आपात उपबन्ध) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : पुरःस्थापित करने के लिए दो विधेयक हैं और मेरे विचार में हम कुछ ही मिनटों में इस कार्य को समाप्त कर लेंगे ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० वी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आरोविल का लोकहित में सीमित अवधि के लिए प्रबन्ध ग्रहण करने और उससे संबन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

श्री बापू साहिब पारसेकर (रत्नगिरि) : मैं नियम 72 के अधीन इस विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने पर आपत्ति करता हूं । मैं दो आधारों पर इस पर आपत्ति करता हूं ।

सर्वप्रथम, इस अधिसूचना को जारी करने के संबन्ध में राष्ट्रपति के अधिकार को तथा इस उद्देश्य को लेकर जिसके लिए आरोविल का अधिग्रहण किया गया है यह मामला क उच्च न्यायालय के सामने लाया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेः हैं, इसका अर्थ यह है कि उच्च न्यायालयने यह अनुभव किया कि याचिकादाताओं के दावे स्पष्ट मामला बनता है। अन्त में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उस याचिका को अस्वीका दिया और इसके विरुद्ध आपत्ति उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है। यदि मैं ठीक हूं, तो इस मामले की सुनवाई अब उच्चतम न्यायालय में हो रही है। सुनवाई इस सं हो रही कि क्या इससे संविधान के अनुच्छेद 26 के उपबन्धों का उल्लंघन होता है। चूं मामला न्याय निर्णय आधीन है इस विधेयक को सभा में पुरः स्थापित नहीं किया जा सक

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि अनुच्छेद 26 में उल्लेख किया गया है कि "सा शान्ति नैतिकता और स्वास्थ्य के अध्यधीन।" अनुच्छेद 26 के अधीन इन तीन मामलों में धार्मिक कोटि का कानून बनाया जा सकता है। और इसी मामले को लेकर उच्चत्तम न्य में यह बहस हो रही है। और विचार किया जा रहा है। अतः मैं यह निवेदन करत इसको पुरः स्थापित करने का अर्थ होगा उच्चत्तम न्यायालय का अपमान। अतः विधे आज पुरः स्थापित न किया जाए। चूंकि पुरः स्थापित किया जाना संविधान के अनुच्छ के विरुद्ध है और यह मामला न्यायाधीन भी है, इसलिए इसे पुनः स्थापित किया जाना नियमों के निदेशात्मक उपबन्धों के विरुद्ध होगा। मैं इसके पुरः स्थापित किए जाने पर करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब बसन्तकुमार पंडित। आप क्या कहना चाहते हैं ?

डा० बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : नियम 72 के अधीन इसे पुनः स्थापित कि पर आपत्ति की गई है, और मेरे मित्र ने जैसा कि कहा है यह मामला अभी न्याय निणर्या है। इस सबके अतिरिक्त प्रक्रिया का प्रश्न भी है। इस मामले में अत्यधिक जल्दी की गई है। को इस विधेयक को पुरः स्थापित करने की क्या जल्दी थी जबकि यह मामला उच्चत्तम न के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुना जा रहा है ? इसे किसी और दिन पुरः स्थापित क्यों नहीं जाना चाहिए ? कुछ दिन प्रतीक्षा की जा सकती थी। यह एक गलत मिसाल कायम कर बात है। पिछली बार भी हमने इस पर आपत्ति की थी क्योंकि यह प्रक्रिया संबंधी म और गलत मिसाल कायम करने वाली बात भी। जब किसी मामले की उच्चत्तम न्याया उच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है तो लगभग उसी समय सभा में विधेयक पुनः स्थाप की जल्दी नहीं होनी चाहिए। सरकार और माननीय मंत्री के लिए अभी भी 20 दिन हैं। आप महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र विधान सभा में भी इस प्रकार पुरः स्थापित करने की अनुमति न दी जाती। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : अब वे केन्द्रीय मंत्री हैं। (व्यवधान)।

डा० बसन्तकुमार पंडित : अ।: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे एक गलत प्रथा और मिसाल कायम न करें। मैं सरकार से एक या दो दिन प्रतीक्षा करने के लिए अनुरोध करूंगा। उच्चत्तम न्यायालय द्वारा आज शाम या कल निर्णय दिये जाने के बाद भी सरकार के पास 20 दिन बचते हैं।

श्री बापू साहिब पारुलेकर : हमें अच्छी मिसालें कायम करनी चाहिए। मुझे विश्वास है माननीय मंत्री इससे सहमत होंगे।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, माननीय सदस्य ने नियम 72 के अधीन आपत्ति उठाई है। नियम 72 इस सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें लिखा है :

"यदि किसी विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेतर वादविवाद के प्रश्न रख सकेगा ;

परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाए कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा।"

अतः विचार का मुख्य मुद्दा यह है कि क्या अनुच्छेद 25 और 26 के अधीन, जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, जिस अध्यादेश का विधेयक द्वारा स्थान लेने का प्रस्ताव है, क्या वह केन्द्रीय सरकार की विधायिनी शक्ति में है। (व्यवधान)।

श्री बापू साहिब पारुलेकर : हम इस पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं (व्यवधान)।

श्री एस० बी० चव्हाण : इस मुद्दे पर विधायिनी शक्ति के प्रश्न के अलावा और कोई आपत्ति नहीं हो सकती। (व्यवधान) जहाँ तक मिसाल का सम्बन्ध है मैं इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा। इस सभा में बिल्कुल इसी प्रकार का एक प्रश्न उठाया गया था।

एक अध्यादेश जारी किया गया था। और बाद में एक विधेयक ने उसका स्थान लेना था। एक माननीय सदस्य ने बिल्कुल यही मुद्दा उठाया था कि मामला न्यायालय के समक्ष है और यदि हम न्यायालय द्वारा निर्णय देने से पूर्व कानून बनाते हैं तो हम एक गलत मिसाल कायम करेंगे।

श्री बापू साहिब पारुलेकर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस मामले की उसी समय सुनवाई चल रही थी। यह कई वर्षों से काफी लम्बे समय से विचाराधीन होगा। (व्यवधान)।

श्री एस० बी० चव्हाण : लोक सभा में 18 नवम्बर, 1965 को अध्यक्ष ने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया था कि इस पर कोई रोक नहीं है। इस मामले में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी दिए गए थे परन्तु अध्यक्ष ने निर्णय दिया "इसका सम्बन्ध केवल सरकार से है। न्यायालय ने हमें किसी बात से अवगत नहीं कराया है। इसमें कोई स्थगत आदेश नहीं है, अतः हम इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए स्वतन्त्र हैं।"

श्री बापू साहिब पारुलेकर : किस साल ?

श्री एस० बी० चव्हाण : 1965 में।

उपाध्यक्ष महोदय : चव्हाण जी श्री पारुलेकर केवल इस संबंध में आपत्ति कर सकते हैं कि पिछला निर्णय अध्यक्ष द्वारा दिया गया था। न कि उपाध्यक्ष द्वारा।

श्री एस० बी० चव्हाण : अतः संवैधानिक और औचित्य के आधार पर मुझे इसमें कुछ भी आपत्तिजनक प्रतीत नहीं होता और मैं सभा से अनुमति देने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आरोविल का लोकहित में सीमित अवधि के लिए प्रबन्ध ग्रहण करने और उससे संम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

आरोविल (आपात उपबन्ध) अध्यादेश 1980 के बारे में विवरण

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं आरोविल (आपात उपबन्ध) अध्यादेश, 1980 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों तथा अन्य सम्पत्तियों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : देश की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण माल का निरन्तर उत्पादन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का और विनिर्दिष्ट कम्पनियों में बर्ड एण्ड कम्पनी द्वारा धारित शेयरों के इस प्रयोजन के लिए अर्जन का कि उन उपक्रमों में वे सुविधाएं और फायदे सुनिश्चित हो जाएं जो उन उपक्रमों के प्रचालन और कृत्यशील रहने के सम्बन्ध में, ऐसे शेयरों को धारण करने के कारण ; व्युत्पन्न होते हैं और विनिर्दिष्ट कम्पनियों के कार्य-कलाप पर ऐसा नियन्त्रण रखने के लिए केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने का, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उन कम्पनियों के कार्य कलाप का कुप्रबन्ध न हो, और उससे सम्बन्धित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की मैं अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि देश की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण माल का निरन्तर उत्पादन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का और विनिर्दिष्ट कम्पनियों में बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा धारित शेयरों के इस प्रयोजन के लिए अर्जन का कि उन उपक्रमों में वे सुविधाएं और फायदे सुनिश्चित हो जायें जो उन उपक्रमों के प्रचालन और कृत्यशील रहने के सम्बन्ध में, ऐसे शेयरों को धारण करने के कारण ; व्युत्पन्न होते हैं और विनिर्दिष्ट कम्पनियों के कार्यकलाप पर ऐसा नियंत्रण रखने के लिए केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने का, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उन कम्पनियों के कार्यकलाप का कुप्रबन्ध न हो, और उससे सम्बन्धित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चरणजीत चानना : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों तथा अन्य सम्पत्तियों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1980 के बारे में विवरण

श्री चरणजीत चानना : मैं बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों और अन्य सम्पत्तियों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1980 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कोचीन में सुगन्ध-पदार्थ परियोजना

श्री जेदियर अरेकिल (एर्णा कुलम) : महोदय मैं कोचीन में एक एरोमैटिकस परियोजना की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं। इन्जीनियरज इण्डिया लिमिटेड ने एक संभावना प्रतिवेदन भेज दिया है। और केरल राज्य औद्योगिक निगम लिमिटेड ने 1979 में आशय-पत्र के लिये आवेदन-पत्र दिया था। कोचीन में स्थापित किये जाने वाली इस परियोजना से समूचे दक्षिणी राज्यों को लाभ पहुंचेगा। कोचीन शोधनशाला की माध्यमिक प्रोसेसिंग सुविधाएं अतिरिक्त निवेश अथवा बिना कठिनाई के प्रयुक्त की जा सकती हैं। इससे राष्ट्र को लागत, समय और अन्य वस्तुओं की बहुत बचत होगी। हमारा राष्ट्र समय और सयन्त्र सुविधाओं को बेकार नहीं कर सकता और पैट्रो-केमिकल उद्योगों में असन्तुलन को समाप्त किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने कुछ इक्यटिी पूंजी वहन करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। डा० तिलकराज के नेतृत्व में समिति ने इस परियोजना के लिए कोचीन की सिफारिश की थी। इन परिस्थितियों और तथ्यों के अन्तर्गत मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस अत्यावश्यक ऐरोमैटीकस परियोजना की अविलम्ब अनुमति दी जाये।

(दो) उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत (अलमोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तरप्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों के लिए वार्षिक योजना केन्द्र सरकार के विशेष अंशदान द्वारा बनाई जाती है। इन जिलों के योजनागत कार्यों के महत्वपूर्ण अंग सड़क, पुल एवं नहर निर्माण तथा पेयजल व विद्युत योजनायें हैं। इन समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन निम्न दो कारणों से दुष्प्रभावित हो रहा है :—

1. सीमेंट, स्टील, कोलतार की आपूर्ति की स्थिति पर्याप्त असन्तोषजनक है। इसे सुधारने के लिए आवश्यक है कि उत्तरप्रदेश के लिए उपरोक्त वस्तुओं का कोटा आवंटित किये जाते वक्त

आठ पर्वतीय जिलों के लिए विशेष कोटा निर्धारित किया जाय ताकि निर्माण कार्यों हेतु समयबद्ध आपूर्ति संभव हो सके।

2. उपरोक्त निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन की स्थिति भी पर्याप्त असन्तोषजनक है। इन कार्यों को क्रियान्वित करने वाली अभियंत्रण सेवाओं द्वारा लापरवाही बरतने व भ्रष्ट तौर-तरीके बरतने के कारण करोड़ों रुपये की लागत से बनने वाली सड़क व पेयजल योजनाओं जैसे नैथना ग्राम समूह पेयजल योजना, पिथोरागढ़ व अल्मोड़ा पेयजल योजनायें संकट में हैं, बिलकुल असफल हो गई हैं। इसका निराकरण तभी सम्भव है जबकि इन कार्यों को करने वाले अभियंताओं के लिए योजना की सफलता का कानूनी दायित्व निर्धारित किया जाय। वर्तमान समय में योजना के फेल होते ही अभियन्ता अपना स्थानान्तरण अन्यत्र करवा लेते हैं।

अतः माननीय योजना मंत्री कृपया ध्यान दें।

(तीन) कोरबा उर्वरक सयन्त्र

डॉ. वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : केन्द्रीय सरकार के सूत्रों से आने वाले हाल के एक समाचार से यह संकेत मिलता है कि कोरबा उर्वरक संयंत्र के स्थापना स्थान को मध्य प्रदेश से बदलकर उड़ीसा अथवा कर्नाटक राज्य में करने की प्रबल संभावना है। इससे जनसामान्य का मन विचलित हुआ है और इसके विरोध के लिए तथा इस नीति परिवर्तन के विरुद्ध एक जबरदस्त आन्दोलन करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

17 वर्ष पहले सरकार ने यह निर्णय लिया था कि इस पिछड़ी और कम-विकसित राज्य की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोरबा में यह उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कोरबा में विभिन्न सर्वेक्षणों, प्रतिवेदनों और स्थान निर्धारित करने में तथा तकनीकी संभावनाओं तथा अन्य प्राथमिकताओं पर 18 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि व्यय की जा चुकी है और कुछ निर्माण तथा अन्य उपकरण उस स्थान पर बेकार पड़े हैं।

यह बड़ी चिन्ता और निराशा की बात है कि सरकार अब इस संयंत्र के स्थापना स्थान में अलार्मिक और अनुचित कारणों से परिवर्तन करने की बात सोच रही है। मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने इसका विरोध किया है अतः यह अनुरोध है कि सरकार मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास और उत्थान के लिए इस प्रतिष्ठित उर्वरक संयंत्र को अन्तिम रूप देने के लिए लोक सभा में एक स्पष्ट वक्तव्य दें।

(चार) मद्रास की बकिंयम और कर्नाटक मिलों का राष्ट्रीकरण

डॉ. ए० कलानिधि (मद्रास सेन्ट्रल) : बकिंघम एण्ड कर्नाटक मिल्स मद्रास, विश्व प्रसिद्ध बिनी का एक घटक 1976 तक अच्छी तरह चल रहा था। 1976 के नवम्बर में मिल में बाढ़ का पानी घुस गया और मिल के सामान्य कार्य में बाधा पड़ गई जिससे मशीनों और स्टाक को

भारी क्षति हुई। इस दैवि आपदा से लाभ उठाकर लक्ष्मी मिल्ज, कोयम्बटूर के तत्कालीन प्रबन्धकों ने इसके अध्यक्ष के नाते इस मिल को बन्द कर दिया। मिल के पुनः खुलने तथा उसमें लाभप्रदता लाने के लिए प्रबन्धकों ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। जैसे 2000 आदमी कम करना तथा उनके वेतन में कमी करना। कम्पनी बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। 20 फरवरी, 1977 को मिल को पुनः चालू किया गया।

सरकार के सामने दिये गये आश्वासन के अनुसार श्रमिकों ने अपना सहयोग देना जारी रखा तथा यौक्तिकीकरण को अन्तिम रूप देने की बात को भी स्वीकार कर लिया। निरन्तर बात चीत के पश्चात श्रमिकों की संख्या काफी कम कर दी गई थी। इस सम्बन्ध में ब्यौरा इस प्रकार है:—

	1970	1980
कर्मी	12,669	9,560
श्रमिक संघ कर्मचारी	1,249	1,029

उपरोक्त बातों के विपरीत, प्रबन्धकों के कर्मचारियों की संख्या वही रही। श्रमिक संघों ने यौक्तिकीकरण सम्बन्धी लाभों को 40 प्रतिशत श्रमिकों को तथा 60 प्रतिशत प्रबन्धकों को देना स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त, प्रबन्धकों के अनुरोध पर श्रमिक संघों ने 7 दिन सप्ताह की पुरानी व्यवस्था जारी रखने की स्वीकृती दी श्रमिकों के निरन्तर सहयोग से प्रबन्ध में सुधार हुआ और 1978-79 में 437.93 लाख रुपये का लाभ कमाया।

किन्तु अचानक ही यह सूचना दी गई कि कम्पनी एक गम्भीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है। इसका कारण वही बताया गया है जो 1976 में बताया गया था जो गलत सिद्ध हो चुका है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रबन्धकों का श्रमिकों और वेतनों में कमी करने सम्बन्धी प्रस्ताव बिल्कुल अनावश्यक हैं। जबकि उत्पादन स्तर, उत्पादिकता, पूर्ण क्षमता प्राप्ति बिक्री आदि वही हैं जो पिछले वर्ष थी जब कम्पनी ने लाभ कमाया था तो उक्त प्रस्ताव अनुचित है।

मैं पुनः यह बात दोहराना चाहता हूं कि इस विश्व विख्यात मिल के नाश का कारण प्रबन्धकों की गलतियां हैं तथा मिल का गलत प्रबन्ध है। इन मिलों को अच्छी तरह चलाने के लिए मैं यह सुझाव देता हूं कि खरीद-बेच से लेकर तथा प्रबन्ध व्यवस्था तथा इसके समूचे ढांचे में परिवर्तन करना चाहिए।

बी० एण्ड सी० मिल्स के प्रबन्धकों ने यह घोषणा की है कि यह 1.1.1981 से मिल को बंद करने वाले हैं। इस प्रस्तावित बन्द से 13,000 व्यक्तियों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और एक लाख व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे। तमिलनाडु की राज्य सरकार यह कह रही है कि वह उसमें बहुत रूचि ले रहे हैं।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में शीघ्र ही हस्तक्षेप करें और वर्तमान प्रबन्धकों से इसके प्रबन्ध को अपने हाथों में लेकर इसे राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा एक राहत उपक्रम के रूप में चलाया जाये जैसा कि महाराष्ट्र की कोहनूर मिल्स के बारे में दिया गया है। केन्द्र को मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता को अत्यधिक कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए शीघ्र ही कदम उठाने चाहिए।

सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे दिनांक 17 नवम्बर, 1980 का एक तार श्री जार्ज फर्नान्डीस से प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है। कि "उन्हें गैर-कानूनी तौर पर शनिवार से जेल में रखा जा रहा है।"

सभी को स्मरण होगा कि 15 नवम्बर, 1980 दिनांक के नासिक के पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक के तार के अनुसार श्री जार्ज फर्नान्डीस को भारतीय दंड संहिता की धारा 143 और 147 तथा बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और उन्हें 17 नवम्बर, 1980 तक दो दिन के लिए न्यायिक हिरासत में रखा गया। इस तार की घोषणा 17 नवम्बर, 1980 को सदन में कर दी गई थी।

मैंने श्री जार्ज फर्नान्डीस को वर्तमान तार को इस मामले पर एक तथ्यात्म नोट प्राप्त करने के लिए गृह मन्त्री को प्रेषित कर दिया है।

13.23 इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 20 मिनट म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

14.20 लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 20 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : विशेष मामले के रूप में श्री रामावतार शास्त्री तथा श्री पुल्लैय्या को नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति देता हूं।

(पांच) बेरोजगार युवकों की समस्याओं और दिल्ली में उनके प्रदर्शन के बारे में

श्री राम अवतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, काम दो या जेल दो। बेरोजगारों की संख्या दिनों-दिन तेज रफ्तार के साथ बढ़ती जा रही है। सन् 1977 के शुरू में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या एक करोड़ दो लाख थी। जनता पार्टी के करीब तीन वर्षों के राज में उनकी संख्या बढ़ कर एक करोड़ 44 लाख हो गई। इन्दिरा कांग्रेस के दस महीने के राज में आज उनकी संख्या बढ़कर एक करोड़ 54 लाख हो गई है। फलस्वरूप नौजवानों एवं छात्रों में अपने भविष्य के लिए चिन्ता की भावना का बढ़ना स्वाभाविक है। अगर इनके असंतोष को रोजगार देकर शीघ्र दूर करने का प्रयास नहीं किया गया तो सरकार को उनके संगठित विद्रोह का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

आल इण्डिया यूथ फेडरेशन और आल इण्डिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में देश के हजारों बेकार नौजवान और छात्र "काम दो या जेल दो" के नारे को लेकर संसद भवन के सामने सत्याग्रह कर रहे हैं। उनका सत्याग्रह 24 नवम्बर से शुरू होकर 28 नवम्बर तक चलेगा।

लज्जा की बात है कि सरकार ने बेरोजगारों की मांगों पर ध्यान देने के बजाए शान्त सत्याग्रहियों पर बिना किसी उकसावे के 24 नवम्बर को पुलिस द्वारा बर्बर लाठी चार्ज करवाया, जिसके फलस्वरूप कुछ नौजवानों के सर फट गए। भारी संख्या में नौजवानों को गिरफ्तार भी किया गया।

मैं सरकार की दमन नीति की तीव्र निन्दा करते हुए प्रधान मन्त्री से मांग करता हूं कि, वह इस सदन में एक बयान प्रस्तुत कर बेरोजगार नौजवानों की बेकारी को दूर करने संबंधी कोई ठोस प्रस्ताव रखें।

(छः) आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलगाना क्षेत्रों में सूखे की स्थिति

श्री दारुर पुलय्या (अनन्तपुर) : मैं सरकार का ध्यान नियम 377 के अधीन निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

यह बहुत ही दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्रों में सूखे की स्थिति विद्यमान है। रायलसीमा का अनन्तपुर जिला दीर्घकाल से सूखे से पीड़ित रहा है जहां पर सरकार डी० पी० डी० पी० कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। सितम्बर और अक्तूबर में वर्षा न होने के कारण इस जिले में गम्भीर अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। कोई फसल नहीं हुई है। किसानों के न केवल बीज हो गये हैं। अपितु जमीन में बीजों के साथ डालने हेतु उर्वरक खरीदने के लिए जो ऋण उन्होंने लिये थे उनका बोझ भी उन पर हो गया है। सभी खाद्य तथा वाणिज्यक फसलें नष्ट हो गई है। पशुओं के लिये चारा नहीं है तथा उन्हें बहुत कम मूल्य पर वधशालाओं को बेचा जा रहा है। दोनों ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरों में पीने

के पानी की भारी कमी है। छोटे तथा सीमान्त किसान रोजगार के लिए बंबई, गंटूर, मद्रास आदि स्थानों को जा रहे हैं।

स्वतन्त्रता के बाद अनन्तपुर जिले को 20 वर्ष तक सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा तथा शेष वर्षों में भी वर्षा सामान्य से कम हुई। स्थिति बहुत गम्भीर है और मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि वहां पर स्थिति का अध्ययन करने और राज्य सरकार को पूरी वित्तीय सहायता देने के लिए एक अध्ययन दल भेजा जाये। सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए अल्पकालीन उपाय करने के अलावा कृष्णा नदी को रायलसीमा की ओर मोड़ने के० सी० नहर, टी० बी० पी०, एल० आई० सी० और एच० एल० सी० के आधुनिकी करण और बड़ी संख्या में रिसने वाले टैंकों का निर्माण करने जैसे स्थाई उपाय करना भी नितांत आवश्यक है जिससे रायलसीमा के चिरकाल से अकाल से पीड़ित क्षेत्र में अकाल की स्थिति को दूर किया जा सके।

कृष्णा नदी को रायलसीमा की ओर मोड़ने के लिये मितकोंडला पहाडी की गहराई से कटाई करना आवश्यकता है। इसे हाथ में लेना होगा और जून, 1981 तक सभी प्रकार से पूरा करना होगा। ताकि बाद में 'श्री सैलम' जलाशय में पानी जमा हो जाने से कोई बाधा न पड़े। इस परियोजना पर अनुमानत: 161.29 करोड़ रुपया खर्च होंगे और सिंचाई के बाद हर वर्ष 39.91 करोड़ मूल्य का कृषि उत्पादन होगा और पूंजी परिव्यय पर 10% ब्याज पर लाभ लागत अनुपात 1 : 91 : 1 रहेगा। प्रति एकड़ लागत 8400 बैठेगी। लाभ लागत अनुपात की दृष्टि से जो सामान्यतया 1 : 5 : 1 की तुलना में पूंजी परिव्यय पर 10% ब्याज पर 1 : 91 : 1 है। यह योजना अर्थक्षम है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि कृष्णा नदी का बहाव रायल सीमा की ओर मोडने की योजना की शीघ्र स्वीकृति दी जाये जिससे अन्यथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े रायल सीमा क्षेत्र में शीघ्र ही दो लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा और इसे आर्थिक दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र में बदला जा सकेगा। मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि रायल सीमा क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें बढ़ाने हेतु के कुएं बनाकर भूमिगत जल क्षमता का भी उपयोग किया जाये।

अन्त में मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बिल्लेरी-रायदुर्ग चित्र-दुर्ग रेलवे लाइन पर मिट्टी का काम आरम्भ किया जाये जिसके लिए सरकार ने सर्वेक्षण की स्वीकृति दी है, ताकि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के चार अकाल ग्रस्त होने वाले जिलों अर्थात् अनन्तपुर, कुरनूल, बिल्लेरी और चित्र दुर्ग के बेरोजगार कृषि मजदूरों को रोजगार मिल सके।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में प्रस्ताव

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए।"

इस सभा में इसी मामले पर 27 मार्च, 1980 के नियम 184 के अधीन चर्चा उठायी थी। इसलिए मुझे भूमिका देने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए मैं अप्रैल 1980 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में विद्यमान स्थिति की ही चर्चा करूंगा।

यह एक प्रथा सी बन गई है कि 1970-71 को आधार मानकर थोक मूल्यों का उल्लेख किया जाता है। यदि हम 1970-71 के आधार वर्ष से हुई मूल्य वृद्धि पर ध्यान दें तो मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। मैं इस प्रक्रिया में नहीं पड़ना चाहता। मैं अक्तूबर में विद्यमान मूल्यों को लेता हूं तथा उनकी तुलना पहली अप्रैल, 1980 के मूल्यों से करता हूं।

21 नवम्बर, 1980 को वित्त मंत्री ने तारांकित प्रश्न संख्या 68 का उत्तर देते हुए इसी सभा में अनिवार्य वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के बारे में बताया था। उन्होंने वक्तव्य दिया कि अप्रैल से अक्तूबर, में थोक मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई है। उदाहरण के रूप में मैं कुछ एक महत्वपूर्ण वस्तुओं को लेता हूं जिनका कि आम लोगों के जीवन से बहुत महत्व है। मैंने मंत्री महोदय के वक्तव्य के आधार पर ही कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत निकाला है।

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, अप्रैल से अक्तूबर तक मूल्य वृद्धि का प्रतिशत 12 है, खंडसारी का 48, गुड़ का 70, सरसों के तेल का 21 तथा नारियल के तेल का 21% है, ज्वार का 12, बाजरे का 11, गेहूं का 7 और चावल का 6% है आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि ये सभी वस्तुएं ऐसी हैं जो आम लोगों के जीवनों के लिए अनिवार्य समझी जाती हैं। तथा वित्त मंत्री द्वारा इस सभा में दिये गये वक्तव्य के आधार पर आप अनुभव करेंगे कि अप्रैल से अक्तूबर तक वास्तव में कितनी मूल्य वृद्धि हुई है। जहां तक देश में मुद्रास्फीति का सम्बन्ध है, स्थिति अत्यन्त भयंकर है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री का तथा सभा का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि मुझे भय है कि 1980 के दौरान हम आपात्त स्थिति से पूर्व की भयंकर मूल्य वृद्धि की स्थिति में पहुंच गये हैं। इनमें से जिन लोगों ने आपात्त स्थिति के पूर्व की स्थिति देखी है तथा उस समय की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया है वे अनुभव करेंगे कि उक्त अवधि मुद्रास्फीति की दृष्टि से कितनी भयानक थी किन्हीं चुने हुए विशिष्ट सप्ताहों का अध्ययन करना युक्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे विज्ञ वित्त मंत्री कुछ नमूने के सप्ताहों के दौरान हुई मूल्य वृद्धि का ही अध्ययन करने की भूल नहीं करेंगे। बदलती हुई मूल्य वृद्धि की स्थिति के अध्ययन के लिए अधिक व्यापक अवधि का अध्ययन करना अधिक युक्त रहेगा।

उदाहरण के तौर पर मैं आपात्त स्थिति से पूर्व के दो वित्तीय वर्षों को लेना चाहूंगा तथा मैं 1979 से अब तक की अक्तूबर तक की अवधि को भी लेना चाहूंगा, क्योंकि नवम्बर के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आप मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम आपात स्थिति से पूर्व की मूल्य वृद्धि की दृष्टि से खतरनाक स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 के दौरान मुद्रास्फीति की औसत दर 22.5% रही। जब जनता पार्टी सत्ता में आई, यह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा सम्बन्ध जनता पार्टी से है– अपितु मैं तर्कयुक्त बात कर रहा हूं कि 1977-78 और 1978-79 में मुद्रास्फीति घट कर 2.5% रह गई और अप्रैल 1980 से अक्तूबर तक मुद्रास्फीति की दर 20.4% हो गई और इससे पूर्व वर्ष 1979 में 27% थी। औसत निकालने पर यह 18.5% बैठती है। मुद्रास्फीति की यह दर है।

मैं आपके माध्यम से सभा को तथा सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि हम पुनः आपात स्थिति से पुर्व के युग में प्रवेश कर रहे हैं। जबकि मुद्रास्फीति की दर 22.5 प्रतिशत थी और इस समय 20.4% है। हम खतरनाक स्थिति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मूल्य वृद्धि एवं मुद्रास्फीति की समस्या पर चर्चा करते समय यह आवश्यक है कि हम उसके कारणों का अध्ययन करें। निसन्देह एक मुख्य कारण है घाटे की अर्थव्यवस्था। सरकारी प्रवक्ता ने बार-बार तर्क दिया है कि तेल के आयात बिल में वृद्धि के कारण मुद्रा स्फीति का दबाव बढ़ा है। यह बात मैंने श्री वीरेन्द्र पाटिल से अपने प्रश्न में पूछी थी, तब उनके पास यह मंत्रालय था आजकल मन्त्रालय गत्यात्मक बन गए हैं, बहुत जल्दी-जल्दी बदलने लगे हैं (व्यवधान)।

मैं भौतिकी का विद्यार्थी हूं। मुझे गत्यात्मक का अर्थ पता है।

मुझे बताया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में तेल के आयात की लागत 3000 करोड़ से बढ़ कर 5000 करोड़ हो गयी है। पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वह पहले ही वृद्धि कर चुके हैं। रुपया के मूल्य में वृद्धि के कारण उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि होगी और इससे किसानों पर क्या बोझ पड़ेगा। हमें पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों और डीजल के रूप में, कुछ सामग्री की आवश्यकता है। इसके अलावा रेलवे को भी डीजल इंजनों के लिए डीजल की आवश्यकता पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप कभी-कभी यह बताया जाता है कि यह सामान्य मुद्रास्फीति दबाव है और मुद्रास्फीति दबाव में अत्यधिक वृद्धि कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई है। तकनीकी अभ्यासों से यह बात सिद्ध हो गयी है कि कच्चे तेल से होने वाली मुद्रास्फीति देश की सामान्य मुद्रास्फीति से कभी भी 2 से 3 प्रतिशत अधिक नहीं रही है। अतः कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि से सामान्य मूल्य वृद्धि तथा मुद्रास्फीति में 2 से 3 प्रतिशत वृद्धि होगी उससे भी महत्वपूर्ण बचत में घाटे की अर्थव्यवस्था है। मैं उन सभी तर्कों को नहीं दोहराऊंगा। वित्तमंत्री महोदय ने कहा, "मैंने अपने बजट में 1470 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है।" मैं आशावादी नहीं हूं और मैं डरने वाला भी नहीं हूं। लेकिन कई आर्थिक कारणों से मैं कह सकता हूं कि मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। मुझे यकीन है कि वित्तमंत्री इससे खुश नहीं होंगे, यद्यपि उन्होंने बजट में 1980-81 के लिए 1470 करोड़ रुपए के घाटे की

अर्थव्यवस्था की है। यदि वर्ष के अन्त में घाटे की अर्थव्यवस्था बढ़कर 3000 करोड़ रुपये हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा और उन्हें दुख नहीं होगा। यह सम्भव है। मैं खुश हूंगा, यदि मेरी बात गलत निकले। ऐसे मौके भी आते हैं जब किसी की बात गलत सिद्ध होने पर भी खुशी होती है उदाहरणार्थ यदि हमारी यह बात गलत निकले कि आपातकालीन स्थिति आ रही है, तो हमें खुशी होगी, सम्भवतः हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी यह बात ठीक निकली। और आपातकालीन स्थिति आयी। अतः मुझे आपको बताना चाहिए कि घाटे की अर्थव्यवस्था इतनी होगी।

जहां तक घाटे की अर्थव्यवस्था के अन्य कारणों का सम्बन्ध है, उसके बारे में हमें पता करना चाहिए कि महत्वपूर्ण कारण क्या-क्या हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों ही बातें नहीं होनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के बारे में जो कुछ आपने कहा वह मुद्रास्फीति अथवा घाटे की अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं होना चाहिए।

प्रो० मधुदण्डवते : यदि आपकी भविष्यवाणी ठीक निकले तो मुझे खुशी होगी।

जहां तक विभिन्न घाटों के अन्य कारणों का सम्बन्ध है। मैंने छठी योजना के मसौदे का अध्ययन किया है। मैं आर्थिक पत्रिकाओं से कोई भी आंकड़े नहीं दे रहा हूं। मैं छठी पंचवर्षीय योजना के आंकड़े ले रहा हूं। छटी पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, 1979-80 में लगभग 3000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। समाजवाद के दर्शन से प्रभावित रहने के कारण मेरा विश्वास है कि सरकारी क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और अतः, यह देखना अत्यन्त जरूरी होगा कि सरकारी क्षेत्र को बहुत ही कार्यकुशल बनाया जाये ; हमें अधिक बचत करनी चाहिए और इसे सरकारी क्षेत्र के विस्तार पर लगाना चाहिए और जो भी उपलब्धियां हों, हमें उनका उपयोग जनकल्याण के लिए करना चाहिए। यह सरकारी क्षेत्र का सामाजिक पहलू है जो गैर सरकारी क्षेत्र में नहीं होता है। अतः मैं चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र ठीक ढंग से काम करे। लेकिन छटी पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि घाटा लगभग 300 करोड़ रुपये का होगा।

बिजली, सिंचाई, परिवहन तथा ओवरड्राफ्ट आदि-आदि द्वारा राज्य सरकारों को कितनी हानि हुई ? यदि आप इन सब बातों को ध्यान में रखें तो 800 करोड़ रुपए की हानि का अनुमान है। अतः यदि आप इन्हें जोड़ें तो कुल हानि 1100 करोड़ रुपये की होगी। घाटे का यह एक अन्य कारण होगा। मुझे भय है कि जब तक उचित कदम उठाये जायें, सरकारी क्षेत्र के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए समिति गठित न की जायें जब तक सरकारी क्षेत्र में लगे लोगों को सरकारी क्षेत्र का प्रबन्ध करने के लिए न कहा जाये, तब तक सरकारी क्षेत्र कार्यकुशल न होगा और यह प्रभावशाली न होगा और इससे बचत न हो सकेगी।

इसके अतिरिक्त मूल्य स्तर न बनाये रखने से दूषित वातावरण पैदा हो गया है। अधिक मुद्रास्फीति, अधिक मूल्य, थोक मूल्यों में वृद्धि आदि-आदि जिसके फलस्वरूप महंगाई भत्ते की

विश्तें भी बढ़ती ही जा रही हैं। इसके फलस्वरूप सरकार का गैर-विकास व्यय बढ़ता जा रहा है और उत्पादन तथा मुद्रा सप्लाई के बीच अन्तर बढ़ता जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रा स्फीति और बढ़ेगी और मूल्यों में भी अधिक वृद्धि होगी। मजदूर संघ के नेता भी अधिक महंगाई भत्ता मांगने में खुश नहीं हैं। वास्तव में श्रमजीवी वर्ग आंदोलन में कार्यरत लोगों की मांग अधिक महंगाई भत्ता नहीं है बल्कि ऐसी स्थिति पैदा करना है जिससे हमें महंगाई भत्ता मांगने की आवश्यकता न पड़े। अतः इस दूषित वातावरण को समाप्त करना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य-वश यह वही वातावरण अब भी है जिसके फलस्वरूप ही पंचवर्षीय योजना में इन्होंने 4000 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया है। इसका अर्थ यह है कि औसत घाटे 800 करोड़ रुपए होगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारणों का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। अतः इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

पूंजीनिवेश तथा ऋण के बारे में एक बात और है। वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए ऋण में कटौती की गई है। मुझे इस बारे में कोई शिकायत नहीं है लेकिन मैं इस बारे में खुश हूं, लेकिन सरकार तथा इसकी एजेन्सियों के लिए ऋण में 42 प्रतिशत वृद्धि हो गई है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है और वित्त वर्ष के समाप्त होने तक मुझे इस बात का भय है कि मुद्रा सप्लाई सम्बन्धी नियन्त्रण बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो जायेगा उसके पूरी तरह से छिन्न भिन्न होने की दशा में अर्थव्य-वस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ जायेगा जिसके फलस्वरूप बड़ी-बड़ी कठिनाईयां पैदा हो जायेंगी अन्ततः मूल्य स्तर मुद्रा सप्लाई के स्तर तथा देश के कुल उत्पादन पर निर्भर करता है। हमें इन दोनों क्षेत्रों पर सफलता प्राप्त करनी चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए कि मुद्रा सप्लाई एक विशेष सीमा से आगे न बढ़े। कुछ अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए हमें मुद्रा सप्लाई में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं होने देनी चाहिए। मुझे विश्वास नहीं कि वह सम्भव है लेकिन मुद्रा सप्लाई तथा राष्ट्रीय उत्पादन के बीच अनुपात पर मूल्य स्तर निर्भर होता है। हम मुद्रा सप्लाई में वृद्धि देख रहे हैं और हम यह भी देखते हैं कि अनेक कारखानों में ठीक ढंग से उत्पादन नहीं हो रहा है। सरकारी क्षेत्र का प्रबन्ध उचित ढंग से नहीं हुआ है जिसके फलस्वरूप मुझे मुद्रास्फीति के दबाव बढ़ने का भय है।

जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। चूंकि उसके बारे में मैं कई बार बोल चुका हूं, इसलिए मैं इसकी चर्चा विस्तार से नहीं करूंगा। लेकिन उसकी चर्चा मैं इसलिए करूंगा कि उस दिन 21 नवम्बर को विक्रय कर सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर के दौरान वित्तमन्त्री से यह अनुपूरक प्रश्न पूछा गया कि देश में कुल कितने काले धन होने का अनुमान है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वित्त मन्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि देश में काले धन की राशि का अनुमान लगाना उनके लिए सम्भव नहीं है। वित्त मन्त्री जैसे सर्वज्ञ व्यक्ति द्वारा यह कहना आश्चर्यजनक है कि काले धन की राशि का अनुमान लगाना उनके लिए सम्भव नहीं है। (व्यवधान)।

राव साहिब आप दुखी होंगे लेकिन संयम रखें और मेरी बात सुनें।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : वह कैसे जान सकते हैं कि आपके पास कितना है ?

प्रो० मधु दण्डवते : उस बारे में सभी जानते हैं क्योंकि जिस दिन मैंने मन्त्री पद से त्याग पत्र दिया उसी दिन अथवा अगले दिन मैंने राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, विपक्ष के नेता श्री जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी को अपनी तथा अपनी पत्नी की सम्पत्ति के लेखों का पूरा विवरण दे दिया था। त्यागपत्र के दूसरे ही दिन मैंने ऐसा किया (व्यवधान)।

अतः मैं आपको यह बता रहा था कि मुझे वित्त मन्त्री द्वारा यह कहते हुए आश्चर्य हुआ कि कालेधन का अनुमान लगाना उनके लिए सम्भव नहीं। मेरे विचार में वे ऐसा गलती से कह गये क्योंकि वांचू समिति रिपोर्ट में उसका पूरा-पूरा ब्यौरा दिया गया है जिसे पढ़कर आपको पता चलेगा कि उसमें काले धन सम्बन्धी एक अध्याय है जिसमें वे तरीके बताये गये हैं जिनके द्वारा कालेधन का अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने काल्डोर उपाय का उपयोग किया जिसके द्वारा उन्होंने सारी राष्ट्रीय आय को दो भागों में बांटा है बिना वेतन की आय और वेतन की आय।

जहां तक वेतन के रूप में होने वाली आय का सम्बन्ध है, चूंकि आयकर वेतन से ही काट लिया जाता है, अतः उसका प्रश्न ही नहीं उठता। वेतन से भिन्न आय को होटल, इन्जीनियरिंग, बैंकिंग, परिवहन आदि विभिन्न खंडों में बांटा जा सकता है। हमें उस अंश विशेष के खंड की छूट सीमा से अधिक की अनुमानित प्रतिशतता का पता है और हम इन सभी क्षेत्रों की तथा सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों की मूल्यांकित की जाने वाली आय का पता लगा सकते हैं। हम कर की अदायगी से पता लगा सकते हैं कि वास्तविक मूल्यांकित आय कितनी होगी और उन दोनों में अन्तर से आप बेहिसाब राशि-बेहिसाब काली आय और बेहिसाब कालेधन का पता लगा सकते हैं। चूंकि आय की राशि पांच रुपये है और उसमें जब एक रुपया ऐसा होता है जिसे जब लगाया जाता है तो अनेक सौदे स्वयं को दोहराते हैं और इन सभी सौदों में कुल काले धन की राशि बेहिसाब धनराशि से पांच गुनी अधिक होती है। उन्होंने 1968-69 में इसी तरह कालेधन की सीमा का अनुमान लगाया था। 1968-69 में यह पता चला था कि यह धन राशि 400 करोड़ रुपये है और इसके निहित धन का मूल्य 700 करोड़ रुपये होगा। वांचू समिति के प्रतिवेदन में इन सभी बातों का उल्लेख किया गया है। मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि हमारे वित्त मन्त्री जिन्हें बहुत सी बातों का ज्ञान है, ने इस प्रतिवेदन का अध्ययन नहीं किया होगा और वह 'कलदीर' हथकण्डों से परिचित नहीं होंगे।

काले धन से लगभग एक समानान्तर अर्थ-व्यवस्था चल रही है। मुझे याद है जब मेरे सहयोगी श्री वाई. वी चव्हाण वित्त मन्त्री हुआ करते थे तो वह देश में काले धन की अर्थ-व्यवस्था को समानान्तर अर्थ-व्यवस्था कहा करते थे। उन्होंने कहा है कि यह ऐसी अर्थ व्यवस्था है जिसकी रीढ को तोड़ा जाना चाहिए। मुझे यह बात मालूम नहीं कि वह विमुद्रीकरण जैसा

कोई आमूल-चूल कदम उठा सकते हैं किन्तु मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि विमुद्रीकरण को यदि किसी पैकेज कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंश नहीं बनाया जायेगा तो वह स्वयं सफल नहीं हो सकता है। विमुद्रीकरण के साथ-साथ सम्पत्ति, आय और व्यय पर सीमा लगानी होगी। साथ ही हमें यह भी पता चलना है कि कुछ मामलों में गैर कृषि आय को भी कृषि आय बताया जा रहा है और कुछ मामलों विशेष में करों से बचा जा रहा है। अतः हमें राजसमिति के पूरे प्रतिवेदन को मान लेना चाहिए और गैर-कृषि तथा कृषि आय को परस्पर जोड़ने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। इस ढंग से भी काले धन को कम किया जा सकता है, यदि उनकी विमुद्रीकरण की राजनीतिक इच्छा है तो मैं उन्हें एक वैकल्पिक उपाय का सुझाव देता हूं। यदि वह विमुद्रीकरण करते हैं तो मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी। किन्तु मुझे इस बात की आशा नहीं है कि वित्त मन्त्री इस सदन में यह घोषणा करेंगे कि एक तिथि विशेष से वह विमुद्रीकरण करेंगे। कोई भी वित्त मन्त्री विमुद्रीकरण इस प्रकार लागू नहीं करता है। यह एक शोक ट्रीटमेंट की तरह होता है किन्तु यह 'शोक ट्रीटमेंट' होना चाहिए।

यदि विमुद्रीकरण तथा मेरे द्वारा सुझाये गये अन्य उपाय करने की उनकी राजनीतिक इच्छा नहीं है तो कम से कम वह नये उपाय तो कर ही सकते हैं। जब भी गन्दी बस्तियों के विकास सम्बन्धी योजना में निवेश किया जाये तो उसमें कराधान से छूट दी जाये। जब भी पिछड़े क्षेत्रों के विकास, घरेलु उद्योगों तथा लघु उद्योगों अथवा मध्यम उद्योगों के विकास के लिए निदेश किया जाये तो करों में किसी तरह की राहत दी जाये। इस प्रकार कालेधन का विकास के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

मैं देश में विकास कर को देखकर दंग रह गया हूं। हम शून्य विकास दर पर पहुंच चुके है। इसी सदन में मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे—उद्योगों की विकास दर क्या है, राष्ट्रीय आय की विकास दर क्या है और प्रति व्यक्ति आय की दर क्या है। तथा जब जनता सरकार सत्ता में थी तो स्थिति क्या थी और जनता सरकार सत्ता में नहीं रही तो स्थिति क्या थी आदि के सम्बन्ध में सभी तथ्य तथा आंकड़े लोकसभा की कार्यवाही में उपलब्ध होंगे। मैंने उनका अनेक बार उल्लेख किया है और मैं उनका अब उल्लेख नहीं करना चाहता किन्तु यह बात अवश्य कहना चाहता हूं कि जहां तक वर्तमान उत्पादन दर का सम्बन्ध है, मुझे पता चला है कि पिछले चार वर्षों में वास्तविक सरकारी निवेशों के मूल्य स्थायित्व में 17 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है किन्तु इस समय मुद्रास्फीति को दृष्टि में रख कर देखें तो पता चलता है कि विकासदर लगभग शून्य हो गई है। अतः शून्य विकास दर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। महोदय, आपको शून्यकाल से बहुत डर लगता है। किन्तु मुझे शून्य विकास दर से बहुत डर लगता है। इस देश में यही हो रहा है।

अब मैं विकास तथा गैर-विकास व्यय के बारे में कहूंगा। बजट में, जिसे वित्त मंत्री महोदय ने वर्ष 1980-81 के लिए प्रस्तुत किया है, उसमें अब हम यह देखेंगे कि संसाधन जुटाने में कितनी वृद्धि हुई हैं और विकास सम्बंधी गतिविधियों के लिए कितने संसाधन उपलब्ध हैं। जहां तक कुल वृद्धि का सम्बन्ध है, 4934 करोड़ रुपये है और जहां तक विकास सम्बंधी

गतिविधियों में वृद्धि का सम्बन्ध है, आवंटन में वृद्धि 1208 करोड़ रुपये की हुई है । अतः यह बात तो बहुत स्पष्ट है कि गैर-विकास सम्बधी व्यय में वृद्धि हुई है जब तक उत्पादक व्यय में वृद्धि नहीं होती जब तक विकास सम्बन्धी गतिविधियों में वृद्धि नहीं होती, जब तक विकास सम्बन्धी गतिविधियों के लिए अधिक धनराशि का आवंटन नहीं किया जाता, तब तक हम मुद्रास्फीति के दबाव को रोक नहीं सकते और न ही उसे कम कर सकते हैं ।

हमारे देश में 66 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है और कार्य के बदले अनाज तथा आन्दोलन जैसे कार्यक्रमों का विभिन्न राज्यों में प्रभावी ढंग से कार्यान्वियन किया जाना चाहिए और केन्द्रीय सरकार को उसके लिए प्रयाप्त सहायता देनी चाहिए । किन्तु जहां तक इन दोनों कार्यक्रमों का सम्बध है हमें यह पता चला है कि वर्तमान सरकार ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम को तो नष्ट कर दिया है और अन्त्योदय कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है । वह विधान सभाओं को निलम्बित करने के आदी थे अब उन्होंने अन्त्योदय कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया है । उन्होंने यही कार्य किया है । यदि मैं गलत कह रहा हूं तो सही स्थिति बताई जाये । मुझे यह पता चला है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम का कोटा 38 लाख टन से घटाकार 15 लाख टन कर दिया गया है और अन्त्योदय कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत 2.5 लाख परिवारों को आस्तियां उपलब्ध की गई थीं, भी अवरुद्ध हो गया है । सरकार गरीबी हटाने के लिए यही कदम उठा रही है । जब मूल्यों में वृद्ध हो रही है और लोगों का जीवन स्तर गिर रहा है तो यह आवश्यक है कि गरीबी-विरोधी उपाय किये जाये ।

मैं सरकार को एक ठोस सुझाव देना चाहता हूं । सामान्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तथा उन्हें आवश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध करने के लिए कम से कम चार आवश्यक वस्तुएं जैसे चीनी, सब्जियां, मीट और सामान्य किस्म की मछली के निर्यात की बिल्कुल अनुमति नहीं होनी चाहिए । मै इन फलों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं जिनका उपभोग लोग विलास की वस्तु की तरह करते हैं किन्तु मैं केवल चीनी, सब्जियों, मीट और सामान्य किस्म की मछली की बात कर रहा हूं । और इन्हें सूची में सम्मिलित किया जा सकता है । किन्तु कम से कम इन वस्तुओं का निर्यात नही किया जाना चाहिए । मैं सरकार से यह मांग करता हूं उन्हें सदन को इन वस्तुओं के निर्यात के आंकड़े उपलब्ध करने चाहिये जिनका मैंने उल्लेख किया है । सामान्य व्यक्ति को इन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, मैं मछली की उन किस्मों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं जिन्हें अमीर वर्ग के व्यक्ति खाते हैं ; मैं आम आदमी द्वारा खाई जाने वाली मछली की बात कह रहा हूं । यदि इन वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है तो मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इनका कितना-कितना निर्यात किया जा रहा है ।

जहां तक उत्पादन मूल्य का सम्बन्ध है मूल्य वृद्धि पर चर्चा करते समय उस पर विचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है । मेरा विचार है कि तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति इस समस्या का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इस बात का पता लगाये कि क्या कृषि तथा उद्योगों के उत्पादन मूल्य निर्धारित करते समय कुछ गलत विचारों को तो ध्यान में नहीं रखा गया है । यह बहुत ही

आवश्यक है कि हम कुछ सिद्धान्तों का निर्धारण करें। कृषकों को उचित दामों पर कृषि सम्बधी उत्पादन उपलब्ध कराये जाने चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिवहन व्यय तथा अन्य व्यय को ध्यान में रखा जाये और इस तरह सही उत्पादन मूल्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। आपको जिस मूल्य का भी निर्धारण करना होगा कि वह उत्पादन मूल्य से कितना अधिक हो। जब तक सुविचारित सिद्धान्तों के आधार पर विशेष सिद्धान्त निर्धारित न किये जायें तब तक मुझे डर है, कि इस समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकेगा। कृषि मूल्यों और औद्योगिक वस्तु मूल्यों में सन्तुलन होना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जाये तब तक मेहनतकश लोग तथा मध्यमवर्ग की जनता तथा किसानों को कष्ट उठाने पड़ेंगे। मुझे विश्वास है कि कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य में सन्तुलन रखा जायेगा।

जहां तक औद्योगिक उत्पादन का सम्बन्ध है, मैं एक ही उदाहरण लेता हूं। उदाहरण के लिये कपड़े का ही प्रश्न लीजिए— कुछ देश ऐसे हैं—यदि मैं कुछ देशों का नाम लेता हूं तो कुछ लोगों को उन देशों से चिड़-सी है—किन्तु मैं चीन का नाम लेता हूं चीन में हजारों किस्मों के कपड़े के उत्पादन की अनुमति नहीं है। उन्होंने यह निर्णय लिया है कि उनकी प्रथम आवश्यकता आम आदमी की आवश्यकता पूरी करने की है अतः उन्होंने कपड़े की किस्मों को कम से कम रखा है। मैं भी चाहता हूं कि सरकार विचारधाराओं की परवाह किये बिना विभिन्न समाजवादी व्यवस्थाओं की अच्छी बातें, विभिन्न देशों की आर्थिक नीतियों की अच्छाईयों को ले लें। स्पष्टीकरण के लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात बहुत ही आवश्यक है कि कपड़े की किस्म तथा उसकी मात्रा को उत्पादन लागत के साथ जोड़ा जाये। यदि देश में कपड़े की अनेक किस्में हैं तो उससे उत्पादन की लागत निश्चय ही बढ़ जाती है। यदि कपड़े की उत्पादन लागत में वृद्धि होती है तो उस स्थिति में, कपड़े के मूल्य में वृद्धि होना भी स्वाभाविक है।

इस देश के मजदूर नेता इस बात की लगातार मांग करते रहे हैं कि जिस तरीके से इस देश में मूल्य सूचकांक का निर्णय किया जाता रहा है, वह गलत है। इसलिए, इसकी पुनः परीक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है। एक समिति बनायी गयी थी और मुझे बताया गया है कि समिति ने अपना प्रतिवेदन पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। मैं चाहता हूं कि उस प्रतिवेदन को जारी किया जाये और उसके बारे में इस सदन के सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए। तब हम जान सकेंगे कि मूल्य सूचकांक की गणना करने की वर्तमान पद्धति में क्या कमियां हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो, जहां तक इस समस्या का सम्बन्ध है, उसमें यह अत्यंत सहयोगी कारक सिद्ध होगा।

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, वह आज मूलभूत समस्या बन गई है। लोग उन दिनों की याद करते हैं जब वे 2.15 रुपए प्रति किलो, 2.30 रुपए प्रति किलो और 2.50 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी खरीद सकते थे। पूजा और दिवाली की छुट्टियों के दौरान ऐसे स्थान रहे हैं जहां खुले बाजार में चीनी की कीमत 13 रुपए से 25 रुपए प्रति किलो तक रही। यह है जो कुछ घटित हुआ, निःसन्देह निश्चित रूप से समाज विरोधी तत्व इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन नीति सम्बन्धी निर्णय भी इसके लिए जिम्मेदार है। मैं उस बात का अवश्य उल्लेख करूंगा क्योंकि मैं

पक्षपात करने वाला नहीं बनना चाहता। जहां तक चीनी नीति का सम्बन्ध है, चीनी के मूल्यों पर नियंत्रण का ध्यान किए बिना, चीनी की निकासी की प्रक्रिया को यथावत बनाए रखना चाहिए। जिस समय जनता पार्टी सत्ता में आई, निकासी की जो प्रक्रिया वहां पर थी, निकासी पर जो नियंत्रण वहां था, उसके अनुसार सरकार ने प्रत्येक राज्य की चीनी की आवश्यकता और खपत को नोट किया—केवल उसी सीमा में चीनी जारी की गई—उस चीनी नियंत्रण को समाप्त किया गया। यही कारण है कि हमने पाया कि तस्करों ने चीनी को समेट लिया। और वह चीनी गुजरात और राजस्थान के रास्ते पाकिस्तान चली गई और बंगाल के रास्ते बंगला देश चली गई। इस तरह चीनी का कृत्रिम अभाव पैदा हो गया। यह सीधा साधा तर्क है कि जब कभी कृत्रिम अभाव पैदा किया गया है, मूल्यों में वृद्धि का प्रश्न हमेशा ही प्रमुख रहा है। दिए गए धन के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि सभी उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। इसने भी एक समस्या पैदा कर दी है। चीनी का संकट इस देश में चीनी के बड़े व्यापारियों द्वारा पैदा किया गया है क्योंकि शासकों से उनकी सांठ-गांठ है। इसने भी एक नई समस्या पैदा कर दी है। जब तक उसे सुलझाया नहीं जाता, मुझे इस बात का विश्वास है कि इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता।

मैं यह साफ तौर पर देख सकता हूं कि आप घंटी बजाने की कोशिश कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं घड़ी देखने की कोशिश कर रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : घंटी बजाने से पहले घड़ी पर नजर डालना स्वाभाविक ही है। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं समझता हूं उस सम्बन्ध में मुझे अच्छी तरह याद है। बजट पेश करने के पश्चात् जब वह बजट पर हुई बहस का उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने कहा :

"मैं इस सदन के सदस्यों को आश्वस्त कर सकता हूं कि हम मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करेंगे, उसे रोकेंगे। यदि मैं मूल्य वृद्धि को कम करने में सफल नहीं हुआ तो मैं हट जाऊंगा।"

यह है जो वित्त मंत्री ने कहा। (व्यवधान) मैं पद से उनका हटना पसंद नहीं करता। उन्होंने कहा कि यदि मूल्य वृद्धि होगी तो वह हट जायेंगे। वह इतने बड़े राजनीतिज्ञ नहीं हैं। प्रधानमंत्री ज्यादा सजग हैं पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने (प्रधानमंत्री ने) कहा कि मूल्यों को कम करने के लिए हम सचाई के साथ कोशिश करेंगे परन्तु हम इस बात का आश्वासन नहीं दे सकते कि हम कीमतों को नीचे ले आयेंगे। वे अत्यन्त सजग हैं क्योंकि वह जानती हैं कि "एक बार हार दो बार शर्मिन्दगी" होती है। इसलिए उन्होंने अत्यन्त सजगतापूर्ण रास्ता अपनाया वित्त मंत्री ने इस सदन में जो भी घोषणा की हो, लेकिन जहां तक जनता का सम्बन्ध है, वह तो अपना कार्य कर ही रही है। लड़ाई, विधान मंडलों के पटल पर कभी नहीं लड़ी जाती हैं, लड़ाई खेतों और कारखानों में लड़ी जाती है; लड़ाई गलियों में लड़ी जाती है। मैं केवल यह चाहता हूं कि महात्मा गांधी की इस सरजमीं पर ये लड़ाईयां शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से लड़ी जानी

चाहिए। जिससे हम सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाल सकें कि वह अपनी नीति बदले, अपना आर्थिक तंजरिया बदले, और अपना परिप्रेक्ष्य बदले ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके और बढ़ती हुई कीमतों को नीचे लाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ :

"कि यह सभा चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह मुल्य वृद्धि को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए।"

श्री टी०आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, में प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रस्ताव में,—अन्त में यह जोड़ा जाए—

"उत्पादन बढ़ाकर, तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके, जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करके, मजदूर असन्तोष को नियंत्रित करके, माल लेने-लेजाने की परिवहन प्रणाली को तेज करके, उत्पादन और वितरण के लिए वित्तीय सुविधा दिए जाने की व्यवस्था करने के लिए बैंकिंग पद्धति को नियंत्रित करके, बर्बादी को रोककर, करो में कमी करके और वैकल्पिक व्यवस्था करके।"

श्री एच० के एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रोफेसर मधु दण्डवते ने अत्यन्त वाक्पटुता के साथ अपनी बात पूरी की। उन्होंने कहा कि जनता अपना काम कर रही है और युद्ध की रेखाएं तैयार हैं, नीतियों को अवश्य बदलना चाहिए। विपक्ष यहां और बाहर एक साथ कार्य कर रहा है। ठीक है, निश्चय ही जनता अपना काम कर रही है और युद्ध की रेखाएं खींच दी गई हैं और लड़ाई लोकतांत्रिक तथा शांतिपूर्ण ढंग से लड़ी जा रही है। जब चारों ओर कीमतों में वृद्धि है तो भी उपचुनावों की हाल की लड़ाईयों को यदि इन्हें सूचकांक के रूप में माना जाए, विपक्ष के खिलाफ रही हैं। यह कहते हुए मुझे अत्यन्त दुख है और उनके साथ मेरी सहानुभूति है। यह है जो कुछ इस देश में हो रहा है।

महोदय, मैं आंकड़ों के हेरफेर में नहीं पड़ना चाहता, और मैं बचाव के लिए सरकार का बचाव नहीं करना चाहता। आम आदमी के एवं प्रतिनिधि के रूप में मैं देश में मूल्यों की स्थिति के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं। कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप सारा देश कष्ट झेल रहा है। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। यह एक गम्भीर राष्ट्रीय समस्या है। और हमें सही परिप्रेक्ष्य में इसको देखना है। प्रोफेसर दण्डवते ने स्थिति के बारे में अपना स्वयं का मूल्यांकन बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आपातस्थिति से पहले मुद्रास्फीति के संबंध में स्थिति अत्यन्त खराब थी। आपात स्थिति की अवधि के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कही। तत्पश्चात् उन्होंने कहा कि जनता शासनकाल के दौरान इस स्थिति में सुधार आया था और जनता पार्टी के पत्तन के बाद फिर स्थिति बिगड़ गई और खराब हो गई।

श्रीमान जी, अब हमें इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ। यह सच है कि आपातस्थिति से पूर्व की अवधि अर्थात् 1971 से 1974 और 1975 का समय देश में बड़े अनुशासन का दौर था जिसमें हमारे माननीय मित्रों ने व्यापकतौर पर सहयोग दिया। उन्होंने अपनी हार से अपना सामंजस्य स्थापित नहीं किया और उन्होंने वह क्रांति शुरू कर दी। और वह क्रान्ति एक बहुत बड़ी असफलता सिद्ध हुई। अनुशासन हीनता की एक स्थिति पैदा की जा रही थी। आखिरकार इस देश की अर्थव्यवस्था देश के विभिन्न संगठनों के अनुशासित कार्यों से सुधारी जा सकती है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का उत्पादन कब कम हुआ ? कब ये नीचे गिरे ? क्या आपात स्थिति के दौरान इसमें सुधार नहीं हुआ था ? जनता शासन काल के दौरान इनमें तेजी से रुकावट आई। अब यह उस लड़के के समान है जिसे अपने पिता और पितामह का बढ़ता हुआ व्यापार मिला और जब उसने इसे बर्बाद किया तो भाइयों ने इसे अपने नियंत्रण में लिया। अब आप कहते हैं, नहीं नहीं, आपने इसे बर्बाद किया है। क्या यह सच नहीं है कि आपात स्थिति के दौरान वित्तीय सहायता के तमाम कार्यक्रम शुरू किए गए थे और सारी स्थिति में सुधार हुआ था ? (व्यवधान) आप इस वास्तविकता से इन्कार नहीं कर सकते। श्रीमानजी, यदि आप मुझे कहने की इजाजत दें तो मैं कहूंगा कि प्रोफेसर मधु दण्डवते के भाषण में बड़ी प्रशंसनीय बातें हैं जिसमें उन्होंने कहा कि आपात स्थिति के दौरान स्थिति बहुत अधिक सुधरी थी और इसके निहित अर्थ से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता सरकार के शासनकाल के दौरान देश में बिगड़ी। जनता शासनकाल के दौरान क्या हुआ ? जनता पार्टी के शासन काल के बारे में चर्चा करने के लिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि वे इसके योग्य नहीं हैं। क्या आपने स्थिति को सुधारने की कोशिश की ? आपने बजट दिया ··· (व्यवधान) श्रीमानजी, जनता सरकार ने, जब श्रीचरणसिंह वित्त मंत्री थे, बजट दिया। यह एक ऐसा बजट था जिसमें करों की भरमार थी।

एक माननीय सदस्य : इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री एच० के० एल० भगत : मैं आपको बताऊंगा। आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। जनता सरकार ने बजट दिया (व्यवधान)। और यह अभूतपूर्व करावान का बजट था, अभूतपूर्व घाटे की अर्थ व्यवस्था का बजट था, अभूतपूर्व मुद्रास्फिति और अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि का बजट था और अब उसने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। वे इस बात को स्वीकार करते हैं। मैं समझता हूं श्री वेंकटरमन पिछले 10 या 11 महीने से वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे इस बात को भूल गए। और वे आशा करते हैं कि इस अवधि में श्री वेंकटरामन ने चमत्कार कर दिया होता और उन सभी बुराइयों को समाप्त कर दिया होता जो इस देश में कुशासन ने पैदा कर दी थी। उस अवधि में कोयले को क्या हुआ ? उस अवधि में सीमेंट को क्या हुआ ? प्रत्येक इस बात को जानता है (व्यवधान)। अत्यन्त अक्षम सरकार द्वारा गम्भीररूप से कुप्रबन्धित अर्थव्यवस्था से 1979-80 में सूखे के साथ अत्यन्त बुरी स्थिति पैदा हो गई। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वर्तमान सरकार के सामने बड़े भारी काम थे और वह अब भी जारी है और मैं समझता हूं कि देश की आर्थिक स्थिति अभी सन्तोषजनक नहीं है। जनता मूल्यवृद्धि की कटुता

का अनुभव कर रही है। हम सभी यह जानते हैं। हम सभी की उनके साथ सहानुभूति है। प्रोफेसर मधु दण्डवते ने अब यह सुझाव दिया है कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सामूहिक उपाय किए जाएं जिनमें बड़े नोटों को बन्द करना भी है। मैं भी महसूस करता हूं कि मूल्य मोर्चे पर और आर्थिक मोर्चे पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया जाना होगा। ठीक है, बड़े नोट बन्द किए जाने की उनकी बात से मैं सहमत हूं। मैं जोरदार शब्दों में मांग करता हूं कि कुछ अन्य उपाय करने के साथ-साथ सरकार को बड़े नोट भी बन्द करने चाहिए। यह मेरा विचार है। जनता सरकार ने कुछ नहीं किया। स्वैच्छिक प्रकटीकरण के मामले में भी, इसने कुछ नहीं किया। जनता सरकार का शासनकाल, एकाधिकारवादियों, तस्करों, मुनाफाखोरों और धोखेबाजों के लिए स्वर्णिम अवसर था। (व्यवधान)। अब वे उत्सुकता दिखा रहे हैं और मेरे प्रिय मित्र प्रो० मधु दण्डवते चीन के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने चीन के बारे में बात की और तस्करों के बारे में निवारक नजरबन्दी विधेयक इस सभा में विचारार्थ आया तो उन्होंने इसका विरोध किया। सभी विपक्षी सदस्यों ने इसका विरोध किया। इनमें से कुछ इसे उस समय सभा में लाए थे। जब वे सत्ता में थे। परन्तु जब कांग्रेस (इ) सत्ता में आई और उसने इस विधेयक को सभा में रखा तो विपक्षी दल बाहर चले गए। आप तस्करों, काला बाजारियों और अवैध धन्धा करने वालों के बारे में कुछ भी करने लिए तैयार नहीं हैं। भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के मेरे मित्र ने कहा है कि सामान्य कानून मौजूद है, आवश्यक वस्तुएं अधिनियम मौजूद है और उनसे हम स्थिति का सामना कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि उन्होंने स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या किया है। सरकार ने कुछ उपचारात्मक उपाय किए है। (व्यवधान)।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : आपने केवल श्री ए० के० राय जैसे 'तस्करों' को ही पकड़ा है।

श्री एच० के० एल० भगत : उन्होंने कहा हम सामान्य कानूनों से ही कीमतों, मुनाफाखोरी और तस्करी आदि को नियन्त्रित कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने क्या किया है? पश्चिम बंगाल में मूल्य स्थिति किसी भी अन्य स्थान की अपेक्षा अधिक खराब है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं।

श्री एच० के० एल० भगत : ऐसा है। (व्यवधान)।

अब मैं अपनी सरकार तथा दल को भी कुछ स्पष्ट बातें कहना चाहता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं। मूल्य नियन्त्रण करना किसका काम है; क्या यह श्री वेंकटरामन का काम है या श्री विद्याचरण शुक्ल का? यह किसका काम है जहां तक मूल्यों पर नियंत्रण का सम्बन्ध है सरकार को एक प्रकार के समन्वयकारी तन्त्र की स्थापना करनी चाहिए जो नियमित रूप से मूल्यों पर नजर रखें और मूल्यों पर नियन्त्रण को और सुनिश्चित करे और जहां तक सम्भव हो इन्हें कम करे। मुझे पता है कि उन्होंने एक समिति की स्थापना की है। मैंने यह समाचारपत्रों

में प्रकाशित श्री वेंकटरामन के आर्थिक सम्पादकों के सम्मेलन के समक्ष दिये गए भाषण में पढ़ा था। उन्होंने आधार भूत सामग्री, सुधार और समन्वय संबंधी समिति गठित की है इस समिति ने कुछ अच्छे कार्य किए हैं और सरकार ने भी कुछ उपाय किए है। यदि उन्होंने ये उपाय न किए होते तो स्थिति आज की अपेक्षा कहीं अधिक खराब होती। श्री चिदम्बरम् सुबह नाश्ते पूर्व मन्त्री हैं परन्तु मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के लिए उनके पास क्या अधिक हैं ? निस्सन्देह वित्त मंत्री कुछ उपचारात्मक उपाय कर सकता है। जहां तक मूल्यों का संबंध है, मैं सुझाव देता हूं कि सरकार एक राष्ट्रीय मूल्य सतर्कता मण्डल की स्थापना करे। यह नियमित रुप से मूल्यों पर नजर रखे और उठाए गए विभिन्न कदमों की जांच करे तथा मूल्यों को नीचे लाए।

अब, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? मेरी जानकारी के अनुसार निवारक नजरबन्दी के अधीन लगभग 200 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाही की गई है, परन्तु मुझे उनमें कोई कुख्यात चाल दिखाई नहीं देती। हमें लोगों ने बहुत आशाओं से चुना है। वे क्या कहते हैं इसकी परवाह न करो, दृढ़ता से काम किए जाओ। वे कहते हैं काला बाजारी को निकटतम खम्भे से लटका कर फांसी दे दो परन्तु वे उन्हें जेल नहीं भेजना चाहते (व्यवधान) मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि वह मुनाफाखोरों, काला बाजारियों और अन्य ऐसे लोगों के विरुद्ध बड़ी दृढ़ता से कार्यवाही करें। निवारक नजरबन्दी से क्या लाभ हुआ अगर आप उसे बड़े और कुख्यात लोगों के विरुद्ध, जिनका बाजार और उत्पादन क्षेत्र पर एकाधिकार है आप उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं करते ? आपको इन लोगों के विरुद्ध निश्चयात्मक और दृढ कदम उठाएं ताकि काले धन वाले लोग कुछ महसूस करें जैसा कि उन्होंने आपात काल में महसूस किया था। यदि आप इसे उचित समझें तो मैं आपको स्वत: प्रकटीकरण योजना का सुझाव देता हूं जिससे एक बार सरकार को काफी धन प्राप्त हुआ था। कभी-कभी एक राष्ट्रीय मूल्य सतर्कता बोर्ड ही काफी नहीं होता। आपको हर राज्य में एक बोर्ड अवश्य बनाना होगा। हर जिले में एक बोर्ड बनायें। यह सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों से गठित होना चाहिए। महोदय, मैं आपात काल के अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। मैं उस कार्यक्रम कार्यान्वय समिति का अध्यक्ष था। जिसने मूल्यों में कमी और उन पर नियन्त्रण के लिए कार्य किया। मैं कहता हूं उत्पादक से ग्राहक तक पहुंचने में वस्तु पर लाभ की गुंजाइश 30% से 300%, 400%, 500%, तक रहती है। बीच में मध्यस्थ भी हैं। प्रत्येक अपराधी है, उत्पादक सबसे अधिक अपराधी है, थोक व्यापारी भी अपराधी है और मै फुटकर विक्रेता को भी इस श्रेणी से बाहर नहीं समझता। वह स्थिति का लाभ उठाता है अत: यह आवश्यक है कि सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों से एक समिति का गठन किया जाए। यह भी एक ऐसा तथ्य है जिससे हम इन्कार नहीं कर सकते कि आपात काल में भय के कारण कीमतों में कमी की गई थी। आपात काल में मूल्यों में कमी आई और इन पर नियन्त्रण रखा गया। यह एक आर्थिक तथ्य है। यह शत प्रतिशत तथ्य है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं आपात काल में मूल्य बढ़े थे।

श्री एच० के० एल० भगत : इसी प्रकार जहां तक उत्पादकों की स्थिति का संबंध है, तो उसे भी कम मिलता है। बीच में मध्यस्थ ही हड़प जाता है। सरकार इसे समाप्त करने के लिए क्या करने जा रही है। यह भी इस देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य देना पड़ता है। परन्तु वे कार्यवाही नहीं करते, वे स्वयं को संगठित नहीं करते परन्तु इस समय जिस चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है, वह है लोक शक्ति और सरकार शक्ति का संयोजना यह अन्यावश्यक है कि लोक शक्ति और सरकारी शक्ति का संयोजन साथ-साथ काम करने के लिए और मूल्यों को कम करने के लिए किया जाए। मुझे विश्वास है कि जिस दिन हम सरकार के प्रतिनिधियों से मिल बैठकर शक्तिशाली उपभोक्ता आन्दोलन बना लेंगे स्थिति में सुधार आना आरम्भ हो जाएगा। अब स्थिति क्या है ? ये लम्बे-लम्बे भाषण, आंकड़े धोखेबाजी से कोई सहायता नहीं मिलेगी।

महोदय, मैं कुछ मिनट और लूंगा। मैं वितरक प्रणाली के बारे में कुछ कहूंगा। आज कल क्या हो रहा है ? क्या इससे वितरक प्रणाली को सहायता मिलेगी ? मैं उनके विरुद्ध आरोप लगाता हूं। यह एक बड़ा ही गम्भीर आरोप है कि वे जान बूझकर प्राप्ति और वितरक प्रणाली को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। आप जान बूझकर ऐसा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप श्री सोमनाथ चटर्जी को कह रहे हैं। मुझे नहीं।

श्री एच. के एल. भगत : मैं आपके माध्यम से विपक्ष वालों से बात कर रहा हूं। अब जो कुछ वे कर रहे हैं वे उनके लिए कर रहे हैं। महोदय, मैंने कल या परसों समाचार-पत्र में एक वक्तव्य पढ़ा जिसमें लोकदल नेता श्री गौरी शंकर राय ने यह कहा है कि "हम आन्दोलन प्रारम्भ कर रहे हैं।" और उसमें क्या उल्लिखित है ? मैं उसका उल्लेख नहीं करता। वे श्री चन्द्रजीत यादव के दल से सम्बन्ध रखते हैं। अब, उन्होंने क्या कहा है ? "हमारे कार्यवाही कार्यक्रम में घेराव और सड़क नाकेबंदी आदि कई बातें सम्मिलित हैं।" सड़क नाकेबन्दी का क्या अर्थ है ? यदि सड़क नाकेबन्दी का अर्थ सम्पूर्ण देश को अस्त-व्यस्त करने का प्रयत्न नहीं है तो इसका सही अर्थ क्या है ? क्या यह देशभक्ति है ? इस संकट के समय, जब हमारी सीमाओं को खतरा है, एक बड़ी विकट समस्या उठ खड़ी हुई है। पाकिस्तान का दृष्टिकोण और अधिक लड़ाकू बनता जा रहा है। सीमाओं पर स्थिति बहुत ही कठिन बनी हुई है। हमारे यहां स्थिति विकट से विकटतर होती जा रही है। इस समय वे यह प्रयत्न कर रहे हैं। कि सरकार के पास गेहूं न पहुंचे। मैंने पहले भी कहा है कि वे एक तरफ तो किसानों से जाकर यह कहेंगे कि "और अधिक मूल्य मांगों" और दूसरी तरफ वे उपभोक्ताओं को कहेंगे "देखो सरकार आप से अधिक मूल्य वसूल कर रही है।" यह उनके दोहरेपन की गम्भीर बात है। वे सम्पूर्ण व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि सरकार इसके विरुद्ध जाती है तो आप कहने लगेंगे सभी नागरिक स्वतन्त्रताएं खतरे में है।

इस स्थिति में सरकार को अपना कर्तव्य निभाना है। सरकार को साहस से अपना कर्तव्य

पुरा करने दीजिए। मैं कहता हूं कि सरकार को दृढ़ता से और बहुत दृढ़ता से तथा अत्यधिक दृढ़ता से कार्यवाही करनी चाहिए। मैं जान बूझकर इन तीन अभिव्यक्तियों का प्रयोग कर रहा है। यह आम आदमी की मांग है। उन्हें अब भी आप से आशा है। इसी कारण उन्होंने आपको विधान सभा के उप-चुनावों में विजय दिलायी है। ये माननीय सदस्य जो कुछ कहते हैं उस पर मत जाइए। उनका कार्य तो पक्का करना है कि आप हमेशा गड़बड़ी में रहें और देश में भी गड़बड़ी बनी रहे। प्रो० मधुदण्डवते कहते हैं "अध्यक्ष शून्य काल से डरते हैं। और वे शून्य उत्पादन से भय खाते हैं"। वे उत्पादन में कमी का आनन्द ले रहे हैं, वे मूल्यों में वृद्धि का आनन्द ले रहे हैं। वे सोचते हैं, यही उनका हथियार है। परन्तु मुझे विश्वास है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला।

मैंने एक साप्ताहिक पत्रिका देखी। उस साप्ताहिक पत्रिका में एक भूतपूर्व संसद सदस्य का, जिनका भारतीय जनतापार्टी से सम्बध है, एक साक्षात्कार प्रकाशित हुआ है। उसमें कहा गया था "सरकार का गेहूं का भण्डार बिल्कुल कम हो रहा है। स्थिति इतनी गम्भीर है कि इस सरकार को गिराया जा सकता है। इसका कोई स्थापन्न नहीं है।" अब होगा क्या ? अतः वे हर वक्त यही कामना करते रहते हैं कि सरकार गिर जाये। वे किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। (व्यवधान)। इसमें कुछ गलत नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि उन्हें राष्ट्र की कोई चिन्ता नहीं है। उन्हें जनता की कोई चिंता नहीं है। वे केवल अपने विषय में सोचते हैं। स्वामी जी, यह गलत है।

हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने अपने जीवन में अनेक भविष्यवाणियां की हैं। जब वह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था "सरकार पांच वर्ष तक चलेगी।" वह सरकार जारी नहीं रह सकी। बाद में उन्होंने कहा कि "जनता दल अभी नहीं टूटेगा" वह टूट गया। तब उन्होंने कहा, "मूल्य चार महीनों में कम हो जायेंगे।" मूल्य बढ़ गए। वह भविष्यवाणियां करने जा रहे थे। श्री चन्द्रशेखर ने अभी हाल में कहा है कि समूची व्यवस्था डांवाडोल स्थिति में है और श्रीमती गांधी को राज्य करने का कोई अधिकार नहीं है। श्री जगजीवन राम ने कहा है कि श्रीमती गांधी अब चूक गई हैं। हमने परिणाम देखे हैं। (व्यवधान)। इसका सम्बंध मूल्यों और अन्य सभी बातों से है। (व्यवधान)। मुझे मालूम है कि स्थिति गम्भीर चल रही है और मैं इन मित्रों को दोष नहीं देता कि वह विनाश की भविष्यवाणियां क्यों कर रहे हैं। वे सदैव विनाश की ही भविष्यवाणी करते रहे हैं। उनका एक मात्र लक्ष्य हमेशा की तरह अब भी श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं। वे तब भी निराश हुए थे और अब भी निराश होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सरकार इन कठिनाईयों पर विजय पाने में सफल होगी और स्थिति का सामना कर लेगी तथा कुछ ही समय में अर्थ-व्यवस्था को सुधार लेगी। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में एक ऐसी समस्या पर चर्चा की जा रही है जिस पर समूचा देश और इस देश की समूची जनता अत्यधिक चिन्तित है।

मेरा यह कहना है कि सरकार मूल्यों के संबन्ध में बिल्कुल पूरी तरह असफल रही है और लोग बुरी तरह कष्ट भोग रहे हैं क्योंकि इस देश में हर वस्तु का मूल्य, विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आसमान छू रहे हैं। मैं तो इस देश की जनता की भावनाओं को अभिव्यक्ति ही दे रहा हूं। सरकार को इस प्रश्न को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए उन्हें इस समस्या को प्रभावी ढंग से सुलझाने के लिए विचार विमर्श करना चाहिए और उन लोगों का सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए जो इस देश की आर्थिक समस्याओं को समझते हैं उन्हें उनका सहयोग इस समस्या के समाधान के लिए भी प्राप्त करना चाहिए। मूल्यों का प्रश्न एक पृथक प्रश्न नहीं है। मैं तो यही कहूंगा क्योंकि इसके लिए एक-दूसरे को दोष देना व्यर्थ है। हमने पिछले दस महीने में इस सदन में बहुत कुछ सुना है। सारा दोष भूतपूर्व सरकार पर मढ़ा जा रहा है किन्तु आज स्थिति क्या है ?

मैं यह चाहता हूं कि यह सदन पिछले दस महीनों में जो कुछ हुआ है उस पर गंभीर रूप से विचार करें। मैं यहां पर कुछ ही वस्तुओं का उल्लेख करूंगा जिनका प्रयोग आम आदमी द्वारा किया जाता है। अब मैं यह कहूंगा कि पिछली दिवाली अर्थात् 1979 की दिवाली और वर्तमान वर्ष की दिवाली पर कीमतों की स्थिति क्या थी। उदाहरण के तौर पर पिछली दिवाली पर अर्थात् 1979 में इस देश में चीनी 2.30 रुपये प्रति किलो बिक रही थी किन्तु इस दिवाली पर चीनी लेवी मूल्य पर 6.10 रुपये प्रति किलो बिकी। जैसा कि प्रो० मधु दण्डवते ने कहा है कि देश के विभिन्न भागों में चीनी 12-18 रुपये प्रति किलो बिकी। पिछली दिवाली पर गुड़ 2 रुपये प्रति किलो था किन्तु 1980 की दिवाली पर यह 7.50 रुपये प्रति किलो बिका। 1979 में वनस्पति घी खुला घी 9 रुपये प्रति किलो था और इस दिवाली पर यह 11.85 रुपये प्रति किलो बिका। अरहर की दाल जो 1979 में 3.90 रुपये प्रति किलो थी, इस दिवाली पर 5 रुपये प्रति किलो बेची गयी। और आज यह 7 रुपये प्रति किलो बिक रही है। राजमा चित्रा, जो 1979 में 2.60 रुपये प्रति किलो बिक रही थी अब 5.50 रुपये प्रति किलो बिक रही है। चने की दाल, जो 1979 की दिवाली पर 2.60 रुपये प्रति किलो बिक रही थी, अब इस दिवाली पर 5.75 रुपये प्रति किलो बिकी। सूजी की कीमत भी 1.80 रुपये प्रति किलो से बढ़कर अब इस दिवाली पर 2.70 रुपये प्रति किलो हो गई है। 1979 की दिवाली पर रिन साबून की कीमत 1.80 रुपये थी अब 1980 की दिवाली पर 2.30 रुपये पर बेचा गया। यूरिया ऐसा उर्वरक है जो इस देश के किसानों में बहुत प्रिय है। पिछले साल जब यह सरकार सत्ता में आयी तो इसका मूल्य 70 रुपये प्रति बैग था। इस समय इसका मूल्य 105-107 रुपये प्रति बैग है। सीमेंट सारे देश में निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है इसे काले बाजार में 80 रुपये प्रति बैग बेचा जा रहा है। दवाइयों के मूल्य में भी 33 से 50% की वृद्धि हुई है। आज की यह स्थिति है जिसमें जनता को कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों, काला बाजारियों ठेकेदारों और तस्करों जैसे कुछ लोगों को छोड़कर शेष हमारा समूचा समाज, जिसमें गरीब लोग, असंगठित श्रमिक और खेतिहर मजदूर, छोटे और मध्यम दर्जे के किसान, मध्यम वर्ग के वेतनभोगी लोग हैं। सभी कष्टों का सामना कर रहे हैं। इस देश का आम आदमी तो आसमान को छूने वाली कीमतों के नीचे पिस रहा है। बेईमान व्यापारी कीमतों को बढ़ा रहे हैं और उसके लिए उन्हें कोई दंड भी नहीं

दिया जा रहा है। यह सरकार किसी निसहाय दर्शक की तरह देख रही है। यह कहा जा रहा है कि जनता भी निःसहाय होती जा रही है। श्री भगत ने ठीक ही कहा है। आज इस सरकार का कोई विकल्प नहीं है। यह भारतीय लोकतन्त्र के लिए दुर्भाग्य की बात है।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)।

यह इस देश की जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है। तभी वह यह अनुभव कर रहे हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं। जनता कष्ट भोगती रहे। कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती रहे। लोगों की हत्या की जा रही है। सभी जगह साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। गिरती हुई अर्थ-व्यवस्था का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। आज इस देश में सबसे सस्ती वस्तु आम आदमी का जीवन हो गया है। आज जनता देश में इस बात को महसूस कर रही है। यदि इस सरकार का कोई क्षमस विकल्प होता तो सरकार इस क्रूर और हृदयहीन ढंग से व्यवहार न करती। आज मैं कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि यह समूचे देश की भावना है। जनता कष्ट भोग रही है। 2000 प्रति मास पाने वाला व्यक्ति काफी अमीर माना जाता था जो अच्छा जीवन-यापन कर सकता था। आज 2000 रुपये पाने वाला व्यक्ति गरीब आदमी बन गया है। निम्न मध्य-वर्ग, मध्य वर्ग, उच्च मध्य-वर्ग के लोग आज गरीबी की रेखा के नीचे आ रहे हैं। यह गम्भीर स्थिति है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस प्रश्न को मात्र चर्चा के रूप में न लें। अपितु इसे एक राजनीतिक प्रश्न के रूप में लें। महोदय, आज हम यह सोचते हैं कि सरकार या तो निःसहाय हो गई है अथवा सरकार इस देश में निहित स्वार्थों के साथ मिलीभगत कर रही है तभी तो सरकार आर्थिक दिशा-निर्देश नहीं कर पाई और न ही सामाजिक आर्थिक नीति ही निर्धारित की जा रही है।

महोदय, सरकारी वितरण प्रणाली, जिसके बारे में बहुत ही शोर मचाया गया था, उसका क्या हुआ ? आज उसकी स्थिति क्या है ? आज संसद सदस्यों को भी इस सरकारी प्रणाली के माध्यम से चीनी, चावल और गेहूं नहीं मिल पाता, लाखों आम लोगों की तो बात ही दूर रही। मैं संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों की बात नहीं कर रहा हूं। हां, यह बात सच है कि संसद सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उन्हें भी यह वस्तुएं नहीं मिल रही है तो इस देश में आम आदमी अथवा निम्न मध्य वर्ग के व्यक्ति की तो बात ही क्या ? लाखों लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। महोदय, यह तो स्थिति है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। लाखों असंगठित मजदूर है। मैं औद्योगिक मजदूरों की बढते हुए मंहगाई भत्ते में समानता के लिए लड़ाई की बात समझ सकता हूं; किसानों, छोटे किसानों, मध्य वर्ग के किसानों का क्या होगा ? मैंने यहां सदस्यों का जीवन-वृत देखा है। उनमें से दो तिहाई सदस्यों की ग्रामीण पृष्ठ भूमि है। आज स्थिति क्या है ? आज 10 एकड़ भूमि रखने वाला व्यक्ति भी गरीब आदमी है। वह कठिनाई से गुजर-बसर कर रहा है। मैं हाल ही में दौरे पर था और एक किसान के यहां ठहरा था। वह अपनी खेती की लागत का

हिसाब लगा रहे थे। एक एकड़ गेहूं की खेती के लिए उन्हें 1,200 रुपए खर्चा करना पड़ता है तथा उनकी आय 1,000 रु० से 1,100 रुपये तक है। इस देश में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 10 एकड़ जमीन है। केवल कुछ ही ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से बड़े-बड़े फार्मों के मालिक हैं। अधिकांश किसान आज दुखी हैं और गरीबी की रेखा से नीचे हैं। पिछले दिन प्रधान मंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोग उन वर्गों को भड़का रहे हैं जिन्होंने उनकी सरकार के पक्ष में मत दिये हैं। उन्होंने हरिजनों, स्त्रियों और अल्प संख्यकों का उल्लेख किया है। हां आज यह तथ्य है कि ये वही ग्रामीण लोग हैं जिन्होंने सत्ताधारी दल को समर्थन दिया है। ये वही लोग हैं जो सबसे अधिक पीड़ित हैं। उनके बच्चों को क्या मिल रहा है। इन्हें एक दूध का प्याला और एक गिलास सरबत के लिए चीनी तक भी नहीं मिलती है। दूध की बात छोड़िए यह स्थिति है। बेरोजगारों ने अपना समर्थन दिया है ? उनके लिए क्या किया जा रहा है ? क्या इन्हें नौकरियां मिल रही हैं ? उन्हें लाठियां और जेल मिल रही है। कुछ समय के लिए उन्हें लाठियां और जेल दीजिए किन्तु वह समय आयेगा जब वे 36 खड़े होंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार उनकी शिकायतों पर कार्यवाही करती है और सामाजिक-आर्थिक सुधार करती है अथवा सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे कई सरकारों ने घुटने टेके हैं (व्यवधान)।

सभापति महोदय : आपके दल को आप सहित 14 मिनट दिये गये हैं। (व्यवधान)।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं समझता हूं यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। (व्यवधान)।

सभापति महोदय : मुझे अपने कर्त्तव्य की जानकारी है किन्तु मुझे यह एक विनम्र तरीके से निभाना है।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, वित्त मन्त्री ने उल्लेख किया है कि माननीय सदस्य प्रधान मंत्री की इस बात को समझने की कृपा करें कि आज समस्त संसार पीड़ित है और आज मुद्रास्फीति विश्वभर में व्याप्त है। हां मैं मानता हूं कि मुद्रास्फीति एक विश्व व्यापी घटना है, किन्तु क्या इसे रोकने के लिए हमें कदम नहीं उठाने चाहिए ? पिछले दिन ही चेकोस्वाकिया के हमारे अतिथि एवं माननीय अध्यक्ष ने—आप भी उपस्थित थे—जिक्र किया था कि उनके देश में गत 10 वर्षों में मूल्यों में केवल छः प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वे क्या कदम उठा रहे हैं। ठीक है तेल के शिकायत से अन्य वस्तुओं के आयात से मुद्रास्फीति हो रही है। मुद्रास्फीति हो रही। क्या मैं जान सकता हूं, और मुझे यह पूछने का अधिकार भी—है कि इन तेल उत्पादों को बड़े पैमाने पर आयात करने के लिए सरकार को क्यों आवश्यक कदम उठाने चाहिए ? हमें वे वस्तुएं क्यों आयात करनी चाहिए जिनका हम अपने ही देश में क्षमता का 34% उद्योग कर उत्पादन कर सकते हैं ? इस्पात में क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। कोयले के उत्पादन में हम असफल रहे हैं। ऊर्जा के मामले में हम असफल रहे हैं। सभी क्षेत्रों में असफलता ही रही है। इस सरकार के लिए तथा इस देश के लिए यह शर्म की बात है कि हम ऐसी स्थिति में आ पहुंचे हैं जब हमें सीमेंट का आयात करना पड़ रहा है जिसके लिए हमारे देश में काफी क्षमता है।

गत फरवरी से प्रत्येक महीने 5 अंकों की वृद्धि हुई है और सितम्बर में 1960 को आधार वर्ष लेकर सूचकांक 400 का अंक पार कर गये हैं आपके अनुमानों के अनुसार मुद्रास्फीति 20 प्रतिशत है किन्तु आम आदमी के उपयोग भिन्न-भिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 50 प्रतिशत से 400 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। हम सभी जानते हैं कि आधे से अधिक आबादी गरीबी की रेखा से नीचे है। यदि सरकार वही आर्थिक नीति अपनाती है तो इस देश में दो तिहाई आबादी गरीबी की रेखा से नीचे हो जाएगी। अतः मैं इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि सरकार को उस समस्त आबादी को, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाना चाहिए और इस दिशा में व्यापक कार्यवाही करनी चाहिए। इसे न केवल एक अग्निशमक तंत्र के रूप में ही होना चाहिए किन्तु इसे हमारी व्यवस्था का तब तक एक स्थायी ढांचा बना रहना चाहिए जब तक देश गरीबी की स्थिति से ऊपर नहीं उठ जाता है। दूसरी बात यह है कि सरकार की एक उचित मूल्य नीति होनी चाहिए और औद्योगिक कृषि उत्पादों तथा हस्तशिल्प और छोटे पैमाने के उद्योगों से उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों में समता होनी चाहिए। यदि उत्पादन में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है तो उत्पादकों को अपने उत्पादों के मूल्य में वृद्धि मिलनी चाहिए। जिस तेल की कीमत बढ़ती है या बिजली की लागत में वृद्धि होती है अथवा कोयले के मूल्य बढ़ते हैं तो उत्पादों के मूल्यों में भी तदनुसार वृद्धि होनी चाहिए। साथ ही सभी बिचौलियों को समाप्त करना चाहिए जैसा कि श्री भगत ने कहा है कि बिचौलियों का लाभ 33 प्रतिशत से 300 प्रतिशत हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे यह देश सहन नहीं कर सकता है। अब समय आ गया है जब सरकार को हमारे आर्थिक ढांचे से बिचौलियों को पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए।

बड़े उद्योगों के उत्पादन का पूरी तरह से अधिग्रहण किया जाना चाहिए और इसका वितरण उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से होना चाहिए। इस देश में हमने देखा है कि बड़े उद्योगों की अपनी समानान्तर वितरण प्रणाली है। सारा का सारा काम उनके अपने निकट सम्बन्धियों को जाता है और सरकार निस्सहाय हो जाती है। सरकार को इस मामले में कड़े उपाय करने चाहिए।

मूल्यों में अनुचित वृद्धि का एक गम्भीर कारण गलत स्रोतों से चन्दा इकठ्ठा करना है। आप चुनावों में बड़े उद्योगों और चोर बाजारी करने वालों से चन्दा इकठ्ठा करते हैं अतः आप उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते। इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस सम्बंध में उचित कानून बने और बेईमान व्यापारियों से रुपया इकठ्ठा न किया जाये। यह समय आ गया है कि संसद भी यह सुनिश्चित करे कि काले धन का चुनावों के लिए उपयोग न किया जाए।

उत्पादन में वृद्धि करने के लिए और अच्छा वातावरण बनाया जाना चाहिए और

सरकार को श्रम संगठनों, व्यापारिक संगठनों तथा विपक्ष के नेताओं के साथ बात चीत आरम्भ करनी चाहिए और एक उचित मूल्य नीति बनानी चाहिए।

सरकार को तस्करों, जमाखोरों और चोरबाजारी करने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

अन्त में सरकार को एक राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की स्थापना करने पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए जिसमें देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और आयोजक होने चाहिए और उन्हें ऐसे सुझाव देने चाहिए जिन्हें सरकार को मतैक्य के आधार पर स्वीकार करना चाहिए। यदि सरकार वास्तव में कई राष्ट्रीय प्रश्नों पर मतैक्य प्राप्त कर सकती है तो सरकार को विकास, योजना और संसाधनों के प्रश्न पर एक राष्ट्रीय मतैक्य बनाने के लिए क्यों प्रयास नहीं करने चाहिए ? यदि सरकार इस बारे में काफी गम्भीर और ईमानदार है तो उन्हें इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। सरकार को इन बातों में ढील नहीं देनी चाहिए। सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि सशक्त विपक्ष नहीं है और चूंकि विपक्ष अपने आपस में विभक्त है और कोई राष्ट्रीय विकल्प नहीं है अतः उन्हें अपनी इच्छानुसार काम करना चाहिए। भारत के लोगों ने काफी राजनीतिक परिपक्वता और बुद्धिमत्ता दिखाई है। यदि सरकार इस मूल राष्ट्रीय प्रश्न पर सोती रहे तो इससे न केवल वह अपने दल के साथ ही खिलवाड़ करेंगे किन्तु वे इस देश के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करेंगे। अब समय आगया है जब सरकार को देश की सामाजिक-आर्थिक नीतियों को पूर्णतः नई दिशा देनी चाहिए। प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाना चाहिए और देश के गरीब लोगों की प्राथमिकताओं के पुनः निर्धारण में अपनी भूमिका होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अन्त में यही कहूंगा कि सरकार वास्तव में आलोचना की पात्र है क्योंकि वह इस देश में आम-आदमी की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरी तरह से असफल रही है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : महोदय, देश में मूल्यवृद्धि के कारण देश वासियों को बड़ी कठिनाई हुई है। चूंकि हमारे पक्ष के लोगों का जनता के साथ निरन्तर सम्पर्क है, अतः हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि बार बार लोगों की कठिनाइयों को सरकार के ध्यान में लाया जाये। अतः यह भी हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम यह सुनिश्चित करें कि सरकार इस मूल्यवृद्धि का सामना करने के लिए कारगर उपाय करें जो पिछली सरकार के समय से चली आ रही है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हमारी सरकार ने मूल्यवृद्धि को रोकने के काम को सर्वाधिक प्राथमिकता दी है।

मैं समझ रहा था कि दूसरे पक्ष के वक्ता जिन्होने इस प्रस्ताव की पहल की थी, इस मामले में जो कि एक राष्ट्रीय प्रश्न है राजनीति नहीं लायेंगे। किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि वे इसमें राजनीति लाये हैं और वे समझते हैं कि इसी कारण मूल्यों में वृद्धि हो रही है।

मैं सभा के समक्ष सरकार के उन अच्छे प्रयत्नों का उल्लेख करना चाहता हूं जो इस सम्बन्ध में किये गये हैं। 25 अक्तूबर को समाप्त हुए सप्ताह में थोक मूल्यों में 1.2 प्रतिशत कमी आई है जिससे सरकारी मूल्य सूचकांकों में 265.7 से घटकर 262.5 पर आ गये।

यहां अभी-अभी हमें बताया गया कि आज आपात स्थिति पूर्व की मुद्रास्फीति की प्रवृति है और इसलिए कुछ आरहा है। प्रो० दण्डवते ने मूल्यवृद्धि का उल्लेख किया है और उन्होंने आशंका व्यक्त की कि आपात स्थिति आ रही है। उनका पूरा प्रयत्न यह कहने का था कि मूल्यवृद्धि और मुद्रास्फीति हुई है अतः आपातस्थिति आ रही है। वे लोगों को गत दस महीनों से यह बताते आ रहे हैं। किन्तु इसमें कभी भी सफलता नहीं मिली क्योंकि इस देश के लोग समझदार तथा राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व हैं और वे हमारे विपक्ष के मित्रों के बहकावे में नहीं आना चाहते हैं।

कुछ दिन पहले सरकार ने सभा को सूचित किया था कि मूल्य वृद्धि रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। 1979-80 में विभिन्न राज्य सरकारों ने 3.65 लाख टन आयातित खाद्य तेल सार्वजनिक वित्तरण प्रणाली द्वारा वितरित किये जाने के लिए उठाया जबकि उससे पहले वर्ष के दौरान 93,000 टन तेल उठाया गया। हमारी जो भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकसित हुई थी, वह पिछले 2 1/2 वर्षों के दौरान विफल हुई और एक तरह से अस्त-व्यस्त ही हुई। जनवरी से ही उस सार्वजनिकवितरण प्रणाली को सक्रिय बनाया गया और अप्रैल 1980 से यह प्रभावशाली होनी शुरू हुई।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1979-80 में खाद्यान्न उत्पादन में भारी गिरावट, जो घटकर 11 करोड़ 60 लाख रह गया, के बावजूद भी खाद्यान्न के मूल्य नहीं बढ़े जैसे कि पहले बढ़ा करते थे। यह एक अच्छा लक्षण है। सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार कितना भी हो, इसे विभिन्न राज्यों के दूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाया जाये।

यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को वितरित अनिवार्य वस्तुओं, चाहे चीनी हो, चाहे चावल, चाहे मिट्टी का तेल अथवा पैट्रोलियम उत्पाद को देखें और जनवरी से नवम्बर 1979 के आंकड़ों की तुलना जनवरी से नवम्बर 1980 के आंकड़ों से करें तो आपको पता चलेगा कि पहले वर्ष की तुलना में 1980 में राज्य सरकारों को अनिवार्य वस्तुएं अधिक मात्रा में वितरित की गयीं।

हम जानते हैं कि मूल्य वृद्धि को केवल केन्द्रीय सरकार ही नहीं रोक सकती। वह कौन सी ऐजेन्सी है जो उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाती है? यह एजेन्सी राज्य सरकार ही है। जितनी भी लेवी चीनी परचून द्वारा वितरित करने के लिए राज्य सरकारों को आवंटित की जाती है, वह सब मेरे अनुभव के अनुसार असली उपभोक्ता तक नहीं पहुंचती इसके कुछ भाग को काले बाजार में 9 अथवा 10 रुपये प्रति किलो बेचा जाता है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार के कहे अनुसार ग्राम समितियां बनायी जा रही हैं, फिर भी होता यह है कि.

ग्राम समिति के सदस्य यह प्रमाणित करते हैं कि उन्होंने 20 क्विंटल चीनी ली है और उसे पंचायत के अन्दर बेचा है जबकि केवल 6 क्विंटल चीनी ही वितरित की जाती है। शेष 14 क्विंटल काले बाजार में बेची जाती है। इस बात को कौन सुनिश्चित करेगा कि वितरण उचित ढंग से हो। (व्यवधान)।

प्रो० दण्डवते मुद्रास्फीति की दर का उल्लेख कर रहे थे और कुछ आंकड़े भी उद्धृत कर रहे थे। मेरे विचार में आंकड़े विभिन्न सदस्यों के लिखे विभिन्न नहीं हैं।

सभापति महोदय : चाहे आप उद्धृत करें या कोई और सदस्य करे, स्रोत और तथ्य वही हैं।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, 25 अक्टूबर, 1980 तक रिजर्व बैंक बुलेटीन के अनुसार मुद्रास्फीति की दर 13.2 प्रतिशत रही। लेकिन माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह 18 प्रतिशत है। मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने ये आंकड़े कहां से लिये हैं। 13.2 के ये आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 2.4 कम है। अतः आज मुद्रास्फीति की दर बहुत कम है। थोक मूल्य सूचकांक में 13.2 की कुल वृद्धि में से भी 5 प्रतिशत वृद्धि चीनी खंडसारी और गुड़ के मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई हैं। अप्रैल 1980 में चावल का मूल्य सूचकांक 195.5 था और अक्टूबर में यह बढ़कर 206.7 हो गया, गेहूं के मामले में इसी अवधि में यह मूल्य सूचकांक 159 से बढ़कर 179.6 हो गया। लेकिन खंडसारी के मामले में यह 320.2 से बढ़कर 473.4 हो गया और गुड़ के मामले में मूल्य सूचकांक 332.4 से बढ़कर 585.9 हो गया। इस तरह चीनी, गुड़ और खंडसारी इन तीन वस्तुओं के मामले में मूल्य सूचकांक तेजी से बढ़ा और मुझे आशा है कि सरकार इस बात का विशेष ध्यान रखेगी कि इस वृद्धि को कैसे रोका जाये।

यहां मैं सभा तथा सरकार के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं यह बात एक तरह से आश्चर्यजनक है कि हमारे मित्र यहां कहते हैं कि ठीक है, हमें मूल्य रोकने पड़ेंगे। लेकिन और जगह जाकर वे कहते हैं—आप अन्य चीजों के मूल्य में वृद्धि की मांग करते हैं। ये दोनों बातें कैसे साथ-साथ चल सकती हैं? आप जानते हैं कि पैट्रोलियम उत्पादों के आयात हेतु लगभग 5000 करोड़ रुपए व्यय किए जाते हैं। इससे परिवहन लागत में भी वृद्धि होती है। अब यदि आप नेपाल जायें तो देखें कि वहां चीनी का विक्रय मूल्य क्या है? यदि आप अन्य पड़ोसी देशों में जायें तो देखें कि वहां चीनी का विक्रय मूल्य क्या हैं? ये मूल्य इस देश से अधिक हैं। हमारी चीनी नेपाल और बंगला देश जा रही है। इस देश में उचित दर की दुकानों में उपभोक्ताओं को 2 रुपए 80 पैसे प्रति किलो की दर से चीनी सप्लाई की जाती है। पड़ोसी देशों में मूल्य बहुत अधिक हैं। ऐसा कौन कर रहा है? अतः केन्द्रीय सरकार को यह देखने का कोई अधिकार नहीं कि पश्चिम बंगाल जाने वाली हर उपभोक्ता वस्तु उपभोक्ता तक पहुंचे। यह किस की जिम्मेवारी है? बिहार, केरल अथवा किसी अन्य राज्य को जाने वाली हर

उपभोक्ता वस्तु उपभोक्ता तक पहुंच जानी चाहिए । लेकिन इन बातों का ध्यान कौन रखेगा ? अत. सारी जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार की नहीं होनी चाहिए । जिम्मेवारी केन्द्र और राज्य दोनों के बीच बांटी जानी चाहिए । आज यदि आप मूल्य वृद्धि रोकना चाहें, यदि यह एक राष्ट्रीय समस्या है, राजनैतिक अथवा दलगत समस्या नहीं, तो क्या इसका समाधान इस तरीके से किया जाना चाहिए ? क्या हम इकट्ठे बैठकर इस बारे में मतैक्य नहीं कर सकते ? हमें मूल्य वृद्धि की समस्या को ठोस प्रयत्नों द्वारा हल करना है । यदि आप चीनी कारखाने जाने वाले गन्ने की सप्लाई को अवरुद्ध करते है तो क्या चीनी के मूल्य कम होंगे ? यदि आप प्याज के मूल्य कम करना चाहते हैं और प्याज की गाड़ी नहीं चलती तो क्या मूल्य घट जायेंगे ? मेरे विचार में जो तर्क आप दे रहे हैं वे पूर्णतः परस्पर विरोधी तर्क हैं ।

आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि मध्यप्रदेश सरकार ने पहली नवम्बर से अनिवार्य वस्तुओं की सप्लायी में हुए भ्रष्टाचार के कारण उचित दरों की सभी 22000 दुकानें बन्द कर दी हैं । ये वस्तुएं काले बाजार में बिकी उपभोक्ताओं को नहीं दी गयीं, और मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है ।

"चीनी के भारी संकट के समय भी मध्य प्रदेश में पर्याप्त चीनी उपलब्ध थी और वास्तव में राज्य सरकार की समस्या यह थी कि स्टाक की निकासी कैसे की जाये । लेकिन अभी स्थानीय मार्केट की जांच पड़ताल से पता चला है कि खुले बाजार की चीनी की सभी अधिकृत दुकानों में कोई भी स्टाक नहीं है" ।

और इस तरह उन्हें सभी 22,000 उचित दरों की दुकानों को बंद करना पड़ा और वे अब नई उचित दर की दुकानें खोलने जा रहे हैं । पहली सरकार द्वारा नियुक्त सभी दुकानदार राजनैतिक दृष्टि से नियुक्त किए गए थे और कई मामलों में मैंने देखा है कि लेवी की चीनी काले बाजार में बिक रही है । जब तक हम कम से कम 2000 आबादी के लिए एक वितरण दुकान नहीं खोलते उस समय तक अनिवार्य वस्तुयें उपभोक्ता तक नहीं पहुंचेगी । केन्द्रीय सरकार को एक तरह का नागरिक पूर्ति निगम खोलना चाहिए और इन दुकानों में उपभोक्ताओं को सभी अनिवार्य वस्तुयें उपलब्ध होनी चाहिए ताकि उन्हे चोर बाजार में अधिक पैसा न देना पड़े ।

बहुत से लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला है कि लोग 5 व 10 किलो चीनी नहीं चाहते बल्कि चाहते हैं कि जो कुछ भी केन्द्र की ओर से राज्यों को मिले, वह उपभोक्ता तक पहुंचनी चाहिए । अतः सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी राज्य सरकार को मिले, वह उपभोक्ता तक पहुंचे । यदि देश में चीनी उपलब्ध-नहीं तो आपको 10 रुपए प्रति किलो की दर से कैसे मिलती है ? यद्यपि आप उपभोक्ता को कम मूल्य पर चीनी उपलब्ध करने के लिए 200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय कर रहे हैं, फिर भी यह चीनी उन तक नहीं पहुचती और उपभोक्ता अनुभव करते हैं कि केन्द्र उन्हें चीनी नहीं दे रहा है । अतः इन सब बातों पर विचार करना चाहिए ।

मेरी बात कहां तक ठीक है, यह मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे ज्ञान हुआ है कि 1977-78 में कुल 80 32 लाख टन चीनी उपलब्ध हुई, 1978-79 में 8(-46 लाख टन उपलब्ध हुई और 1979 में अक्तूबर तक 58-63 लाख टन उपलब्ध हुई थी । 1977-78 में घरेलू खपत 45-91 लाख टन थी, 1978-7) में 35-77 लाख टन थी और 1979-80 में 30-40 लाख टन थी । यदि 1979-80 में हमारा स्टाक 58-63 लाख टन था और घरेलु खपत केवल 30-40 लाख टन थी तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों इतनी कमी क्यों है ? अतः इस बात पर भी विचार करना है कि क्या चीनी कारखाने वास्तव में चीनी सप्लाई कर रहे हैं और क्या हमारा चीनी कारखानों पर कोई नियंत्रण है ।

अतः मैं संसद में इस पुरानी मांग को दोहराता हूं कि चीनी कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाये । हमने कांग्रेस अधिवेशन में भी इस बारे में प्रस्ताव पारित किया है और मांग की है कि इतना ही नहीं इसके थोक व्यापार को भी सरकार को अपने अधिकार में लेना चाहिए । अतः मेरी मांग है कि एक नागरिक पूर्ति निगम स्थापित किया जाये और हर 2000 की आबादी के लिए एक वितरण दुकान खोली जाये और जैसे कि संसद में काफी पहले से मांग की जा रही है चीनी कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाये ।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (उदयपुर) : सभापति महोदय, आज सदन में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । प्रोफेसर दंडवते ने जो कुछ कहा है, उसको हम सब ने काफी गौर से सुना है । मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार यह पसंद नहीं करेगी कि कीमतें अंधा-धुंध बढ़ती चली जायें । कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि चीजों का अभाव हो जाये, उसकी वजह से लोगों में नाराजी पैदा हो और कुछ लोगों को उससे लाभ उठाने का मौका मिले । यहां पर बताया गया कि जनता पार्टी के जमाने में कीमतें इतनी नहीं बढ़ीं लेकिन अब कीमतें इतनी बढ़ती चली आ रही हैं । मैं जनता पार्टी के राजनीतिक स्वरूप और दूसरी बातों के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन इन चीजों को मानकर चलना होगा कि जनता पार्टी के हाथ में जब हुकूमत आई तो जो बफर स्टाक फूड-ग्रेन्स का था और साथ-साथ जो दो अच्छे मानसून (वर्षा) के वर्ष रहे वह सारी स्थिति को ठीक हालत में रखने के लिए बहुत बड़े कारण थे । हमारे देश में सब कुछ होते हुए भी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मानसून का असर हमारी सारी आर्थिक स्थिति पर काफी पड़ता है । केवल यही नहीं, बड़े-बड़े विकसित देशों में भी इसका असर पड़े बिना नहीं रहता । इन दिनों हम अखबारों में पढ़ते हैं कि चीन को भी काफी बड़ी मात्रा में खाने की चीजें इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी । हमारे देश में जब हमारी सरकार बनी उस वक्त देश के बड़े भाग में अकाल की स्थिति थी—इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता । साथ ही इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि पहले के मुकाबले में उस समय स्टाक्स कम थे । इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि एक तरफ जहां ड्राउट था वहां दूसरी तरफ लोक दल की सरकार के समय में किसानों को अपना गन्ना खेतों में जलाना पड़ा जिसकी वजह से गन्ने की पैदावार कम हुई और गन्ने की पैदावार कम होने की वजह से शुगर पैदावार पिछले वर्ष से कम हुई । इन हालात से, मैं समझता हूं, इन्कार नहीं किया जा सकता । जब जनता पार्टी

का शासन कायम हुआ था उस वक्त सरकार के पास कितना बफर स्टाक था और जब कांग्रेस (आई) की सरकार आई उस वक्त कितना बफर स्टाक था —इन तथ्यों को दूर रखकर अगर हम कहते हैं कि सरकार की वजह से हालत में परिवर्तन आया तो मै समझता हूं वह गलत होगा। इस तरह से पूर्व भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता है। अगर गन्ने की पैदावार अच्छी होने के बावजूदशुगर की पैदावार न हो तो सरकार को दोषी ठहराया जा सकता है लेकिन अगर किसी वजह से खेतों में गन्ना ही न हो तो शुगर की कम पैदावार के लिए पहले के हालात ही जिम्मेदार होंगे।

०के दण्डवते जी ने कहा कि 1979-80 में, इन्फ्लेशन की शुरूआत हुई और काफी तेजी प्रो साथ बढ़ने लगा। यह सच है कि जब जनता पार्टी का विघटन नहीं हुआ था उस मौके पर जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसका परिणाम यह हुआ कि देश में मंहगाई बढ़ती चली गई। इसकी जिम्मेदारी जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी लोकदल पर डाले या किसी पर डाले लेकिन अन्ततोगत्वा वह बजट ढ़ाई हजार करोड़ के घाटे का साबित हुआ और उसी की वजह से देश में मंहगाई बढ़ी। इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह 14 सौ करोड़ के घाटे का प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूं आज जो वास्तविकता है उससे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता कि क्रूड आयल और केरोसीन जो हम बाहर से मंगाते हैं उसके भावों में जो बढ़ौत्तरी हुई है वह आज की 25 परसेन्ट मंहगाई के लिए जिम्मेदार है और 25 परसेन्ट मंहगाई गुड़, शुगर और खण्डसारी के भाव बढ़ने से बढी है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्टर्नेशनल रीजन्स की वजह से क्रूड आयल के भावों में बढ़ौत्तरी हुई है न कि हमारी सरकार की नीतियों की वजह से। क्या इस बात से इन्कार करके चला जा सकता है कि गुड़, शक्कर और खण्डसारी के अन्दर जो स्थितियां पैदा हुई, वह पिछली सरकार की गलत नीतियों के परिणाम स्वरूप और हमारे यहाँ पर कम पैदावार होने के कारण हुई है। क्या हम इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि ड्राउट के अन्दर पैदावार कम हुई और कम पैदावार होने की वजह से देश के अन्दर भाव बढ़े।

सभापति महोदय, प्रो० दण्डवते जी ने कहा कि पिछले दो-चार हफ्तों के आंकड़ों को सामने रखकर नहीं चलना चाहिए, पुरानी फिगर्स को लेकर चलना चाहिए। वे विद्वान हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले साल का ड्राउट का असर चला आ रहा था, क्या आप चाहते हैं कि ड्राउट के असर वाले पीरियड के भावों को स्थायी मानकर चला जाए और उसके बाद जो ठीक वर्ष शुरू हो रहा है, उसकी वजह से जो मार्केट के ऊपर प्राइसेस में सुधार हो रहा है, उन सुधारों को हम ध्यान में न रखकर चलें। मैं समझता हूं कि अगर उसको मानकर नहीं चलेंगे, ये ड्राउट के परिणाम थे, वे तो पिछले वक्त से रिफ्लैक्ट हो रहे हैं। अभी जो अच्छी वर्षा हुई है, उसकी वजह से कुछ चीजों के भावों में गिरावट आई है। पलसेज के मामले में भी सभी जानते हैं कि कुछ भाव पहले से कम हुए हैं। उसी तरह से कुछ और चीजों में, जैसे खाण्डसारी और गुड़ के दामों में पहले के मुकाबले कुछ कमी हुई है। अभी तो एक ट्रेंड शुरू हुआ है और उसके बाद परिणाम सामने आयेंगे, इसलिए इन सब चीजों को दिमाग से हटाकर हम नहीं चल सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कहा गया कि हमारे देश के अन्दर ब्लैक-मार्केटीयर्स हैं और मुन फाखोरी हैं, उनको सख्ती से क्यों नहीं रोका जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी स्टेट्स के अन्दर कांग्रेस की सरकार को आए सिर्फ छः महीने हुए हैं, लेकिन वैस्ट बंगाल में और केरल में जहां काफी अरसे से सी० पी० एम० की सरकार है और जहां काफी ब्लैक मार्केटीयर्स के खिलाफ भाषण होते हैं, क्या वहां का प्राइस बहुत नीचे आ गई हैं, और दूसरी जगहों की प्राइसेस बहुत ऊंची है (व्यवधान)···वहां पर कितने ब्लैक-मार्केटीयर्स के खिलाफ कार्यवाही करके वहां की हालत को सुधार लिया गया है ? यदि वहां की हालत को नहीं सुधारा गया है, तो सिर्फ कांग्रेस की सरकार ही दोषी नहीं है। मान लीजिए आज दूसरे स्टेट्स के अन्दर मंहगाई है, तो क्या वहां पर सस्ताई हो गई है।

आज इन्फ्रास्ट्रक्टर के बारे में चर्चा की जाती है, पावर के बारे में चर्चा की जाती है। मैं जानता हूं कि आज कलकत्ता में और बंगाल के अन्दर जो पावर की स्थिति है, उसके मुकाबले में दूसरी स्टेट्स के अन्दर कुछ ज्यादा ही ठीक हालत है। इसलिए मैं कहता हूं कि वे यह कह कर नहीं चल सकते हैं कि बंगाल के अन्दर दूसरी पार्टियों की सरकार होने की वजह से आपने बहुत तरक्की कर दी है। आप तो पब्लिक सैक्टर को मानने वाले हैं और वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर भी है यहां पर बिजली का उत्पादन ठीक तरह से नहीं हो पाता है और रात को लोगों को सड़कों पर पंखा लेकर घूमना पड़ता है तथा अंधेरे में बैठना पड़ता है, यदि इस तरह के हालात वहां पर हैं तो आज दूसरों को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन असलियत को जब फेस करने का सवाल आता है, तब चाहे लोकदल की सरकार जिस वक्त थी, उस मौके पर और चाहे आज के दिन कम्यूनिस्ट की सरकार बंगाल और केरल के अन्दर बैठी हैं, उसको वास्तविकता को सामने रखकर चलना चाहिए। हमारे माननीय सदस्य श्री चन्द्रजीत यादव ने कहा कि इसको राजनीतिक प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। मैं तो यह देख रहा हूं कि विरोधी पार्टियां टूट गई हैं, तो उनके सामने यही मुख्य राजनीतिक प्रश्न हो गया है कि कहीं प्राइसेस के मामले में आन्दोलन करो, तो कहीं प्राइसेस बढ़वाने के लिए आन्दोलन करो। दो तरह के आन्दोलन और दोनों कन्ट्राडिक्टरी बातें। एक बात नहीं की जाती ताकि एक तरफ होकर चलें। एक तरफ फिगर दी जा रही है कि पिछली दिवाली पर शक्कर का भाव क्या था और दूसरी तरफ गन्ने का ज्यादा भाव मांगा जा रहा है। मैं श्री चन्द्रजीत यादव जी से पूछना चाहता हूं, आज गन्ने का जो भाव आप मांग रहे हैं, उसको मान लिया जाय, तो फिर बतलायें की शक्कर का क्या भाव होगा ? इन कन्ट्राडिक्टरी बातों को कहने का एक मकसद है कि जहां भी हमको मालूम पड़े कि फाडर मौजूद है, उसमें फौरन दियासलाई लगा दो, जिससे आग लग जाय, ताकि हम कह सकें कि यह सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, कहीं पर स्ट्राइक हो रही है, कहीं पर लाक-आउट हो रहा है, कहीं मंहगाई के खिलाफ आन्दोलन हो रहा है और कहीं पर कीमतें बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं इस बात को मानने वाला हूं कि किसान को उसकी पैदावार का उचित मूल्य मिलना चाहिये, उसके लिये इनपुट्स की बात यहां पर कई दफा कही गई है। मैंने इस बात को भी कहा था कि रिजर्व बैंक के चपरासी को किसान के मुकाबले, जो खेतों में मेहनत करता है,

ज्यादा मिलता हैं। यह स्थिति बदलनी चाहिये। यह स्थिति इस देश के लिये वाजिब नहीं हैं। इस के लिये हम सब मिलकर क्या बैठकर विचार नहीं कर सकते हैं. बल्कि ज्यादा अच्छा यह होगा कि सरकार एग्रीकल्चर प्राइस पालिसी पर विचार करने के लिये कोई हाइ-पावर्ड कमीशन बैठाये। वह कमीशन इन तमाम चीजों के बारे में गहराई से विचार करे और हर आस्पैक्ट पर विचार करके भाव निर्धारित करे। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि प्रश्न किसी एक वस्तु का नहीं है आज हम यदि गन्ने का भाव 30 रुपये क्विंटल कर दें तो स्वाभाविक है उसका असर दूसरी वस्तुओं की पैदावार पर पड़ेगा, उपज में डाइवर्शन हो जायगा, व्हीट की प्रोडक्शन कम हो जायगी, राइस की प्रोडक्शन कम हो जायगी। हमने देखा है कि जिस कमोडिटी की प्राइस ऊंची जाती है किसान उसी कमोडिटी को बोने लगते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि दूसरी चीजों की शार्टेज हो जाती है।

सभापति महोदय, आप गावों की हालत को जानते हैं। आज हिन्दुस्तान में दालों की कमी क्यों हैं ? कमी इसलिये है कि पैदा करने वाले किसान को उसका उचित दाम नहीं मिलता, क्योंकि यह ड्राई एरिये की क्राप है। इसलिये किसान काटन की पैदावार की तरफ जाता है या किसी दूसरी क्राप की तरफ जाता है, क्योंकि उसको दूसरी क्राप में ज्यादा पैसा मिलता दिखाई देता है। मैंने अपनी आखों से देखा है। पहले किसान उड़द और मूंग बोया करते थे, लेकिन आज मक्का बोना पसन्द करते हैं चना बोना पसन्द करते हैं, क्योंकि चने का भाव बहुत ऊंचा चला गया है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन बदले हुए हालात में हमें बैठ कर विचार करना चाहिये और देश के हित में इन तमाम चीजों को हल करने की कोशिश करनी चाहिये। आन्दोलन करने से कीमतें बढेंगी घटेंगी नहीं। आप किसी भी आन्दोलन को ले लीजिये, जहां भी हम आन्दोलन करके स्केयर पैदा करेंगे उसका असर साइक्लिोनिकल होता है, होर्डिग्ज बढ़ने लग जाती है। मैं दुकानदारों की होर्डिग की बात नहीं कहं रहा हूं कन्ज्यूमर होर्डिग बात कह रहा हूं। मार्केट में शक्कर आती है, कमी को देखते हुए हर कन्ज्यूमर की यह इच्छा होती है कि दो-दो किलो शक्कर एक्सट्रा लेकर रखलें-इन्हीं कारणों से मार्केट में शार्टेज हो जाती है और चीजों के दाम बढ़ जाते हैं।

आज मुख्य प्रश्न उत्पादन का है। देश के अन्दर पैदावार को ज्यादा से ज्यादा बढाना है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो एक्स्ट्रा एक्सपेन्डिचर है, वेस्ट-फुल एक्सपेन्डिचर है, उसको रोका जाय और उस धन को उत्पादन की तरफ लगाया जाय। मैंने बजट के मौके पर पहले भी कहा था कि अन-प्रोडक्टिव डेवेलपमेन्टल एक्सपेंडिन्चर को रोकने की जरूरत है, इसलिये कि अन्त में जाकर आपका डेफिसिट फाइनेन्सिग कहीं और ज्यादा न बढ़ जाय। आप स्टेट्स के बजट्स को देखिये — हर तरफ डेफिसिट फाइनेन्सिग है, ओवर-ड्राफ्टस बढ़ते जा रहे हैं। इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए तथा डेफिसिट ज्यादा न बढ़े और प्राइसेज पर उसका असर न पड़े, आज जब नई पैदावार सामने आ रही है हमें थोड़ा सतर्क हो कर विचार करना चाहिए कि हम उन की प्राइसेज को कैसे ठीक रख सकते हैं।

आज ब्लैक मनी कैसे जेनरेट हो रही है ? आप सीमेंट को लीजिये, पूरी सीमेंट इण्डस्ट्री कन्ट्रोल्ड है, फिर भी सीमेंट मार्केट में 80 रुपए बोरे पर ब्लैक में मिलता है। कैसे मिलता है,

कहां से आता है ? कई जगह पी० डब्लू० डी० कन्ट्रोल्ड रेट पर सरकारी काम पूरा करने के लिए कान्टेक्टर्स को सीमेंट देती है और वह सीमेंट उन कान्ट्रेक्टर्स के जरिये बाजार में चला जाता है । उसी तरह से कुछ इंडस्ट्री वाले, जो सीमेंट ले लेते हैं और सीमेंट से पाईप्स या पोल्स या दूसरी चीजें बनाते हैं उनको बनाने से जो उनको मुनाफा मिलता है उससे ज्यादा सीमेंट को ब्लैक मार्केट में बेचने से मिल जाता है । इसलिए वे उसको ब्लैक में बेच देते हैं । इसलिए यह देखने की जरूरत है कि जितना आप सीमेंट एलाट कर रहे हैं, उसका प्रापर यूटीलाइजेशन हो रहा है या नहीं । मै तो यह कहूंगा कि अगर जरूरत हो, तो गवर्नमेंट के एलाटमेंट को भी कम कर दीजिए और मार्केट के अन्दर यह ज्यादा आ जाये, जिस की वजह से यह ब्लैक मार्केटिंग का काम न हो सके और लोगों को आसानी के साथ यह चीज मिल सके । इसकी सख्त आवश्यकता है ।

साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा, कृषि मंत्री जी इस समय यहां पर नहीं हैं, कि चावल के मामले में, गेहूं के मामले में और कुछ आयलसीड्स के मामले में तो काफी नये तरीके के बीज और बहुत सी चीजों के निकाले गये हैं लेकिन पलसेज के मामले में कोई ब्रेक्थ्रू जिसको कहना चाहिए या ग्रीन रेवोलूशन की बात कहनी चाहिए, वह हम ज्यादा नहीं कर पाये हैं । इस चीज को भी ध्यान में रख कर चलना चाहिए ।

एक बात और कहूंगा और वित्त मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखें । भाखड़ा के अन्दर, चम्बल के अन्दर, पौंग डेम के अन्दर इस साल पानी कम है और पानी की कमी की वजह से जो गेहूं बोया जाता है, वह इस बार कम बोया जायेगा और वहां पर लोग-बाग गेहूं नहीं बल्कि सरसों बोएगें क्योंकि सरसों की कीमत ज्यादा है । आपके पास गेहूं का बफर स्टाक पहले के मुकाबले में कम हो चुका है और अगले महीने जो प्राइस आप तय करें, वह बहुत सोच समझ कर करें कि कितना प्रोक्योरमेंट कर पायेंगे या नहीं कर पायेंगे । कहीं ऐसा न हो कि डीजल की प्राइसेज के साथ गेहूं की प्राइसेज भी एस्कालेट करने लगें । एक बार गेहूं की प्राइस बढ़ जाती है, तो उसका असर अपने आप दूसरे सीरियल्स और पलसेज के ऊपर भी पड़ेगा । इसलिए वक्त से चेतने की जरूरत है । इसी तरह से चने की पैदावार कम होगी । ड्राई बेल्ट के अन्दर, राजस्थान के अन्दर और हरियाणा के लाखों बीघा जमीन में सितम्बर और अक्तूबर के महीनों में वारिष की वजह से मौआस्चर हो जाता था और उस मौआस्चर में चना पैदा किया जाता था । इस साल वहां पर हल नहीं चल पाए हैं । वहां पर जबदर्स्त ड्राऊट और ड्राऊट है होने की बजह से चने के भावों में बढ़ोतरी हो रही है । व्यापारियों ने आने वाले सीजन को देखते हुए कि चने के कम होने के आसार हैं, अपना काम शुरू कर दिया है और इन सब चीजों का ध्यान रखा है । मैं यह कहूंगा कि आप भी इस तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और देखें कि गेहूं की कीमत न बढ़ जाये और गेहूं तथा दूसरी चीजें लोगों को आसानी से मिलती रहें, इसके लिए अभी से कदम उठाएं ।

एक तरफ आसाम के एजीटेशन की बजह से आयल में डिफीकल्टी पैदा हो रही है और विदेशों से लाने में भी मुश्किलें हैं । मैं समझता हूं कि वक्त आया है कि कुछ ऐसा मालूम पड़े कि इस

के मामले में आस्टेरिटी मैजर्स सख्ती साथ लिए जा रहे हैं। अभी तो ऐसा मालूम होता है जैसे की बहुतायत, है सिवाय इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए और दूसरी ऐसी चीजों के लिए। कार दूसरी लक्सजरी/ट्रिप्स. हों, उनके अन्दर चाहे जिस तरह से लोग घूमते है, जब तक पेट्रोल पर पेट्रोल मिलना बन्द न हो जाए या डीजल पम्प पर डीजल मिलना बन्द न हो जाए। लेकि अब प्रोयरटी इस बात को दी जानी चाहिए कि किसानों की जरूरतें पूरी हों और उनको पर डीजल मिलता रहे ताकि उनको इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके।

अभी यहां कहा गया कि अन्त्योदय की योजनाओं को बन्द कर दिया गया है। मैं निवे करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने जो भाषण दिया था उस में 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम के बारे में गया है कि हमारी नीति, हमारा आधार वह होगा। असल में अन्त्योदय प्रोग्राम 20 प्वा प्रोग्राम का एक अंग मात्र है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है।

यहां पर अभी यह भी जिक्र किया गया है कि सिर्फ हाऊस के अन्दर वेटिल नहीं जाएगी, जरूरत पड़ी तो खेतों और कारखानों के अन्दर भी वेटिल लड़ी जाएगी। मैं समझता हूं इस आधार को छोड़ देना चाहिए। इस भाषा में बात करने से कोई लाभ नहीं होता अगले चुनाव के मौके पर जो हालात हों उनका लाभ वे उठा सकते हैं लेकिन इस बीच असंतोष पैदा करने का तरीका अगर अपनाया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि देश के अन्दर के पैदा हो जाएगा और कोई दूसरा फायदा नहीं होने वाला है। मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष लोगों को यह मानना चाहिए कि आज के जो हालात हैं उनमें सुझाव दें और क्रिटीसाइज करे इ मैं बुरा नहीं मानता लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि यह मानकर चलना होगा कि अगर के हालात को कोई ठीक कर सकेगा तो वह कांग्रेस (आई) है या इन्दिरा गांधी जी ठीक सकेंगी और कोई ठीक नहीं कर सकेगा। यह तथ्य है। मैं किसी वजह से यह नहीं कहता हूं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पांच वर्ष तक कोई चुनाव नहीं होने वाले हैं।

मोरारजी भाई के कह देने से कि सालभर में सरकार टूटेगी और चुनाव हो जाएगा, वह वाला नहीं हैं। यह आत्म-संतोष की बात हो सकती है आत्म-संतोष करके बैठ सकते हैं कि सा में मौका आने वाला है। पांच वर्ष तक कौन हल करेगा ? कौन ठीक करके चलेगा ? यह सं करके मत चलिए कि जनता पार्टी की तरह यह पार्टी टूट जायेगी और बीच में ही चुनाव मौका मिल जाएगा, इस मुगालते में न रहिए। बजाए इसके कि आज जो आंदोलन छेड़े जा हैं चाहे असम आंदोलन हो, चाहे गन्ने वालो का हो, कोई हड़ताल का मामला हो, चाहे प्रा का मामला हो, हर आंदोलन में कूदने के बजाए कंस्ट्रक्टिव तरीके से, सहयोग की भावना काम लें।

इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय : श्री समर मुखर्जी, मैं समय पर पाबन्दी लगाना चाहूंगा। च आपही एक मात्र वक्ता हैं इसलिए आपको चौदह मिनट का समय दिया जा सकता है।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : आपने बोलने वालों की संख्या गिन ली है मुझे चौदह मिनट दिए हैं। दूसरों के लिए आपने ऐसा नहीं किया।

सभापति महोदय : दल के लिए समय आवन्टित होता है।

श्री समर मुखर्जी : यह एक बहुत गम्भीर विषय है। इसलिए इस पर गम्भीरता पूर्वक चर्चा करनी आवश्यक है। सभी सदस्यों को विभिन्न दलों के विचारों को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। मूल्य-वृद्धि के प्रश्न का अलग से विचार नहीं किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था का संकट, में सम्बोधित कर रहा हूं —(व्यवधान)।

सभापति महोदय : अध्यक्ष पीठ के माध्यम से।

श्री समर मुखर्जी : मैं हमेशा अध्यक्ष पीठ के माध्यम से ही बोलता रहा हूं। इसका यह अर्थ नहीं है कि चेहरा सदा आपकी ओर रहे। चेहरा दूसरों की ओर भी घूम सकता है।

सभापति महोदय : आप ऊपर भी देख सकते हैं।

श्री समर मुखर्जी : जी हां, श्रीमान, इस समय हम एक गम्भीर आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं। यह केवल मूल्यों में वृद्धि का प्रश्न नहीं है, यद्यपि आज की चर्चा का विषय 'मूल्यों में वृद्धि' है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार करना चाहिए। यदि आप वास्तव में अर्थव्यवस्था में मोड़ लाना चाहते हैं तो आपको उन मूल कारणों का भी गहराई से विश्लेषण करना होगा जिनके कारण यह वर्तमान स्थिति पैदा हुई है।

हमारे देश को स्वतन्त्र हुए तेंतीस से भी अधिक वर्ष हो चुके हैं और हम दावा कर रहे हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था का योजनाओं के माध्यम से निर्माण कर रहे हैं। यह नियोजित अर्थव्यवस्था द्वारा किया जा रहा है। पांच पंचवर्षीय योजनाओं का परिणाम देखिए। अब हम छटी पंचवर्षीय योजना में प्रवेश कर रहे हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था के परिणामस्वरूप ही गरीब और गरीब हो गया है तथा अमीर और अधिक अमीर हो गया है। धन कुछ ही लोगों के हाथों में केन्द्रित हो गया है। यह अर्थव्यवस्था है जिसका हम निर्माण कर रहे हैं। आपकी विषयगत इच्छा चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था ने एकाधिकार घरानों, काला बाजारी करने वालों तथा शोषण करने वाले वर्गों को मजबूत किया है। अगर उद्देश्य की दृष्टि से इसका विश्लेषण किया जाये तो मालूम होगा कि यह सरकार इन वर्गों के हाथों में एक तंत्र है, जोकि इस सरकार की सारी नीतियों तथा आर्थिक योजनाओं का अपने हितों में वृद्धि के लिये उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार धन कुछ ही लोगों के हाथों में केन्द्रित हो गया है। यह बुनियादी स्थिति है। ऐसा क्यों है ? यह इसलिए है क्योंकि हमारी सरकार एक पूंजी बादी अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रही है। इसके परिणामस्वरूप ही कुछ औद्योगिक घराने एकाधिकार घरानों के रूप में पनप गए हैं तथा व्यापारी और जमाखोरी करने वाले भी एकाधिकार व्यापारी तथा जमाखोर बन गए हैं।

मूल्यों में उतार-चढ़ाव करने के लिए वे इतने शक्तिशाली हो गये हैं कि वे मंत्रियों से भी अधिक शक्ति रखते हैं। वे मंत्रियों राजनीतिकों तथा विभागीय प्रमुखों को खरीद सकते हैं। अभी-अभी श्री पाणिग्रही ने बताया है कि मध्य प्रदेश में बाईस हजार राशन की दुकानों को बंद करना पड़ा है क्यों कि जो चीनी इन दुकानों को आवंटित की गई थी वह सारी की सारी काले बाजार में चली गई है। इसमें ऐसा कोई सम्पर्क है जिसके जरिए वस्तुएं काले बाजार में जा रही है जिससे लाभ कमाया जा रहा है जोकि पूजीपतियों का एक प्रमुख उद्देश्य है। पूंजीवादी समाज में वस्तुओं का उत्पादन लाभ कमाने के लिए किया जाता है, तथा वितरण से भी लाभ कमाया जाता है अतः एकमात्र उद्देश्य स्वयं पर केन्द्रित रहना है तथा राष्ट्र और जनता के बारे में कोई भी नहीं सोचता है इसलिए आज की परिस्थितियों में यह पूंजीवादी प्रणाली पूर्णतः पुरानी पड़ गई है। इसलिए एक नई प्रणाली आ रही है। यह हमारे देश के दरवाजों को खटखटा रही है, कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी प्रतिलक्षित की गई है। समाजवादी प्रणाली की सर्वोच्चतम तथ्यों द्वारा स्थापित की गई है। इन देशों में मुद्रा प्रसार नहीं है। यहां पर मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है तथा बेरोजगारी और गरीबी भी नहीं हैं। (व्यवधान)।

प्रतिकूल बात यह है कि कांग्रेस (आई) ने समाजवाद को अपना उद्देश्य स्वीकार किया है, लेकिन उनके कार्य समाज-विरोधी है तथा वे पूंजी वादी देशों का अनुसरण कर रहे है। यह प्रतिकूल बात है। हमारे संविधान के निदेशक तत्वों में वह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आय की असमानताओं को कम किया जाना चाहिये। सरकारी नीति इस प्रकार की तैयार की जानी चाहिये जिससे लोग अपनी जीविका मजदूरी प्राप्त कर सकें तथा काम का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन पिछले तैंतीस वर्षों में हमने जो आर्थिक नीति अपनाई है उससे प्रतिकूल परिणाम ही प्राप्त हुए हैं बेरोजगारी में अत्यधिक वृद्धि हुई है गरीबी बढ़ रही है। कुछ ही लोगों के हाथों में धन केन्द्रित होता जा रहा है अतः हम यह देखते हैं। कि काला-बाजारी करने वालों, जमाखोर तथा एकाधिकार रखने वाले व्यक्तियों का प्रशासन, सरकार, मंत्रियों तथा राजनीतिज्ञों पर जबरदस्त प्रभाव है। राजनीति को इतना गिरा दिया गया है, कि संसद सदस्यों, तथा विधान सभा के सदस्यों को खरीदा जा सकता है। यह एक बहुत ही गभीर मामला है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : आपको किसने खरीदा है ?

श्री समर मुखर्जी : मुझे मजदूर वर्ग तथा समाज वादी सिद्धान्त ने खरीद लिया है मैं यह देखने के लिये अन्त तक लड़ता रहूंगा कि यह देश एक समाजवादी देश बने जिसमें गरीबी न हो तथा शोषण न हो।

महोदय, यह मूल्य वृद्धि क्यों है ? प्रो० मधु दण्डवते ने कहा है कि इसका एक प्रमुख कारण घाटे की वित्त व्यवस्था है। सही है। यह घाटे की वित्त व्यवस्था क्यों है ? यह इसलिये है क्योंकि सरकार के पास अपने खर्चों को पूरा करने के लिये संसाधन नहीं हैं। संसाधन क्यों नहीं है ? क्योंकि वे एकाधिकार रखने वाले घरानों पर हमला करने में कतराते हैं। उनकी नीति क्या है ? सरकार ने बड़े घरानों को करों में रियायतें प्रदान की है क्योंकि सरकार यह सोचती है कि

यदि इन पर अधिक कर लगाया जायेगा तो वे और अधिक कर चोरी करने की कोशिश करेंगे। इसलिये कर को कम करो, कुछ तो मिलेगा। कठोर कानून के होते हुए एकाधिकारी घराने करों की चोरी कैसे करते हैं ? ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि समस्त प्रशासन को, जो कि आय कर कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है, खरीदा जा सकता है। इसलिए वे करों की चोरी कर सकते हैं। यह तो प्रशासन का ही काम है और इस प्रणाली के अधीन हमारा काम-काज चल रहा है। अतः छूट दीजिए, और अधिक से अधिक छूट दीजिए। आप तो एकाधिकार घरानों को अधिकाधिक राहतें दे रहे हैं और यहां तक कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमन्त्रित कर रहे हैं, विश्व बैंक से ऋण भी ले रहे है, तो आप यह कैसे आशा कर सकते हैं कि गरीब आदमी सही और उचित दर पर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त कर सकेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए समय की मांग है कि तुरन्त इस नीति को बदला जाये मैं समयाभाव के कारण इस पर विस्तार से नहीं बोल सकता हूं और यदि मित्र लोग हमें किसी प्रकार के विचार विमर्श के लिए आमन्त्रित करते हैं तो हम अपने विचार रख सकते हैं। आज मैं कोई नया विचार नहीं रख रहा हूं। हम बार-बार हम यही मांग करते रहे हैं कि कीमतों को कम करने के लिए और उनमें स्थिरता लाने के लिए एक मात्र तरीका है आवश्यक वस्तुओं की पूर्ण पैमाने पर वितरण प्रणाली को लागू करना। परन्तु इसको लागू करने के लिए सरकार के पास वस्तुओं का होना जरूरी है। यदि आप यह घोषणा करते हैं कि आप बहुत सी उचित दर की दुकाने खोल रहे हैं तो आप के पास वितरण के लिए आवश्यक वस्तुएं भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। परन्तु यदि हर जगह मध्य प्रदेश जैसी ही स्थिति है तो, बहुत सी उचित दर की दुकाने खोल देने से कीमतों की वृद्धि पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। जब तक आप इन दुकानों से उचित दर पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की गारंटी नहीं देते तो, उन्हें खोलने का कोई लाभ नहीं। मेरी मांग यह है कि कीमतें जन साधारण की पहुंच के भीतर होनी चाहिए और उसके लिए सरकार को वस्तुओं की उचित दरें बनाए रखने के लिए आवश्यक राज-सहायता देनी चाहिए। जिससे कि जनसाधारण सभी आवश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर खरीदने की स्थिति में आ सकें। और इसके लिए यदि आपको अधिक धन चाहिए तो आप काले धन को बाहर निकाल सकते हैं। एकाधिकार आप घरानों द्वारा आरक्षित धन को जमा करके तो देखिए। गरीब लोगों के बल पर उन्होंने बहुत सा धन इकठ्ठा कर रखा है।

हम लगातार यह मांग करते आ रहे हैं कि एकाधिकार प्राप्त घरानों का राष्ट्रीकरण किया जाना चाहिए। एकाधिकार प्राप्त घरानों का राष्ट्रीकरण किए बिना, हर बात को उनके नियन्त्रण में रखकर आप कीमतों में स्थिरता नहीं ला सकते। अब देखिए, बाजार से जीवनदायी औषधियां और यहां तक की सीमेन्ट तक गायब हो गया है। आखिर क्यों ? क्योंकि औषध उद्योग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और एकाधिकारियों के हाथों में हैं। सरकार ने इस बारे में क्या किया है ? जब कीमतों में थोड़ी सी भी गिरावट होती है तो सरकार कीमतों में वृद्धि करने के लिए आगे आ गई। केवल 21 तारीख को ही तो श्री विद्याचरण शुक्ल ने श्री इन्द्रजीत गुप्त के पूरक-प्रश्नों का उत्तर देते हुए हमें बताया था कि चूंकि उत्पादन लागत में वृद्धि हो गई है तो जिस प्रकार हमने

लेवी चीनी के दाम बढ़ाये थे, उसी प्रकार कुछ दवाईयों और कागज के दाम भी हमने बढ़ा दिए हैं। इस प्रकार यदि स्वयं सरकार ही एकाधिकार प्राप्त घरानों और बड़े व्यापारियों की सन्तुष्टि के लिए कीमतें बढ़ाती हैं तो आप किस प्रकार कीमतों में स्थिरता ला सकते हैं और किस प्रकार उन्हें घटा सकते हैं। आप ऐसा कर ही नहीं सकते।

अब देखिए तर्क यह है कि यदि आप गन्ना-उत्पादकों को अधिक दाम देने लगें तो चीनी के भाव बढ़ जायेंगे। तो चीनी के भाव क्यों बढ़ने चाहियें ? जहां तक मुझे पता है, गन्ना उत्पादकों को अब 16 रुपये प्रति क्विन्टल मिल रहा है। मेरे पास इसका हिसाब है कि एक क्विन्टल गन्ने से 10 किलो चीनी निकल सकती है। यदि वे 8 या 10 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से चीनी बाजार में बेचें तो इसका अर्थ यह हुआ कि 16 रुपये प्रति क्विन्टल के भाव खरीदे गये गन्ने से 100 रुपये मिलेंगे। परन्तु वे गन्ना उत्पादकों को अधिक कीमत अर्थात् 25 या 30 रुपये जिसकी कि गन्ना उत्पादक मांग कर रहे हैं, देने को तैयार नहीं हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है ? सरकार को चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। गन्ना उत्पादकों को आपको उचित मूल्य तो देना ही होगा। आप लोगों को चीनी भी सस्ती दरों पर दे सकते हैं। यदि कुछ राज-सहायता आवश्यक है तो आप इसे सरकारी खजाने से दे सकते है। या फिर वह एकाधिकार प्राप्त घरानों के मालिकों के धन से प्राप्त किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में पटसन उत्पादक चिल्ला रहे हैं परन्तु पटसन के धनी व्यापारी बड़ा लाभ कमा रहे हैं। सरकार उन्हें उचित मूल्य देने में असफल रही है। वे कच्चे पटसन के लिए 250 रुपए प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं और किसान सभा ने 300 रुपए प्रति क्विंटल की मांग की है, परन्तु धन आएगा कहां से ? हमारे वाणिज्य मन्त्री महोदय ने यह पूछा है कि और हमारा कहना है कि वह धन तो पटसन के बड़े व्यापारियों से जबरदस्ती लिया जाना चाहिए क्योंकि वे बहुत लाभ कमा रहे हैं। मेरे पास कपास के भी आंकड़े हैं। इस सम्बन्ध में दूसरे सदन में जो कुछ श्री हरिकिशन सिंह सुरजीत, जो कि राज्य सभा के सदस्य हैं, ने कहा है मैं वह उद्धृत करता हूं :

"हमारे विचार से बढ़िया रेशा वाली कपास का मूल्य 300 रुपए प्रति क्विन्टल (जो कि सरकार कभी भी वायदा नहीं करती) और घटिया किस्म के लिए 250 रुपए प्रति क्विन्टल जो कि लगभग उतना ही है जितना कि उत्पादक को मिल रहा है) अच्छी और घटिया किस्म से मिश्रित कपास, जो कि कपड़ा बनाने के काम लाई जाती हैं, का मूल्य 275 रुपये प्रति क्विन्टल होना चाहिए। 360 किलो ग्राम कपास का फाहा तैयार करने के लिए और 650 किलोग्राम बिनौला, आदि निकालने के लिए साढ़े दस क्विन्टल कपास चाहिए। मैंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि कपड़े की कीमत कहीं ज्यादा ऊंची है। जबकि कपड़े के उत्पादन में 45 अंश कपास है तो इसकी कीमत 300 रुपए प्रति क्विन्टल से नीचे रहती है और उस कपड़े के दाम, जो कि हमें खरीदना पड़ता है, गत कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ गये है।" अतः आप कपास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दे सकते हैं और कपड़ा मिल मालिकों, कों कपास उत्पादकों को यह भुगतान करने के लिए धन देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। सरकार यह सब करने के अयोग्य है।

मेरा मुख्य मुद्दा है। आपने पूर्ण रूप से अपने को बड़े घरानों और बड़े उद्योगपतियों के हाथों सौंप दिया है। इसीलिए कीमतों को घटाने और इसमें स्थिरता लाने में पूर्ण असफलता हाथ लगी है, कीमतों में हेर-फेर कैसे किया जाता है? अचानक हर चीज बाजार से गायब हो जाती है; जिसके बारे में श्री सुखाड़िया जी भी बता रहे थे। बाहर आप उस चीज को ऊंचे दामों पर तो खरीद सकते हैं, परन्तु वह आपको नियन्त्रित कीमतों पर नहीं मिलेगी। 33 साल की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद यह परिणाम सामने आया है, यह लाभवृत्ति उत्पादन, वितरण, व्यवसाय और हर कहीं से व्याप्त है। ये अब और अधिक शक्तिशाली हो गयी हैं। इसीलिए तो सरकार के लिए इस सारी प्रक्रिया को बदलने में बहुत कठिनाई हो रही है। यह तब तक बहुत ही कठिन कार्य है, जब तक कि मुख्य रूप से वर्तमान नीतियों को बदल नहीं दिया जाता और सरकार दृढ़ता से जनसाधारण के हित में कदम नहीं उठाती। यदि आपको जनसाधारण के हित में काम करना है तो आपको खाद्यान्नों समेत सभी आवश्यक वस्तुओं को अपने कब्जे में करना होगा, परन्तु किसान को इसके लिए लाभकारी मूल्य अवश्य देना पड़ेगा। किसानों से सीधे ही खरीद करनी चाहिए, और थोक खाद्यान्नों में निजी व्यवसाय नहीं होना चाहिए। अन्य आवश्यक वस्तुओं का भी निजी व्यवसाय नहीं होना चाहिए। यह सब सरकार को अपने हाथ में रखना चाहिए और इसके लिए आपको सारे देश में आवश्यक मूल सुविधाएं जुटानी चाहिए। जैसा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने सुझाव दिया था, खाद्यान्नों, वस्त्रों मिट्टी के तेल, चीनी, खाने के तेलों, जीवनदायी औषधियों आदि को मिलाकर कम से कम 12 आवश्यक वस्तुओं को एक-एक समान कीमत पर सारे ही देश में वितरित किया जाना चाहिए, किसी प्रकार का अन्तर नहीं होना चाहिए।

यदि ऐसा सम्भव है तो आपको इसके लिए गम्भीरता से प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कीमतें गिराई जा सकती हैं। परन्तु यदि आप ऐसा करने में असफल रहते हैं तो कीमतें घटाने का प्रयास करने की कोई भी बात कारगर सिद्ध नहीं होगी। कुछ समय के लिए कीमतों में मामूली खिसकट आ सकती है। कीमतों के गिरने के बारे में मेरे पास एक रिपोर्ट है और कुछ कागज-पत्र हैं। एक एजेन्सी रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों से हवाला देते हुए अस्पष्ट रूप से बताया है कि उस सप्ताहान्त में थोक सूचकांक में 3 अंक की गिरावट आई थी। इसमें बताया गया है कि मूल्य सूचकांक एक सप्ताह में 265 अंक से गिरकर 262 अंक रह गया, क्योंकि गुड़ और खंडसारी के मूल्यों में भारी गिरावट आ गयी। इसीलिए कीमतों में कुछ गिरावट आई है। अन्य वस्तुओं में कोई गिरावट नहीं है और यदि आप इस आधार पर भ्रम पैदा करना चाहते हैं तो आप सदन के सामने एक अत्यन्त ही गलत तस्वीर रखेंगे कि कीमतें गिरनी शुरू हो गयी हैं। एक अन्य तर्क यह है "आप उत्पादन बढ़ाईये जिससे कि नुद्रा प्रचलन और वस्तुओं की सप्लाई बीच समानता लाई जा सके।" यदि इनमें समानता आ जाती है तो कीमतें नहीं बढ़नी चाहिएं। परन्तु हमारी अर्थव्यवस्था में जब कभी आप अधिक उत्पादन करते हैं, जैसा कि वाणिज्यिक फसलों के बारे में होता है, जिसमें जब किसान अधिक पैदावार करते हैं तो कीमतें पूर्ण रूप से गिर जाती हैं। गन्ने के मामले में, प्याज के मामले में, यदि आप अधिक उत्पादन करते है तो कीमतें एकदम से गिर जाती हैं और वह भी उत्पादकों के इन वस्तुओं के विक्रय के लिए लाने से

पहले ही तो इसका मतलब हुआ कि जितना ही अधिक आप उत्पादन करते हैं उतने ही अधिक आप बर्बाद होते हैं। आजकल गांव में इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था है। अब मैं उद्योग की स्थिति का वर्णन करूंगा। कारखानों में उत्पादन बढ़ गया है। केवल तीन-चार दिन पहले ही मैं अपने नए श्रम मन्त्री के पास एक शिष्ट-मंडल लेकर आया था। यह शिष्ट-मंडल बंगलौर के श्रमिक संघ नेताओं का था जो कि भारतीय तम्बाकू निगम से आए थे जो कि एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी है। वहां पर पहले जब उत्पादन 21,000 टन का था तो 3,000 मजदूर थे। अब उत्पादन 45,000 टन है और कर्मकारों की संख्या 2,000 है।

महोदय, जितना ही अधिक आप उत्पादन करते हैं, उतनी ही अधिक मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि यह पूंजीवादी प्रणाली है। वे तो उत्पादन लागत को घटाने के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए तो ये बड़े एकाधिकारी घराने जानते है कि यदि वे उत्पादन लागत को घटाते हैं तो भार वाणिज्यिक फसलें पैदा करने वाले किसानों पर पड़ेगा और कृषक समाज को बर्बाद कर दिया जाये, क्योंकि उन्हें कच्चा-माल सस्ते दामों पर बेचने को बाध्य होना पड़ेगा, कर्मकारों को अधिक काम करने के लिए बाध्य किया जाएगा और आधुनिक मशीनें लगा कर वे लोग हजारों कामगारों को और कर्मचारियों को स्वचालन और अन्य तरीके अपना कर बेरोजगार कर रहे हैं। परन्तु समाजवादी देश में स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है, क्योंकि वहां पर काम करने के अधिकार को संविधान में मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है और किसी आदमी को बेरोज़गार नहीं किया जाता है। वे भी स्वचालन को अपना रहे हैं और उत्पादन बढ़ रहा है।

उत्पादन से आम आदमी को लाभ पहुंचने जा रहा है। यहां उत्पादन बढ़ रहा है, जैसे तम्बाकू निगम में, परन्तु कारखाने के मालिक, जो, बहु-राष्ट्रि हैं, एक ओर तम्बाकू उत्पादों के मूल्य बढ़ा रहे हैं और वे बड़ी संख्या में मजदूरों को नौकरी से निकाल रहे हैं। हम ऐसी व्यवस्था रह रहे हैं। जब तक मौलिक रूप से इस व्यवस्था को बदला नहीं जाता तब तक आम आदमी के लिए कोई तरीका नहीं है। अस्थायी उपायों के लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं, खासकर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ण सप्लाई सहित तत्काल मजबूत बनाया जाना चाहिए परन्तु वितरण केन्द्रों पर भ्रष्टाचार न होने देने के लिए उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण के लिए एक सर्वदलीय समिति होनी चाहिए।

श्री बी० बी० देसाई (रायचूर) : सभापति महोदय, आज इस सम्मानित सदन में जिस विषय पर चर्चा की जा रही है वह चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में है। वास्तव में, मूल्यों में हो रही वृद्धि से हम सभी अत्याधिक चिन्तित हैं। अनेक माननीय सदस्य इस विषय पर बोले हैं मैं अपने आपको केवल दो मुद्दों तक सीमित रखूंगा जो मूल्य की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। एक तो किसानों के लिए लाभकारी मूल्यों पर आधारित उत्पादन। दूसरा जनसंख्या नियंत्रण के बारे में है। मैं समझता हूं कोई भी माननीय सदस्य दूसरे मुद्दे पर नहीं बोले हैं।

अभी, एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस सम्मानित सदन के दो तिहाई सदस्यों का कृषि विषय पृष्टभूमि है। यह सच हो सकती है। आवश्यक वस्तुओं में से मुख्यत: दो या तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तुएं चर्चा के लिए चुनी गई हैं। इनमें से एक वस्तु चीनी है। चीनी हमारे लिए आवश्यक महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक वस्तु है और इस वस्तु के मूल्य काफी बढ़ गए हैं। इस सम्बन्ध में, मैं इस सदन के समक्ष कुछ तकनीकी स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। मूल्यों में वृद्धि लागत मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। जहां तक मूल्य का सम्बन्ध हैं, कोई भी वस्तु लागत स्तर से नीचे नहीं आ सकती। उत्पादन की लागत, गन्ने की खेती और बाजार में सभी वस्तुओं की उपलब्धता एक दूसरे के सहयोगी हैं। वास्तव में जो पिछला भंडार था वह पिछली सरकार ने शासनकाल के दौरान खर्च कर दिया गया था और उसके परिणामस्वरूप दस महीने के भीतर ही हम उन वस्तुओं की कमी अनुभव कर रहे हैं और उसके फलस्वरूप मूल्यवृद्धि का सामना कर रहे हैं।

हम सभी जानते हैं कि एक-दो दिन में अथवा एक-दो महीने में गन्ना नहीं उगाया जा सकता; अनेक महीनों 12 से 15 महीनों में इसे तैयार करना होता है। जिससे चीनी बाजार में आए।

उर्दू में एक कहावत है :—

मादां दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है चौधरी चरणसिंह—जो किसानों के एक अच्छे मित्र हैं—वे प्रधानमंत्री काल के दौरान, समुचित आदर के साथ मैं कहूंगा कि किसानों की सहायता करने की दृष्टि से, उन्होंने उलटा काम किया और सैकड़ों—हजारों एकड़ गन्ना उनके साथियों द्वारा जला दिया गया। (व्यवधान) जो भी हो, मै उस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। जहां तक उनकी नीतियों का सम्बन्ध था, संभवत: अच्छे इरादों से उन्होंने किसानों की सहायता करने की कोशिश की। परन्तु दुर्भाग्य, से परिणाम बिल्कुल उसके विपरीत हुए; परिणाम यह हुआ कि जो भी भडार था, और जो बड़ी मुश्किलों से बनाया गया था, फिजूल खर्च कर दिया गया और नया गन्ना आ नहीं रहा था। यही कारण है कि आज हमारे सामने यह परेशानी है।

मैं आपको बता सकता हूं, अब सारे देश में, खास तौर पर दक्षिण में किसानों ने यह मुद्दा उठा लिया है। लम्बे समय से उन्हें लाभकारी मूल्यों से वंचित रखा गया है। परिणाम यह है कि वस्तु या तो गायब हो गई है अथवा उसका भंडार कम हो गया है और उसका परिणाम यह है कि मूल्यों में वद्धि हो रही है। यदि हम स्थिति का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि 100 टन के कुल उत्पादन में से 65% सरकार द्वारा 2.85 रुपए प्रति किलो की दर से लेवी चीनी के रूप में ले लिया गया है। जब इसे 3.00 रुपए प्रति किलो तक बढ़ा दिया गया है। अनुपात 65 : 35 की है। मैं चाहता था कि 50 : 50 का अनुपात हो। जहां तक उस वस्तु का सम्बन्ध है, यदि इसमें वृद्धि की जाती है तो संभवत: थोड़ा लाभकारी मूल्य किसानों को दिया जा सकता है। यही बात दूसरी वस्तुओं के लिए भी लागू होती है।

हमें इस देश के किसान को नहीं भूलना चाहिए। छठे दशक के दौरान, जब हम पी 480 के लिए हाथ फैलाए दुनिया में घूम रहे थे, तो वह इस देश का किसान ही था अपनी हरित क्रांति के द्वारा हमें पी० एल० 480 के चंगुल से बाहर निकाला। आज तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो हमें अपने देश अनुभवी और सदभाव वाले किसान पर निर्भर करना चाहिए। हम उसे थोड़ा लाभका का भुगतान करें। वह धनलोलुपता से कुछ नहीं मांग रहा है। हमारा स्वय का हित भ निहित है। यदि हम उसे लाभकारी मूल्य प्रदान करेंगे तो वह ज्यादा पैदावार करेगा। गन्ने के बारे में चर्चा कर रहा हूं मेरा आशय दूसरी वस्तुओं से भी है। उसका उपहास कि रहा है। कल माननीय मंत्री महोदय के भाषण में यह बात सुनकर मुझे पीड़ा हुई, जब कहा कि किसानों का आन्दोलन राजनीति से प्रेरित है। किसान राजनीति से प्रेरित न सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों के नेता उनके पीछे भाग वास्तव में, दक्षिणवर्ती राज्यों में असंतोष आधार भूत अस्तित्व के सिवाय और किसी नहीं है। ज्यादा उत्पादन हासिल करने की दृष्टि से, मैं इस बात का अनुरोध करता हूं कि कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के लिए, यदि संभव हो तो अन्य औद्योगिक उत्पादो के बराबर ला मूल्य दिया जाना चाहिए।

इससे इस देश में मूल्य निर्धारण का प्रश्न हमारे सामने आता है। यहां एक कृ आयोग है। मैं नही जानता कि मैं किस तरह इस मूल्य निर्धारण की अनियमितताओं क करूं। गत वर्ष मूल्य 125 रुपए प्रति क्विन्टल था और इस वर्ष उन्होंने अत्यन्त उदारता इसमें 5 रुपए की बढ़ोत्तरी कर दी, है और घोषणा की है कि जबकि किसानों आदान की कीमत में वृद्धि 600 रुपए प्रति टन हुई है। यह इसका मूल्य 130 रुपए प्रति है अत्यन्त उदारतापूर्ण बात है। हमारी प्रधान मंत्री आई और उन्होंने स्पष्ट कहा कि य 160 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए, उन्होंने वह निर्देश दिया। तो भी, वह मूल्य तब इसे वैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाना है, अब समय आ गया है जब देश में आन्दोलनों सही ढंग से निपटों का प्रयास किया जाना चाहिए। जहां कहीं कोई आंदोलन होता है, मा कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी वहां जाते हैं और उसका समर्थन करते हैं, वे उन लोगों का करते हैं जिन्हें कुलक कहते हैं। मैं नहीं जानता कि किस तरह उनके दर्शन मार्क्सवादी साथ उसका सामंजस्य किया जा सकेगा।

जब कीमतें बढ़ती है, तमाम दूसरी बातें भी होंगी। कृषि के लिए आदान मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों खासकर नाफ्था पर आधारित होता है सरकारी सूत्रों से हम यह कि लगभग 13 गैस पर आधारित उर्वरक कारखाने खोले जा सकते हैं और उनकी क्षमता टन प्रतिदिन की होगी। उन्हें तत्काल शुरू किया जाना चाहिए। कच्चे तेल व आ कठिनाईयों के कारण, अर्थव्यवस्था को क्षति हो रही है, आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन उस पर निर्भर करती है। मैं महसूस करता हूं कि यदि उत्पादन लागत थोड़ी कम की और लाभकारी मूल्य दिए जाएं तो वस्तुओं की अच्छी सप्लाई होगी और कीमतें निश्चित

कम होंगी। सम्भवतः चर्चाएं चल रही हैं। अब समय आ गया है जब सरकार को एक भी दिन नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि यह फसल तेजी से पूरी हो रही हैं और सरकार को पहल करनी चाहिए, ताकि जो गन्ना पहले से ही खेतों में है, वह बर्बाद न हो और आगे खेती भी संभव हो। उन्हें उसके लिए थोड़ा लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, दूसरी वस्तुओं के साथ भी यही तरीका अपनाना अच्छा है। इसी तरह, इस देश में जनसंख्या वृद्धि जिस पर इस सदन में अनेक माननीय वक्ताओं ने चर्चा की है, अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

जनसंख्या भी बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है; मैं समझता हूं, 2000 या 2020 तक देश की जनसंख्या 100 करोड़ हो जायगी। हमारी जनसंख्या चीन की जनसंख्या से भी अधिक हो जाएगी। चीन में, उन्होंने अपनी वृद्धि घटा दी है। इसलिए, हमें जनसंख्या नियंत्रण उपाय अथवा परिवार नियोजन उपाय शुरू करने होंगे। महोदय, इस सम्बन्ध में, मैं अपने कर्त्तव्य से च्युत हो जाऊंगा यदि मैं स्वर्गीय संजय गांधी का उल्लेख करूं जो इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे और जिनकी सारे विपक्षी सदस्यों ने उपेक्षा की। एक दिन ऐसा आएगा जब हम सभी को इस समस्या के बारे में अत्यधिक गम्भीरता के साथ विचार करना होगा। जो कुछ हम उत्पादन करते हैं, वह बिल्कुल पर्याप्त नहीं होगा। वास्तव में, 1947 में हमारी जनसंख्या 25 करोड़ थी, अविभाजित भारत में 33 करोड़, 25 करोड़ भारत में थे। आज हमारी जनसंख्या 66 करोड़ है। निश्चय ही, यदि जनसंख्या वृद्धि की गति यही रही तो 2000 और 2020 तक हमारी जनसंख्या 80 करोड़ या 90 करोड़ हो जाएगी और 2020 तक हमारी जनसंख्या 100 करोड़ हो जाएगी। एक दीर्घ अवधि के उपाय के रूप में हमें इस विषय पर विचार करना होगा परन्तु फिर भी कम से कम शुरूआत तो करनी होगी। इसी की कमी है। संभवतः सरकार सोच रही है कि वह सभी स्वैच्छिक संगठनों और अन्य संस्थाओं से कहेगी कि वे आगे आएं और अपने काम करें, परन्तु फिर भी, सरकार को इस समस्या पर अत्यन्तगम्भीरता पूर्वक विचार करना होगा। इसलिए, दूसरे पहलुओं पर विचार किया गया है। प्रत्येक 2000 की आबादी के लिए उचित मूल्य की एक दुकान, वितरण नीति में इन सभी बातों का विभिन्न वक्ताओं द्वारा उल्लेख किया गया है। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता परन्तु यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। वह यह है कि यह इस देश की ज्वलंत समस्याओं में से एक है और सही दिशा से बढ़ने के लिए सरकार को मनसा तैयार होना है और देखना है कि मूल्य वृद्धि नियंत्रित हो और हम इस देश के सभी उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर चीजें प्रदान करें। वास्तव में, जब कभी मूल्य निर्धारण किया जाता है, सभी औद्योगिक वस्तुओं के लिए यह उनकी उत्पादन लागत की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जहां और जब कभी किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर विचार किया जाता है तो उस मामले में कुछ दूसरा रवैया अपनाया जाता है। हां मैं सहमत हूं, उपभोक्ताओं की ओर भी विचार किया जाना होगा। वास्तव में, मूल्य खेती की लागत पर विचार करना होगा इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : इस विषय पर अपने मित्रों द्वारा दिए भाषणों को सुनकर मैं कहूंगा कि दोनों ही, विपक्ष और··· (व्यवधान)।

महोदय, सरकार की निन्दा करने के एक बहाने के रूप में मूल्य वृद्धि का इस्तेमाल करने के बजाय उन्हें गत ग्यारह मास में हुई मूल्य वृद्धि के कारणों पर विस्तार से विचार करना चाहिए था। क्या श्री मधु दण्डवते, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा, समझते हैं कि इस मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार अकेला केन्द्र है ? और कुछ ऐसा हो रहा है उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा रोका नहीं गया है ··· (व्यवधान) क्या वे मूल्य वृद्धि का निरन्तर चलने वाली स्थिति के रूप में उल्लेख कर रहे हैं जिसे नियंत्रित करने के लिए वर्तमान सरकार प्रयास नहीं कर रही है ? (व्यवधान)।

मुझे आशंका है कि विपक्ष के माननीय सदस्यों के तथ्य गलत है और मैं कुछ तथ्य सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा।

तथ्य यह है कि मेरे विपक्ष के मित्र जिस बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के बारे में बातें कर रहे हैं वह केवल उनके भाषणों में ही है तथा यह तथ्य नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि कीमतें तो बढ़ी हैं। पर महंगाई अब नहीं बढ़ रही है। मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि थोक मूल्य सूचांक में वृद्धि की मासिक दर जो जुलाई, 1980, में 4.1% थी। अगस्त में घटकर1.1%, सितम्बर में 1% और अक्तूबर में ठीक 0.6% रह गई है। अगस्त-अक्तूबर की तिमाही में 1.1% की औसत मासिक दर मई जून, जुलाई की तिमाही की 3.2% औसत मासिक दर से बहुत कम थी। गत 25 अक्तूबर, 1 नवम्बर तथा 8 नवम्बर को समाप्त होने वाले पिछले तीन सप्ताहों में थोक मूल्य सूचांक में क्रमशः 1.2%, 1.7% तथा 0.5% की महत्वपूर्ण गिरावट आई। ये कुछ तथ्य हैं जिन्हें मैं सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता था और जिन्हें मैं अपने भाषण के साथ जोड़ना चाहता हूं। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि मेरे विपक्षी मित्र ऐसे समय में मूल्य-वृद्धि पर वाद-विवाद पर कर रहे हैं जबकि मूल्य-वृद्धि चर्म सीमा पर पहुंच गई है और अब यह घटने लगी है। प्रस्ताव के समय से प्रतीत होता है कि यह सब राजनैतिक है। किन्तु मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि मूल्य वृद्धि के कारणों के पीछे कुछ विशेष कारण है। क्या विपक्षी सदस्य इस सम्मानित सभा में यह कहना चाहते हैं कि मूल्य वृद्धि पूर्णरूप से स्थानीय और आन्तरिक कारणों से हुई है ? क्या वे पेट्रोलियम मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई विश्व मुद्रा स्फीति से अवगत नहीं है। हम विश्व-व्यापी पेट्रोलियम संकट तथा हमारे इस देश के ऊपर इसके कुप्रभाव की अनदेखी नहीं कर सकते। उस 310 लाख टन कच्चे तेल की भारत की खपत में से 180 लाख टन विदेशों से मंगवाना पड़ता है इस 180 लाख टन में से 110 लाख टन ईरान और इराक दो देशों से आता था जो इस समय युद्ध में व्यस्त है और हमें उनसे पिछले कई महीनों से कोई तेल नहीं मिला है। जिसके परिणामस्वरूप हमें ऊंची दरों पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चे तेल की नकद खरीदें करने को विवश होना पड़ा है। क्या विश्व-व्यापी ईंधन संकट श्रीमती गांधी की देन है।

(उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

भारत में जो भी थोड़ा बहुत कच्चा तेल हम निकाल रहे थे वह असम में लम्बे अर्से से चले आ रहे आन्दोलन के कारण घटता जा रहा है। आन्दोलन से प्रतिवर्ष 45 लाख टन की

निश्चित पूर्ति रूक गई है। जो देश के तटवर्ती उत्पादन का 60% है और देश के कुल उत्पादन का 30% है। कच्चे तेल की पाईप-लाइनों तथा पेट्रोलियम उत्पादों की नाकेबन्दी के कारण हुई हानि समेत आन्दोलन से प्रति दिन राष्ट्रीय खजाने का 4 करोड़ रु० का नुकसान हो रहा है जो प्रतिवर्ष 1000 करोड़ से अधिक बैठता है। असम में मेरे विपक्षी मित्र क्या कर रहे हैं? मुझे मालूम हुआ है कि जनता पार्टी आन्दोलन का समर्थन कर रही है और श्री जार्ज फर्नान्डीस का आन्दोलन कर्त्ताओं में बहुत प्रिय है। यदि विपक्षी सदस्य वस्तुतः मूल्यों के बारे में इतने चिन्तित होते तो शायद वे असम स्थिति को सामान्य बनाने में कुछ समाधान या कुछ तरीके का पता लगाने में सरकार की मदद कर सकते थे। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : नदारजी, क्या आप बोल रहे है या श्री कमलनाथ बोल रहे हैं? हर बात में बाधा न डालिये। आपको अवसर दिया जाएगा। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस विषय पर वाद-विवाद करना चाहते थे। परन्तु मुझे खेद है कि इस वाद-विवाद में कोई गम्भीरता नजर नहीं आती है। (व्यवधान)।

श्री कमलनाथ : अन्तर्राष्ट्रीय तथा भारतीय ईंधन संकट के सामान्य प्रभाव के अतिरिक्त एक या दो कारण और हैं जिनकी ओर मैं श्रीमान, आपके माध्यम से सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यदि आप इस वर्ष मेरा अर्थ 8 नवम्बर, 1980 को समाप्त होने वाली अवधि से है, थोक मूल्यों में 12.8 प्रतिशत की कुल वृद्धि पर ध्यान दें तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसका 44 प्रतिशत तीन वस्तुओं चीनी, खांडसारी तथा गुड़ के कारण है। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास कोई और आंकड़े हैं तो आप इन आंकड़ों का खण्डन कर सकते हैं। (व्यवधान)।

श्री कमलनाथ : विपक्ष के मेरे मित्र अब चीनी के मूल्य में वृद्धि पर गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं। स्थिति जो है सो है। मैं इस वर्णित ब्यौरों पर जाकर सभा का मूल्यवान समय बरबाद नहीं करना चाहता कि जनता शासन काल के दौरान खेत में गन्ने की फसल किस तरह जलाई गई थी क्योंकि उस समय सरकार ने किसानों को लाभप्रद मूल्य देने से इंकार कर दिया था। इस तथ्य से अर्थशास्त्र के वर्तमान इतिहास का प्रत्येक छात्र अवगत है।

किन्तु खेद जनक तथ्य यह है कि वही लोग जो इस वर्ष चीनी उत्पादन की कमी के लिए जिम्मेदार हैं अब अपने को किसानों के रक्षक साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। गन्ने का उत्पादन गत वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के 1565 लाख टन से घटकर गत वर्ष 1280 लाख टन रह गया था। और गन्ना उत्पादन 1978-79 में 5.84 लाख टन से घटकर 1979-80 में 3.85 लाख रह गया। गन्ने की फसल एक ऐसी फसल है जिसके उत्पादन में एक वर्ष लगता है। (व्यवधान)। पिछले वर्ष के पाप का परिणाम ही इस वर्ष की असफलता है। चीनी के उत्पादन में गिरावट की प्रवृति जनता शासन से शुरू हो गयी थी और आंकड़ों से वह सिद्ध होता है। मैं विपक्ष के अपने मित्रों को इन आंकड़ों को सही करने या इन्हें गलत सिद्ध करने के लिए आमन्त्रित करता हूं।

वर्ष 1977-78 में देश में 6.46 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। उसके बाद यह घटकर 5.84 लाख टन रह गया। अक्तूबर, 1978 का शुरू का 33 लाख टन का स्टाक अक्तूबर, 1979 में घटकर 21 लाख टन रह गया। इन स्टाकों को किसने समाप्त किया? 1978 में चीनी पर से पूर्णरूप से अकारण नियन्त्रण हटाने के लिए कौन जिम्मेदार है जिसके कारण समूचे देश में चीनी के मूल्यों में एकदम भारी गिरावट आई। क्या यह श्रीमती गांधीजी ने किया ?

आज चीनी के मूल्य उत्पादन का 65 प्रतिशत 2.80 रु० प्रति किलो के नियन्त्रित मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचा जा रहा है। अब यह लेवी-मूल्य में हाल की वृद्धि के कारण थोड़ा ज्यादा हो सकता है। परन्तु नियंत्रित चीनी का कौन उपभोग करता है? आम आदमी, आम जनता। और बाकी 35 प्रतिशत कौन खाता है? धनी वर्ग तथा उच्च वर्ग।

अब विपक्ष के माननीय सदस्यों को इस बात का निर्णय करना है वे किस पक्ष का समर्थन करने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि आम आदमी के आंसू लिए बहाने का कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि आम आदमी नियन्त्रित मूल्य पर अपनी चीनी ले रहा है मैं इस सुझाव के पक्ष में हूं 65 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत का यह विवाद सदा के लिए समाप्त किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक मात्र समाधान सम्पूर्ण चीनी वितरण को सरकारी नियन्त्रण में लाने के निर्णय में है। यदि सारी चीनी राशन की दुकानों से बेची जाती है तो हम उन कमियों को दूर कर सकते हैं जिनसे जमाखोर तथा काला बाजारिये पंदा होते हैं।

विपक्ष सब्जियों में भिन्न मूल्य वृद्धि पर काफी हो-हल्ला कर रहा है। पिछले वर्ष सब्जियों के मूल्य में 16 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। पिछले 11 महीनों में सब्जियों के मूल्य केवल 6 प्रतिशत तक बढ़े हैं। यह वृद्धि भी मूल्य रूप से ईंधन लागत और यातायात लागत के बढ़ जाने के कारण दिये हैं।

विपक्ष के सदस्यों में से कुछ मार्क्सवादी है और मैं मानता हूं कि उन्हें अर्थव्यवस्था के बारे में प्रारम्भिक ज्ञान अवश्य होगा। मुझे आशा है कि वे जनता-लोकदल सरकारों द्वारा उत्पन्न की गई वित्तीय तबाही से अवगत हैं जिन्होंने अनियंत्रित मुद्रा-पूर्ति को खुली छूट दे दी थी। 1976-77 में जब कांग्रेस सरकार ने जनता सरकार को सत्ता सौंपी तब बजट सम्बन्धी घाटा 131 करोड़ रु० का था। 1977-78 में यह बढ़कर 951 करोड़ रुपये तथा 1978-79 में यह बढ़कर लगभग 2500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इन पिछले तीन वर्षों में मुद्रा पूर्ति बढ़कर 18.1 प्रतिशत की औसत दर तक पहुंच गई। मूल्यों पर इसका प्रभाव मालूम नहीं हुआ था। क्योंकि जब मुद्रा-पूर्ति बढ़ जाती है तो इसका अनुभव शुरू में नहीं होता है; परन्तु अन्ततः यह अर्थ व्यवस्था में कैंसर का रूप ले लेता है। मैं इस बात से अपने माननीय मित्र प्रो० दण्डवते से सहमत हूं।

जब मेरा दल सत्ता में आया तब हमें विरासत में यह गन्दगी से भरी हुई घुड़साल रूपी अर्थव्यवस्था मिली थी। उस समय ऐसी स्थिति थी और राष्ट्र भंयकर सूखे से गुजर रहा था।

मुझे आशंका है कि यही वह प्रश्न है जिसकी मेरे अधिकांश में विपक्षी मित्र उपेक्षा कर रहे हैं। हमने ऐसे समय सरकार का कार्यभार संभाला जब खेत में उत्पादन कम हो रहा था, पानी की कमी के कारण खड़ी फसलें नष्ट हो रही थी और समग्र स्थिति लगभग अकाल स्थिति की ओर प्रवृत हो रही थी। यह स्थिति थी जब हम इस वर्ष जनवरी के मध्य सत्ता में आये थे और यह केवल श्रीमती इंदिरा गांधी के कारण है कि हम उस स्थिति से निकलने में समर्थ हो पाये हैं जिसमें हमने कार्य शुरू किया था···(व्यवधान)।

मुद्रा-पूर्ति में पिछले वित्तीय वर्ष की 1,637 करोड़ रु० की वृद्धि के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष में 1,000 करोड़ रुपये की कमी आई है। अन्तिम विश्लेषण में वह मुद्रा-पूर्ति स्थिति से ही मुद्रा स्फीति का अनुमान लगाया जाता है। मुद्रा-पूर्ति कम होने पर घाटे के बजट से भी मुद्रास्फीति नहीं होगी। मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। यह एक अर्थशास्त्र का नियम है। मुद्रा-पूर्ति के दर कम करने का एक मात्र प्रयास है। मैं समझता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था को सही दिशा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय सारी सभा की ओर से प्रशंसा के पात्र हैं। वास्तव में मैं एक बात और कहूंगा तथा माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत किया जाए जिसके द्वारा किसी भी भावी सरकार पर यह प्रतिबन्ध लगाया जाए कि वह कुल राष्ट्रीय उत्पादन में जितने प्रतिशतता की वृद्धि हो मुद्रा-पूर्ति की दर उस प्रतिशत से अधिक न बढ़ाए क्योंकि अन्त में यही मुद्रा-पूर्ति स्थिति है मुद्रा-स्फीति की दर निर्धारित करेगी और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर राष्ट्र के भविष्य दिशा देगी।

पिछले तीन वर्षों में पहली बार हम यह परिवर्तन ला पाये हैं। मुझे विश्वास है कि यदि हम अर्थव्यवस्था से जमाखोरी तथा चोर बाजारी जैसे सभी प्रकार के भ्रष्टाचार को यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक, समाप्त कर सकते हैं तो हमें और अधिक उपलब्धि मिल सकती है। परन्तु फिर विपक्ष हमारे रास्ते में बाधा डालेगा। एक ओर तो विपक्ष केन्द्र के ऊपर मूल्य वृद्धि का सारा भार डालने का प्रयास कर रहा है। दूसरी ओर यह उन तत्वों के साथ सरकार द्वारा सख्ती से प्रत्येक कार्यवाही का विरोध कर रहा है।

मैं राज्य सरकारों द्वारा 'अविवेकपूर्वक' ढंग से धन का व्यय करने का केवल एक उदाहरण दूंगा। मेरे मित्र श्री समरमुखर्जी ने अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में काफी विस्तारपूर्वक कहा है परन्तु अर्थ-व्यवस्था के खराब होने का एक प्रमुख कारण 'अनुशासनहीनता' भी है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा व्यय करने के सम्बन्ध में मैं जान बूझकर 'अविवेकपूर्ण' तथा 'अनुशासनहीन' शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। अतः इस सन्दर्भ में मैं पश्चिम बंगाल सरकार—जहां कि इन्ही के दल का शासन है—का उल्लेख विशेष रूप से करना चाहता हूं कि वह मूल्य वृद्धि में किस प्रकार अपना योगदान दे रही है। पश्चिम बंगाल द्वारा रिजर्व बैंक से निरन्तर 80 करोड़ से 100 करोड़ रुपये तक की अधिक धनराशि निकाली जाती रही है (व्यवधान) अतः आप जो लोगों के चिकित्सक बनने में, स्वयं अपनी चिकित्सा क्यों नहीं करते ?

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृति की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो कि अब दृष्टिगोचर हो रही है। हमारे देश में स्थिति कुछ ऐसी है कि हमारे यहां विरोधी दल समाज के प्रति अपना किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार ही नहीं करता। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम इसके बारे में आशावादी होने की भूल नहीं कर सकते। परन्तु हम विरोधी पक्ष द्वारा लोगों की परेशानियों का लाभ उठाने के समाज की निन्दा करते है। विशेष रूप से इन परिस्थितियों में जब कि वर्तमान सरकार मुद्रास्फीति को नियन्त्रित करने तथा उसका उपयुक्त उपयोग करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है।

किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रत्येक विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एक निहित कारक होती है और मैं आशा करता हूं कि विरोधी पक्ष के मेरे मित्र चाहे वह वामपंथी हों या दक्षिण पन्थी या केन्द्रीय या फिर किसी अन्य नाम से क्यों न पुकारे जाते हों, वे इस बात के सम्बन्ध में मेरे साथ असहमत नहीं होंगे। यह अभी व्यवस्था का आसार होता है। जो अर्थ-व्यवस्था वर्तमान सरकार को पुरानी सरकार से विरासत में मिली है उसका उपचार एसप्रोज तथा एनासिनज जैसी दर्दनाशक औषधियों से नहीं किया जा सकता। अत: इस दल-दल से निकलने के लिए हमें आर्थिक एन्टी-बायटिक्स की आवश्यकता है जो धीरे-धीरे पर निश्चिततः उस कीटाणु तथा जीवाणु का प्रतिरोध करेंगे जो हमारी अर्थ-व्यवस्था में ठूंस दिए गए हैं. अत: हमें एन्टी-बायटिक्स की आवश्यकता है न कि एनासिनज या एस्प्रोज़ की।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कमलनाथ आप उनसे बुरे बैक्टीरिया को अच्छे बैक्टीरिया में बदलने के लिए भी कह सकते हैं।

श्री कमल नाथ : निष्कर्ष के रूप में मैं अपने मित्र, वित्त मंत्री महोदय को आपके माध्यम से यह याद दिलाना चाहता हूं कि आर्थिक समस्याओं का समाधान राजनीतिक समाधानों से नहीं किया जा सकता। आर्थिक समस्याओं का समाधान केवल आर्थिक समाधानों के द्वारा ही किया जा सकता है और मैं अपने विरोध पक्ष के मित्रों से यही निवेदन करता हूं कि वह इस तथ्य को समझने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी श्री शास्त्री के दल के पद चिह्नों पर ही चल रहा हूं क्योंकि उनके दल ने भी कांग्रेस दल का समर्थन किया है।

श्रीमान् जी, सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन को मूल्य वृद्धि की ओर अधिक गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं अपितु आज सम्पूर्ण समुदाय देश में बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि से चिन्तित है। इसके साथ ही जैसा कि अन्य वक्ताओं ने भी कहा है, केवल सरकार का ही नहीं अपितु सभी राजनीतिक दलों का यह दायित्व है कि वह इसका समाधान चीजों की बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि को किस प्रकार रोका जा सकता है। चूंकि संसद में में जिन भी राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, किसी न किसी राज्य में उनका शासन है,

इसलिए मूल्य वृद्धि को रोकने में उनका कुछ न कुछ दायित्व तो हो ही जाता है। अतः मैं आशा करता हूं कि विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा जो ठोस सुझाव दिए गए हैं, उन पर विचार किया जाएगा।

इस प्रश्न पर भी विचार किया गया है कि क्या मूल्य वृद्धि को संसदीय या पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा रोका जा सकता है या ऐसा केवल समाजवादी व्यवस्था के माध्यम से ही किया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। जहां तक मुझे जानकारी है, समाजवादी देशों में केवल एक दल प्रणाली होती है, वहां सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं होता और न ही देश के अर्थ-व्यवस्था के बारे में खुले तौर पर चर्चा की जा सकती है और न ही उसके विरोध में समाचार पत्रों में वक्तव्य दिये जा सकते हैं। उनके अनुसार तो एक दलीय प्रणाली से देश में मूल्य वृद्धि को रोकने में सहायता मिल सकती है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य मेरे विचार से सहमत होंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : आप ऐसा करके राजनीतिक द्वारा की भी करेंगे।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मेरे मित्र श्री समर मुखर्जी तथा श्री चन्द्रजीत यादव का कहना भी यही है कि एक दलीय प्रणाली से मूल्य वृद्धि रोकने में सहायता मिल सकती है। मुझे आशा हैं कि माननीय वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री द्वारा विरोधी पक्ष के नेताओं द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार किया जायेगा।

श्री समर मुकर्जी (हावड़ा) : आप संविधान से "समाजवादी" शब्द को समाप्त कर दीजिये। आप यह धोखा क्यों कर रहे हैं ?

श्री सी० टी० दण्डपाणि : इस प्रकार से तो अन्य संविधानों में भी जहां कहीं भी "समाजवादी" शब्द आया है उसे धोखा ही माना जाना चाहिए।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : केवल आप ही सच बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोकतान्त्रिक प्रणाली के माध्यम से ही मूल्य-वृद्धि को समाप्त करना चाहते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : संविधान का सम्मान करने की शपथ ग्रहण करने के बाद आप इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : जी हां, हम इसी बात के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि वर्तमान संविधान के अन्तर्गत ही साधारण व्यक्ति को आवश्यक वस्तुयें सस्ते दामों पर किस प्रकार उपलब्ध करवाई जा सकती है।

मूल्य-वृद्धि के लिए कई कारण बताए गये हैं और मुद्रास्फीति उनमें से एक है। माननीय प्रोफेसर महोदय ने मुद्रास्फीति के बारे में 1974 तक के आंकड़े पढ़ कर सुनाये और फिर उन्होंने जनता सरकार के शासन काल की बात आरम्भ कर दी। परन्तु जो प्रतिवेदन मुझे संसद द्वारा उपलब्ध करवाये गये हैं, उनमें सभी वस्तुओं से सम्बद्ध मुद्रास्फीति की स्थिति इस प्रकार है। वर्ष 1975 में यह 5·6 प्रतिशत थी और 1976 में 7·8 प्रतिशत। जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है, 1975 में यह 4-4 प्रतिशत थी और 1976 में 12-6 प्रतिशत। यह स्थिति है। अब मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। वर्ष 1975-76 में मुद्रास्फीति कुछ रुक गई थी। इसका कारण स्पष्ट है कि 1975-76 प्रशासनिक तंत्र द्वारा कुछ इस प्रकार के कदम उठाये गए जिनसे कि कालेधन तथा जखीराखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई। यही कारण था कि उन दिनों मुद्रास्फीति कम हो गई। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार को उसी प्रकार के कारगर प्रशासनिक उपाय करने चाहिए।

उन्होंने आयात तथा निर्यात एवं व्यापार घाटे का उल्लेख भी किया है। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त खेद हो रहा है कि हमारी निर्यात की स्थिति खराब ही है। हमें आयात तथा निर्यात के बीच की खाई को पाटना चाहिए। इस से भी हमें देश में मुद्रास्फीति को रोकने में कुछ सहायता मिलेगी।

हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि जहां तक वितरण का प्रश्न है उसका दायित्व केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों पर ही है। सभी सदस्यों द्वारा दोषपूर्ण वितरण प्रणाली का उल्लेख किया गया है। उसके बारे में दोहरी जिम्मेदारी रहती है। केन्द्र सरकार द्वारा जो कुछ भी दिया जाता है। उसका वितरण राज्य सरकार के निकायों द्वारा किया जाता है। ऐसा देश के विभिन्न भागों में करना पड़ता है। परन्तु देश के कुछ भागों में यह इतना दोषपूर्ण बन गया है कि केन्द्रीय सरकार के लिए यह सुनिश्चत करना अनिवार्य हो गया है कि वह जनसाधारण तक पहुंच पाये। उदाहरणार्थ केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु राज्य सरकार के 2,50,00,000 रुपए के मूल्य का पालमोलिव तेल आयात करने का लाइसेंस दिया था। तमिलनाडु के नागरिक पूर्ति निगम द्वारा यह तेल जनसाधारण में वितरित करने की वजाय एक व्यक्ति विशेष को निजी तौर पर बेच दिया गया। वह व्यक्ति उस तेल को ऊंचे दामों पर बेच रहा था। पुलिस ने उसके सामान को कब्जे में ले लिया। वह व्यक्ति मामला अदालत में ले गया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि यद्यपि राज्य सरकार द्वारा व्यापारी के विरुद्ध किसी प्रकार की आपति नही की गई है अत: पालमोलिव तेल वापिस व्यापारी को लौटा दिया जाना चाहिए और वह उसे खुले बाजार में बेच सकता है। इस प्रकार की स्थिति भविष्य में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार को अपने किसी ऐसे ढांचे की व्यवस्था करनी चाहिये जिसके माध्यम से कि उसका वितरण उचित ढंग से किया जा सके।

इसके अतिरिक्त मैं चीनी के बारे कहना चाहता हूं यह कहा गया है कि इसमें कई वर्षों से धांधले वाजी होती रही है 1978 में समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि चीनी का

12 लाख टन का बफर-स्टाक रखा जाना चाहिये ताकि भविष्य में कभी चीनी की कमी न हो। उस समय की सरकार द्वारा चीनी का कंट्रोल समाप्त कर दिया गया। उस समय सरकार द्वारा चीनी का मूल्य 300 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। मिल मालिकों ने खूब पैसा बनाया यहां तक कि वह 200 रुपये प्रति बोरी कमाते रहे। परन्तु इसके बावजूद भी मिल मालिक संन्तुष्ट न थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उत्पादन कम कर दिया। उन्होंने यह बहाना किया कि गन्ना उपलब्ध नहीं हैं। उत्पादन में कमी आ गई। उन्होने कृत्रिम अभाव पैदा कर दिया। परन्तु उन्होने चीनी को ऊंचे दामों पर बेचा।

अब मैं सदन के समक्ष कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं नहीं समझता कि दिल्ली स्थित चीनी निदेशालय के पास चीनी के वास्तविक उत्पादन सम्बन्धी उचित लेखा जोखा तथा आंकड़े उपलब्ध है मैं समझता हूं कि उनके पास उचित आंकड़ उपलब्ध नहीं है मुझे यह भी मालुम है कि देश में अनेक चीनी मिलें ऐसी है जो लेवी चीनी नहीं देती हैं परन्तु वे चीनी निदेशालय को अपना विवरण भेज देती हैं कि उन्होने जनसाधारण के उपयोग के लिए लेवी चीनी पहले ही उपलब्ध करवा दी है। कई चीनी कारखानों द्वारा लेवी चीनी ऊंचे दामों पर बेची जाती है। यह सब कुछ हो रहा है। मैं उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं। जहां तक चीनी निदेशालय का सम्बन्ध है, वह चोर बाजारी करने वालों तथा चीनी मिल मालिकों की इस प्रकार के कदाचार करने में सहायता करते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दे और यह सुनिश्चत करे कि ऐसी बातें न हो।

देश में चीनी मिल मालिकों का काफी प्रभाव है। मेरा सुझाव है कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये। केवल 40 प्रतिशत चीनी के कारखाने ही सहकारिता के क्षेत्र में हैं और शेष 60 प्रतिशत पूंजीपतियों के हाथ में है। चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये। चीनी के बड़े बड़े मिल मालिकों द्वारा बहुत धन कमाया जा रहा है मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि या तो चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये या चीनी मिलें किसानों के अधिकार में दे दी जायें। उदाहरणार्थ हमारे यहां गावों में ऐसा होता था कि किसान धान को चावल में बदलवाने के लिए मिलों में ले जाते थे और वहां से चावल वापिस ले आते थे इस प्रकार केवल धान कूटने का किराया ही मिल वालों को देते हैं।

इसी प्रकार गन्ना उत्पादक भी गन्ने को इसकी चीनी बनाने के लिए कारखानों को ले जा सकते हैं। वे चीनी बनाने के मूल्य देकर चीनी को वापिस गांव ले जा सकते हैं। उस पर चीनी सस्ते दामों पर बिक सकती है क्योंकि छोटे किसान साधारण कृषक, चीनी को अधिक समय तक नही रखेंगे।

यहां मैं मंत्री महोदय से एक और अनुरोध करना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार चीनी के उत्पाद शुल्क तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का प्रतिवर्ष 165 करोड़ रुपये प्राप्त कर रही है। मेरा सुझाव यह है कि इस 165 करोड़ रुपये के राजस्व को छोड़ देना चाहिए ताकि लोग सस्ते दामों पर चीनी प्राप्त कर सकें।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इन सब बातों को यथाशीघ्र किया जाये क्योंकि हमारा उद्देश्य सर्वसाधारण का पोषण करना है। हम इस बात की परवाह नहीं करते कि क्या हमारे पास भाषण तथा अन्य बातों का अधिकार है। हम सर्वसाधारण का पोषण करने के बारे में चिंतित हैं।

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री मधु दण्डवते जी, ने चीनी तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में इन वस्तुओं के जो दाम बढ़ रहे हैं, इसके कई कारण हैं। आज भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि सारे संसार में, चीन में, रूस में, अमरीका में, सभी देशों में चीजों के दामों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। फिर भी हम इस माइने में खुशकिस्मत हैं कि अन्य देशों के मुकाबले में हमारे भारत में जो भी दाम बढ़े हैं वे कम हैं। आज पाकिस्तान में चीनी 25 रुपये किलो बिक रही है।

मै यह भी बताना चाहता हूं कि जब जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त उसके हालात क्या थे। उसकी गलत नीतियों के कारण और आपस में लड़ाई झगड़े के कारण सामानों के दाम बढ़ने शुरू हुए और उसी का नतीजा यह है कि आज हमें मूल्य वृद्धि को रोकने में कठिनाई हो रही है। जनता पार्टी के शासन के वक्त बिजली की कमी थी। सामानों के दाम में बढ़ोत्तरी शुरू हुई और यह जो रोग है, जो उन्होंने वीरासत में हमें दिया है। उस बीमारी को दूर करने में समय लगेगा। उस रोग के कई कारण थे। एक कारण तो यह था कि जैसे ही ये लोग सत्ता में आए, जितने भी इन दलों के लोग थे, जितने भी उनके कार्यकर्त्ता थे, उनमें यह होड़ लग गई कि जन-वितरण प्रणाली की दुकानें हमें मिलनी चाहिए। जहां जनसंघ का दांव चला, वहां उन्होंने अपने लोगों को खुले हाथों से जनवितरण प्रणाली की दुकानें बांटीं और जहां दूसरे दलों का दबदबा था, उन्होंने अपने लोगों को दुकानें बांटीं। इन दुकानों को जिस ढंग से चलाना चाहिए था, वे नहीं चलाई गईं और आज भी जितनी जन-वितरण प्रणाली की दुकानें हैं, वे सारी की सारी उन्हीं लोगों के पास हैं, जिनको उनके कर्णधारों ने पहले उनको दिया था। इसलिए मैं सरकार से यह कहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट लोगों पर, इन जनवितरण प्रणाली की दकानें चलाने वाले लोगों पर, सरकार को कड़ा अंकुश रखना चाहिए।

दूसरी वजह यह है कि सैकड़ों वर्ष के इतिहास को यदि आप देखें तो सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि सारे संसार में भयंकर अकाल पिछले साल पड़ा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मद्रास आदि चारों ओर भयंकर सूखा पड़ा है, जिसकी वजह से फसल में कमी हुई और जब फसल में कमी होती है तो यह नेचुरल है, यह स्वाभाविक बात है कि दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। चीनी की जो आज हालत है, उसकी जिम्मेवार चरणसिंह जी की नीति थी। किसानों की जो मांगें थीं, उनको ठीक ढंग से पूरा नहीं किया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि चीनी के दाम दिन प्रति दिन बढ़ते गये और मुझे आशा है कि इस साल ऊख की जो पैदावार है, वह काफी ठीक हुई है। मुझे उम्मीद है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी, जो रोग

जनता पार्टी का दिया हुआ है, उस पर विजय पा सकेंगी, फतेह पाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।

इसके अलावा और भी कोई वजह हैं। हमारे जो विपक्षी लोग हैं, वे इसको राजनीतिक जामा पहनाना चाह रहे हैं। जो मूल्य वृद्धि हुई है, उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। आज आप यह देखिए कि नासिक में क्या हो रहा है। वहां से जो सामान ट्रकों से भेजा जाता है, उसको रोका जा रहा है। आसाम में क्या परिस्थिति है? आसाम में यह रोग 23 नवम्बर से, जनता पार्टी के शासन से फैला हुआ है, जो हमारे बीच चला आ रहा है। यह भी एक वजह हैं। हमारे माननीय सदस्य प्रो० मधु दण्डवते ने हमारी सरकार की शिकायत की। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब वे रेल मंत्री थे, तो कितने सौ नहीं बल्कि हजरों रेलों को उन्होंने बन्द कर दिया था और रेलें बड़ी देरी से चलती थीं। जो रेल सुबह 9 बजे पहुंचनी चाहिए थी, वह रात को 9 बजे पहुंचती थी। ये सारी बातें जनता पार्टी के शासन में हुईं रेलों की वही हालत थी, चीनी की पैदावार में जो कमी हुई, वह भी उन लोगों की नीति के कारण हुई।

अध्ययक्ष महोदय, आपके माध्यम से मै मंत्री जी का ध्यान कुछ ठोस बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। एक जरूरी मसला हमारे भारत वर्ष में है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, उड़ीसा, हिमाचल-प्रदेश, बिहार के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, इनमें राशन वितरण व्यवस्था। होता क्या है कि जो अधिकारी हैं, सी० ओ० हैं, अंचलाधिकारी हैं, अन्य सरकारी अधिकारी हैं, वे राशन ले जा कर ब्लैक कर देते हैं, इन पर कड़ा अंकुश लगाना चाहिए। समझ लीजिए कि हमारे किसी पंचायत का 5 बोरा चीनी का कोटा आया तो उस पंचायत के जंगल, पहाड़ में रहने वाले जो लोग हैं,उनमें से देख लिया जाता है कि कौन लोग बोल सकते हैं, उन 5-10 आदमियों को बुला लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप दो की जगह पांच के० जी० चीनी ले जाइए, इस प्रकार 5-6 लोगों को चीनी देकर उनका मुंह बंद कर दिया जाता है और बाकी की सारी चीनी ब्लैक मार्केट में बिक जाती है।

अध्यक्ष महोदय, हमें प्रेक्टिकल रूप से यह देखना है कि वितरण प्रणाली में क्या त्रुटि हैं और दाम क्यों बढ़े हैं? इसलिए मेरा सुझाव है कि आप राज्य सरकार को ये कड़ी हिदायत दें कि फ्लाइंग दस्तों द्वारा समय-समय पर चैक किया जाए। यदि कोई भी तंचायत का डीलर चीनी, गेहूं ले गया है तो सडेनली चैकिंग होनी चाहिए कि वह पांच बोरा उसके यहां है या नहीं। पांच बोरी की जगह पंचायतों में दो बोरी ही पहुंचता है बाकी प्रति बोरी 500 से 300 रुपयों में ब्लैक कर दिया जाता है। यह भी दाम बढ़ने की एक वजह है।

हमारे पास अब नई फसल जो काफी अच्छी हुई है आ रही है, मैं समझता हूं कि कोई वजह नहीं है कि हमारे योग्य वित्त मंत्री और हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी, जिन्होंने बड़ी-बड़ी शक्तियों से टक्कर ली है, इन समस्याओं पर विजय न पा सकें, अवश्य विजय मिलेगी, इसमें दो राय नहीं हैं।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : लगभग छः बज रहे हैं। हम में से कईयों ने अनुभव नहीं किया कि यह इतने अधिक समय तक चलेगी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस चर्चा को कल तक के लिए स्थगित किया जाए।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं इसका समर्थन करता हूं। यह बहुत जरूरी है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : कल नहीं।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : प्रस्तावक को उत्तर देने का अधिकार है। यह एक गम्भीर विषय है। इस विषय पर सभा की रुचि में कमी होती जा रही है...।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, उपस्थिति बहुत अच्छी है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : मेरा कहना है कि इसे कब तक के लिए स्थगित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अपने विचार प्रकट करने से पहले मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा। यह प्रस्ताव नियम 184 के अन्तर्गत है। उत्तर के अधिकार का होना स्वाभाविक ही है। दूसरे, विपक्ष के आठ ग्रुपों अर्थात् कांग्रेस (आई) बी०जे० पी० सी० पी० आई०, डेमोक्रेटिक सोशयलिस्ट फ्रंट, नेशनल कॉंग्रेस, जनता, लोकदल, फारवर्ड ब्लाक, आर०एस०पी० आदि ने अभी इस विषय पर बोलना है। आखिर उनमें से प्रत्येक को दस मिनट तो दिये ही जाने चाहिए। यहां की प्रथा के अनुसार एक सदस्य इस पक्ष से और दो सदस्य उस पक्ष से बुलाये जाते हैं। यदि आप इसे घटा कर 1 : 1 भी करें तो भी कम से कम दो दो मिनट लेंगे और आधा घटा और लगेगा। मेरा अनुरोध यह है विषय के महत्व और इसकी गम्भीरता को देखते हुए मैं आपसे तथा सरकार से इससे सहमत होने का अनुरोध करूंगा मैं सरकार से कहूंगा कि इस विषय की चर्चा के समय को कम न करें। ये कुछ अन्य विषयों पर समय में कमी कर सकते हैं। और हम हमेशा कार्य मंत्रणा समिति में संसदीय कार्य मंत्री से सहयोग करते आये हैं। अतः इस विषय को विशेषकर मूल्य वृद्धि के विषय को उसी दशा में निपटाया जा सकता है जब इसके लिये कुछ अधिक समय दिया जाये और कार्य मंत्रणा समिति में अन्य विषयों के बारे में कुछ और हेरफेर किया जाए।

अतः इसे अगले दिन के लिए स्थगित किया जावे। हम सरकार से अन्य बातों के लिए सहयोग देने को तैयार हैं।

श्री भीष्मनारायण सिंह : कार्य मंत्रणा समिति पहले ही इसकी चर्चा के लिए चार घंटों का समय निश्चित कर चुकी है। हम कह चुके हैं कि हम इस चर्चा को आज समाप्त करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे कल उत्तर दें।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : नहीं, नहीं ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं इसका उत्तर आज दूंगा । उपाध्यक्ष महोदय मेरे पास दूसरी सभा के कुछ और भी बहुत से काम है जिसमें मैं व्यस्त हूं । यदि मैं दूसरी सभा में नहीं जाता तो यह अशिष्टतापूर्ण होगा । जब तक यह चर्चा चल रही है, मैं बैठा रहूंगा और मै इसका उत्तर दूंगा । इसमें एक घंटे से भी अधिक समय लगे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री : यह कैसे सम्भव है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम बैठे रहेंगे । हम आज देर तक बैठकर इस कार्य को समाप्त करेंगे ।

श्री सतीश अग्रवाल ।

श्री सतीश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सभा द्वारा प्रो० मधु दण्डवते के मूल्यवृद्धि जो पिछले दस महीनों के दौरान अभूतपूर्व रही, के सम्बन्ध में पेश किये गये प्रस्ताव पर चर्चा करना स्वाभाविक ही है ।

मैंने सत्तारूढ़ दल के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों को ध्यान से सुना है । मैं अपने भाषण को शुरू करते ही कहना चाहूंगा कि यह विषय केवल वित्त मन्त्री ही से सम्बन्धित नहीं हैं । यह अधिक ठीक होता यदि नागरिक पूर्ति मन्त्री तथा अन्य मन्त्री जो उद्योग, वाणिज्य, ऊर्जा अर्थात् आर्थिक मंत्रालयों से सम्बन्धित मंत्री यहां उपस्थिति होते, मेरे विचार में यह अधिक अच्छा होता । उनकी अनुपस्थिति मुझे खटक रही है ।

जहां तक सत्तारूढ़ दल की ओर से हुए भाषणों का सम्बन्ध है, श्री सुखाड़िया का भाषण इस प्रस्ताव पर विश्वासोत्पादक था, श्री पाणिग्रही का कठोर और रक्षात्मक और श्री एच० के० एल० भगत का आक्रामक था । श्री कमलनाथ ने तो यहां तक कहा कि यह भाषण राजनैतिक हितों से प्रेरित है । मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव में श्री बी० वी० देसाई के नाम भी प्रस्तावक के साथ था । क्या उनका तात्पर्य यह है कि श्री देसाई ने भी राजनैतिक हितों से प्रेरित होकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ? अतः इस प्रकार का निष्कर्ष निकलना उचित नहीं है । एक ओर तो सत्तारूढ़ कांग्रेस दल विपक्ष से देश की आर्थिक स्थिति के बारे में मतैक्य बनाने हेतु पूरा सहयोग देने के लिए कह रहा है और दूसरी ओर देखिए कि ये क्या कर रहे हैं । दिसम्बर 1979 के दौरान किये गये लम्बे-चौड़े वायदों के बावजूद भी, वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करते हुए किए गए वायदों तथा दिये गये आश्वासनों के बावजूद भी, चोरबाजारी और मूल्यवृद्धि रोकने सम्बन्धी सरकार द्वारा बार-बार दिए गए आश्वासनों और वित्त मंत्री द्वारा अहमदाबाद, नई दिल्ली अथवा कलकत्ता में अपनी प्रेस कांफ्रेंसों में किए गए मूल्य वृद्धि को रोकने सम्बन्धी इस आश्वासन के बावजूद जो कि अब मूल्य और नहीं बढ़ेंगे, मुझे खेद है कि यह समस्या अधिक गम्भीर रूप धारण कर रही है और सारा देश इससे चिन्तित है । हमआपको आंकड़े बता सकते हैं । इस पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात में संतोष अनुभव किया कि मूल्यवृद्धि जनता पार्टी

अथवा लोकदल (कांग्रेस अर्स) सरकार जिसका समर्थन कांग्रेस (आई) ने किया था, की गलत नीतियों के फलस्वरूप बढ़ी है। आपको हल मिल जायेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि आप आंकड़े देखें, जिन्हें मैं आर्थिक समीक्षा से दे रहा हूं और जिसे वित्त मंत्री ने इस सभा में प्रस्तुत किया था, तो आपको पता चलेगा कि अप्रैल, 1977 में थोक मूल्यों के आंकड़े 184.1 थे, फरवरी, 1979 में 184.7 थे, जिसका अर्थ 22 महीनों में .6 की वृद्धि है। मार्च 1979 में ये आंकड़े 189.1, जुलाई 1979 में 211.7, जनवरी 1980 में 226.2, 14 जून को 243.7, 28 जून को 249.9 और 14 जुलाई को 258.2 थे।

यदि आप आर्थिक समीक्षा से लिए गए इन आंकड़ों का विश्लेषण करें तो इससे यही पता चलेगा कि जनता शासन के पहले दो वर्षों में .6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

जनता शासन के 27 महीनों के दौरान जिसमें चौधरी चरणसिंह का बहुनिन्दित बजट भी शामिल है, 27 अंक की कुल मूल्य वृद्धि हुई अर्थात् 27 महीनों में 27 अंक की मूल्य वृद्धि हुई। इस हिसाब से यह एक साल में एक महीने बढ़ी है। जुलाई 1979 अर्थात् लोकदल (कांग्रेस अर्स) शासन के दौरान हर महीने 3 अंक की मूल्य वृद्धि हुई। आपके 9 महीने के शासन के दौरान प्रतिमास 4 अंक ही मूल्यवृद्धि हुई, जो लोकदल-कांग्रेस (अर्स) सरकार से बहुत अधिक है। ये आपके आंकड़े हैं। आपके बजट से 14 दिनों के अन्दर मूल्य वृद्धि में 6 अंक की वृद्धि हुई। 14 जून को मूल्य सूचकांक 243.7 और 28 जून को 24.89 था। 14 दिनों के अन्दर 6.2 अंक मूल्यवृद्धि हुई और जनता शासन में 2 वर्षों के दौरान 5 अंकों की मूल्य वृद्धि हुई। ये आंकड़े मैंने नहीं बनाये बल्कि आप द्वारा सभा में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा से लिए गए हैं।

मैं इस विषय में अधिक विस्तार से नहीं बोलना चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि समस्या का हल इस या उस सरकार को दोषी ठहराने से नहीं हो सकता। हमें समस्या की छानबीन करके इसे हल करना चाहिए। मैं इस बारे में सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था के बारे में हमें नारेबाजी में नहीं पड़ना चाहिए विशेषकर जब सभी राजनैतिक दल गरीबी और बेरोजगारी तथा आर्थिक विषमता हटाना चाहते हैं। हर कोई अधिक उत्पादन चाहता है, समृद्धि चाहता है। ये ऐसी व्यापक राष्ट्रीय समस्याएं हैं जिन पर मतैक्य है। जब श्री मुखर्जी यह कहते है कि हर वस्तु का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए तो कोई उनसे असहमत हो सकता हैं। यह तो उनकी दृढ़ धारणा है। उनकी यह धारणा दृढ़ हो सकती है और उस आधार पर वे कह तो सकते हैं, परन्तु इस देश के 90 प्रतिशत लोग मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में विश्वास करते हैं और इस प्रकार व्यापक राष्ट्रीय समस्याओं पर व्यापक रूप में राष्ट्रीय सहमति हो सकती है। ऐसे राजनैतिक मामले हैं जिन पर हमारे कुछ मतभेद हो सकते हैं परन्तु व्यापक राष्ट्रीय मामलों पर कोई मतभेद नहीं हो सकता। उन पर तो राष्ट्रीय सहमति अवश्य रहेगी।

अब हमें क्या करना चाहिए ? हमें नारे बाजी और अनर्गल बातें करना छोड़ देना चाहिए। जनता पार्टी ने भूतपूर्व कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराने की गलती की थी और अब

आप भी वही कुछ कर रहे हैं। कृपया इसे बन्द कीजिए, इससे देश और जनता को कोई लाभ नहीं होगा। आपको भूतपूर्व सरकारों को दोष देना बन्द करना चाहिए और आपको दोगली बातें भी बन्द करनी चाहिए। यदि आप कुछ असामाजिक तत्वों से निपटना चाहते हैं तो अवश्य निपट लीजिए। यदि आप कुछ बातें कहते है तो उन्हें पूरा कीजिए। जहां तक राजनीतिक रंग चढ़ाने की बात है। आप आर्थिक मामलों को राजनीति का रंग मत दीजिए। हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। कुछ न कुछ तो किया ही जाना चाहिए। कीमतों में वृद्धि बजट आने के बाद होती है। ऐसा क्यों होता है ? क्योंकि हमारे देश के वर्तमान कराधान ढांचे के आधार पर हमें तीन चौथाई राजस्व तो प्रत्यक्ष करों से और एक चौथाई अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होता है। आप प्रत्यक्ष करों को बढ़ाइये और देखिए कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी। केवल अप्रत्यक्ष करों के बढ़ने पर ही कीमतें बढ़ती हैं। और जब तक यही कराधान प्रणाली इस देश में चलती रहेगी, चाहे कोई भी सरकार सत्ता में क्यों न हो इस देश में ऐसा ही होता रहेगा। अतः हमें इस प्रणाली को बदलना ही होगा। हमें तीन-चौथाई राजस्व प्रत्यक्ष करों से और एक-चौथाई अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त करना चाहिए। जब तक हम इस प्रणाली को अपनाए रहेंगे, जब तक हम इस प्रणाली को नहीं बदलते—और वह करना बड़ा कठीन है, कोई इतना आसान काम नहीं है तथा उत्पाद शुल्क लैवी के बारे में मेरा यह मतलब नहीं है कि आप नई प्रणाली को अगले वर्ष तक अपना लेंगे या छः मास के भीतर और तब तक मूल्य-वृद्धि को रोकने के हमारे प्रयास सफल नहीं होंगें ? परन्तु इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर कुछ विचार होना चाहिए और सरकार को इस बात पर विचार करना होगा कि अप्रत्यक्ष कराधान के प्रभाव को कैसे कम किया जाये और प्रत्यक्ष कराधान प्रभाव को केसे बढ़ाया जाए।

जहां तक, आय, मजदूरी और मूल्य नीति की बात है, सरकार के पास एक रिपोर्ट है। हमें इसके बारे में निश्चित करना है और इसके बारे में पक्का निर्णय लेना है क्योंकि देश में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दिन में दो वक्त का भोजन भी नहीं मिलता। जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री सुखाड़िया ने कहा है कि बैंक में एक चपरासी को भी 1200 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं जबकि औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1200 रुपये है। अतः इन सब मुद्दों पर हमें विचार करना होगा। इसी प्रकार बढ़िया उत्पादन के लिए आधारभूत ढांचे की सुविधाओं के बारे में हमें विचार करना होगा। कीमतें निर्धारित की जानी चाहिए। उत्पादन के लिए सभी सुविधायें दीजिए। जब तक उत्पादन नहीं बढ़ाया जाता तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता है और किसी भी प्रकार का सार्वजनिक वितरण सफल होने वाला नहीं है। अतः उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए, क्षमता का अधिकतम उपयोग होना चाहिए तथा आधारभूत ढांचे की सभी सुविधाएं मिलनी चाहियें। केवल तभी सरकार एक इस प्रकार का तन्त्र खड़ा करने की स्थिति में होगी जिसमें कीमतें निर्धारित की जा सकती हैं। इन सभी आवश्यक वस्तुओं पर मूल्य अंकित किये जाने चाहिए और उनको प्रदर्शित किया जाना चाहिए और कम से कम एक वर्ष तक उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यह अनिश्चित मूल्य-प्रणाली समाप्त होनी चाहिए।

अन्त में मैं कहूंगा कि हमें एक वैधानिक स्थायी समिति बनानी चाहिए। मैं अपनी मांग को एक बार फिर दोहराता हूं कि हमें आर्थिक मंत्रालयों के लिए वर्तमान सलाहकार समिति के बदले वैधानिक स्थायी समिति बनानी चाहिए। आप राष्ट्रीय सहमति चाहते हैं। हमें आर्थिक मंत्रालयों के लिए वैधानिक स्थायी समिति बनानी ही होगी। जब तक आप उसे नहीं बनाते यह आपके पास एक ऐसी छोटी संसद है जहां हम मामलों पर विचार-विमर्श कर सकते हैं— इसमें संवाददाता उपस्थित नहीं हो सकते वहां हम कुछ मामलों पर विचार-विमर्श कर सकते हैं और आम सहमति पर पहुंच सकते हैं जैसा कि हम लोक लेखा समिति के मामले में करते हैं। उसके बिना हम इस समस्या को आसानी से हल नहीं कर सकते हैं। अतः आर्थिक कार्यों के लिए एक वैधानिक स्थायी समिति होनी चाहिए।

सरकार को उन अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिशोध या कुलबैर का रवैया भी बदलना होगा जो उनके आदर्श या विचार में प्रवृत्त नहीं हैं। आपको योग्य मंत्री बनाने चाहियें और उनकी सेवाओं को उपयोग में लाना चाहिए। आप दल के योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सेवाएं नहीं ले रहे हैं। मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इस बात से सहमत होंगे और यह सदन जानता है कि एक उच्च स्तरीय राजस्व समिति थी। उस समिति में क्या निर्णय लिए गये थे ? प्रेस रिपोर्ट 2 सितम्बर को छपी। मैं यह जानना चाहता हूं कि आर्थिक कार्यों पर बनी उस उच्चतम राजस्व समिति ने क्या-क्या बड़े-बड़े निर्णय लिए आप जिसके चैयरमैन थे।

अन्त में मैं कहूंगा कि अपने दल के प्रतिभाशाली लोगों की सेवाएं लीजिए। कांग्रेस (इ) के पास ऐसे प्रतिभाशाली सदस्य हैं जिनकी सेवाएं आप प्रतिरक्षा के लिए ले रहे हैं। आपके पास वसन्त दादा पाटिल, श्री आर० एल० भाटिया, श्री मोहन लाल सुखाड़िया जैसे और चिन्तामणि पाणिग्राही जैसे प्रतिभाशाली लोग हैं। आप उनकी सेवाएं केवल अपने बचाव के लिए ले रहे हैं। आपको इन प्रतिभाशाली लोगों की सेवाएं लेनी होंगी जो राजनैतिक और आर्थिक दूरदृष्टि से सम्पन्न हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक आप इस वर्तमान शून्य-प्रतिभाशाली सरकार द्वारा कुछ भी प्राप्त करने में सफल नही हो सकते। कृपया ऐसा अवश्य कीजिए।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने कांग्रेस (इ) के कुछ प्रतिभाशाली नामों का उल्लेख किया और उनके मंत्री-मंडल में लिए जाने के लिए उनकी प्रतिभापूर्ण योग्यताओं के बारे में बताया। श्रीमती इन्दिरा गांधी उन्हें नहीं चुनेंगी क्योंकि उनके नामों की वकालत विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने की है। अतः विपक्ष के सदस्य के इन शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री हरीश चन्द्र रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस सम्मानित सदन के सामने प्रतिपक्ष के कई विद्वान मित्रों ने अपनी भावनाओं को रखा है।। हमारे कई लायक

दोस्तों और सम्मानित नेताओं ने उन अपरिहार्य कारणों पर अपने विचार प्रकट किये हैं, जिन्हें वे मूल्य-वृद्धि के लिये जिम्मेदार समझते हैं। जिस तरीके से हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने अपने विचारों को प्रकट किया—केवल प्रो० दण्डवते को छोड़कर—अधिकांश ने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आम आदमी के जीवन के सवाल को जोड़ने की कोशिश की। मैं समझता था इस सदन के सामने बहुत सारी राजनीतिक बहसें हमने की हैं, हमने अपने दलगत विचारों को यहां पर व्यक्त किया है लेकिन आज मुझे आशा थी कि प्रतिपक्ष के हमारे दोस्त कुछ ऐसे ठोस सुझावों को इस सदन के समक्ष पेश करेंगे जिन पर हमारा वित्त मंत्रालय कुछ अमल कर सकेगा।

आज जिस स्थिति से हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों को इतना क्रोध है, इतना रोष है, मैं समझता हूं उनको अपने दिल पर हाथ रखकर विचार करना चाहिए कि इस स्थिति को पैदा करने के लिए कौन जिम्मेदार है। यह जो मूल्य वृद्धि, आर्थिक अराजकता और कुशासन का नाजायज बच्चा है वह किसकी सन्तान है ? आज हमें उनकी अवैध सन्तान को नियन्त्रण में लाना पड़ रहा है। उसको हम एक दम समाप्त भी नहीं कर सकते हैं, उसको हमें पालना भी पड़ रहा है। मैं उस समय की बात नहीं कहता, इस सदन के सामने आप भी इस मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में प्रतिपक्ष अपना दो मुहां स्वरूप प्रकट कर रहा है। एक तरफ आम आदमी का जीवन दिन प्रति दिन दूभर होता जा रहा है, आवश्यक चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्रतिपक्ष के मित्र जगह-जगह आंदोलन खड़े कर रहे हैं। आप फैक्टरीज को ही लीजिए। जब हमारे मित्र शासन से हटे तब कई फैक्टरीज बन्द थीं लेकिन हमने उनको खोलने की कोशिश की परन्तु आज वहां मजदूरों को भड़काया जा रहा है, केवल देश के उन भागों में ही नहीं जहां पर कि कांग्रेस का शासन है बल्कि जहां पर कांग्रेस की सरकारें नहीं हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल है। एक तरफ़ सारा बंगाल अंधकार में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ वहां के कल-कारखाने, जो कि आवश्यक वस्तुयें उत्पादित करके जनता को देते थे, वह बन्द पड़े हैं। दामोदर वैली प्रोजेक्ट की यूनियन, जिस पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा है, वह वहां पर विद्युत पैदा करने में अड़ंगेबाजी लगा रही है। अपने ही लोगों के साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार क्या कर रही है, इसको समझने की आवश्यकता है। शहरों में प्रतिपक्ष के नेता बड़ी-बड़ी मीटिंग्ज को एड्रेस करते हैं तो हमारे ऊपर दोष देते हैं लेकिन दूसरी तरफ हिन्दुस्तान के किसानों को आंदोलन के लिए भड़का रहे हैं, वे किसानों से कह रहे हैं कि आंदोलन करो, अधिक मूल्य मांगो लेकिन वे यह नहीं सोच रहे हैं कि यदि उनकी चीजों का अधिक मूल्य दिया जाएगा तो उससे सम्बन्धित जो और दूसरी चीजें हैं उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। आज जिन चीजों की कीमतें आसमान पर हैं उनको आसमान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेने से वे इनकार नहीं कर सकते हैं। मैं पहले समझता था कि कुलकर्ण के नेता केवल चौधरी चरण सिंह ही हैं लेकिन आज मैं श्री चव्हाण और प्रो० दण्डवते को भी उनमें शामिल देखता हूं तो मुझे आश्चर्य और दुःख होता है। मेरा निवेदन है कि प्रतिपक्ष को अपनी इस दोमुही नीति को त्यागना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि प्रतिपक्ष को सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं है, उसे सरकार की आलोचना करनी चाहिए लेकिन वह आलोचना स्वस्थ होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए, वह आलोचना विध्वंसात्मक नहीं होनी चाहिए।

जनता पार्टी के लोगों को आज यह स्वीकार करना होगा कि वे कुछ ऐसी बुराइयां देकर गए हैं जिनके दूर करने में बड़ा टाइम लगेगा। आप 1974 की रेल हड़ताल को ही ले लीजिए। उसमें अनुशासनहीनता के लिए जिनको निकाला गया था उनको जनता पार्टी ने पुनः नौकरी दे दी। उनका परिणाम यह हुआ कि जो लोग अनुशासनहीन, गलत और भ्रष्ट थे वे सोचने लग गए कि यदि आज सरकार निकालेगी तो आने वाले समय में फिर नौकरी मिल जायेगी। इन सब चीजों को, इन सारे इन्फास्ट्रक्चर को जिस तरह से उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की है, जो कि हमारे अर्थिक मंत्रालयों से सम्बन्धित थे, उसी सबका परिणाम आज हमें भुगतना पड़ रहा है।

आज मैं एक बात माननीय वित्त मंत्री जी से जरूर कहूंगा कि हम आज केवल अपने प्रतिपक्ष पर उनकी गल्तियों को थोप कर बच नहीं सकते हैं। हमने अपने चुनाव में जनता से वायदा किया है कि हम उनकी गल्तियों को दुरुस्त करेंगे, हमें इस सम्बन्ध में कुछ ठोस कार्यवाही करनी पड़ेगी। हमको आज इस बात पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि जो हमारे उत्पादन साधन हैं, उनको जिस तरह से आज हमारे प्रतिपक्ष के लोग गड़बड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से बाधा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सम्बन्ध में हमें कुछ ठोस कदम उठाने चाहिये, ताकि हमारे उत्पादन में किसी प्रकार की बाधा पैदा न हो सके। यदि जरूरत पड़े तो हमें जनता ने जो मेनडेट दिया है उसको दृष्टि में रखते हुए, आर्थिक अनुशासन कायम करने के लिए यदि आर्थिक एमर्जेन्सी भी लागू करनी पड़े तो उसे भी लागू करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी प्रतिपक्ष के प्रति नहीं है, हमारी जिम्मेदारी उन मूल्यों के प्रति नहीं है जो देश में कठिनाई पैदा करें, बल्कि हमारी जिम्मेदारी उन मूल्यों के प्रति है जो हिन्दुस्तान की जनता का कल्याण कर सकती हैं, जिन मूल्यों के लिये हमने जनता से वोट मांगा है और जिस के लिए उन्होंने हमें अपना वोट देकर यहां भेजा है।

दूसरी बात यह है कि कृषि फ्रंट पर जहां हम लोग प्रतिपक्ष द्वारा किसानों को भड़काने के लिए उनकी आलोचना करते हैं, वहां इस पर भी विचार करना चाहिए कि जहां हम मिलों में काम करने वाले मजदूरों को और दूसरे लोगों को उत्पादकता के लिए बोनस देने जा रहे हैं, वहां हम किसानों को क्या दे रहे हैं ? किसान और उसका परिवार सुबह से लेकर रात तक, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम करता है, उस व्यक्ति को क्या मिलता है और आज उसकी क्या हालत है—क्या हमने कभी इस पर ध्यान दिया है ? आज भी हम उसको इगनोर करते रहें, तो किसान भी एक दिन संगठित होकर यदि हड़ताल कर देगा, तो सारा हिन्दुस्तान भूखा मर जायेगा। इसलिये दोनों के बीच में सन्तुलन करने की कोशिश करनी चाहिए। जहां मिलों में काम करने वाले मजदूरों का बोनस बढ़ना चाहिए, उनकी सुविधायें बढ़नी चाहिये, वहां हमें किसानों की भी सुविधायें बढ़ानी चाहिये, उनको प्रलोभन देना चाहिये, ताकि वे अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें और इस तरह से जब चीजें अधिक उत्पादित होंगी तो मूल्य अपने आप गिरेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की जनता ने प्रतिपक्ष के आरोप और प्रत्यारोपों के बावजूद भी कल जो चुनाव के परिणाम निकले हैं, उसमें हमको पूरा समर्थन दिया है। जिन्होंने महाराष्ट्र में किसान आन्दोलन की शुरुआत की, उन सब विपक्षी दलों के प्रत्याशी को केवल 8 हजार वोट मिले और हमारे मुख्य मंत्री जी को हजार वोट मिले। यह इस बात का प्रतीक है कि हिन्दुस्तान की जनता आप पर कितना विश्वास रखती है।

अन्त में मैं एक उर्दू की कपलेट आपके सामने रख कर अपना भाषण समाप्त करता हूं—

हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन,
हम तो मर जायेंगे, तुम्हारा पैगाम आने तक।

श्री यशवंतराव चव्हाण (सतारा): सभापति महोदय मैं समझता हूं कि मैं वाद-विवाद की समाप्ति पर बोल रहा हूं और मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैं कुछ बातों की जो मेरे दिमाग में हैं संक्षेप में कहूंगा। मैं मूल्यों पर इस चर्चा को अलग रूप से एक तकनीकी चर्चा नहीं मानता हूं यह वास्तव में समस्त अर्थव्यवस्था के कार्यकरण पर एक चर्चा है। मूल्य वृद्धि अथवा मूल्यों में कमी—समस्त अर्थव्यवस्था के कार्यकरण का सूचक है। अतः जब हम मूल्य वृद्धि पर चर्चा करते हैं तो हम समस्त अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हैं और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करते हैं सामान्यतया हम अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में तब सुनते हैं जब बजट पर वाद विवाद अथवा चर्चा के समय आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। मैं समझता हूं और मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि यही समय है वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार अथवा विशेषज्ञ अपनी आर्थिक समीक्षा लिखना आरम्भ करता है। मुझे वास्तव में उस व्यक्ति पर दया आती है। वह सिवाय इसके कि अच्छा मानसून था, और क्या लिख सकता है? सम्भवतः उसे वहीं रुकना पड़ेगा।

मुझे डा० पट्टाभि सीताराम्मैया की याद आती है। वे एक अच्छे और मजेदार व्यक्ति थे। कई दशक पहले हम अपने जिले में थे। हम दौरे पर आये थे। स्वभावतः उस समय हम ऐसी स्थिति में नही थे कि हम उनके लिए एक शानदार कार की व्यवस्था करते। हमारे पास केवल एक पुरानी कार थी—जो हमने उन्हें दी। जब वह वापस आये तो हमने उनसे पूछा कि आपको कोई तकलीफ तो नही हुई? उन्होंने उत्तर दिया, हां, हां सिवाय इसके कि कार का प्रत्येक पुर्जा आवाज कर रहा था। हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था पर देखें और मुझे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कहने के लिए कहा जाये तो मैं कह सकता हूं कि सिवाय मूल्यों के सब कुछ में असफलता ही है। यही स्थिति है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इसका ऐसा अर्थ नहीं लगायेंगे क्योंकि वह इस कठिन स्थिति में अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें इसकी जानकारी है। यह व्यक्तिगत आलोचना नहीं है। यह ऐसी स्थिति है जिसमें हमने अपने आपको धकेल दिया है अब चाहे यह इस सरकार अथवा दूसरी सरकार के कारण हैं। किन्तु वर्तमान स्थिति क्या है जिसे हमें यहां प्रस्तुत करना है? हमने इस पर इस कारण चर्चा की मांग की कि हम

भारत के लोगों के विचारों को यह कहते हुए प्रकट करना चाहते थे कि वे मूल्यों में वृद्धि के कारण दुखी हैं। यही कारण है कि हम सरकार से यह सुनिश्चित करना चाहते थे। हमने ऐसा नहीं किया। अब हम मूल्य स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। किन्तु चर्चा से भी सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है और यही हम कर रहें हैं। अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है? हम इस स्थित के बारे में क्या करने जा रहे हैं ? मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता और आंकड़े पेश करना नहीं चाहता क्योंकि वस्तुत: प्रत्येक व्यक्ति ने यहां आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मूल्य वृद्धि हुई है चाहे यह 1977 में अथवा 1978 में आरम्भ हुई थीं। मैं इसके बारे में स्वयं अपने अनुभव से कह सकता हूं क्योंकि मूल्य वृद्धि की 1972-1974 की इस भयावह अवधि के दौरान मै वित्तमंत्री था। यदि आप उस समय की अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों और भारत में 7-8 से अधिक राज्यों की अकाल की स्थिति को साथ- साथ लें तो आप मुद्रास्फीति के कारणों को विस्तार से बता सकते हैं।

मैं प्रो० मधु दण्डवते को सूचनार्थ बता सकता हूं कि मूल्यवृद्धि अक्तूबर, 1974 में शुरू हुई थी और तब से मूल्य बढ़ते ही गये। इसका प्रमाण श्री सुब्रह्मण्यम का 1975 का भाषण है। कुछ लोग इसके लिए आपात स्थिति का लाभ उठाते हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि आपात स्थिति के लाभ भी हैं। और हानियां भी हैं। मुझे चाहे यह पसन्द हो या न हों मुझे इस बारे में कुछ और आलोचना करनी है किन्तु आपात स्थिति का मूल्यों में गिरावट आने से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह सितम्बर 1974 में लिए गये कुछ बहुत कठिन एवं अप्रिय निर्णयों के फलस्वरूप शुरू हुई थी। हमने वे निर्णय लिए थे और वास्तव में उनके कारण ही मूल्यों में गिरावट आई थी। यह 1975 तक चलती रही और 1976 में तथा 1977 तक भी रही। फिर आपको यह जनता पार्टी के शासन में मिली और इसे आपने कुछ समय तक बनाये रखा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हमने इसे बिगाड़ा नहीं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कम से कम आपने नहीं किया। यदि आप उसके लिए श्रेय चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह निश्चित है कि यदि आवश्यक हुआ तो कुछ अप्रिय निर्णय लेकर किन्तु आर्थिक निर्णय···। किसी सदस्य ने आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ कहा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि आर्थिक स्थिति राजनीतिक दाव-पेच से सुलझ नहीं सकती है, आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए आर्थिक समाधान ढूंढे जा सकते हैं, अत: इस समस्या की गहराई में जाना आवश्यक है।

यदि आप बुरा न मानें और यदि आप मित्र के नाते इस बारे में आलोचना को बुरा न समझें तो मैं यही कहूंगा कि जहां तक आर्थिक मामलों का सम्बन्ध है मुझे एक प्रकार की निष्क्रियता की प्रवृत्ति तथा दिशाहीनता दिखाई देती है। उनके स्वयं अपने ही दल में योग्यता का उपयोग नही हो रहा है। हमारी ओर से कोई पेशकश नहीं हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। कहीं शक्ति का अनावश्यक संकेन्द्रण है। निर्णय लेने की इच्छा नहीं है। शक्तियों का

प्रत्यायोजन करने की इच्छा नहीं है स्वतन्त्ररूप से काम करने की इच्छा नहीं है और जहां असहमति प्रकट करना आवश्यक है वहां असहमति प्रकट करने की इच्छा नहीं है। इससे सरकार के कार्यचालन तथा अर्थव्यवस्था के कार्यचालन में कठिनाई आ गई है। मुझे जो पसन्द नहीं है वह है दिशाहीनता, निष्क्रियता की ऐसी प्रवृत्ति अपनाना कि सब कुछ ठीक है। मैं यह बिल्कुल मानता हूं कि प्रधान मंत्री ने अपनी भेंट में स्वीकार किया था कि कीमतें बढ़ी हैं उन्होंने बड़ी बुद्धिमता से यह वायदा नहीं दिया कि कीमतें नीचे लाई जायेंगी। उन्होंने सोच-समझकर कहा कि प्रयत्न करेंगे और देखेंगे यह कैसे हो सकता है। यह ठीक है। किन्तु यह काफी नहीं है। आपको आगे कदम उठाना है और कुछ ठोस कार्यवाही करनी है। सरकारी क्षेत्र कार्य का मूल क्षेत्र है। आप सरकारी क्षेत्र के कार्यकरण को कैसे सुधार सकते हैं ?

माननीय वित्त मन्त्री ने अपना बजट पेश करते हुए मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के बारे में वक्तव्य दिया है। इसके दो जरिये हैं। या तो आप सप्लाई का विस्तार कीजिए या मांग पर नियन्त्रण कीजिए। उन्होंने सप्लाई का विस्तार करने का मार्ग अपनाया। मैं उनके वक्तव्य से यही समझा। यदि मैं गलत हूं तो मुझे सही बात बता सकते हैं। अभी मैं देखता हूं कि न तो सप्लाई का विस्तार हुआ है और न मांग पर नियन्त्रण हुआ है। श्री कमलनाथ जो कुछ कह रहे थे वह ठीक ही था। मैं उनसे सहमत हूं। किसी विकासशील अर्थव्यवस्था में कोई यह नहीं कह सकता कि मुद्रा स्फीति बिल्कुल नहीं होगी। किन्तु कितनी होगी ? यहां तक कि विकसित देश भी 4 प्रतिशत से अधिक मुद्रास्फीति सहन नही कर सकते। कोई विकासशील देश ज्यादा से ज्यादा लगभग 4 से 5 प्रतिशत अर्थात् 1 प्रतिशत और अधिक मुद्रास्फीति ही बरदास्त कर सकता है। यह बात तो समझ में आती है। आप कितनी मुद्रा स्फीति करेंगे ? श्री दण्डवते ने भविष्यवाणी की कि वित्त मंत्री को 3,000 करोड़ रुपये की घाटे की वित्त व्यवस्था प्रस्तुत करनी पड़ेगी। मैंने वित्त मंत्री को सिर हिलाते देखा और 'ना' कहते देखा।

प्रो० मधु दण्डवते : उनके कहने का अर्थ था कि यह उससे भी अधिक है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं नहीं जानता कि सही कौन है। मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्री सही हैं और यही चाहते हैं कि उन्हें उस हद तक न जाना पड़े। वर्तमान मुद्रा स्फीति के दबाव में आपके पास केवल दो विकल्प हैं। या तो आप घाटे की वित्त व्यवस्था बढ़ाइए या अपने प्राथमिकता के क्षेत्र को और अधिक निवेश से वंचित रखिए। किसी भी विकासशील देश में घाटे की वितव्यवस्था का सहारा लेना ही पड़ता है। किन्तु इसका कितना सहारा लें ? यदि आप हजारों में जायेंगे तो आप देश को बर्बाद कर देंगे। श्री चरणसिंह ने यही किया और आपने इस वर्ष जो कुछ किया उसी से हम इस स्थिति में आ पहुंचे हैं। मेरे विचार से भारत जैसा देश अधिक से अधिक 500 करोड़ रुपये की घाटे की व्यवस्था कर सकता है किन्तु इससे अधिक नहीं।

श्री राजेश पायलट (भरतपुर) : आपने देश से यह खोज की है।

श्री यशवंत राव चह्वाण : कभी नही करने से देर भली है। मेरा यह विचार है और मैं

यह अवश्य कहूंगा। आप खड़े होकर कह सकते हैं कि आपका क्या विचार है। आज यह स्थिति है। उदाहरण के लिए कृषि, उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारे देश के लगभग 70 प्रतिशत लोग खेती में लगे हुए हैं। और केवल इसी क्षेत्र में उत्पादन के लिए प्रोत्साहन की कमी है। कृषि क्षेत्र से भारत को गत डेढ़ दशकों में क्या सहायता मिली। जैसा कि इन्दिरा जी ने अपनी भेंट में कहा भारत को बचाने के लिए चमत्कार हुआ है। मैं कहूंगा कि कृषि एक चमत्कार है। गत डेढ़ दशकों में पंजाब, आन्ध्रप्रदेश और अन्य भागों ने देश की मदद की। उन्होंने अधिक गेहूं अधिक चावल का उत्पादन किया। महाराष्ट्र ने अधिक चीनी का उत्पादन किया और कुछ अन्य क्षेत्रों ने इसी प्रकार अन्य वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया। आज हम कृषि क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं? आप सिंचाई के लिए कुछ कर रहे हैं? कृषक को अपनी अर्थव्यवस्था पर विचार करना है। उसे देखना है कि क्या उसे खेती में उत्पादन करने से लाभ होगा। क्या वास्तव में उसे खेती करते रहना चाहिए? यह प्रश्न है जिसे किसी भी सरकार को अपने आप से पूछना चाहिए। दुर्भाग्यवस, उत्तर 'ना' है। आप किसी भी क्षेत्र को लीजिए। चाहे कृषि में ही हो— मैं उन माननीय सदस्य का नाम नहीं जानता जिन्होंने कहा कि हम कुलक हैं क्योंकि हम किसानों की मदद करते रहे हैं। यदि किसानों की मदद करने से हम कुलक कहलाते हैं तो हमें कुलक बनना पसंद है। हमें किसानों की मदद करनी चाहिए। किसान ही भारत की अर्थव्यवस्था के मुख्य सहायक हैं। यदि किसानों ने गत डेढ़ दशकों में जो कुछ किया वह नहीं किया होता तो हम कहीं के नहीं रहते। जो आन्दोलन शुरू हुआ है वह महत्वपूर्ण आन्दोलन है। इससे सचेत हो जाइए। वे गन्ने और वास्तव में प्याज, गन्ना, चावल, गेहूं तथा अपने सभी उत्पादों की अधिक कीमत की मांग कर रहे हैं। अब किसान को औद्योगिक कृषि सामग्री—जैसे कई किस्म की सामग्री का कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोग करना पड़ता है। आपको किसान की मदद करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि या तो आप कृषि में काम आने वाली सामग्री का मूल्य कम करें या उन्हें उनके उत्पादन का अधिक मूल्य दें। यदि आवश्यक हो तो आप उत्पादकों के मूल्य बढ़ा सकते हैं और सम्भवत: उपभोक्ता मूल्यों में भी—वृद्धि कर सकते हैं। आपको राज सहायता देने का विचार करना होगा और उत्पादकों को राज सहायता देनी होगी— तथा उपभोक्ताओं को भी राज सहायता देनी— होगी। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है (व्यवधान)। आप घाटे की वित्त व्यवस्था कर रहे हैं। मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि कम से कम कुछ लोगों के साथ न्याय करके घाटे की वित्तव्यवस्था कर रहे हैं। यह बड़ी कठिन समस्या है और मैं जानता हूं कि यह कठिन ही समस्या है हम अपनी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में कई बाधाओं का सामना कर रहे हैं। आज हमारा मूल प्रयोजन क्या है हमारी दिशा क्या है? जब मैं दिशा कहता हूं तो मेरा अर्थ आपकी प्राथमिकताओं से है। यह किस प्रकार की दिशा है? हमारी दिशा इस देश में सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन लाना होना चाहिए। आप अन्ततः जो कुछ भी करें आपको देखना होगा कि क्या आप यह ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं, उर्वरक, बिजली उत्पादन, रेलें, कोयला, कृषि आदि। यही उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। मुझे मालूम है कि आपने एक उप-समिति की स्थापना की है। यह तो ठीक है किन्तु हम यह नहीं जानते कि यह उप-समिति क्या कर रही है। हमें समितियां अथवा उप-समितियों की

आवश्यकता नहीं है। तथा राष्ट्र को तो परिणामों में दिलचस्पी है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या कुछ परिणाम हैं। आपने कहा है अथवा देश को वचन दिया है कि आप सप्लाई का विस्तार कर मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण कर लेंगे। आप निश्चय ही ऐसा कर सकते थे। किन्तु सप्लाई में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह देश का दुर्भाग्य है और मैं यह अनुरोध करता हूं कि हम जो आलोचना कर रहे हैं उसे रचनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। मैं आलोचना के लिए ही आलोचना नहीं कर रहा हूं। श्री सुखाड़िया ने कहा है कि विपक्ष अराजकता चाहता है। मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं—हम पुराने मित्र हैं— हम अराजकता की बात नहीं सोचते हैं। हमें अराजकता नहीं चाहिए। हम अराजकता पैदा नहीं कर रहे हैं। हम इस देश की सुव्यवस्थित प्रगति चाहते हैं। हम देश की एकता और अखण्डता चाहते हैं। इसके लिये हम हमेशा अपने सहयोग की पेशकश करते रहे हैं और हम हमेशा सहयोग देने के इच्छुक हैं किन्तु सरकार को देश के सम्बन्ध में अपनी सनक है अपना दृष्टकिोंण है और आप यह कहते हैं कि विपक्ष सहयोग नहीं दे रहा है। दुर्भाग्य से आप स्वयं से सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम इस सम्बन्ध में क्या कर सकते हैं यह आधारभूत कठिनाई है। अतः मेरा यह सुझाव है कि आप उत्पादन के प्राथमिक क्षेत्रों का पता लगायें। आप समाज के उन अधिक महत्वपूर्ण वर्गों का पता लगाये जो उत्पादन के लिए आवश्यक है। आप उन्हें क्या प्रोत्साहन देते हैं यदि आवश्यक हो तो आप राज सहायता देने पर भी विचार करें। अन्ततः आपको आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियन्त्रण करना होगा, विशेष कर उस गरीब आम व्यक्ति के लिए जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है। उसके लिए कम से कम 10-12 वस्तुओं के नाम निश्चित कर दीजिये। उन्हें यह बात बताने से कोई लाभ नहीं कि क्योंकि इनकी उत्पादन लागत बढ़ गई है अतः इनकी कीमत में भी वृद्धि हो गई है। आप इसके लिए कोई राजनीतिक समाधान खोजें। इसके लिए किसी प्रकार की राजसहायता की बात सोचिए। कम से कम गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली जनता को आप 10, 12 अथवा 15 आवश्यक वस्तुएं सप्लाई कीजिये। आपके पास वितरण व्यवस्था उपलब्ध है। दो दशकों से भी अधिक अवधि से आपके पास वितरण व्यवस्था है। इसमें सुधार कीजिए। इसे बढ़ाइए। इसे प्रभावी बनायें और गरीब जनता के कंधों के बोझ को हलका करें। मैं यही बात कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा उनका भाषण संक्षिप्त होने के साथ-साथ मधुर भी होगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठने वाला कोई भी व्यक्ति या माननीय सदस्य साहस के साथ नहीं कह सकता कि मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है। मूल्यों में वृद्धि हुई है, इस बात को मानना पड़ेगा। इसके कारण आम जनता में आक्रोश और असंतोष है, यह भी मानना पड़ेगा। अब असंतोष को उग्र रूप कौन देता है, इसके लिए मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जिस रूप में आप उनको उकसाते हैं क्या उससे हमारा उत्पादन बढ़ने वाला है ?

एक बात जरूर हो गई है कि आज की राजनीति कुर्सी के पीछे घूम रही हैं। यह कुर्सी की राजनीति इतना दुःख दे रही है कि आज मजदूर नेता कहते हैं कि हमें रेलवे को बोनस देना है, एक कहता है कि हमें पी० एण्ड टी० डिपार्टमेंट को बोनस देना है, चाहे मुद्रास्फीति कितनी ही हो जाए, चाहे वे काम न करते हों, लेकिन उनको बोनस देना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में भी बोनस देना है, क्योंकि वे मजदूरों के नेता हैं। एक तरफ किसानों को चाहने वाले आवाल लगाएंगे कि इनके भाव बढ़ाइए और यहां आकर कहेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की तन्ख्वाहें बढ़ाइए, हम अभी तक समझ नहीं पाए। तो आज की राजनीति कुर्सी की राजनीति बन गई है। चाहे उधर बैठने वाले हों, चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे तीन हजार करोड़ रुपए का घाटा रखा हो, चाहे 1400 रुपए रखा हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमने अभी तक हिन्दुस्तान के अन्दर अपनी नेशनल वेज पालसी बना ली है। इस 32-33 साल के समय में क्या यह निर्णय कर लिया है कि हिन्दुस्तान में कुछ लोगों के पास पूंजी इतनी नहीं रहेगी ? क्या जनसंघ ने यह निर्णय कर लिया है कि हम मुनाफाखोरी और जमाखोरी को रोकेंगे ? आप बतलाइए कि विरोधी दल में बैठने वाले किसी सज्जन ने उस मुनाफाखोर, जमाखोर के खिलाफ कभी शिकायत की और कांग्रेस सरकार को बतलाया कि वह आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है। नहीं, उनके सामने यह बात नहीं कही। अगर यह बात आपने कही होती और भण्डाफोड़ किया होता तो आज यह स्थिति न होती।

एक बात जरूर है कि आज की नौकरशाही पर हमारी सरकार का मजबूती से कब्जा नहीं हैं और यह मानना होगा कि हमारी वितरण प्रणाली दोषपूर्ण है। हमारी वितरण प्रणाली में सुदृढ़ता नहीं आई, मजबूती नहीं आई, गांव-गांव में लोगों तक राशन नहीं पहुंचा, इसके लिए हम मालूम करें कि क्या हमारे आफिसर्स, हमारे इंस्पेक्टर्स ईमानदार हैं !

आपने प्रिवेन्टिवडिटेंशन एक्ट बना दिया, असेंशियल कमोडिटी एक्ट बना दिया। एक बात मिनिस्टर लोग बड़ी अच्छी कहते हैं कि हम जमाखोरों के खिलाफ, सख्त कार्यवाही करेंगे, तब मुनाफाखोर सोचता है कि यह मजाक अच्छा है। जब यह चेतावनी देते हैं तो मखौल समझते हैं, वे सोचते हैं कि आज मखौल की बात हुई है। क्या किसी को मालूम नहीं हैं कि ब्लैक-मनी चल रही है। क्या हममें हिम्मत है कि हम ब्लैक मनी को निकाल सकें ? क्या यहां पर बैठने वाले सदस्य अपनी पूंजी की घोषणा करेंगे ? आपको उसकी जांच करानी चाहिए। हम सब यहां की जनता के प्रतिनिधि हैं। हमको यह पता लगाना चाहिए कि उनके पास कितनी पूंजी है। उसकी जांच होनी चाहिए।

हम कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं लेकिन साथ-साथ अपनी कुर्सी की बात करते हैं। ये दोनों बातें साथ-साथ नहीं चल सकती हैं। जीवन बीमा निगम वालों की अगर हड़ताल होती है तो यहां पर कालिंग एटेंशन आ जाता है। रेलों में होती है तो ऐसा ही होता है। अब

तो 27 नवम्बर को बंगाल बन्द होगा। उसमें सरकार मदद कर रही है। क्या यह बहुत अच्छा काम वहां की सरकार कर रही है ? क्या यह तारीफ का काम है ? हम सबको यह देखना चाहिए कि जो राष्ट्रीय सवाल हैं वे पार्टी से ऊपर उठकर हल किए जाएं।

आंकड़े मैं देना नहीं चाहता हूं। मैं महाजन का लड़का हूं। मैं जानता हूं कि पचास रुपया क्विंटल चीनी के दाम कम हो गए हैं। यह एक बीक में हुए हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि यह कोई परमानेंट चीज है। रिजर्व बैंक ने ग्यारह सौ करोड़ की पूंजी कम दे दी। इसको भी मैं मानता हूं। लेकिन असली बात तो यह है कि हमारी जो नौकरशाही है, हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं वे पूंजीवादी और तानाशाही प्रवृत्तियों से जकड़े हुए हैं। उनके खिलाफ हम कुछ करते नहीं हैं। यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों का सवाल आता है और वकील लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि जजों की तनख्वाहें बढ़नी चाहियें। आम आदमी का वेनिफिट किस में है इसको कोई सोचता ही नहीं है। पार्टी हित को हम पहले लेते हैं। रोज—जीरो आवर में आप देखते ही हैं कि कितना हल्ला होता हैं और कितना समय उसमें नष्ट हो जाता है। साढ़े छः सौ रुपए या भगवान जाने कितना रुपया एक मिनट का यहां खर्च होता है। लेकिन उसकी परवाह न करते हुए बराबर हम यहां हल्ला करते रहते हैं और यह जानते हुए इन सवालों को उठाते हैं कि नियम इनकी इजाजत नहीं देते हैं। उत्पादन पर हमको जोर देना होगा, उत्पादन हमको बढ़ाना होगा। आपको सख्ती से काम लेना होगा। वितरण प्रणाली को आपको सुदृढ़ करना होगा। गांवों में नौकरशाही के बल पर आप चाहें कि कुछ सार्वजनिक हित के काम हों तो यह मुमकिन नहीं हैं, आपको उन कामों में पब्लिक के आदमियों को इनवाल्व करना होगा। काले धन को निकालना होगा। काले धन को निकालने के लिए आपको हिम्मत से काम लेना होगा। फौलादी संकल्प लेना होगा और साहसिक कदम उठाने होंगे। इंसान जो चाहता है कर गुजरता है अगर वह हिम्मत से काम ले। वक्त किसी का इन्तजार नहीं करता है। आप ये सब कदम उठाएं। नोटों का आप डीमोनेटाइजेशन कर दे। कुछ तो आप करें ताकि मालूम तो हो कि आप कुछ करेंगे। इनकम टैक्स आफिसर्स को, कस्टम आफिसर्स को आप कहिए। सरकारी आदमी जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको आप इससे विरत कीजिए। आप उपाय करें ताकि वे पूंजीपति लोगों से मिले न रहें। आप यहां मुझ पर और मैं आप पर लांछन लगाते हैं। यह ठीक नहीं है। जो गरीब आदमी गांव का है, उसको क्या मैं जाकर इकोनोमी के स्टेटिसटिक्स बताऊंगा, आंकड़े बताऊंगा ? गांव में रहने वाले लोगों की जो मिट्टी के तेल की जरूरत है उसको आंकड़े बताकर पूरा नहीं किया जा सकता है। उसको आंकड़े नहीं चाहिए। ये जो राष्ट्रीय प्रश्न हैं, आम जनता से सम्बन्धित प्रश्न है इनको हल करने में मेहरबानी करके आप सरकार से सहयोग करें। आप बड़ी-बड़ी मीटिंगे करते हैं, जनता पार्टी की होती हैं, कांग्रेस यू की होती है और वहां बहुत प्रस्ताव भी पास किए जाते हैं जो हिन्दुस्तान टाइम्स और टाइम्स आफ इंडिया वगैरह में छप जाते हैं लेकिन कभी कोई कंस्ट्रक्टिव सजैशन उनमें दी गई हों, ऐसा मैंने नहीं देखा है। सभी संस्थाओं का यह हाल है। बहुत विरोध सरकार का वे करती हैं। लेकिन सुझाव कोई नहीं दिए जाते हैं।

असम के सवाल को आप लें। असम में तीन करोड़ या चार करोड़ रोज का नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बहुत अच्छा हो रहा हैं। क्या अच्छा हो रहा है—

प्रो० मधु दण्डवते : ट्राइपार्टाइट कान्फ्रेन्स करने का डिसाइड तो किया है।

श्री मूलचन्द डागा : वह अभी हुआ है।

प्राइसिस पर कंट्रोल तो होना ही चाहिए, उनको नीचे तो लाया ही जाना चाहिए लेकिन साथ-साथ नेशनल वेज पालिसी भी बननी चाहिए। आपको यह कहता हूं कि जो डिस्पैरिटी है, उसको आपको कम करना होगा, खर्च पर बन्धन लगाना होगा। आज शादियों में जीमनवार हो रही है, इधर लोगों को शक्कर नहीं मिल रही है। इधर बड़े-बड़े भोज हो रहे हैं तो यह कैसे हो रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास ऐसेन्सियल कमोडिटीज एक्ट हैं, प्रिसैटिव डिटेंशन एक्ट है, हम ब्लैकमनी को निकाल सकते हैं, निकालना होगा और जो पैरेरल इकनामी चल रही है, उसको भी हटाना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दीवारों पर हम लोगों का नाम भी होगा कि लोक सभा के सदस्यों ने, हिन्दुस्तान के नुमाइन्दों ने यह सबसे बड़ी जो सर्वोच्च संसद है, सर्वोच्च सत्ता है, इसमें बहस की थी, लेकिन प्राइस राइज कम नहीं हो रहा है। अगर प्राइज राइज और बढ़ जायेगा तो लोग हमको दोषी ठहराएंगे, इसलिए ऐसा कदम उठाइये जिससे प्राइस राइज कम हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री योगेन्द्र झा, कृपया आप पांच-पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री योगेन्द्र झा : महोदय, यदि आप मुझे बैठने के लिए कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : समय दल के अनुसार आवंटित किया जाता है।

श्री रामावतार शास्त्री : उन्हें उनका पूरा समय मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल को पांच मिनट का समय आवंटित किया गया है।

श्री रामावतार शास्त्री : दूसरी ओर से कुछ सदस्यों ने अधिक समय ले लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी सूचना के लिए आपको बतादूं गा, विपक्ष ने दुगुना समय लिया है। सत्तारूढ़ दल ने उतना समय नहीं लिया है।

श्री रामावतार शास्त्री : मूल रूप से चर्चा के लिए समय चार घन्टे का आवंटित किया गया था। अब आप ने समय बढ़ा दिया है।

श्री योगेन्द्र झा : महोदय, मैं अधिक समय लेने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं समय सीमा में रहने का प्रयास करूंगा। किन्तु मैं केवल प्रयास ही करूंगा। किन्तु आपको भी एक जैसा व्यवहार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : भाषण में किसी बात को दोहराया नहीं जाना चाहिये। लगभग सभी बातें कही जा चुकी हैं। आपको नयी बातें ही उठानी चाहिये।

श्री योगेन्द्र झा : सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र प्रो० मधु दण्डवते द्वारा रखा गया प्रस्ताव हानिरहित, गैर-राजनीतिक तथा दलगत नहीं है। मै इसे स्थिति के अनुरूप सक्षम नहीं मानता, खैर, यह जो भी है, सभी सदस्य इस बात से सहमत है कि मूल्यों में वृद्धि हुई है और यह मामला चिन्ताजनक है। महोदय, इस प्रस्ताव को समूचे सदन की स्वीकृति मिलनी चाहिये। सत्तारुढ़ दल भी यह दर्शाने के लिए इसका समर्थन करें कि कम से कम उन्हें भी इस विषय पर चिन्ता हो रही है। प्रस्ताव में कोई कारण नहीं दिया गया है, कोई उपाय नहीं सुझाया गया है, केवल चिन्ता व्यक्त की गई है, यदि आपको भी चिन्ता है तो इस प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से पारित किया जाना चाहिए। यह मेरा पहला अनुरोध है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने, जो चुनाव-अभियान में सबसे अधिक वोट प्राप्त करती हैं और तत्पश्चात वित्त मन्त्री ने बजट भाषण में कहा है कि वह मूल्यों में स्थिरता और कमी लाने वाले हैं। मैं कारणों की बात नहीं कह रहा हूं किन्तु उनकी बातें पूर्णतयः धोखा साबित हुई हैं और उन्हें अपनी गलतियों से सबक सीखना होगा।

बजट वाले दिन, मुझे आशा है कि आपको याद होगा कि जब मैंने बजट के परिणाम के बारे में अपनी शंकाएं व्यक्त की थी, उस ओर के अनेक सदस्यों ने कहा था कि मैं गलत सिद्ध होऊंगा। उस समय अनेक विपक्षी सदस्यों ने भी बजट का समर्थन किया था। मैं यह चाहता हूं कि मैं गलत सिद्ध होता, किन्तु आप जानते हैं क्या हुआ। हमारे विपक्षी दलों के साथ सिद्धांत रूप से तथा राजनीतिक मत भेद हैं किन्तु हम उनसे इस बात पर सरकार की निन्दा करने पर सहमत हैं कि सरकार तथा वित्त मंत्री महोदय जिन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं, वह राष्ट्र और जनता के विरुद्ध हैं तथा समाज के समृद्ध वर्गों, एकाधिकारियों, जमाखोरों और काला बजारियों के पक्ष में हैं और यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है मूल्यों में वृद्धि हो रही है। उससे देश के सभी मजदूरों, मेहनतकश तथा वेतन भोगी लोगों को लूटा जा रहा है। वह पैसा कहीं तो जा रहा है। वह पैसा उन स्थानों पर जा रहा है जहां गैर-मेहनतकश और परावलम्बी लोग बैठे हैं। और वह पर्दे के पीछे से इसका संचालन कर रहे हैं। वह सोचते हैं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था उनके दिमाग के सहारे चल रही है। यही दुर्भाग्य-पूर्ण स्थिति है। हमारे वित्त मंत्री महोदय मांग और पूर्ति की बात कर रहे हैं। मेरे विचार से वह मार्शल द्वारा प्रति पादित पुराने तर्कों को दुहरा रहे हैं। यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कांग्रेस दल यह कहता है कि यह सब जनता दल की सरकार द्वारा किया गया था और जनता दल कहता है कि यह सब कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया है।

जनता यह कहती है कि दोनों दल इस देश के पूंजीवादी वर्ग के दास हैं। केवल दल का लेबल बदलता है किन्तु नीति वही रहती है।

श्री अग्रवाल ने तर्क दिये हैं कि जनता राज्य में अधिक मूल्यवृद्धि नहीं हुई थी। जनता दल की सरकार द्वारा चीनी के आधिक्य के कारण गन्ने का मूल्य 2.50 रुपए प्रति क्विंटल कम किया गया था। चूंकि चीनी का आधिक्य था अतः गन्ने की कीमतों में कमी की गई थी। किन्तु चीनी का मूल्य 15 रुपये तथा बाद में 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। और बाद में पूर्ण नियंत्रण हटा दिया गया। तब चीनी का मूल्य बढ़ कर 450 रुपए प्रति क्विंटल तक हो गया और तब उसके औसत मूल्य में स्थायि आ गया। यह उनका तर्क है।

यह रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं उत्पादकों को कष्ट उठाने दो, पूंजीपति फलते फूलते रहें। और तब आपने आंकड़ों के सन्तुलन की बात कही है। यह बड़ा ही फूहड मजाक है। यह आंकड़ों का फूहड़ मजाक है और ये आंकड़े पूंजीवादी जनता सरकार के थे और ये आंकड़े पूंजीवादी कांग्रेस (इ) सरकार के है और वित्त मंत्री ने इन आंकड़ो का उल्लेख किया और सभा में इन्हें प्रस्तुत किया है। परन्तु दोनों मामलों में जनता को लूटा गया है।

श्री समरमुखर्जी ने जो कुछ कहा है वह केवल विचारधारा का प्रश्न नहीं है। आज आपने खांडसारी और गुड़ उत्पादकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करके चीनी मिलों की रक्षा की है। यह बड़े ही दुख की बात है। आप अपने कृत्यों से जनता को आभास करा रहे हैं। कि यह सरकार किसकी है। आपकी सरकार करोड़पतियों की सरकार है न कि गन्ना उत्पादकों की, न कि देश के किसानों और मजदूरों की, न कि सामान्य उपभोक्ताओं की। ऐसी स्थिति में वस्त्रों की कीमतों में वृद्धि होती है, कपास के मूल्यों में पूर्ण या सापेक्ष कमी होती है। यह एक विरोधात्मक स्थिति है कि किस प्रकार देश के उत्पादकों को लूटा जा रहा है और दूसरी ओर गैर-उत्पादकों को अत्यधिक धन इकट्ठा करने दिया जा रहा है। और वे इस पूंजी का उत्पादन में निवेश नहीं कर रहे हैं। यह देश के लिए अच्छा नहीं है। उन्हें जितनी भी रियायतें दी गई हैं उनका पता देश के उत्पादन निवेश से नहीं चलता, क्योंकि यह अनुत्पादक पूंजी तस्करों, जखीरेवाजों और सूदखोरों के हाथों में चली जाती है। ये पूंजी को उत्पादन में नहीं लगा रहे हैं। अतः जब हम चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो वह हम कोई सैद्धान्तिक दृष्टि से नहीं करते हैं। यह चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र, उन्हें अत्यधिक उत्पादन करने दीजिए। परन्तु आज जब वे देश के विरुद्ध जा रहे हैं, आदम स्मिथ का अर्थशास्त्र काम नहीं कर रहा है। अर्थ-व्यवस्था अपेक्षाकृत स्थिर हो गई है। आज की स्थिति में विश्व के पूंजीवादी एकाधिकारी आदम स्मिथ, मार्शल या केन्ज के सिद्धान्तों पर निर्भर नही हैं। आज उनका नारा है 'स्टेगफ्लेशन' अर्थात् उत्पादन में कमी करो और कीमतों में वृद्धि करके मुनाफे में वृद्धि करो। यह गतिहीनता और स्फीति दोनों का संयोजन है। समस्या का सार यही है। प्रधान मंत्री देश को यह कहकर गुमराह कर रही हैं कि मुद्रा स्फीति एक विश्व व्यापी समस्या है जबकि वे अच्छी तरह जानती हैं कि समाजवादी देशों में मुद्रा स्फीति का कोई अस्तित्व नहीं

है। आप पूंजीवादी वर्ग को चाहे कोई भी रियायत क्यों न दें। वे उस सब का उत्पादन कार्यों में प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक सीमित बाजार में अधिक उत्पादन का अर्थ हो सकता है कम लाभ, क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति कम होगी। वे उत्पादन में कमी और मूल्यों में वृद्धि करके अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। अतः यह वर्ग समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी हो गया है। यहां केवल वर्ग के हितों का प्रश्न नहीं होना चाहिए। यहां राष्ट्रीय हित का प्रश्न उठ खड़ा होता है। इसीलिए, राष्ट्र और क्षेत्रीय हित में उत्पादन हेतु आपको अपनी मौजूदा मूल्य नीति में परिवर्तन करना होगा।

मैं वित्त मंत्री से पूछता हूं कि क्या सम्पूर्ण देश में ऐसा एक भी थोक व्यापारी है जो आवश्यक वस्तुओं का भण्डारण अपने पैसों से करता हो। मेरी जानकारी में सम्पूर्ण देश में एक भी ऐसा थोक व्यापारी नहीं है जो भण्डारण या जखीरेबाजी अपने पैसों से करता हो। जखीरे बाजी सार्वजनिक धन से की जाती है और यहां तक कि गोदामों का किराया भी बैंक देते हैं इस प्रकार सामग्री अन्दर और उपभोक्ता बाहर रह जाते हैं। और तब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार पूर्ति कम हो जाती है, मांग बढ़ जाती है। और मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। इन वस्तुओं को गोदामों से बाहर लाकर देश को दे दो। हमारे सार्वजनिक धन से ही देश को लूटा जा रहा है। यदि आप पूंजीवादी, शोषक विचारधारा का अनुसरण करना चाहते हैं। तो उन्हें यह सब अपने धन से करने दो न कि सार्वजनिक धन से। आज धन वापस ले लो कल मूल्य कम हो जाएंगें। मैं स्पष्ट रूप से वित्त मंत्री से कहता हूं कि वे यह प्रयोग करके देखें। आप सभा में घोषणा कर दीजिए कि आप थोक-व्यापारियों से धन वापस लेने जा रहे हैं और उन्हें अपना धन निवेश करने के लिए कहने जा रहे हैं। इन्हें अपना काला धन बाहर लाने दीजिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार कर दीजिए। हम यह कह रहे हैं कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है परन्तु सही समस्या यह है कि सरकार पूंजीवादियों के हाथों बिक चुकी है। यह उन्हीं की सरकार है। यही वास्तविकता है और सब मजाक है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वित्त मंत्री को मेरी बात का जवाब देने के लिए कहें।

मेरा सुझाव यह है कि आप एक समेकित मूल्य नीति का अनुसरण करें। कई सदस्यों ने यह सुझाव दिया है। आंशिक हल से काम नहीं चलेगा। आपको किसानों को उचित कीमतें देनी होगी न केवल किसानों के लाभ के लिए बल्कि कृषि उत्पादन के लिए भी यह आवश्यक है। दूसरा, प्राथमिक उत्पादक की कीमत और उपभोक्ता मूल्य के अन्तर को निर्धारित करना होगा। यह अन्तर 15, 20 या 25 प्रतिशत तक हो सकता है परन्तु एक सीमा निर्धारित कर दीजिए, ताकि सम्पूर्ण देश में वर्ष भर इस सीमा का लंघन न हो। तीसरे, थोक व्यापार को अपने हाथ में ले लीजिए। यदि आप निजी क्षेत्र को रखना चाहते हैं तो उन्हें अपने धन से ही थोक व्यापार चलाने दीजिए। उन्हें सार्वजनिक धन मत दीजिए। यह एक अपराध है। मैं केवल आवश्यक वस्तुओं के व्यापार में लगे थोक व्यापारियों के बारे में बात कर रहा हूं न कि उत्पादकों और उद्योगपतियों के बारे में, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे देश में निजी उद्योग सार्वजनिक धन पर टिका हुआ है। यदि आप इसे वापस ले लेंगे तो वह धराशायी हो जाएंगे।'

अन्त में, उन्हें अधिकतम उत्पादन करने के लिए कहिए न कि वे उत्पादन को कम करें। मजदूरों की छटनी करें। अभाव उत्पन्न करें और लाभ कमाएं। यदि वे उत्पादन नही करते तो उद्योग या उद्यम का अभिग्रहण कर लें। तस्करी और जखीरेबाजी के विरुद्ध कदम उठाइए ताकि काला धन उत्पादन में लगाने के लिए उन्हें मजबूर किया जा सके। इसके लिए आपको कपड़ा मिलों चीनी मिलों, जूट मिलों और औषधि उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना होगा। राष्ट्रीय हित केवल इसी में है न कि किसी अभूर्त राजनीतिक विचारधारा में।

आखिर में, एक सुसम्बद्ध मूल्य नीति आवश्यक है। हमें इस सभा में इसे विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा लोग इसे सहन नहीं करेंगे। आज आप बंगाल बन्द की शिकायत कर रहे हैं परन्तु कल बिहार भी बन्द होगा और यह बन्द न केवल किसानों का होगा अपितु सभी वर्गों का होगा। आप देखेंगे कि वहां क्या होता है ? मेरे विचार में लोगों को शांति से विरोध करने और यह कहने का अधिकार है कि वे वर्तमान स्थिति को सहन भी नहीं करेंगे। इसी चेतावनी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आरिफ मोहम्मद खां आपको केवल 5 मिनट मिलेंगे। (व्यवधान)।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : पांच मिनट ठीक हैं परन्तु श्री शास्त्री उसमें व्यवधान नहीं डालेंगे। मुझे आशा है कि आप यह सुनिश्चित करेंगे कि उन जैसा वरिष्ठ सदस्य व्यवधान नहीं डालेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जब नए सदस्य बोलते हैं तो केवल नए सदस्य व्यवधान डाल सकते हैं। और जब वरिष्ठ सदस्य बोलते हैं तो वरिष्ठ सदस्य व्यवधान डाल सकते हैं। अतः श्रीरामावतार शास्त्री व्यवधान नहीं डाल सकते।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में प्रस्ताव है...मूल्य वृद्धि पर चिन्ता और सरकार से यह आग्रह कि क्रान्ति-कारी कदम उठाकर इस मूल्य वृद्धि को रोके। इसके विरोध का तो कोई सवाल ही नहीं है विरोध वे करें जिनके कारण मूल्य वृद्धि हुई है मैं इस बात से इत्तिफाक करता हूं और यह भी मानता हूं जैसा हमारे डागा साहब ने कहा कि मूल्य वृद्धि हुई है, इसमें कोई शुबहा नहीं है, लेकिन इसके साथ-साथ एक बात की संतुष्टि है कि हमारी सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये कटिबद्ध है और निश्चित ही उन नीतियों को कार्यान्वित किया जावेगा, जिससे इस मूल्य वृद्धि को सही तरीके से रोका जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मधुदंडवते जी और दूसरे अपने सीनीयर विभाग के साथियों के भाषण सुनते वक्त मुझे गालिब का एक शेर याद आ गया।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : परन्तु अनुवाद साथ देना।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आप बिना अनुवाद के समझ जाएंगे।

मे मसाइले तसव्वुफ यह तेरा बयान गालिब ।
तुझे हम वली समझते जो न बादा ख्वार होता ।।

श्रीमान, अगर यह तीन साल सत्ता के अन्दर न रहे होते, अगर इस देश की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए जिम्मेदारी इनके हाथ में न आई होती, अगर शासन इनके हाथ में न आया होता और इसके बाद यह आलोचना होती तो मैं मानता कि क्या क्रान्ति-कारी विचार है, क्या सही समझ है और अगर एक बार इनके हाथ में शासन आ जाए तो यह मूल्य वृद्धि को रोक देंगे। श्रीमान, इतनी अच्छी बातें कही लेकिन असल बात यह है कि जब हम पीछे लौटकर देखते हैं तो पता चलता है कि 300 रुपया गन्ने के भाव की मांग करने वाले, उनके राज में...व्यवधान...।

एक माननीय सदस्य : 300 रु० टन ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैंने 300 रु० का भाव कहा है, यह पार्लिमामेंट है, कुछ बातें यहां बगैर कहे ही समझी जाती हैं। यह कोई पाठशाला नहीं है ।

श्रीमन, उनके राज में कहीं और नहीं, बागपत और बड़ौत के किसान जब चौ० साहब के पास आए तो उन्होंने टोपी उतार कर कहा कि यहां पर गन्ना और बो देते। तुमने इतना गन्ना बो दिया है कि गन्ने का भाव नहीं मिल सकता है। जिनके राज में खेतों में खड़ा गन्ना जलाया गया, आज वह 300 रुपये की बात कह रहे हैं, मूल्य वृद्धि की बात कह रहे हैं। क्या वे इस भाव पर सस्ते दामों पर चीनी दिलवा देंगे ? मैं उनकी नीयत पर शुबहा नहीं करना चाहता, लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया है वह कीमतों को कम करने का नहीं है। वह किसानों को सही भाव दिलवाने का नहीं है उनका एक ही मकसद है, । ट्रेन को रोका जाय, ट्रकों को न चलने दिया जाय, किसान का माल मंडियों में न पहुंचे और अपनी जगह पर पड़ा-पड़ा सड़ जाय और किसान को उस सड़े हुए माल को बाध्य होकर सस्ते दामों पर बेचना पड़े। पहले भी सरकार में रहते हुए इनकी यही नीति थी और आज भी यही नीति है, ये किसानों का माल घरों में सड़ाना चाहते हैं। इनकी कार्यवाहियों से इनके इरादे साफ हो जाते हैं...।

श्री हरिकेश बहादुर : आपके बगल में दादा साहिब पाटिल बैठे हैं, जरा उनकी राय जानिये ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं किसानों को सही मूल्य दिए जाने का विरोधी नहीं हूं। दादा साहब ही सही कीमत दिलाना चाहते हैं और हमारी यह पूरी पार्टी किसानों को सही कीमत दिलाना चाहती है ।

श्री चित्त बसु : गोलियों से ।

श्री आरिफ मुहम्मद खां : गोलियां तो आप चलवा रहे हैं ।

श्रीमन, इतिहास इस बात का गवाह है— इस देश में एक ही वक्त में इतने छोटे कद के, लोग एक साथ इतने बड़े पदों पर पहुंच गए थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी ।

लेकिन बोए बीज बबूल के, आम कहां से होय । आज उन बबूल के पेड़ों को काटने और उनकी जगह पर फलदार वृक्ष लगाने में थोड़ा समय तो लगता ही है । आप किसी बीमार को अस्पताल में ले जांय और डाक्टर से कहें कि उसको 24 घंटे में ठीक कर दीजिए, तो यह कैसे मुमकिन है । थोड़ा वक्त तो चाहिए ही, एन्टी-बायोटिक्स को अपना असर डालने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए ।

अब आखिर में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । माननीय मधु दण्डवते जी की नीयत पर मुझे कोई शुब्हा नहीं है । मैं जानता हूं वह ज्ञानी हैं, प्रोफेसर हैं, वे मूल्य वृद्धि के कारणों को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि गुरू द्रोणाचार्य बहुत ज्ञानी थे, जानते-बूझते हुए भी उन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी । इसलिए मैं इनकी नीयत पर शुब्हा नहीं करना चाहता, कोई हमला नहीं करना चाहता । मेरे मन में एक भावना है—यह सरकार चन्द निहित स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करनेवाले वर्गों की आलोचना के डर से कि यह सरकार तानाशाही रवैया अख्तियार करेगी, समस्याओं का समाधान करने के लिए कड़ा रवैया नहीं अपना रही है । इसलिए मेरी सबसे पहली मांग यह कि इस सरकार को केवल उनके स्वार्थों को नहीं देखना है जो अपने हितों को कहने में सक्षम हैं, समर्थ हैं, बल्कि उन वर्गों के स्वार्थों को भी देखना है जो अपने हितों के बारे में बात करने में सक्षम नहीं हैं । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस सरकार को अब कड़ा रवैया अख्तियार करना चाहिए और आर्थिक अपराधियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी आर्डिनेन्स का खुलकर इस्तेमाल करना चाहिए ।

दूसरी बात—इस कानून का इस्तेमाल केवल आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि उन लोगों के खिलाफ जो आर्थिक अपराधियों को शरण देने वाले हैं, आर्थिक अपराध कराने वाले हैं, उनके खिलाफ भी इसका इस्तेमाल होना चाहिए । इस माननीय सदन के वे सदस्य जो रेल की पटरियों पर बैठते हैं, रेलों को रुकवाते हैं, ट्रकों को रुकवाते हैं, किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिए । क्या इस पार्लियामेंट के किसी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई क्रिमनल मुकद्दमा हो तो उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी ? मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई भी सदस्य, वह किसी भी राजनीतिक पार्टी से सम्बन्ध रखता हो, यदि वह देश की शासन व्यवस्था, देश की शांति व्यवस्था, देश की सप्लाई के मामले में अड़ंगा लगाता है तो इसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए ।

तीसरा सुझाव यह है कि मैं जोरदार मांग करता हूं कि चाहे संविधान में परिवर्तन करना पड़े, लेकिन सरकार को वह सारी शक्तियां, जो शक्तियां जरूरी हैं, अपने हाथ में लेनी चाहिए, जिन से गिरे हुए, पिछड़े हुए किसानों के हितों की रक्षा हो सके और निहित स्वार्थों से उनको बचाया जा सके । इसके लिए चाहे जो तरीके इस्तेमाल करने पड़ें, वे करने चाहिए ।

मुझे यह देखकर ताज्जुब होता है कि केरल में एक दूसरे को कत्ल करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ वाले और यहां इस सदन में बैठकर एक दूसरे के हितों की रक्षा करते हैं । जो बात एक कहता है, दूसरा भी वही बात कहता है । हमें इसमें कोई एतराज नहीं है । इस

देश की जनता के सामने आप पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं और आप के कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।

ये मैंने अपने कुछ सुझाव दिए हैं और इनके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आपने जो मुझे मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री कमल नाथ ने अभी जिस प्रकार की बात कही, वह बात तो समझ में आती है लेकिन श्री आरिफ मोहम्मद खां, श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत, श्री मूलचन्द डागा और श्री चिन्तामणि पाणिग्रही जैसे लोग भी आज की स्थिति की वकालत सरकार के पक्ष में कर रहे हैं, यह सुनकर मुझे शर्म आ रही थी और मुझे तकलीफ हो रही थी। स्थिति यह है कि जिन आदमियों को, जिन लोगों को इस देश की गरीब जनता के हकों की बात करनी चाहिए, जिन लोगों ने इसके पहले ऐसी मिसाल पेश की थी, आज उनको क्या हो गया है, आज उनकी बुद्धि, उनके विवेक को क्या हो गया है, मेरे लिए यह आश्चर्य का विषय बना हुआ है। कीमतें तेजी से बढ़ती जा रही हैं, इस बात को सरकारी पक्ष के लोग और हम सब लोग मानते हैं और पूरा देश इस बात को अच्छी तरह से मानता है। यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है कि यह सरकार पूर्णतया अकर्मण्य है, इसमें इस स्थिति को सुधारने के लिए क्षमता नहीं है। इन्होंने चुनाव के वक्त वायदा किया था कि हम कीमतों को रोकेंगे। इन्होंने चुनाव में वायदा किया था कि कीमतों को बढ़ने नहीं देंगे और कानून व व्यवस्था को सुधारेंगे। इन दोनों को इन्होंने चौपट कर दिया है और देश को बरबाद कर दिया है। आज देश में जो अर्थ-व्यवस्था ये चला रहे हैं, इस अर्थ-व्यवस्था के रहते हुए, इस नीति के रहते हुए, जिस पर आप चल रहे हैं, इससे देश की गरीब जनता का भला नहीं हो सकता। इससे केवल लोगों का शोषण हो सकता है जैसा आज यह सरकार कर रही है।

मैं बताना चाहता हूं कि दाल और तिलहन की कीमतें अक्तूबर के तीसरे हफ्ते में काफी बढ़ी है। दाल की कीमत 15 रुपये से लेकर 55 रुपये प्रति क्वींटल के हिसाब से बढ़ी है, मूंगफली की कीमत 40 रुपये प्रति क्वींटल के हिसाब से बढ़ी है। कुछ आंकड़े श्री चन्द्रजीत यादव जी ने दिये हैं। मैं स्पष्ट रूप से उनमें कुछ आंकड़े और जोड़ना चाहता हूं। चीनी राशन की दुकान पर नवम्बर 1978 में जनता पार्टी के शासन में, जिस की बात ये लोग बार-बार करते हैं, 2 रुपये 30 पैसे प्रति किलो बिकती थी। अब इन्होंने इसको बढ़ाकर 3 रुपये 50 पैसे कर दिया है यानी 52 प्रतिशत की वृद्धि की है। यह तो इन्होंने खुद वृद्धि की है और बाकी मार्केट में 12 रुपये से लेकर 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इस देश में चीनी बिक रही है। इस बात को सब जानते हैं। गुड़ की स्थिति यह है कि सन् 1978 में जनता पार्टी के शासन में यह 1 रुपये 50 पैसे प्रति किलो मिलता था और आज 6 रुपये प्रति किलो बिक रहा है यानी 400% की वृद्धि हुई है। दाल अरहर 3 रुपये 50 पैसे प्रति किलो थी और इस समय 4 रुपये 75 पैसे बिक रही है यानी 35% की वृद्धि हुई है। आलू जैसी सब्जी जो 1 रुपये प्रति किलो नवम्बर 1978 में बिकती थी, इस समय 3 रुपये प्रति किलो बिक रही है यानी 200% की वृद्धि हुई है। वनस्पति

की जो 9 रुपये प्रति किलो नवम्बर 1978 में बिक रहा था, अब 12 रुपये प्रति किलो बिक रहा है यानी 33% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजों के दाम इनकी सरकार बनने के बाद बढ़े हैं। हम उम्मीद करते थे कि कोई विवेकवान व्यक्ति इसका समर्थन नहीं करेगा लेकिन आप बराबर इसका समर्थन कर रहे हैं। आप इसी वायदे पर यहां आए थे ? आप में इतनी विवेकहीनता, विवेकशून्यता पैदा हो गई है। आप देश को बरबाद करना चाहते हैं।... (व्यवधान)... मुद्रास्फीति की बात हुई है।

मान्यवर प्रो० दण्डवते जी ने कहा कि इन्फलेशन बराबर हो रहा है। इसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। इस सरकार ने जो नीति अपनायी है उससे मुद्रास्फीति नहीं होगी तो और क्या होगा। यह दिन-प्रति-दिन बढ़ती जाएगी। आप देश में काले धन के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। उसे बन्द नहीं कर रहे हैं। आप मनी का डिमानेटाइजेशन इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको पूंजीपतियों से पैसा मिलता है, आपने उनसे पैसा लिया है इसीलिए आप उनके विरुद्ध काम नहीं करना चाहते हैं। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ बात शून्य काल के लिए भी रखिये।

श्री हरिकेश बहादुर : मान्यवर चोरबाजारियों की बात की जाती है। देश में प्रिवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट बना हुआ है। आपने आज तक कितने चोरबाजारी प्रिवेन्टिव डिटेंशन एक्सट में पकड़े हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि सुलतानपुर में जो 90 हजार लीटर डीजल तेल पकड़ा गया था उसके बारे में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? आपने वह तेल भी छोड़ दिया, जिन लोगों को पकड़ा था, उन्हें भी छोड़ दिया। पकड़ने वाले अधिकारियों का वहां से आपने ट्रांसफर कर दिया। यह इसलिए किया क्योंकि उस कांड में कांग्रेस (इ) के विधायक व्यक्ति सम्मिलित थे। पहले आप उनको नेशनल सिक्योरिटी आर्डिनेंस में पकड़वाइये और बन्द करवाइये।

मध्य प्रदेश में 32 करोड़ रुपए की दो ट्रेन चीनी गायब हुई। आज तक उसका पता नहीं लगा। उच्चाधिकारी और कुछ राजनीतिक लोगों की मिली भगत से एक करोड़ रुपए की लेवी शूगर ब्लैक मार्केट में बेच दी गयी और एक मंत्री के सहयोग से बेच दी गयी। उत्तरप्रदेश के मन्त्री का कहना है कि उ० प्र० में चीनी की कालाबाजारी से प्रति माह एक करोड़ रुपए की हानि होती है। मद्रास बंदरगाह पर 50 हजार टन और विशाखापत्तनम पर 27 हजार चीनी टन सड़ रही है। जब चीनी की तस्करी की बात मंत्री जी से कही जाती है तो माननीय वित्त मन्त्री जी कहते हैं कि उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि चीनी में चोरबाजारी हो रही है तो उसे रोका जाए। यह सब अखबारों में रोज निकलता है। ये अखबार बिहार और उत्तर प्रदेश से निकलते हैं। उसके बाद भी आपके वित्त मन्त्रालय को इस बात की खबर नहीं होती कि इसकी चोरबाजारी होती है।

आप जनता पार्टी के जमाने में चीनी की बहुत बात करते हैं जनता पार्टी ने 20 लाख टन चीनी का स्टाक आपके लिए छोड़ा था। उसके बाद 40 लाख टन चीनी गत वर्ष में पैदा हुई

और दो लाख टन चीनी आपने इम्पोर्ट की। इस तरह से 62 लाख टन चीनी आपके पास है। एक साल में चीनी का कंजम्प्शन होता है 58 लाख टन का। आज भी चार लाख टन चीनी आपके पास होनी चाहिए। फिर ये चीनी के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं ? ये इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आप अक्षम हैं, आप इसकी ठीक तरह से व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। आपकी वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है। यह जो सारी स्थिति है इसको ठीक करने की आपको कोशिश करनी चाहिए।

सरकार किसानों का पूरी तरह से शोषण कर रही है। गोली और लाठी से आप उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। आपने डीजल, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ा दीं, इन्सेक्टिसाइड की कीमतें बढ़ा दीं। किसान अपनी उपज का लाभकारी मूल्य, रेम्युनटिव मूल्य चाहते हैं जिसको आप देने के लिए तैयार नहीं हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने इस देश की अर्थ व्यवस्था को दस महीने के अन्दर ही इतने बड़े संकट में डाल दिया है जितना कि इससे पहले किसी भी सरकार ने इतने दिनों में नहीं डाला था। स्वयं कांग्रेस की सरकार ने भी पहले इतने दिनों में यह नहीं किया था। ऐसा लगता है कि पूंजीपतियों के साथ आपकी पूरी मिलीभगत है इसलिए आप लोग देश की अर्थ-व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला। आपके लिए पांच मिनट का समय है। हमें इस वाद-विवाद को समाप्त करना है और उसके बाद मंत्री महोदय को उत्तर देना है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, जब मुझे मुद्रास्फीति सम्बंधी दबावों के इस वाद-विवाद में भाग लेना है तो मेरा इरादा वर्तमान सरकार और पिछली जनता सरकार द्वारा किए गए कार्यों तथा कार्य न करने के सन्दर्भ में आरोप लगाने का नहीं है। क्यों कि स्पष्ट तथ्य यह है कि दोनों ने आम आदमी को निराश किया है। स्थिति यह है कि केवल बारह महीनों में थोक मूल्य सूचकांक लगभग 20 प्रतिशत तक बढ़ गया है। यहां सरकार समय-समय यह दलील देती है कि औसत वृद्धि दर वर्तमान कुछ सप्ताहों में गिर गई है। पहले मुझे इस बात को अवश्य बताना चाहिए कि सरकार जो तर्क देती रहती है उसे वह आसानी से बदलती रहती है बजट प्रस्तुत करते समय माननीय मन्त्री महोदय ने मूल्यों की स्थिरता का आश्वासन दिया था। मूल्य वृद्धि कहीं और जा चुकी है। अब उन्होंने उस वृद्धि के सन्दर्भ में बात करनी शुरू कर दी है परन्तु पहले की अपेक्षा कम है। उनका कहना हैं कि मूल्यों में वृद्धि की मासिक दर कम हो गई है और अक्तूबर में यह 0.6 प्रतिशत थी। यह संख्या मैंने यहां सभा में अपने एक प्रश्न में दी थीं। परन्तु यह एक बड़ी भद्दी मजाक है जो लोगों के साथ की जा रही है। यह अनुभव किया जाना चाहिए कि यह वृद्धि अत्यधिक मूल्य वृद्धि के अतिरिक्त है जो पहले से थी और इसलिए इस प्रकार का भद्दा मजाक हमारे लोगों के साथ न किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई तो यह है कि उस वर्तमान मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति का प्रभाव वहां पड़ा है जहां इससे अधिक नुकसान पहुंचता है। हमारी वर्तमान मुद्रास्फीति करने की प्रवृत्ति

की यही दु:खद बात है । यदि हम आवश्यक वस्तुओं में मूल्य वृद्धि को लें तो हमें मालूम होता है कि वह वृद्धि मूल-भूत वस्तुओं के मामले में अधिक है और उस समय भी जब हम मूलभूत वस्तुओं को लेते हैं तो हमें मालूम होता है कि वहां पर खाद्य वस्तुओं में अधिक वृद्धि हुई है। मेरे पास यहां पर तथ्य तथा आंकड़े है परन्तु क्योंकि आपके निदेश संक्षेप में बोलने के हैं, इस लिये मैं इन सभी आंकड़ों को प्रस्तुत करने में सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं परन्तु ये आंकड़े विभिन्न तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के जो पूछे जा चुके हैं, के माध्यम से सभा पटल पर रखे जा चुके हैं ।

श्रीमान्, चीनी की समस्या है। हमारे सामने चीनी की एक अजीब सी स्थिति है जो कभी-कभी यह 13 रु० से 25 रु० तक पहुंच जाती है और उसके बाद यह गायब हो जाती है ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप चीनी के बारे में बात कर रहे हैं ।

श्री जी० एम० बनातवाला : जी, हमें सूखा तथा अभाव आदि के बारे में बताया गया है। परन्तु मेरा विनम्र निवेदन यह है कि जहां तक चीनी का सम्बन्ध है जो भी हो चीनी की कमी नहीं। सितम्बर, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान चीनी की कुल वास्तविक उपलब्धता 53.3 लाख टन थी और यह उपलब्धता 1977-78 या किसी अन्य पहले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक थी ।

चीनी उद्योग के साथ जो परेशानी है वह यह है कि चीनी में राजनीति बहुत अधिक है। एक सुनियोजित ढंग से भय फैलाया जाता है और उसके बाद चीनी गायब कर दी जाती है और इसके बाद गन्ना चीनी उत्पादक तथा व्यापारी एक अनुमान के अनुसार लगभग 4 या 5 सप्ताह में 150 करोड़ रुपये तथा दूसरे अनुमान के अनुसार 500 करोड़ रुपये लाभ कमा चुके हैं। अब लेवी चीनी का मामला लीजिए । लेवी चीनी उत्पादन की 65% मानी जाती है । परन्तु श्रीमान् पिछले समय भूतपूर्व मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने भी इस सभा में यह स्वीकार किया था कि 30% से 35% तक लेवी चीनी कभी उपभोक्ता तक नहीं पहुंचती है और वापस व्यापारियों के पास पहुंच जाती है । इस विशेष स्थिति के प्रति सावधान रहना चाहिए । मैं अभी कुछ बातें कहूंगा जो कहनी बाकी है तथा उसके बाद मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा । यदि हम स्थिति के समाधान के बारे में चिन्तित है तो हमें उत्पादन में वृद्धि, बचत में वृद्धि, घरेलु बचत, घरेलू निवेशों में वृद्धि के प्रश्न पर सोचना चाहिए । परन्तु यहां पर सरकार की नीति यह है कि पूंजी बैंक दरों से निवेशों पर ठेस पहुंचती है जिसका यह वर्तमान परिणाम है । हमारे सामने क्षमता उपयोग का भी प्रश्न है । इस पर भी ध्यान देना चाहिए । 1970 से 1978 तक बड़े उद्योगों के मामले में क्षमता उपयोग का औसत 78% था और अन्य उद्योगों के मामले में यह बहुत कम है। ऐसे अनेक कारण हैं जिन पर विचार करना पड़ेगा ।

उसके बाद चाहे यह सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष हमें उस समय इस महत्वपूर्ण बात पर भी विचार करना चाहिए जब हम उन उद्योगों का पता लगाने के बारे में बात चीत करते हैं

जहां उत्पादन बढ़ाना है और उत्पादन बढाने के लिए सतत प्रयास करने हैं। हमें अपने दलगत विचारों को छोड़कर यह अनुभव करना चाहिए कि पिछले 3 वर्षों में खराब औद्योगिक सम्बन्धों के फलस्वरूप प्रतिवर्ष 200 लाख से अधिक कार्य दिवसों की क्षति हुई है। इस सम्बन्ध में सत्तारूढ़दल, विपक्ष तथा प्रत्येक को चुनौती स्वीकार करनी है और स्थिति का मुकाबला करना है। श्रीमन् समय की पुकार है कि बचत करने के दृढ़ उपाय किए जाएं और बेकार के खर्चे न करके पहल करके निवेश बढ़ाए जाएं और जहां तक तेल का सम्बन्ध है, तेल की खपत में मितव्ययता करके बचत की जाए। धन्यवाद।

श्री चित्तबसु (बारसाट) : श्रीमान्, मुझे एक पुरानी कहावत याद आई है, वह यह है 'जनता भूखों मर रही थी राजा मौज उड़ा रहा था बिल्कुल वही स्थिति यहां पर है। श्रीमान् यह बात मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि सरकार ने मूल्य वृद्धि से उत्पन्न सभी स्थिति को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया है। केवल 2 नवम्बर को माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कलकत्ता में एक वक्तव्य दिया था कि मुद्रा स्फीति केवल 1% है। 21 अक्तूबर को प्रधान मंत्री ने कहा "मुझे जानकारी मिली है कि मुद्रास्फीति की दर कम हो गई है। उन्होंने यह वक्तव्य दिया कुछ भी हो मैं और अधिक उदाहरण नहीं देना चाहूंगा। परन्तु इन शब्दों से सरकार के रवैया का पता लगता है। वित्त मंत्री महोदय ऐसे वक्तव्य देते हैं और प्रधान मंत्री ऐसा वक्तव्य देती हैं। इसलिए श्रीमान् मुझे पुरानी कहावत "जनता भूखों मर रही थी राजा मौज उड़ा रहा था" याद आ गई। ज्यादा मजेदार बात है सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा दिए गए कुछ भाषण। अपनी दलीलें देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य ने कहा कि श्रीमती गांधी इसके लिए कृतसंकल्प हैं; इसलिए उनमें विश्वास रखिए, उनके साथ अपनी एकजुटता जाहिर कीजिए, और उनसे कीमतें नीचे आ जाएंगी। एक अन्य सदस्य श्री एच. के. एल. भगत ने इस बात का संकेत दिया कि आपात स्थिति में मूल्य स्तर नीचे आ गया था। श्री चव्हाण ने पहले ही इसका खण्डन कर दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि आवश्यकता होगी तो आपात स्थिति पुनः मूल्य वृद्धि से जूझने के लिए हो सकती है। एक अन्य सदस्य ने यह बात और ज्यादा स्पष्ट रूप से कही कि आर्थिक आपात स्थिति घोषित की जानी चाहिए एक अन्य सदस्य ने और भी स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश एकमात्र रास्ता है। अब यह सत्तारूढ़दल और मंत्रिमंडल का दृष्टिकोण। ऐसी स्थिति में, सदन के इस पक्ष में बैठे हम लोग अपनी बड़ी और गम्भीर चिन्ता ही व्यक्त कर सकते हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ा खतरा है और मूल्य वृद्धि पर काबू पाने के लिए सरकार की नीतियों के बारे में देशवासियों को जानना चाहिए।

मूल्यवृद्धि के कुछ मूलभूत कारण हैं, उदाहरण के लिए सरकार को दिए गए भारतीय रिजर्व बैंक शुद्ध ऋण में वृद्धि, गैर सरकारी मदों के अन्तर्गत सरकारी खर्चे में वृद्धि, कोयला इस्पात, तेल, बिजली, इत्यादि दुर्लभ साधनों में कमी, परिवहन बाधाएं, माल भाड़े के ऊंचे अधिभार आदि।

उपाध्यक्ष महोदय : इनका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

श्री चित्तबसु (बारसाट) : मेरे माननीय मित्र श्री सतीश अग्रवाल द्वारा एक महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया है और मैं इस सदन को और वित्त मंत्री को केवल यह बताना चाहता हूं कि कर ढांचा मूल्य वृद्धि के लिए सर्वाधिक रूप से जिम्मेदार कारकों में से एक है। उदाहरण के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व में चिन्ताजनक रूप से वृद्धि हुई है। 1950-51 में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कुल राशि केवल 67 करोड़ रुपए थी। 1977-78 में यह बढ़कर 4447 करोड़ रुपए हो गई।

श्री सी० एम० स्टीफन : वह उत्पादन से भी संम्बन्धित है।

प्रो० मधुदण्डवते : जनसंख्या से भी।

श्री चित्तबसु : 1950-51 में सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व 137 करोड़ रुपए था और 1977-78 में बढ़कर यह 1,824 करोड़ रुपए हो गया। 1950-51 में सीमाशुल्क का सूचकांक 100 था और 1977-78 में यह बढ़कर 1161 हो गया और 1979-80 में 1792 हो गया। इस सभी से सिद्ध होता है कि जब तक आप राजस्व नीति को परिवर्तित नहीं करते, जब तक आप आर्थिक नीति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं लाते तब तक मूल्य वृद्धि अवश्य होगी।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं केवल यह कहूंगा कि यदि आप वास्तव में मूल्य वृद्धि के खिलाफ संघर्ष करने के इच्छुक हैं। तो संस्थागत परिवर्तनों के रूप में विचार करिए॥ सरकारी राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन लाने के बारे में विचार कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री जी उत्तर देंगे।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : बराबर हमें टाइम नहीं दिया जा रहा है। आप हमारी पार्टी को नैग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं ? हमारी पार्टी की उपेक्षा क्यों की जा रही है ? मुझे समय क्यो नहीं दिया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न में पहले ही दुगना समय चला गया है। विपक्ष ने अपना सारा समय समाप्त कर दिया है। सत्तारूढ दल के लिए भी समय नियत किया गया है। अब मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री जयपालसिंह कश्यप : हमें समय देना पड़ेगा। यह कोई तरीका नहीं है कि एक पार्टी की इस तरह उपेक्षा की जाये। रोज यही तरीका अपनाया जा रहा है। कल और परसों भी मैंने नाम दिया था, लेकिन मुझे नही बुलाया गया। रोज यही स्थिति हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य महोदय दो या तीन मिनट ले सकते हैं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में पिछले दस ग्यारह महीनों से जो नीतियां चली हैं, उन्हीं के कारण मंहगाई बढ़ी है और देश बर्बादी की तरफ बढ़ा है। पिछले

दस ग्यारह महीनों के अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि मौजूदा सरकार और उसकी नीतियां इस देश की बढ़ती हुई मंहगाई की समस्या को हल नहीं कर सकती है। आज किसान की क्या हालत हो रही है, वह सबको मालूम है। एक तरफ चीनी की कीमत देखिए और दूसरी तरफ किसानों को मिलने वाली कीमत देखिए। इस देश के नेता, डा० राममनोहर लोहिया, ने यह सीधा सिद्धान्त बताया था कि जितने रुपये मन चीनी हो, उतने आने मन गन्ने की कीमत होनी चाहिए। आज खाद की कीमत और पानी के रेट बढ़ रहे हैं। किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। कीमतें व्यापारियों के हाथों में बढ़ रही हैं। अगर वे किसान के हाथों में बढ़ती तो, देश के लिए नतीजा अच्छा होता। अधिक कीमतों का पैसा किसानों को न मिलकर बड़े-बड़े व्यापारियों की तिजोरियों में जा रहा है।

मैं समझता हूं कि यह सरकार इस समस्या को हल करने में समर्थ नहीं है। इसलिए इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और एक नेशनल गवर्नमेंट कायम करनी चाहिए। एक नेशनल गवर्नमेंट ही इस समस्या का समाधान कर सकती है।

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने अत्यंत लाभकारी चर्चा की है। व्यक्तिगत तौर पर मैं इस सदन के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यक्त विचारों से लाभान्वित हुआ हूं। वास्तव में, मैंने इस प्रस्ताव को मूल्यों से सम्बन्धित प्रस्ताव के रूप में नहीं, अपितु देश की अर्थव्यवस्था के मध्यावधि मूल्यांकन के रूप में समझा था और उस दृष्टि से चर्चा बिलकुल विस्तृत एवं व्यापक रही है और अर्थव्यवस्था के सारे पहलू इसमें आ गए हैं। स्वभावत: लोग कुछ स्थितियों से लाभ उठाने का प्रयास करेंगे और किसी को इस तरह के लिए जा रहे राजनीतिक लाभ पर ज्यादा आपत्ति नहीं करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस देश के साथ-साथ सदन के समक्ष इस समय देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति और इसकी संभावनाओं को स्पष्ट करना चाहता हूं।

मैं यह धारणा नहीं देना चाहता कि अर्थव्यवस्था में वर्तमान मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति से सरकार सम्बन्धित नहीं है। सदन के सभी पक्षों के सदस्यों के समान हम इस विषय में अत्यधिक चिन्तित हैं। न मैं सदन को या देश को यह धारणा देना चाहता हूं कि सरकार स्थिति के बारे में आत्मसंतुष्ट है। अपने उत्तर में मैं उन अनेक कदमों के बारे में विस्तार से बताऊंगा जो हमने स्थिति से निपटने के लिए उठाए हैं। मैं उन उपायों की सफलता और असफलता का उद्देश्यपूरक मूल्यांकन न करने का भी प्रयास करूंगा। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि स्थिति इतनी चिन्ताजनक नहीं है जितनी कि कुछ सदस्यों ने बना दिया है।

वजह से सम्बन्धित बहस के दौरान मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि तेल और तेल उत्पादों में मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप हमारे देश में मूल्य स्तर में वृद्धि होगी। मैंने यह भी कहा था कि तेल की कीमतों में वृद्धि हो चुकने के पश्चात हम एक ऐसी उच्चतम स्थिति तक पहुंच जाएंगे। तात्पर्य यह है कि मूल्य गति से नहीं बढ़ेंगे। जिस गति से मूल्य बढ़ते रहे हैं। अपितु मूल्य वृद्धि की गति कम हो सकती है (व्यवधान) कोई भी व्यक्ति जो कीमतों की प्रवृत्ति

से वाकिफ हैं इस बात को जानता है कि विश्व में कहीं भी मूल्यों का बढतर अकस्मात नहीं रुकता है। और यदि उन्होने समझा कि यही मैं कहना चाहता था, तो मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में स्थिति के बारे में गलत फहमी अवश्य रही है। और मैं सदन को इस बात की चुनौती देता हूं कि वे दुनियां में ऐसा कोई भी देश बताएं जहां मूल्य वृद्धि आकस्मिक रूप से रुक गई हो। इसके विपरीत, विकासशील देशों के साथ साथ विकसित देशों में मूल्यों की प्रवृत्ति के बारे में मैं इस सदन को बता रहा हूं और उससे हमारे देश की स्थिति की तुलना कीजिए।

अनेक सदस्यों ने, खासकर मेरे प्रतिष्ठित मित्र श्री अग्रवाल ने कहा कि जनता शासन काल के दौरान मूल्य नियंत्रित रहे और कांग्रेस द्वारा प्रशासन संभालने के बाद मूल्य तेजी से बढ़ रहे हैं। यह एक पुरानी कहावत है कि आंकड़ों का प्रयोग भी किया जा सकता है और दुरुपयोग भी। वास्तव में, झूठ की विभिन्न किस्में होती है। खतरनाक झूठ और आंकड़े। यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह आंकड़ों का प्रयोग करते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह बात आपके साथ भी सच है।

श्री आर० वेंकटरामन : जी हां, । जब मैं आंकड़े देता हूं तब आप पाएंगे कि मेरे दिए गए आंकड़े वास्तविक हैं और दूसरों द्वारा दिए आंकड़े नकली। (व्यवधान) 1973-74 में मूल्य स्तर में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, 1974-75 में यह 25 प्रतिशत बढ़ गया। इस विषय का मेरे सम्माननीय मित्र श्री चह्वाण साहेब ने उल्लेख किया था। तब 1975-76 में, इसके चाहे जो कारण रहे हैं चाहे सर्वाधिक महत्वपूर्ण हों, जैसा स्वयं चह्वाण साहब ने कहा सरकार द्वारा शुरू किए गए सकारात्मक और ठोस उपायों से मूल्य स्तर वास्तव में—1-1 प्रतिशत कम हो गया था। 1976-77 में 2-1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जनता शासन की अवधि— 1977-78 में इसमें 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 1978-79 में ये स्थिर रहे। पुनः 1979-80 में, यह जनता आई का सम्मिश्रण है। — मैं नहीं जानता कि वे क्या अन्तर करने जा रहे हैं परन्तु मेरे अनुसार वे एक ही वर्ग में आते हैं— मूल्य 16.7 प्रतिशत बढ़ गया। यह कहना कि जनता शासन की अवधि में मूल्य नहीं बढे। केवल एक वर्ष के लिए ठीक है। हमारे अनुसार—क्योंकि जब हम विपक्ष में थे, हमने यह मुद्दा विशेष उठाया था, मेरे सम्माननीय मित्र श्री सुब्रह्मण्यम ने और स्वयं मैंने— ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने पीछे खाद्यान्न का लगभग 1201 लाख टन तथा 3000 करोड़ की विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार छोड़ा था। आपको इस महान विरासत का लाभ मिला जिसके परिणामस्वरूप कीमतें स्थिर रहीं। अपने शासन में आपने क्रूर कर निर्धारण की नीति अपनाई जिसके परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ीं। उस वर्ष विशेष में कीमतें 16.7 प्रतिशत बढ़ गई।

अब, यदि आप आंकड़ों की तुलना करना चाहते हैं तो आपको समान बातों की तुलना करनी चाहिए। आप एक अवधि की दूसरी अवधि से तुलना नहीं कर सकते। लोगों को गुमराह करना आसान है। मैं आंकड़ों की तुलना करूंगा। 12 जनवरी, 1980 को इस सरकार ने प्रशासन

संभाला, वैसे 14 जनवरी को इसने शासन संभाला क्योंकि परिणाम 12 तारीख को घोषित किए गए थे—मैं एक दम 12 तारीख से ही बात कर रहा हूं। 1979-80 में मुद्रास्फीति की दर। 12 जनवरी 1979 से 8 नवम्बर 1979 तक, 19% थी। 12 जनवरी 1980 से 8 नवम्बर 1980 तक मुद्रास्फीति की दर 13.9% थी। मैं वर्तमान सूचकांक के मूल्य के आंकड़े भी दूंगा। जनवरी से सितम्बर के अन्त तक जिसके कि आंकड़े उपलब्ध थे। जनता शासन की अवधि में जनवरी-सितम्बर 79 में यह 9.3% बढ़ा और इस शासन के दौरान 8.4% बढ़ा मूल्य वृद्धि के दो रूप हैं। एक रूप मूल्यों के स्तर में वृद्धि है तथा दूसरा पृथक-पृथक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि वित्तीय तथा धन संबन्धी नीतियों के परिणाम स्वरूप होती है तथा वस्तु विशेष के मूल्य में वृद्धि मूल्यों के स्तर में वृद्धि मांग और पूर्ति सम्बन्धी नियम के अनुसार उत्पन्न होती है, इसलिए जब भी आप तुलना करें तो आप मूल्य स्तर से तुलना करें। यदि आप सरकार की नीतियों पर हमला करना चाहते हैं तो आप पृथक-पृथक वस्तुओं को लें जिनमें मूल्य मांग और पूर्ति के नियमों के अनुसार बढ़ते हैं जिसके कारण लोगों को कष्ट उठाने पड़ते हैं। मैं पहले मूल्य स्तर में वृद्धि को लेता हूं तथा मैंने आंकड़े दिये हैं जिनसे प्रकट होता है कि मूल्य स्तर में जनता शासन काल के मूल्य स्तर से निश्चित रूप से कम वृद्धि हुई है। परन्तु यह बात मैं बहाने या स्पष्टीकरण के रूप में नहीं कह रहा हूं। मैं केवल श्री सतीश अग्रवाल तथा अन्य सदस्यों द्वारा की गई इस आलोचना का उत्तर दे रहा हूं "आपके शासन में मूल्य वृद्धि हुई है हमारे शासन में ऐसा नहीं हुआ।" यह पूर्णत: गलत बात है। मूल्य स्तर में यह वृद्धि क्यों हुई है ? इसका एक कारण है, तेल की मूल्य में वृद्धि। विश्व के प्रत्येक देश में तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण भाव बढ़े हैं। मेरे प्रिय मित्र श्री दण्डवते का कथन है कि तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण मूल्य वृद्धि केवल दो प्रतिशत है। मुझे भय है कि उनकी यह धारण गलत है। जून में हमने तेल की जो कीमत बढ़ाई थी उसके कारण 1 नवम्बर, 1980 तक मूल्यों में 27% की वृद्धि हुई। जिसमें 11.3% वृद्धि केवल तेल के मूल्यों में हुई।

यही स्थिति अन्य देशों की है जिन्हें विवशता से तेल का उपयोग करना पड़ता है। दिसम्बर 1979 से जून 1980 तक मूल्य सूचकांक में अमरीका में 7.7% इंग्लैंड में 11% तथा भारत में 3.2% रहीं। मैं अन्य देशों का उल्लेख नहीं करना चाहता। अर्जनटीना में यह 41.7% थी तथा इन्डोनेशिया में 9%। केवल एक ही देश है जिसमें मूल्य वृद्धि भारत से कम रही वह है मलेशिया जहां पर कि वृद्धि 2.6 प्रतिशत रही, अर्थात् 0.6% कम। मैक्सिको में वृद्धि 15%, पाकिस्तान में 6.6% फिलिपिन्स में 7% रही। मेरे पास विभिन्न देशों के जीवन यापन व्यय के बारे में आंकड़े हैं। (व्यवधान)।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं समझता हूं कि वह केवल पूंजीवादी देशों के बारे में बता रहें हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : आप यह मामले उठा सकते हैं। मैं अन्य देशों को नहीं छोड़ूगां। मैं अन्य देशों के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपके सामने कुछ मोटे-मोटे आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपकी बात पर भी आ रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : (लन्दन इकोनामिस्ट) में ये आंकड़े दिए गए हैं। इसमें पिछले तीन महीनों की तुलना में जुलाई से सितम्बर तक का जीवन-निर्वाह सूचकांक में हुई वृद्धि दर्शायी गई है। आस्ट्रेलिया में इन तीन महीनों में वृद्धि 8%, कनाडा में 12%, फ्रांस में 13.5%, इटली में 18% स्वीडन में 10%, अमरीका में 7.9% इंग्लैंड में 9% तथा भारत में 4.4% रही। केवल दो देश इससे कम रहे, एक जापान है जहां पर यह 4% अर्थात 0.4% कम रहा। दूसरा पश्चिम जर्मनी है जिसमें वृद्धि .2% रही। पश्चिम जर्मनी के बारे में आप जानते हैं। मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि इन देशों में वृद्धि हुई है तो हमें भी वृद्धि करनी चाहिए, परन्तु मै यह कहना चाहता हूं कि यह मूल्य वृद्धि बाहरी प्रभाव से अर्थात तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई, तथा हम इसके प्रभाव से अछूते नहीं बच सकते। आप जानते हैं कि हम अन्य देशों से 160 लाख टन कच्चे तेल का आयात करते हैं। हमारा उत्पादन केवल 140 लाख टन है। 160 लाख टन पर अन्तराष्ट्रीय मुद्रास्फीति का प्रभाव पडता है। इससे यह स्पष्ट है कि इस अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का हमारे देश पर भी प्रभाव पड़ा है। फिर भी मै निवेदन करना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्रास्फीति हुई है उससे कुछ हद तक हम बच सके हैं, बेशक निर्धना पीड़ित हमारे जैसे देश के लिए इतनी मुद्रास्फीति को भी सहन करना संभव नहीं है। हमें इस पर और नियंत्रण करने का यत्न करना चाहिए। इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। आज हम इस प्रकार के विश्व में रह रहे हैं जिसमें अन्य देशों में होने वाली घटनाओं का सीधा प्रभाव सभी देशों पर पड़ता है तथा हम इससे बच सकें ऐसे चमत्कार की उम्मीद करना संगत नहीं है।

अब मैं विभिन्न वस्तुओं के मूल्य वृद्धि को लेता हूं। यह मांग और पूर्ति के कारण पैदा होती है। हमारे मूल्यों में 14% वृद्धि का तीन चौथाई योगदान 3 बातों के कारण हुआ है। चीनी, खण्डसारी, गुड़ और खाद्य तेल इसका एक भाग है। दुर्भाग्य से यह सब भूत पूर्व सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है उनके पास 65 लाख टन का चीनी का भारी स्टाक था, जो उससे पहले की सरकार की रचनात्मक नीतियों के कारण निर्मित हुआ था। उन्हें इससे सबक लेना चाहिए था परन्तु उन्होंने बिना सोचे विचारे माल जारी करके स्टाक को खतम कर दिया। ठीक यही बात मेरे मित्र श्री दंडवते ने स्वयं कही थी। उन्होंने इसे भिन्न प्रकार से व्यक्त किया है परन्तु उनका अभिप्राय वही है। जब उनका उत्पादन 65 लाख टन था, तब उन्हें प्रति मास लगभग 4—4½ लाख टन माल अर्थात 55 लाख टन प्रति वर्ष बिकी के लिए देना चाहिए था, तब उक्त सरकार 10 लाख टन का सुरक्षित भंडार तैयार कर सकती थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बिना सोचे विचारे चीनी को बिक्री के लिए दे दिया तथा उसका दाम घटाकर 2.25 प्रति किलो कर दिये जो कि लागत मूल्य से भी कम था। फलस्वरूप अगले वर्ष गन्ने के लिए उचित मूल्य नहीं मिले, तथा गन्ना बोने के स्थान पर अन्य फसलें बोयी जाने लगीं। परिणाम स्वरूप, अगले वर्ष 58 लाख टन चीनी उत्पन्न हुई तथा और इस वर्ष, जब हमने सत्ता संभाली, उत्पादन 38 लाख टन रह गया। इस कमी के साथ हमें निर्वाह करना पड़ा।

किसी भी वितरण प्रणाली द्वारा अथवा किसी भी चातुर्य द्वारा अभाव को बाहुल्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इससे केवल उनके कष्टों को कम किया जा सकता है। परन्तु पूर्व सरकार की गलत नीतियों के कारण चीनी की अत्यन्त कमी आई है, तथा 38 लाख टन के उत्पादन के साथ हमें निर्वाह करना पड़ा।

इस 38 लाख टन में से दो-तिहाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा 2.85 रुपए प्रति किलो की दर से वितरित किया गया है। इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है। केवल एक तिहाई माल ऐसे दामों पर जो कि लोग दे सकते हैं। बाजार भाव से बेचा जाता है। जब प्रति दिन लोग समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि चीनी 10 अथवा 12 रुपए किलो बिक रही है तब वे यह बात सरलता से भूल जाते हैं कि दो-तिहाई चीनी 2.85 की लेवी दर पर बेची जाती है। दोहरी मूल्य नीति में यह निहित है कि समाज के कमजोर वर्ग को राज सहायता से चीनी सस्ते मूल्य पर मिल जाती हैं तथा समृद्ध लोग यदि अधिक मात्रा लेना चाहते हैं। ऊंचा मूल्य देकर ले सकते हैं। जब आप सभी उन व्यक्तियों के लिए वकालत कर रहे हैं जो दस रुपए किलो पर माल खरीदते हैं तब आप समृद्ध वर्ग का पक्ष लेते हैं, निर्धन वर्ग का नहीं। वास्तविक स्थिति यह है।

खाद्य तेलों आदि के बारे में स्थिति सूखे के कारण पैदा हुई है जिस पर न मेरा नियन्त्रण है न आपका, खाद्य तेलों का इतना कम उत्पादन हुआ कि हमें 600 से 700 करोड़ रुपए के मूल्य का खाद्य तेल आदि का निर्यात करना पड़ा। इन तीन वस्तुओं के कारण 11.3% मूल्य वृद्धि में एक चौथाई वृद्धि हुई है। अगली वस्तु सब्जी है जिसका मूल्य अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की सहानुभूति में बढ़े हैं। सूखे के कारण सब्जी भी उतनी बहुलता से उपलब्ध नहीं है। जितनी कि पिछले वर्ष में उपलब्ध थी। यदि आप उसे छोड़ दें तो सभी अन्य निर्मित वस्तुओं की मूल्य वृद्धि इसे 11.3 प्रतिशत मूल्य वृद्धि का 30 प्रतिशत से अधिक नहीं बैठती है।

मैं सभा से निवेन करता हूं कि यह कहकर जनता में भय उत्पन्न न करें कि मूल्यों में भारी वृद्धि हो रही है। अगस्त सितम्बर तक कीमतें अपनी सीमा तक बढ़ चुकी थी, अगस्त में मूल्य बृद्धि 1.1% थी, सितम्बर में 1% और फिर अक्तूबर में 0.6%। जब मैंने कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इसका उल्लेख किया तब उन्होंने कहा कि उन्हें इस देश के साथ ईर्ष्या है, वे अपने देशों में इस प्रकार की स्थिरता लाना चाहेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि तीन महीने से वृद्धि 1 प्रतिशत रही हैं और यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इसीलिए मैंने बताया कि मूल्य वृद्धि की दर कम हुई है। मैं जहां कहीं भी गया लोगों के मनों से यह कारण समाप्त करने की चेष्टा की है कि मूल्य बहुत बढ़ रहे हैं। फिर भी मनोवृत्ति का पूर्ति से भी अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि आप अभाव की मनोवृत्ति पैदा करते हैं, तो हर घर के लोग माल एकत्र करने लग जाते हैं। और हमारे जैसे बड़े देश में यदि घरों में माल जमा किया जाने लगता है, तब मूल्यों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। सभी विकासशील देशों में मकान बनाते समय स्टोर रूम बनाने की प्रथा है। यदि आप किसी भी विकषित देश में जायें तो आप वहां

पर यह प्रवृत्ति नहीं पायेंगे। उनके घरों में स्टोर रूम नहीं है। सुपर मार्किट ही स्टोर रूम है। वे प्रति सप्ताह सुपर मार्किट से खरीदते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह उपलब्धता के कारण है।

श्री आर० वेंकटरामन : निःसन्देह यह उपलब्धता के कारण है। परन्तु मैं कहना चाहता हूं इस अभाव की मनोवृत्ति से इतनी अधिक जमाखोरी होने लगेगी कि उस पर नियंत्रण पाने के सभी प्रयत्न विफल हो जाएंगे।

एक बात और भी है जो अर्थशास्त्र के उन सिद्धान्तों से बिलकुल भिन्न है, जिनका अध्ययन हमने स्कूल और कालिजों में किया। हमने स्कूल में इस बुनियादी सिद्धान्त का अध्ययन किया है कि जब मूल्य बढ़ते है तो मांग घटती है। इसे मांग का लचीलापन कहते हैं। परन्तु सब विकासशील देशों में देखा गया है कि जब मूल्य बढ़ते हैं तो मांग भी बढ़ती है क्योंकि लोगों के मन में यह भय समा जाता है कि यह वस्तु इसके बाद उपलब्ध नहीं होगी अतः उन्हें जब यह उपलब्ध है, तो उसकी खरीद अधिक से अधिक कर लेनी चाहिये। जब मूल्य गिरते हैं तो लोग समझते है कि मूल्य गिर ही रहे हैं इसलिये हमें इसकी खरीद स्थगित करनी चाहिये। अतः जब आपको विभिन्न देशों की स्थिति का सामना करना पड़ता है तो आपको अपने देशों की स्थिति ध्यान में रखते हुये अपनी नीतियां निर्धारित करनी चाहिये और सिद्धान्तों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिये। मेरा आप से अनुरोध है कि पिछले माह की 0·6 प्रतिशत मूल्य वृद्धि को यदि बनाये रखा जाय तो यह विकास शील देश के लिये एक बड़ी उपलब्धता है क्योंकि कोई भी अन्य विकासशील देश ऐसी उपलब्धी प्राप्त नहीं कर सका।

आप मुझ से पूछ सकते हैं कि आप मूल्यों को रोकने के लिये क्या कर रहे हैं और इस बारे में आगे क्या कार्यवाही कर रहे हैं। इस बारे में आपने बुनियादी ढ़ांचा समिति का जिक्र किया है जिसका मैं सभापति हूं। बुनियादी ढ़ांचा समिति की बैठक हर सप्ताह होती है और बिजली घरों को सप्लाई किये जाने वाले कोयले, विभिन्न कोयला खानों के उत्पादन, वितरण और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिये वितरण परिवहन पर निगरानी रखती है।

इस समिति की सफलता के बारे मैं एक बात कहूंगा। इस समिति के बनने के बाद सारे भारत में एक भी बिजली घर को एक दिन के लिये भी कोयला कमी के कारण बंद नहीं करना पड़ा। मैं वर्तमान स्थिति की तुलना पहले की स्थिति से नहीं करना चाहता। बुनियादी ढांचा समिति ने कोयले के अधिक उत्पादन का आयोजन किया है और मुझे आशा है कि वर्तमान गति से हम 11 करोड़ से 11 करोड़ 20 लाख टन तक कोयले का उत्पादन कर सकेंगे जब कि पहले हम केवल 10 करोड़ 30 लाख टन से 10 करोड़ 40 लाख टन का ही उत्पादन करते आये हैं। हम यह आशा भी रखते हैं कि बिजली उत्पादन में कम से कम 10 प्रतिशत और वृद्धि होगी। यह बुनियादी समिति का एक छोटा सा काम है।

अर्थ व्यवस्था का भविष्य उज्ज्वल है। अगले वर्ष मानसून के कारण अन्न के उत्पादन में 10 प्रतिशत वृद्धि होगी। हमारा खाद्यान्न उत्पादन 13 करोड़ 10 लाख से 13 करोड़ 20 लाख

टन तक पहुंच जायेगा जो एक रिकार्ड होगा। हमारा औद्योगिक उत्पादन, जिसका जिक्र मैंने बजट में किया था 6 से 8 प्रतिशत होगा जो उस स्तर तक नहीं पहुंच सकेगा क्योंकि औद्योगिक उत्पादन दर में आशा के अनुसार वृद्धि नहीं हुई है। इनके कारणों का जिक्र मैं बाद में करूंगा मेरे विचार में इसमें 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी। बजट पेश करते हुये मैंने कहा था कि जी०एन० पी० में 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी मुझे आशा है कि हम 4 प्रतिशत की वृद्धि करलें। मुझे यह भी आशा है कि शेष महीनों के दौरान यदि उत्पादन जारी रहा, हम 5 प्रतिशत वृद्धि भी कर लेंगे।

उत्पादन सम्बन्धी बाधाओं का मुख्य कारण श्रमिक सम्बन्ध— रहा है। बुरे औद्योगिक सम्बन्धों के कारण कम हुए कार्यदिवसों से उद्योगों में लगाई गई पूंजी से अच्छा लाभ नहीं मिला है। हम उसमें सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। कई श्रमिक संगठनों द्वारा मजूरी में वृद्धि करने सम्बन्धी मांगे की जा रही हैं। मैं उनसे अधिक कर रहा हूं कि मजूरी में वृद्धि के साथ यदि वे उत्पादन वृद्धि भी करते हैं तो हम वह कर पाने में सफल हो जायेंगे जिसका वायदा हमने इस संसद और देश से किया है। मैं अपने माननीय मित्रों से अनुरोध— करता हूं कि यद्यपि हम मजूरी में वृद्धि के लिये सहमत हैं फिर भी वे श्रम संगठनों पर अधिक उत्पादन करने के लिए जोर डालें।

काले धन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि हमने इस बारे में उचित कार्यवाही नहीं की उसके कारण मूल्य में वृद्धि हुई है। यह बात ठीक है कि हम काले धन को नियंत्रित नहीं कर पाए हैं। न हम कर सके हैं और न ही प्रो० मधु दण्डवते अपने शासन काल में कर पाये हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : नियंत्रण हटा दिया गया।

श्री आर० वेंकटरामन : वास्तव में इनके शासनकाल में वे उस विमुद्रीकरण का प्रयोग कर सकते थे जिसका सुझाव हमें दे रहे हैं (**व्यवधान**) यदि बात यही है तो मैं एक रुपए का विमुद्रीकरण करूंगा। हमें समस्या की जड़ पर हमला करना चाहिए। यह सब अनुभव की बातें हैं। वास्तव में वांचू समिति रिपोर्ट जिसका हवाला मैं पहले आपके विरुद्ध करता था, में यह नही कहा गया है कि देश में कुल कितना काला धन है इसमें केवल इतना ही कहा गया है कि निष्कर्षों के आधार में कहा जा सकता है कि अनुमान लगभग इतना या उतना हो सकता हैं। कर अपवंचन आधार नहीं है (**व्यवधान**)। काला धन केवल कर अपवंचन के ही कारण नहीं होता। यह एक गलत धारणा है। काला धन नियंत्रति दर तथा मार्केट दर के बीच पैदा अन्तर से होता है जिसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता है। अतः मैं यह नहीं कह सकता कि और मैं यह बात पहले की सच्चाई से कह चुका हूं कि इसकी राशि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। हम परम्परा के अनुसार चलते आ रहे हैं। उदाहरण के लिए काले धन का पता लगाने के लिए इस अवधि में हमने 1807 छापे मारे हैं जबकि आपके समय में केवल 845 छापे मारे गए। अवधि के दौरान 8 करोड़ 66 लाख रुपए का काला धन पकड़ा गया जबकि आपके शासन के दौरान केवल 3 करोड़ 34 लाख रुपए का ही काला धन पकड़ा गया।

मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि हमने क्या कुछ किया हैं। मैं शायद इन बातों को न बताता लेकिन जब किसी पर कर्तव्य पालन सम्बन्धी लापरवाही का आरोप लगता है तो आपको अपनी बात स्पष्ट करनी ही पड़ती है । फरवरी 1980 में अनेक स्थानों पर पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पादों के स्टाकिस्टों और सप्लायरों पर हमने छापे डाले। अगस्त 1980 में हमने खाद्य तेल और चीनी के व्यौपारियों पर छापे डाले। सितम्बर में भी उर्वरक के व्यौपारियों पर छापे डाले गए। नवम्बर में भी खाद्य तेल तथा दालों के व्यौपारियों के घरों पर बड़े पैमाने पर छापे डाले गए। हमने गत वर्ष की अपेक्षा अधिक काम किया है। अतः आप नहीं कह सकते कि हम लापरवाही से काम कर रहे हैं और यह कि सरकार जमाखोरों से हमदर्दी रखती है ।

श्री भोगेन्द्र झा : हमने यह जानने का प्रयास किया है कि हम काले धन का पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं । मैंने कुल राशि 8 करोड़ रुपए की बताई है । दुर्भाग्यवश हमारा काले धन रखने का तरीका अस्पष्ट तथा भ्रामक है । इसे जेवर, चांदी, रुपए तथा नोटों के रूप में नहीं रखा जाता । वे इसे स्टाक के रूप में रखते हैं और यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि स्टाक सीमा के अन्दर है या बाहर । भले ही यह चीनी है या सिमेंट । वे इसे अनेक नामों पर अनेक स्थानों में रखते हैं। इस तरह सरकार और जमाखोरों के बीच लगातार होड़ चली रहती है। हम इस बारे में पूरे प्रयास कर रहे हैं ।

हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी सुधार ला रहे हैं। इस वर्ष के दौरान हमने सार्वजनिक वितरण केन्द्रों में भी 31,000 की वृद्धि की। पहली सरकार ने चीनी सम्बन्धी वितरण व्यवस्था को बिगाड़ा है जिसे हमें पुनः बनाना पड़ा और इसे छोटी सी अवधि के दौरान पुनः बनाने में कठिनाई थी। केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अच्छी है।

अन्य राज्यों में सहकारी संस्थाएं ठीक ढंग से काम नही कर रही हैं जिसके फलस्वरूप वितरण प्रणाली भी प्रभावशाली नहीं है। सहकारी समितियों का सुधार करने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमारी अर्थ-व्यवस्था का स्थायी अंग बन सके।

मैंने कहा था कि मुद्रास्फीति का सामना दो तरीकों से किया जाता है, एक सप्लाई द्वारा और दूसरे मांग द्वारा। जहां तक मांग का सम्बन्ध है, हमने इस अवधि के दौरान मुद्रा सप्लाई में बहुत कमी की है। वास्तव में इस अवधि के दौरान मुद्रा सप्लाई कमी करके 1017 करोड़ रुपए रखी गई। पहली सरकार ने इसी अवधि के दौरान 1651 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मुद्रा सप्लाई की थी। हम कुछ भी अधिक नहीं कर सकते मुद्रा को कम भी नहीं कर सकते क्योंकि इसका सामान्य व्यापार तथा वाणिज्यिक सौदों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः हमने स्थिति के अनुसार सर्वाधिक उचित कदम उठाया है और मुद्रा सप्लाई में कमी की है और हम इस उत्तर पर पहुंच चुके हैं।

अन्त में, मैं एक या दो बातें और कहना चाहूंगा। अर्थ व्यवस्था में हमेशा परस्पर विरोधी बातें रहती है। वास्तव में समाज की प्रगति हमेशा अन्तर्विरोध से ही होती आयी है। बिना अन्तर्विरोध के कोई प्रगति नहीं होती।

प्रो० मधु दण्डवते : तर्कविघ्न से।

श्री सतीश अग्रवाल : अन्तर्विरोध द्वारा विकास।

श्री आर० वेंकटरामन : अन्तर्विरोध का अर्थ यहां यही है कि हमें उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देने हैं। यदि आप उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दें तो इसका प्रभाव विक्रय मूल्य पर पड़ेगा। यदि इसे विक्रय मूल्य में नहीं दर्शाया गया है तो इसे राज-सहायता से पूरा किया जाना चाहिए। और तब राज-सहायता कराधान से प्राप्त करनी चाहिए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : काले धन से भी करों की चोरी पर काबू कीजिए।

श्री आर० वेंकटरामन : जब आप सत्ता में आयेंगे तो आप अपने सभी अनुभवों को आजमा कर देखेंगे।

इस सच्चाई को कि हम बहुत भारी कर नहीं लगा सकते स्वयं मेरे प्रिय मित्र श्री सतीश अग्रवाल ने ही बताया है। यह सच है कि लोग सत्ता से हटने के बाद ही बुद्धिमान बन जाते हैं। गत वर्ष जब हम क्रूर अप्रत्यक्ष करों का विरोध कर रहे थे तो हमें बड़ा कड़ा मुकाबला झेलना पड़ा था। मुझे आशा है कि उन्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना, इतना मैं जानता हूं।

समस्या यह है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जिसमें लोगों में कर देने की क्षमता बहुत ही कम हो वहां प्रत्यक्ष कराधान बहुत ही मुश्किल है और लगभग असम्भव ही होता है। प्रत्यक्ष कर तो केवल उन लोगों पर लगाए जा सकते हैं जिनकी कर देने की क्षमता होती है, जिनके पास धन होता है। जब उन लोगों की संख्या कम होती है, जिनमें कर देने की क्षमता होती हैं तो तब आप प्रत्यक्ष कर नहीं लगा सकते। यदि आप बड़े भारी पैमाने पर प्रत्यक्ष कर लगा दें तो इससे करों की चोरी, काला धन और सभी अन्य परिणामों को बढ़ावा मिलता है। इसका अन्य विकल्प है वह है घाटे की अर्थ व्यवस्था करना। यदि आप घाटे की अर्थ व्यवस्था लाते हैं तो कीमतें चढ़ती है जिस पर आप नियन्त्रण नहीं रख सकते और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसका बोझ उठाना पड़ता है। उस व्यक्ति के लिए जो वस्तु का उपयोग करता है फिर चाहे वह तेल के बीज हों, चाहे कपड़ा हो, चाहे भोजन हो, सारे समाज को कीमतों में वृद्धि के रास्ते अप्रत्यक्षरूप से भुगतान करना पड़ता है जो कि घाटे की अर्थ व्यवस्था द्वारा लाई गई मुद्रास्फीति का ही परिणाम होता है। अतः अब हमें यह देखना है कि करना क्या चाहिए। हम करते क्या हैं? यदि हम कीमतों को नहीं बढ़ाते तो उसके ये परिणाम निकलते हैं। चाहे अनचाहे कीमतें बढ़ेंगी।

अतः हम किसी न किसी प्रकार के समझौते पर पहुंचते हैं, किसी सीमा तक कीमतों में वृद्धि करते हैं, केवल पूर्णरूपेण कीमतों में ही वृद्धि नहीं करते, बल्कि कुछ सीमा तक वृद्धि को समा भी लेते हैं। यही कुछ हमने उर्वरक और तेल के मामले में किया है। हमने लगभग एक-तिहाई को समा लिया है और लगभग दो-तिहाई को आगे बढ़ा दिया है। ऐसे ही समंजन हम अर्थ-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए करते रहते हैं। यदि इसमें यह और जोड़ दिया जाए कि राज्य भी घाटे की अर्थ-व्यवस्था अपनाता है तो इसका अर्थ हुआ। रिजर्व बैंक से आवर ड्राफ्ट लेना और फिर केन्द्र के लिए मुद्रा सप्लाई पर नियन्त्रण करना असम्भव हो जाता है।

यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राज्य हमेशा ही आवर ड्राफ्ट लेते रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि आवर ड्राफ्ट योजना व्यय के अतिरिक्त स्रोत हैं। मैं किसी राज्य-विशेष की बात नहीं कह रहा हूं, चाहे इस ओर हो या दूसरी ओर का हो। हमें यह देखना है कि इसमें भी कुछ न कुछ अनुशासन तो होता ही है। अन्यथा, जिस घाटे का देश को सामना करना पड़ेगा वह उससे कहीं अधिक होगा जो कुछ मैं इस बजट में घाटे की अर्थ-व्यवस्था द्वारा लाया हूं। श्री वाई० वी० चव्हाण ने इसे यह कहते हुए अत्यन्त स्पष्ट कर दिया था ; "आप 1400 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहे हैं घाटा यहीं पर समाप्त नहीं होगा घाटा और भी बढ़ सकता है।

अन्त में, मैं अपने माननीय मित्र श्री दण्डवते को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी स्थिति में घाटे की अर्थ-व्यवस्था 3000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। मेरे अनुमान जिस एक कारण से विचलित हुए हैं वह है असम समस्या। जब मैंने कुछ गणनाएं की और बताया कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के आचरण का यह प्रतिरूप होगा तो मैंने यह नहीं सोचा था कि असम की स्थिति इस प्रकार लगभग एक वर्ष तक लम्बी खिंचेगी। माननीय सदस्य तो जानते ही हैं कि अब तक हम 2 करोड़-रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खोते चले आ रहे हैं। यह प्रत्यक्ष घाटा है। अप्रत्यक्ष घाटे भी हैं। उससे भी बढ़कर, केवल इसलिए ही कि वहां आन्दोलन चल रहा है हम अपने उत्तरदायित्वों से मुंह नहीं मोड़ सकते। अतः हमने उनके चालू घाटे को पूरा करने के लिए उनको 40 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए हैं और हमने योजना-स्रोतों में भी वृद्धि कर दी है जिससे कि संचार व्यवस्था में सुधार हो जाए। ये वे सब अकल्पनीय बातें हैं जो बजट प्रस्तुत करने के बाद पैदा हुई हैं। तथापि मैं बहुत आशावादी हूं और अपने माननीय मित्र श्री दण्डवते को आश्वासन देता हूं कि हम घाटे की अर्थ-व्यवस्था को 3000 करोड़ रुपये की संख्या तक नहीं पहुंचने देंगे। इतिहास में सर्वाधिक घाटा दिखाने का श्रेय तो जनता सरकार को छोड़कर और किसी को नहीं जायेगा। इस अत्यन्त उपयोगी चर्चा के पश्चात मैं अपने प्रिय मित्र प्रो० दण्डवते से निवेदन करूंगा कि वे अपने संकल्प को वापिस ले लें।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इतनी लम्बी बहस के बाद मैं केवल कुछ ही मिनट लूंगा।

दोनों ही ओर के माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद और विशेषकर वित्त मंत्री महोदय के, मैं यह अनुभव करता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत करने

में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब वित्त मन्त्री महोदय बोल रहे थे तो उन्होंने इस टिप्पणी के साथ अपनी बात शुरू की कि हमें मुद्रास्फीति की इस स्थिति की गम्भीर रूप से चिन्ता है और वही भावना दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने अपनी दलगत विचारधाराओं के बावजूद व्यक्त की। प्रस्ताव में बढ़ती हुई कीमतों पर चिन्ता व्यक्त की गई है और इसमें यह अनुरोध किया गया है कि सरकार को तुरन्त ठोस कदम उठाने चाहिए। इसमें यही सब कहा गया है। इस प्रस्ताव में किसी प्रकार की निन्दा या भर्त्सना नहीं की गई है। मैं यह नहीं समझ पाता कि जैसा कि कामरेड भोगेन्द्र झा ने ठीक ही कहा है इस प्रस्ताव को स्वीकृत क्यों न कर लिया जाये।

दूसरे, कुछ सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लेते समय इस प्रस्ताव के बारे में राजनैतिक उद्देश्यों की भी बात कही। हम इस मामले को राजनीतिक रंग देना नहीं चाहते, क्योंकि दुर्भाग्य से या सौभाग्य से वर्तमान सरकार राजनीतिक मामलों पर वाद-विवाद करने का हमें बहुत अवसर देती है क्या राष्ट्रपति शासन प्रणाली की सरकार होनी चाहिए या संसदीय प्रणाली की सरकार, न्यायपालिका की क्या भूमिका है, क्या एक ही व्यक्ति के हाथ मजबूत किए जाएं आदि आदि। ये सभी मामले आते रहते है। अतः शासकदल हमें राजनीतिक ढंग से लड़ने के पर्याप्त अवसर प्रदान कर रहा है। वह राजनीतिक मामले उठाने और राजनीतिक वाद-विवाद खड़ा करने के बहुत अवसर प्रदान करता है। अतः हम राजनीतिक समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए आर्थिक मामले उठाकर अप्रत्यक्ष रूप से नहीं आयेंगे। मैं वित्त मंत्री महोदय को विश्वास दिला सकता हूं कि यदि हमें उन पर राजनैतिक आक्रमण करना होगा तो हम प्रत्यक्षतः, ईमानदारी और निष्कपटता से करेंगे, इसके लिए पिछले-द्वार या खिडकियों से नहीं घुसेंगे।

जहां तक वित्त मंत्री महोदय के उत्तर का सम्बन्ध है उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जो बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि जनता सरकार ने विदेशी-मुद्रा के आरक्षित कोष का दुरुपयोग कर समाप्त कर दिया है।

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : उन्होंने ऐसा नहीं कहा। (व्यवधान)।

प्रो० मधु दण्डवते : तब तो ठीक है। तो इस बात से मुझे प्रसन्नता है।

जहां तक उनके द्वारा जनता सरकार और वर्तमान सरकार के कार्यों की लगातार तुलना की बात है—मैं उन आंकड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहता था—स्वयं मैंने इस सदन में अगस्त 1980 में एक प्रश्न पूछा था, जिसमें मैंने यह पूछा था कि जब जनता सरकार सत्ता में आई थी तो क्या स्थिति थी और उस समय क्या स्थिति जब वर्तमान शासक दल द्वारा समर्थित सरकार स्वयं सरकार को हमने सत्ता सौंपी थी, वार्षिक औद्योगिक वृद्धि दर, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की उस समय क्या स्थिति थी। उत्तर यह था कि जब जनता सरकार सत्ता में थी तब औद्योगिक वृद्धि दर 7.6% थी और उस सम्बन्ध में नवीनतम उपलब्ध आंकड़े—वित्त मंत्री महोदय ने मुझे लिखित रूप से बताया था, 0.9% हैं। मैं इस प्रभाव में था कि 'घटा'—कमपोजिटर या टंकक

की गलती थी, अतः मैंने इसकी दोबारा जांच की और पाया कि सही है। राष्ट्रीय आय के बारे में हमें बताया गया था कि जब जनता सरकार सत्ता में थी तो राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि-दर 4.1 प्रतिशत थी और जब हमने सत्ता सौंप दी तो नवीनतम उपलब्ध आंकड़े जो दिए गए थे वह 3% थी। मैं बात को स्पष्ट करना चाहता हूं जनता सरकार के कामों की बार-बार वर्तमान सरकार के कामों से तुलना की जाती है। यही तो एक मात्र वह कारण है। जिसकी वजह से मैं इस समस्या का चित्रण कर रहा हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने इसका उत्तर बजट के समय दे दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : वह तो ठीक है। मुझे आशा है कि अगला बजट भी आप ही रखेंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं ऐसा नहीं सोचता। (व्यवधान)।

प्रो० मधु दण्डवते : एक और पहलू भी है। मैंने स्वयं ही रहस्योद्घाटन किया था और मेरे विचार से उन्होंने यह स्वीकार भी किया था कि मैंने इसे घुमा-फिरा कर कहा है। मैंने इसे घुमा-फिरा कर नहीं कहा था। मैंने कहा था कि जिन गोदामों से खाद्यान्न इत्यादि देने की व्यवस्था है, जिसे जनता सरकार ने अपनाया था, उसे बाद में हटा दिया गया और सच्चाई तो यह है कि राज्यों की आवश्यकता और उपभोग से बढ़कर राज्यों को जो स्टाक के कोटे नहीं उपलब्ध कराए जाने थे, वे उन्हें उपलब्ध कराए गए और उसके परिणाम स्वरूप तस्करी हुई। उससे कृत्रिम अभाव पैदा हुआ और जिसके परिणामस्वरूप भी, कीमतों में वृद्धि का एक तत्व जोड़ा गया था। मैं उस मुद्दे को पहले ही स्वीकार कर चुका हूं और उस पर कोई मतभेद नहीं है।

जहां तक लैवी की चीनी का सम्बन्ध है उसने यह बताने की कोशिश की कि चीनी के कुल कोटे का दो-तिहाई लैवी की चीनी के लिए उपलब्ध कराया गया था और केवल एक तिहाई, खुले बाजार के लिए और उन्होंने बताया कि जनता के कमजोर वर्ग तो मुख्य- रूप से उचित दर की दुकानों पर उपलब्ध कोटे से सम्बद्ध थे। परन्तु मैं उन्हें बता देना चाहता हूं—इसका मैंने स्वयं अनुभव किया है वह किसी सदस्य का, माननीय सदस्यों का अनुभव हो सकता है, बावजूद उनकी दलगत सम्बद्धताओं के—कि पूजा के त्यौहार के वक्त चाहे यह दुर्गा-पूजा हो या दिवाली, महाराष्ट्र और गुजरात में यह हमारा आम अनुभव था, यद्यपि आपका यह कहना था उचित दर की दुकानों पर नियन्त्रित दर पर सस्ती चीनी उपलब्ध थी और यह कि बड़ी संख्या में उचित दर की दुकानों पर चीनी कतई उपलब्ध ही नहीं थी। अतः सैद्धांतिक रूप में तो आपने लैवी की चीनी नियन्त्रित दरों पर उपलब्ध करा दी, परन्तु वास्तव में उचित दर की दुकानें ना ही तो उचित दर की थी और ना ही दुकानें। उन पर केवल बोर्ड मात्र था कि वे उचित दर की दुकानें हैं। उन पर लम्बी लाइनें लगी हुई थीं और आये लोगों को लैवी की चीनी लिए बगैर वापिस जाना पड़ा। वास्तव में यही सब कुछ हुआ था। यह बात तो स्वयं उन्होंने भी स्वीकार की है और इस बात की मुझे खुशी है। समस्या को देखने-परखने के दो रास्ते हैं। या तो आप आम मूल्य स्तर लीजिए या फिर आप कुछ ऐसी वस्तुओं को चुन लीजिए जिनसे

जनता का कमजोर वर्ग सम्बद्ध है। हम तो समाज के कमजोर वर्गों से सम्बद्ध हैं। हमें इस पर बड़ा गर्व है। अतः जब हमने कुछ आवश्यक वस्तुओं का चुनाव किया तो मैंने सदन को यह बताया था कि वास्तव में इन चीजों में कितनी वृद्धि हुई है। यह इसलिए नहीं था कि ये वस्तुएं हमारे विचार से आकर्षक थी परन्तु ये वे वस्तुएं थी जिनके बारे में समाज का कमजोर वर्ग चिन्तित था।

इसलिए मैंने इन वस्तुओं को चुना था और मुझे खुशी है यहां पर उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा। वह भी इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वयं इस सदन में एक वक्तव्य दिया था कि इससे कीमतों में वृद्धि हुई। इतना ही मैंने किया था। वे तो अर्थशास्त्री हैं, परन्तु मै तो भौतिकविद् हूं। उन्होंने तो केवल वस्तु सूचकांक संख्या दी है और मैंने उन्हें गणक की सहायता से गिना कि आया सूचांकक की संख्या में कितनी औसत वृद्धियां हुई हैं। मैंने तो केवल इतना ही करके देखा था। आपने स्वयं 21 नवम्बर, 1980 को एक वक्तव्य दिया था इसलिए जो अनेक मुददे उठाए गए थे उनकी और तस्वीर की समग्रता को देखते हुए मेरे विचार से सदन में मतैक्य होना चाहिए कि हमें कीमतों की वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए और मै सरकार से निवेदन करता हूं कि इसके लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं। अतः महोदय, सदन द्वारा सर्व सहमति से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की मैं प्रशंसा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : शमन्ना जी, क्या आप इस पर बल दे रहे हैं ?

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मुझसे इस कर्तव्य को निभाने के लिए कहा गया है। मुझे खेद है कि इसमें काफी विलम्ब होगया है। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता···।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने संशोधन को वापिस ले रहे है ?

श्री टी० आर० शमन्ना : मैं अपना संशोधन वापिस नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : तो मैं श्री टी० आर० शमन्ना के संशोधन संख्या—1 को सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं उनसे एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने प्रस्ताव पर बल न दें क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिस पर हम सभी सहमत हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : इस पर मतदान करा लिया जाए। मैं मत विभाजन पर जोर नहीं दूंगा।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : इसे मौखिक मतदान द्वारा अस्वीकृत होने दो हम इ विभाजन पर जोर नहीं देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव रखता हूं । प्रश्न यह है:

"कि यह सभा चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि पर व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है वह मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क कदम उठाए ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

महात्मा गाँधी पर फिल्म के बारे में आधे घंटे की चर्चा को स्थगित करने के बारे में घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यवर जानते हैं कि 26 नवम्बर, 1980 की कार्य सूची में महात्मा गांधी पर बन रहे चलचित्र के बारे में आधा घण्टे की चर्चा सम्मिलित की गई है । सूचना और प्रसारण मंत्री ने निवेदन किया है कि चर्चा को स्थगित कर दिया जाए । सदस्य और मंत्री महोदय दोनों ही इसे 28 नवम्बर, 1980 तक स्थगित करने के लिए राजी हो गए हैं। तद्नुसार इस चर्चा को 28 नवम्बर, 1980 तक स्थगित कर दिया जाएगा ।

सभा अब स्थगित होती है और कल 11 बजे म० पू० फिर समवेत होगी ।

8.30 म०प० तत्पश्चात् लोकसभा बुधवार, 26 नवम्बर, 1980/5 अग्रहायण 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।